म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड
Munitions India Limited
विनाशाय दुष्कृताम्

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

MUNITIONS INDIA LIMITED

(A Miniratna Cat-I Company)

भारत सरकार का उद्यम

रक्षा मंत्रालय

चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

विषय सूची

कॉर्पोरेट अवलोकन

02	अध्यक्ष का संदेश
04	कॉर्पोरेट जानकारी
08	निदेशक मंडल
12	हमारे बारे में
13	एमआईएल फूटप्रिंट
15	उत्पाद प्रोफाइल एवं आधुनिकीकरण
22	प्रमुख उपलब्धियां
24	मुख्य समारोह
34	चौथी वार्षिक आम बैठक की सूचना

वैधानिक रिपोर्ट

35	निदेशकों की रिपोर्ट
75	कॉर्पोरेट गवरनेंस रिपोर्ट (अनुलग्नक–I)
83	सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट (अनुलग्नक–II)
88	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (अनुलग्नक–III)
93	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर (अनुलग्नक–IV)
96	फॉर्म एओसी–I (अनुलग्नक–V)
98	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
103	कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र
104	व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता संहिता के लिए प्रमाण पत्र

वित्तीय विवरण

105	स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
141	स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
143	स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण
197	समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
223	समेकित वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
225	समेकित वित्तीय विवरण

विज़न

सशस्त्र बलों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण युद्धक्षेत्र गोला–बारूद से लैस कर उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करना ।

मिशन

गोला–बारूद क्षेत्र में ''आत्मनिर्भर भारत अभियान'' एवं ''मेक इन इंडिया पहल'' का प्रमुख संरक्षक बनना ।

हमारी रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा एजेंसियों के सबसे विश्वसनीय और पसंदीदा भागीदार के रूप में घरेलू बाजार में नेतृत्व स्थापित करना और उसे बनाए रखना तथा समूह को अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोला–बारूद निर्माण में विकसित करना ।

मुद्रा के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करके एवं हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की अपेक्षाओं को पूरा करके म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को ब्रांड बनाना और उसे मजबूत करना ।

वैश्विक दक्षताओं वाला एक शिक्षण संगठन बनना, जो रचनात्मकता और नवाचार के लिए प्रतिबद्ध हो ।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयर धारकों,

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (MIL) के निदेशक मंडल की ओर से, मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए MIL की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

हमारा संगठन, अपनी 12 विनिर्माण निर्माणियों, 02 शैक्षिक संस्थानों राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी एवं आयुध निर्माणियां शिक्षण संस्थान, खमरिया और 01 संरक्षा संस्थान MIL संरक्षा नियंत्रणालय के साथ, हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गोला-बारूद और विस्फोटक प्रणालियों के उत्पादन के पीछे की जीवनरेखा है। ये संवेदनशील और उच्च-सटीक वाले संचालन केवल औद्योगिक प्रक्रियाएं नहीं हैं बल्कि यह एक राष्ट्रीय रक्षा की रीढ़ है, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खड़े प्रत्येक वीर सैनिक का दृढ़ आश्वासन हैं।

मेरा सबसे बडा एवं मुख्य उद्देश्य हमारी कंपनी को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, न केवल उत्पादन संख्या के संदर्भ में बल्कि गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों में भी हमारा मिशन दोहरा है – हमारे उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना और उनसे आगे बढ़ना और उत्पादन प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक कर्मचारी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उत्पाद की गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में MIL ने उत्पादन लक्ष्यों में नए मील के पत्थर हासिल किए हैं। यह मील का पत्थर न केवल एक संख्या नहीं है – यह आपके समर्पण, सटीकता और अथक प्रयास का प्रतिबिंब है। जब हमें अपनी उपलब्धियों का सही मायने में जश्न मनाते हैं, हमें अपने लक्ष्य और ऊँचे तय करने होंगे और MIL का ध्यान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹10000 करोड़ के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने पर है। इसके साथ ही MIL निर्यात में भी नए मील के पत्थर हासिल करने पर ध्यान केंद्रित है। मुझे विश्वास है कि निरंतर टीम वर्क, फोकस और नवाचार के साथ, हम इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को न केवल पूरा करेंगे बल्कि उससे भी आगे निकल जाएंगे।

हम जो भी उपलब्धि मनाते हैं, वह टीम वर्क का परिणाम है – न केवल विनिर्माण में शामिल लोगों के बीच, बल्कि अनुसंधान एवं विकास, खरीद, मानव संसाधन, वित्त, लोजिस्टिक्स, सुरक्षा, प्रशिक्षण और प्रशासन में भी। इस विशाल मशीन का प्रत्येक भाग एक अनिवार्य भूमिका निभाता है।

साथ ही, गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सुरक्षा एवं गुणवत्ता दो अलग-अलग लक्ष्य नहीं हैं – वे साथ-साथ चलते हैं। बेहतर गुणवत्ता हमारे उत्पादों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है, जबकि सुरक्षा का कड़ाई से पालन हमारी टीमों की भलाई और हमारे संचालन की स्थिरता सुनिश्चित करता है।

आइए हम उन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें जो हमें परिभाषित करते हैं – ईमानदारी, उत्कृष्टता, अनुशासन और देशभक्ति। आइए, हम कंपनी की अधिक ऊंचाइयों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आगे बढ़ें, केवल संख्याओं के लिए नहीं, बल्कि रक्षा उद्योग के सबसे विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि करने के लिए। हमारे दिलों में गर्व और हाथों में उत्कृष्टता के साथ मैं आप सभी के साथ इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए उत्सुक हूँ।

निदेशक मंडल और कंपनी के सभी कर्मचारियों की ओर से, मैं माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंहजी और माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ को उनके अपार समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं श्री राजेश कुमार सिंह, रक्षा सचिव, और श्री संजीव कुमार, सचिव (रक्षा उत्पादन), भारत सरकार का भी कंपनी के कामकाज में उनके समर्थन और विश्वास के लिए अत्यंत आभारी हूँ। मैं श्री अनुराग बाजपेयी, पूर्व अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय, डॉ. गरिमा भगत, संयुक्त सचिव (LS) और श्री अमित सतीजा, संयुक्त सचिव (DIP), रक्षा मंत्रालय और रक्षा उत्पादन विभाग के अन्य अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने निरंतर मार्गदर्शन से MIL का समर्थन किया है। मैं अपने सम्मानित बोर्ड सहयोगियों और MIL के सभी कर्मचारियों के साथ-साथ कंपनी के अन्य हितधारकों को उनके बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग के लिए भी धन्यवाद एवं प्रशंसा व्यक्त करता हूँ।

(संजय हज़ारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN संख्या: 11089196

कॉर्पोरेट जानकारी

निदेशक मंडल

श्री संजय हज़ारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(दि. 30/04/2025 से)

श्री प्रकाश अग्रवाल
निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी

श्री राकेश ओझा
निदेशक/ऑपरेशन
(दि. 08/11/2024 से)

श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक
निदेशक/मानव संसाधन
(दि. 05/02/2025 से)

श्री अमित सतीजा, भा.प्र.से
संयुक्त सचिव (डीडीपी)
सरकारी नामांकित निदेशक
(दि.14/08/2024 से)

मुख्य सतर्कता अधिकारी
श्री हरि नारायण जांगिड़

कंपनी सचिव
श्री ई.जे. पॉल

सचिवीय लेखा परीक्षक
मेसर्स ए.के.रस्तोगी एंड एसोसिएट्स,
गाजियाबाद

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स बोरकर एंड मजुमदार,
मुंबई

मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक
श्री अजय कुमार सिंह

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स महेश सोलंकी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंदौर

मेसर्स राज एंड सुधा
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, त्रिची

मेसर्स सारडा सोनी एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नागपुर

मेसर्स नागरवाला एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, संबलपुर

मेसर्स चाणक्य अशोक एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पटना

मेसर्स एम जी ए एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जळगांव

इकाइयों के विभागाध्यक्ष (As on 31/03/2025)

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की उत्पादन ईकाइयां

1. श्री संजय हज़ारी
   मुख्य महाप्रबंधक
   गोला बारूद फैक्टरी, खड़की, पुणे
2. श्री विकास पुरवार
   मुख्य महाप्रबंधक
   कॉर्डाइट फैक्टरी, अरुवनकाडु
3. श्री विजय बादलू कुरील
   मुख्य महाप्रबंधक
   अति विस्फोटक फैक्टरी, खड़की, पुणे
4. श्री ज्ञानेश्वर त्यागी
   मुख्य महाप्रबंधक
   हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी, तिरुचिरापल्ली
5. श्री प्रदीप कुमार दास
   मुख्य महाप्रबंधक
   आयुध निर्माणी, बड़माल
6. श्री दीपक उद्धवराव देशमुख
   मुख्य महाप्रबंधक
   आयुध निर्माणी, भंडारा
7. श्री प्रवीण कुमार पांडे
   मुख्य महाप्रबंधक
   आयुध निर्माणी, चांदा
8. श्री ज्ञानेंदु कुमार चौधरी
   मुख्य महाप्रबंधक
   आयुध निर्माणी, देहू रोड
9. श्री आलोक कुमार अग्रवाल
   मुख्य महाप्रबंधक
   आयुध निर्माणी, इटारसी
10. श्री शैलेश वगेरवाल
    मुख्य महाप्रबंधक
    आयुध निर्माणी, खमरिया
11. श्री अनिल कुमार गुप्ता
    मुख्य महाप्रबंधक
    आयुध निर्माणी, नालंदा
12. श्री मोहम्मद जुन्नून सरवर
    मुख्य महाप्रबंधक
    आयुध निर्माणी, वरणगांव

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की गैर उत्पादन ईकाइयां

1. श्री ज्योति प्रकाश दास
   मुख्य महाप्रबंधक
   एनएडीपी, अंबाझरी
2. श्री उदय कुमार शर्मा
   मुख्य महाप्रबंधक
   आ.नि.शि.सं. खमरिया, जबलपुर
3. श्री ललित कुमार
   मुख्य महाप्रबंधक
   एमआईएल संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे

पंजीकृत कार्यालय
गोला बारूद फैक्टरी खड़की, पुणे,
महाराष्ट्र –411003
CIN No.U29190PN2021GOI203505

निगमित कार्यालय
दूसरी मंजिल, न्याति यूनिट्री, नगर रोड, येरवडा, पुणे – 411 006
दूरभाष सं. 020-67080400
ई–मेल : mil-pune@munitionsindia.in
वेबसाइट: https://munitionsindia.in

एमआईएल की उत्पादन इकाइयां

1. गोला बारूद फैक्टरी खड़की,
   पुणे, महाराष्ट्र –411003
2. कॉर्डाइट फैक्टरी,अरुवनकाडु
   अरुवनकाडु– 643202, तमिलनाडु
3. अति विस्फोटक निर्माणी खड़की
   पुणे, महाराष्ट्र –411003
4. हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी
   तिरुचिरापल्ली–620025, तमिलनाडु
5. आयुध निर्माणी, भंडारा
   भंडारा – 441906, महाराष्ट्र
6. आयुध निर्माणी बड़माल,
   बड़माल,बोलंगीर – 767070, उडीसा
7. आयुध निर्माणी,चांदा
   चांदा– 442501, महाराष्ट्र
8. आयुध निर्माणी, देहूरोड
   पुणे– 412101, महाराष्ट्र
9. आयुध निर्माणी, इटारसी
   इटारसी– 461122, मध्य प्रदेश
10. आयुध निर्माणी, खमरिया
    जबलपुर – 482005, मध्य प्रदेश
11. आयुध निर्माणी, नालंदा
    राजगीर – 803121, बिहार
12. आयुध निर्माणी, वरणगांव
    वरणगांव– 425308, महाराष्ट्र

एमआईएल की गैर उत्पाादन इकाइयां

1. राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी
   अंबाझरी, नागपुर–440021
2. आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान
   खमरिया, जबलपुर – 482005, मध्यप्रदेश
3. एमआईएल संरक्षा नियंत्रणालय
   खडकी, पुणे–411003 महाराष्ट्र

निदेशक मंडल

श्री संजय हज़ारी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(दि. 30/04/2025 से)

श्री संजय हज़ारी रक्षा उत्पादन क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक के व्यापक अनुभव वाले एक अनुभवी एवं कुशल पेशेवर हैं। भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (भा.आ.नि.से.) के 1989 बैच के एक प्रतिष्ठित अधिकारी के रूप में, उन्होंने उत्पादन प्रबंधन, उत्पादन योजना, औद्योगिक इंजीनियरिंग, सामान्य प्रशासन, खरीद एवं इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है और एनआईटीआईई, मुंबई से औद्योगिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम; सीआईआई, बैंगलोर से कैड/कैम परिचय; एनआईआईटी, कोलकाता से सांख्यिकीय विधियाँ और अनुप्रयोग; और एनएडीपी, नागपुर से आधुनिकीकरण और परियोजना प्रबंधन सहित कई विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता को और बढ़ाया है। अपने शानदार करियर के दौरान, श्री संजय हज़ारी ने भारतीय रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कई प्रमुख नेतृत्व पदों पर कार्य किया है, जहाँ उनकी रणनीतिक दृष्टि और परिचालन विशेषज्ञता ने दक्षता बढ़ाने, प्रणालियों को मजबूत करने और प्रदर्शन परिणामों में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) मुख्यालय में उप महानिदेशक (गोला–बारूद) के रूप में, वे गोला–बारूद और विस्फोटक (A&E) समूह की फैक्टरियों की योजना और उत्पादन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार थे। इस भूमिका में उनके कार्यकाल को महत्वपूर्ण विनिर्माण इकाइयों में बेहतर समन्वय और सुव्यवस्थित वितरण द्वारा चिन्हित किया गया था। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) के कॉर्पोरेट कार्यालय में महाप्रबंधक (ऑपरेशन) के रूप में अपनी भूमिका में, श्री संजय हज़ारी ने पूरे एमआईएल समूह की फैक्टरियों के लिए उत्पादन योजना, लक्ष्य आबंटन और इन–हाउस आर एंड डी गतिविधियों के निष्पादन की देख–रेख की। नवाचार को बढ़ावा देने और योजना प्रक्रियाओं के निर्बाध एकीकरण को सुनिश्चित करने की उनकी क्षमता ने कंपनी की उत्पादन दक्षता में अत्यधिक एवं बहुमूल्य योगदान दिया। तत्पश्चात गोला बारूद निर्माणी खड़की (एएफके), जो एक प्रमुख रक्षा उत्पादन इकाई है, के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने फैक्टरी संचालन को अनुकूलित करने और समग्र प्रदर्शन मेट्रिक्स को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 30 अप्रैल 2025 को, श्री संजय हज़ारी ने रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का पदभार ग्रहण किया। उनके दीर्घ अनुभव के साथ, एमआईएल का लक्ष्य परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व एक महत्वपूर्ण समय पर आया है क्योंकि कंपनी आधुनिकीकरण, वैश्विक विस्तार एवं भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में अधिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही है।

श्री देबाशीष बनर्जी
निदेशक/मानव संसाधन
(सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सहित)
(दि. 01/03/2024 से
30/11/2024 तक)

श्री देबाशीष बनर्जी एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिनके पास रखरखाव प्रबंधन (एम. टेक) और सामाजिक विज्ञान (एम. फिल) में स्नातकोत्तर योग्यता है । उन्होंने आईआईएम, बैंगलोर से प्रौद्योगिकीविदों के प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है । उनके पास रक्षा उत्पादन उद्योग में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है । उन्होंने वर्ष 1989 में पश्चिम बंगाल में स्थित आयुध निर्माणी दमदम में सहायक कार्य प्रबंधक के रूप में यूपीएससी (इंजीनियरिंग सेवा) परीक्षा के माध्यम से भारतीय आयुध निर्माणी सेवा में प्रवेश लिया । तीन दशकों से अधिक की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने गोला–बारूद एवं विस्फोटक समूह, हथियार समूह, बख्तरबंद वाहन समूह की फैक्टरियों में काम किया है । इस यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न उत्पादन इकाइयों में लगभग हर क्षेत्र जैसे उत्पादन, योजना, गुणवत्ता नियंत्रण, इंजीनियरिंग, रख–रखाव, प्रशासन, प्रोविजन एवं सूचना प्रौद्योगिकी में विभिन्न स्तरों पर काम किया । श्री बनर्जी ने सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक इंजन फैक्टरी आवड़ी के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया । यह फैक्टरी टैंक टी–72, टैंक टी–90 और बीएमपी खख वाहन के लिए इंजन के उत्पादन में लगी हुई है । इस अवधि के दौरान फैक्टरी ने अपने इनपुट घटकों का 100% स्वदेशीकरण हासिल किया ।

श्री बनर्जी ने 1 अक्टूबर 2021 को नवगठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के पहले निदेशक/मानव संसाधन के रूप में कार्यभार संभाला ।

श्री देबाशीष बनर्जी ने 1 मार्च 2024 को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) पुणे के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया । एमआईएल के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के साथ, आयुध निर्माणी संगठन से श्री देबाशीष बनर्जी भारत के सबसे मूल्यवान रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से एक के प्रमुख बने । 12 आयुध फैक्टरियों से बनी यह कंपनी विभिन्न प्रकार के गोला–बारूद एवं विस्फोटक के उत्पादन में लगी हुई है । वे 30.11.2024 को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए हैं ।

श्री प्रकाश अग्रवाल
निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी
(सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सहित)
(दि. 01/12/2024 से 29/04/2025 तक)

श्री प्रकाश अग्रवाल एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं आईआईएम, कोलकाता से एमबीए हैं । वे 1990 बैच के भा.आ.नि.से. अधिकारी हैं ।

एनएडीपी, अंबाझरी, नागपुर में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उन्होंने 1992 में तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) में कार्यभार ग्रहण किया, जहाँ विपणन एवं निर्यात का एक नया प्रभाग स्थापित किया गया था । तत्कालीन आ.नि.संगठन में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्हें विपणन, निर्यात एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग का विशाल एवं दीर्घ अनुभव है । इस अवधि के दौरान उन्हें प्रतिष्ठित 'आयुध भूषण' पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया ।

उन्होंने आयुध उपस्कर फैक्टरी, कानपुर में और उसके बाद ओईएफ मुख्यालय, कानपुर में फैक्टरी स्तर पर सामग्री प्रबंधन, उत्पादन योजना, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के क्षेत्रों में भी काम किया है ।

उन्होंने 2021 तक तीन वर्षों के लिए तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता में विपणन एवं निर्यात के उप महानिदेशक के रूप में पुन: सेवा की । इससे पहले उन्होंने नवगठित डीपीएसयू, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) पुणे में महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास एवं वित्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया ।

उनके पास रक्षा निर्यात प्रोत्साहन एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए विभिन्न देशों का दौरा करने का व्यापक अंतरराष्ट्रीय अनुभव है।

श्री प्रकाश अग्रवाल ने 16 जून 2022 को एमआईएल में निदेशक/वित्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे एमआईएल के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) भी हैं।

श्री प्रकाश अग्रवाल ने 1 मार्च 2024 से 7 नवंबर 2024 तक एमआईएल में निदेशक/ऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है।

श्री प्रकाश अग्रवाल ने 01/12/2024 से 29/04/2025 तक एमआईएल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है।

श्री राकेश ओझा
निदेशक/ऑपरेशन
(दि. 08/11/2024 से)

श्री राकेश ओझा एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिनके पास डीसीएमटी, क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम से एम.एससी. (गन सिस्टम डिजाइन) में स्नातकोत्तर योग्यता है। उन्होंने वर्ष 1997 में भारतीय आयुध निर्माणी सेवा में प्रवेश लिया।

27 वर्षों से अधिक के अपने करियर के दौरान, श्री राकेश ओझा ने रक्षा उद्योग में उत्पादन, योजना, अनुसंधान एवं विकास, सामग्री प्रबंधन, व्यवसाय विकास जैसे व्यापक पोर्टफोलियो पर काम किया है। उन्होंने आर्टिलरी के गोला-बारूद के निर्माण, छोटे हथियारों के गोला-बारूद और हथियार प्रणालियों के उत्पादन में कौशल तथा जानकारी हासिल की। वे आईएसबी के पूर्व छात्र हैं। वे एएमपीओएस-2024 के छात्र थे।

श्री राकेश ओझा ने फरवरी 2024 से नवंबर 2024 तक आयुध निर्माणी वरणगाँव के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। यह निर्माणी 5.56 मिमी एवं 7.62 मिमी छोटे हथियारों के गोला-बारूद के उत्पादन में लगी हुई है। इस अवधि के दौरान निर्माणी ने 100% प्रतिबद्ध लक्ष्य हासिल किया।

श्री राकेश ओझा ने 8 नवंबर 2024 को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे, जो एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, के निदेशक/ऑपरेशन का कार्यभार ग्रहण किया।

यह कंपनी 12 आयुध फैक्टरियों (उत्पादन इकाइयों) से बनी है जो विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद एवं विस्फोटक के उत्पादन में लगी हुई हैं और 03 गैर-उत्पादन इकाइयाँ भारत के 5 राज्यों में फैली हुई हैं।

श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक
निदेशक/मानव संसाधन
(दि. 05/02/2025 से)

श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक सिविल इंजीनियरिंग, मानव संसाधन एवं प्रबंधन में समृद्ध और विविध पृष्ठभूमि वाले एक अनुभवी पेशेवर हैं। वे सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और उनके पास बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी), एक्सएलआरआई जमशेदपुर से मानव संसाधन प्रबंधन में प्रमाणन, एवं प्रबंधन में डिप्लोमा है। भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (आईओएफएस) के 1995 बैच के एक प्रतिष्ठित अधिकारी के रूप में, श्री नाईक सार्वजनिक सेवा में 29 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं।

अपने करियर के दौरान, श्री नाईक ने मानव संसाधन, उत्पादन, योजना, खरीद एवं सिविल रख-रखाव सहित विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान दिया है। उनका नेतृत्व और विशेषज्ञता विविध संगठनात्मक सेटिंग्स के भीतर परिचालन दक्षता बढ़ाने और कार्यबल के लचीलेपन को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। विशेष रूप से, श्री नाईक ने कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने ऑपरेशन को अनुकूलित करने और समग्र प्रदर्शन में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

5 फरवरी 2025 को, श्री नाईक ने एक प्रमुख रक्षा सार्वजनिक उद्यम, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड में निदेशक (मानव संसाधन) का पदभार ग्रहण किया। उनकी नियुक्ति संगठन के लिए ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में आई है, जिसमें उनके व्यापक अनुभव एवं रणनीतिक दृष्टि को परिचालन दक्षता बढ़ाने, कार्यबल क्षमताओं को मजबूत करने एवं लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। श्री नाईक का नेतृत्व म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की चल रही वृद्धि एवं सफलता की कुंजी है क्योंकि यह राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में योगदान देना जारी रखता है।

श्री अनुराग बाजपेयी
अपर सचिव
सरकारी नामित निदेशक
(दि. 14/08/2024 तक)

श्री अनुराग बाजपेयी भारतीय वन सेवा के 1994 बैच से संबंधित हैं। वे अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंधन एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने 3 महीने के लिए रोम में खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) में एक परियोजना पर काम किया है। उन्होंने 32 देशों की यात्रा की है और नीति नियोजन और प्रशासन में अनुभव प्राप्त किया है।

भारत सरकार में, श्री अनुराग बाजपेयी का कानूनी ढांचे के भीतर वानिकी निकासी की प्रक्रिया में सुधार लाने तथा भारत की पहली पवन ऊर्जा नीति तैयार करने में सहायक थे। उनका कौशल विकास, शिक्षा, अवसंरचना विकास और महिला सशक्तिकरण में बहुमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में क्रमशः सहायक महानिरीक्षक वन, उप सचिव एवं निदेशक के रूप में कार्य किया है।

अपने मूल कैडर अर्थात मणिपुर में, उन्होंने प्रभागीय वन अधिकारी से आगे विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने वन और पर्यावरण विभाग तथा वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग विभाग में सेवा की। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में शामिल होने से पहले, वे वन विभाग में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मणिपुर में वाणिज्य और उद्योग विभाग में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तिकरण मिशन (मीटैक) के सीईओ थे।

श्री अमित सतीजा
आईएएस, संयुक्त सचिव (डीपीडी)
सरकारी नामांकित निदेशक
(दि. 14/08/2024 से)

श्री अमित सतीजा एजीएमयूटी कैडर के 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात हैं। भारत सरकार में शामिल होने से पहले, उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। श्री सतीजा अर्थशास्त्र में स्नातक हैं और आईएएस में शामिल होने से पहले जमनलाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई से मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज किया है।

श्री सतीजा के पास रक्षा संबंधी मामलों, लोक प्रशासन, गृह/जनगणना, वित्त, शहरी विकास, उत्पाद शुल्क, भूमि राजस्व प्रबंधन और जिला प्रशासन, जल संसाधन, परिवहन एवं पर्यटन में विशाल अनुभव है।

हमारे बारे में

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड [एमआईएल] भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम [सीपीएसई] है।

एमआईएल, भारत का सबसे बड़ा निर्माता और मार्केट लीडर है, जो सेना, नौसेना, वायु सेना एवं अर्ध–सैन्य बलों के लिए गोला–बारूद एवं विस्फोटक की व्यापक रेंज के उत्पादन, परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास और विपणन में लगी हुई है।

पुणे (भारत) में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ, एमआईएल अपनी 12 अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों में, जो पूरे देश में स्थित हैं, लगभग 21211 कुशल कार्यबल के साथ कार्यरत है। इन फैक्टरियों में 150 से अधिक वर्षों से शुरुआती रचनाओं, प्रोपेलेंट और उच्च विस्फोटक के इन–हाउस निर्माण के साथ छोटे, मध्यम और उच्च कैलिबर गोला–बारूद, मोर्टार, रॉकेट, हथगोले आदि के उत्पादन के लिए एक सिद्ध एकीकृत आधार है। हमारा प्राथमिक उद्देश्य सशस्त्र बलों को आधुनिक और गुणवत्ता वाले युद्धक्षेत्र गोला–बारूद से लैस करके उन्हें प्रतिस्पर्धी बढ़त प्रदान करना है।

हमारे विदेशी ग्राहकों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित देश शामिल हैं। हमें भारत और विदेश दोनों में अपने ग्राहकों से मिलने वाला संरक्षण हमारे उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में उनके विश्वास को दर्शाता है। हम सशस्त्र बलों के पीछे की एक मजबूत शक्ति हैं।

एमआईएल अपनी 12 निर्माण इकाइयों के साथ निम्नलिखित उपलब्ध कराती है:

- बहु–प्रौद्योगिकी क्षमताओं के साथ एक व्यापक एवं बहुमुखी उत्पादन आधार
- अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएं
- कुशल एवं पेशेवर रूप से योग्य जनशक्ति और प्रबंधकीय कर्मियों का बड़ा समूह
- गुणवत्ता मानकों का सख्त पालन (सभी इकाइयाँ आईएसओ–9000 प्रमाणित हैं)
- आवश्यकता–आधारित परिशोधन और संशोधन करने के लिए मूल के साथ–साथ अनुकूली अनुसंधान एवं विकास
- औद्योगिक प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए एक मजबूत आधार

एम आई एल फुटप्रिंट्स
उत्पादन और गैर उत्पादन इकाइयां

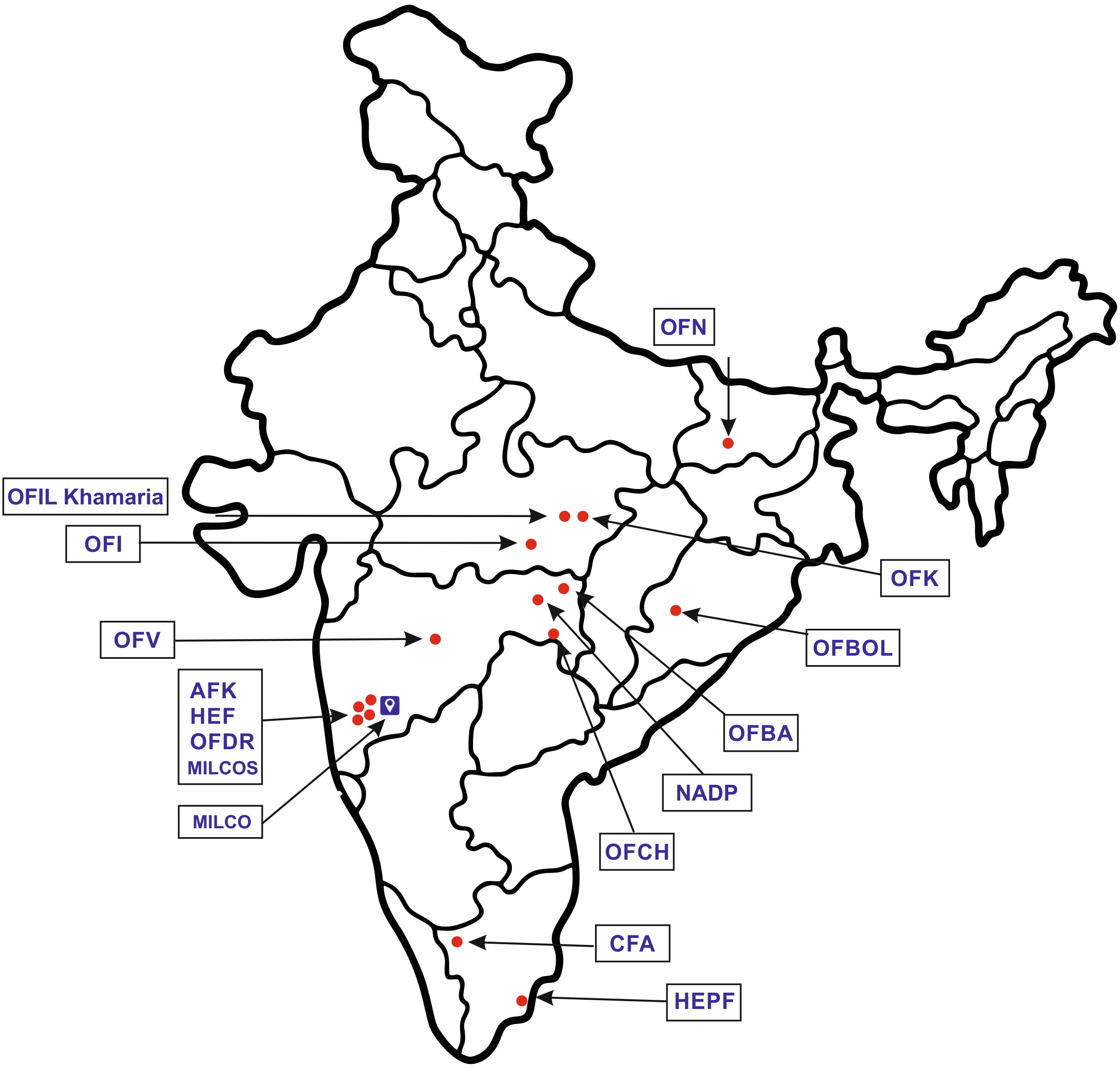

एम आई एल यात्रा

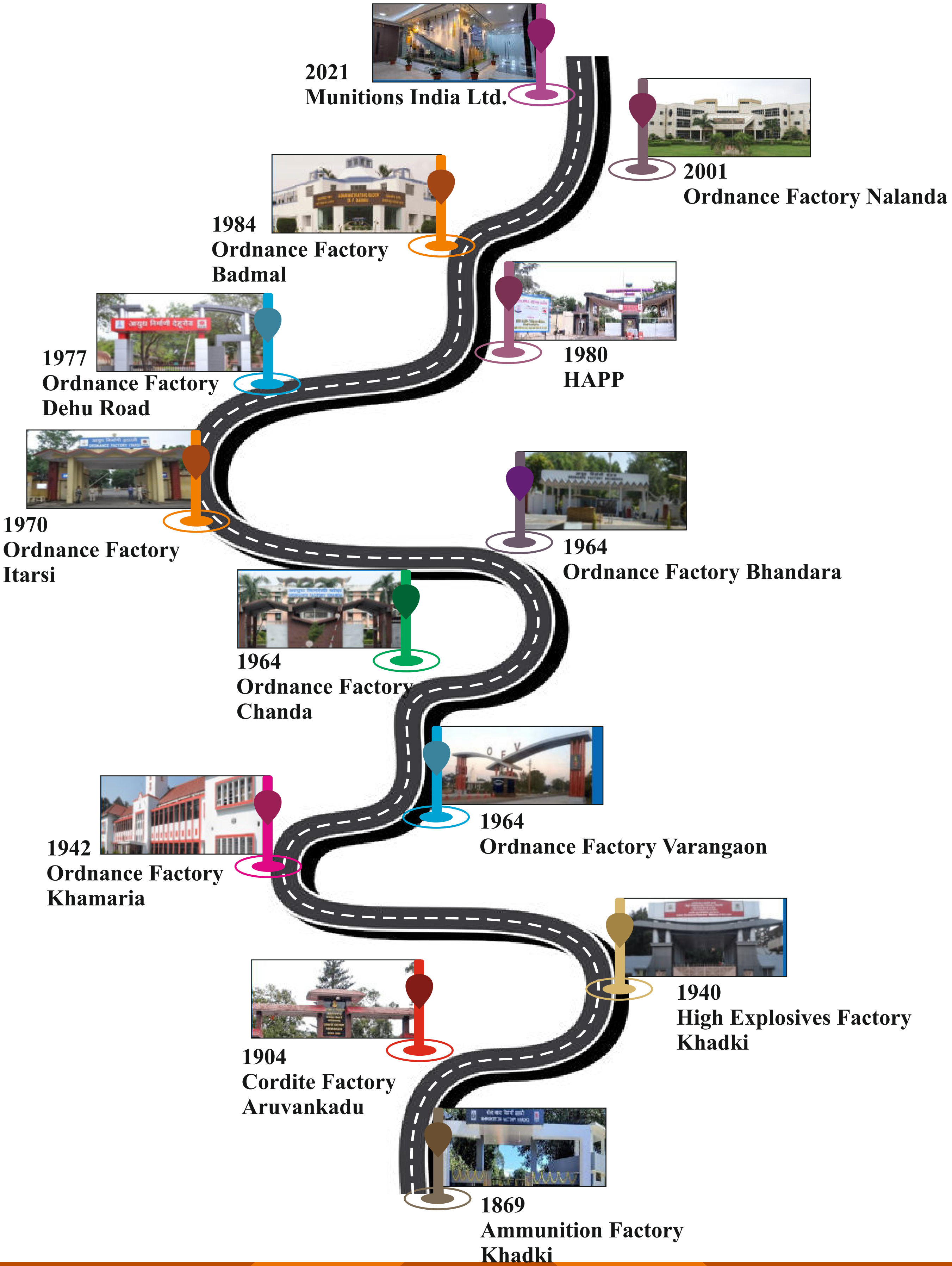
2021
Munitions India Ltd.
2001
Ordnance Factory Nalanda
1984
Ordnance Factory Badmal
1980
HAPP
1977
Ordnance Factory Dehu Road
1970
Ordnance Factory Itarsi
1964
Ordnance Factory Bhandara
1964
Ordnance Factory Chanda
1964
Ordnance Factory Varangaon
1942
Ordnance Factory Khamaria
1940
High Explosives Factory Khadki
1904
Cordite Factory Aruvankadu
1869
Ammunition Factory Khadki

उत्पाद विवरण

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) के उत्पाद पोर्टफोलियो में गोला-बारूद, विस्फोटक, पायरोटेक्निक्स और अन्य रक्षा-संबंधी उत्पाद शामिल हैं। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड अपने उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जाना जाता है जो भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और निर्यात की सख्त मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

उत्पाद विवरण

120mm HE

120mm Smoke

120mm Illuminating

उत्पाद विवरण

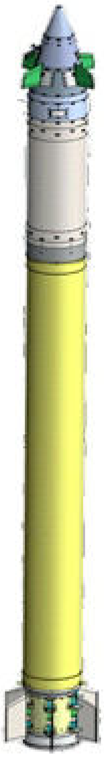

उत्पाद विवरण

उत्पाद विवरण

RD 40MM HEAP

RD 40MM HEDP

40MM(RED)

40MMP(PRF)

20MM AMR HEI

20MM AMR SAPHEI

20MM AMR TFT

उत्पाद विवरण

उत्पाद विवरण

NT EXPL 5.085 KG
GR - WT12.085 KG
CYLINDER NO-
7
6
5
4
7
6
5
4
3
FOR M4A2
LOT BA 010701

Munitions India Limited

प्रमुख उपलब्धियां

स्वदेशीकरण : ''आत्मनिर्भर भारत''

वर्तमान स्वदेशीकरण सामग्री–95%

निर्माणाधीन उत्पाद :

- ✻ क्षेत्र निषेध गोला–बारूद (एडीएम) टाइप–II वारहेड का विकास
- ✻ क्षेत्र निषेध गोला–बारूद (एडीएम) टाइप–III वारहेड का विकास
- ✻ 1000 किलोग्राम जीपी बम का विकास
- ✻ संशोधित मध्यम दूरी के चैफ रॉकेट (एमआरसीआर) का विकास
- ✻ विभिन्न प्रकार के ग्रेनेड के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज का विकास
- ✻ एनजी (न्यू जनरेशन) आकाश के लिए ड्यूल पल्स प्रोपेलेंट का विकास
- ✻ हीट–751, एचईडीपी–502 और स्मोक–469सी गोला–बारूद के लिए प्रोपेलेंट
- ✻ 125 मिमी एफएसएपीडीएस गोला–बारूद (भेदन गहराई 550 मिमी)
- ✻ 155 मिमी स्मार्ट गोला–बारूद :

155 एमएम स्मार्ट एम्युनिशन

155 मिमी स्मार्ट गोला–बारूद सटीक वार करने और साथ ही संपार्श्विक क्षति को कम करने की अनुमति देकर तोपखाने की बंदूकों की क्षमता वृद्धि को सक्षम बनाता है ।

एमआईएल द्वारा नए उत्पाद के विकास पर अकादमिक संस्थानों के साथ बातचीत की गई है।

एमआईएल उत्पादन गतिविधियों के लिए विशिष्ट डोमेन विशेषज्ञों को भी नियुक्त कर रहा है। यदि आवश्यक हो, तो स्वदेशीकरण गतिविधियों के लिए डोमेन विशेषज्ञों को नियुक्त करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, एमआईएल विकास कार्यों के लिए विभिन्न अकादमिक संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है ।

उदाहरण के लिए :

आईआईटी मद्रास की सहायता से स्मार्ट 155 मिमी गोला–बारूद (आईएसए–इंडियन स्मार्ट एम्युनिशन) और 30 गोला–बारूद का विकास ।

सफलतापूर्वक विकसित उत्पाद :

- मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन के लिए डिले डेटोनेटर
- एसआरसीआर, एलआरसीआर और एमआरसीआर के लिए मेक–II मार्ग के माध्यम से चैफ पेलोड का स्वदेशीकरण
- ग्रेनेड 40 मिमी एमआईएल 25
- ग्रेनेड 30 मिमी एमआईएल 17

40mm MIL 25

30 mm MIL 17

प्रमुख घटनाएँ

श्री राकेश ओझा द्वारा म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे में निदेशक/ऑपरेशन का कार्यभार ग्रहण करना (08 नवंबर, 2024)

श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक द्वारा म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे में निदेशक/मानव संसाधन का कार्यभार ग्रहण करना (05 फरवरी, 2025)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा ध्वजारोहण

01 अक्टूबर 2024 को स्थापना दिवस समारोह के दौरान एमआईएल के कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण

01102024
Pay
Best Employee MIL Corporate Office
Rupees
Twenty Five Thousand Only
₹ 25,000/-

वीवीआईपी, वीआईपी और गणमान्य व्यक्तियों का एमआईएल कार्यालय, पुणे का दौरा

श्री देबाशीष बनर्जी, पूर्व निदेशक/मानव संसाधन, को विदाई
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार

19 नवंबर 2024 को एमआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय, पुणे में सदस्यों (स्टाफ साइड) के साथ परामर्श तंत्र बैठक

12 से 14 अप्रैल 2024 तक ऊटी में शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्यावसायिक बैठक

Munitions India Limited
Accurate. Lethal. Reliable.

चौथी वार्षिक आम बैठक की सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड की चौथी वार्षिक आम बैठक (AGM) मंगलवार, 30 सितंबर 2025 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित की जाएगी। यह बैठक कॉर्पोरेट कार्यालय–दूसरी मंजिल, न्याति यूनिट्री, नगर रोड, येरवडा, पुणे– 411006 में और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित होगी, जिसमें नीचे बताए गए कार्य पूरे किए जाएँगे :

सामान्य कार्य

क) 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना, तथा उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को प्राप्त करना।

ख) 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित समेकित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, तथा उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को प्राप्त करना और अपनाना।

निदेशक मंडल के आदेश से
म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड के लिए

(ई. जे. पॉल)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: FCS-4521

स्थान: पुणे
दिनांक: 29/09/2025

टिप्पणियाँ:
1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी (प्रतिनिधि) को उपस्थित होने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार है, और प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी चौथी वार्षिक आम बैठक (AGM) में भाग ले सकते हैं।
3. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौथी वार्षिक आम बैठक (AGM) में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति (quorum) की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
4. सदस्यों को बैठक के दौरान प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। प्रश्न अग्रिम में भी finance@munitionsindia.in पर दिए जा सकते हैं।
5. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक्सेस करने का लिंक बैठक से पहले साझा किया जाएगा।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में ,
शेयर होल्डरर्स
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित खातों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 839.86 करोड़ का लाभ (कर के बाद) दर्ज किया है।

1. मुख्य बातें :

रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय ने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को मिनी–रत्न (श्रेणी–ख) सीपीएसई के रूप में वर्गीकृत किया है। शक्तियों का प्रत्यायोजन सार्वजनिक उद्यम विभाग के का.ज्ञा. संख्या 11/36/97–वित्त दि. 09/10/1997 में निर्धारित शर्तों एवं दिशानिर्देशों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

उत्पादन इकाइयाँ:

i. गोला बारूद फैक्टरी खड़की
ii. कॉर्डाइट फैक्टरी अरुवनकाडु
iii. हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी, तिरुचिरापल्ली
iv. अति विस्फोटक निर्माणी, खड़की
v. आयुध निर्माणी भंडारा
vi. आयुध निर्माणी बोलंगीर
vii. आयुध निर्माणी चांदा, चंद्रपुर
viii. आयुध निर्माणी देहूरोड
ix. आयुध निर्माणी इटारसी
x. आयुध निर्माणी खमरिया
xi. आयुध निर्माणी नालंदा
xii. आयुध निर्माणी वरणगांव

गैर उत्पादन इकाइयाँ:

i. राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी

ii. आयुध निर्माणियां शिक्षण संस्थान, खमरिया

iii. एमआईएल, संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे

2. वित्तीय समीक्षा :

2.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रदर्शन के मुकाबले नीचे दिया गया है :

करोड़ में

विवरण	2024-25	2023-24
सकल आय	8649.41	7534.62
ईबीआईटीडीए	1488.74	935.94
वित्तीय व्यय	4.05	2.16
मूल्यह्रास और परिशोधन	198.16	183.19
कर से पहले लाभ/(हानि)	1286.52	750.60
कर के लिए प्रावधान, आदि	446.67	191.81
कर के बाद लाभ/(हानि)	839.86	558.78
कम: लाया गया लाभ/(हानि)	653.82	95.04
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष	1493.68	653.82

2.2 लाभांश :

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं.5/1/2016–डीआईपीएएम–IIAVOLIII–भाग (1), दिनांक 19.11.2024 के अनुसार, सीपीएसई में पूंजी प्रबंधन और लाभांश की निगरानी समिति (सीएमसीडीसी) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश के भुगतान से एमआईएल को छूट दी है।

2.3 विकास :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी लाभ को बरकरार रखा है, जिसमें टर्नओवर बढ़ाया गया, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में ग्राहक आधार का विस्तार किया गया और नए उत्पादों की शुरुआत करके उत्पाद आधार में वृद्धि की गई।

2.4 शुध्द मूल्य :

31 मार्च, 2025 तक कंपनी की शुद्ध संपत्ति 10,204.71 करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष यह 8619.40 करोड़ रुपये थी)।

2.5 विदेशी मुद्रा (आय और व्यय)

आय यूएसडी, यूरो के रूप में है

व्यय यूएसडी, यूरो, एसईके में है

अवधि	आय	व्यय
2024-25	₹3076.08 करोड	₹654.24 करोड
2023-24	₹1696.87 करोड	₹796.09 करोड

3. वार्षिक विवरणी:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक विवरणी वेबसाइट https://munitionsindia.in/Downloads/Manual और Policies/Annual Return 2024-25 पर प्रदर्शित की गई है।

4. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

4.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के अनुसरण में, यह पुष्टि की जाती है कि – वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं।

4.2 ऐसी लेखा नीतियां चुनी और लगातार लागू की जाती हैं, और उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए जाते हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके, और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का भी।

4.3 कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा, और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती जाती है।

4.4. वार्षिक खाते एक सतत चिंता के आधार पर तैयार किए गए हैं।

4.5 सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की गई हैं और उन्हें और भी बेहतर बनाया जा रहा है।

5. कंपनी की गतिविधियाँ :

5.1 उत्पादन:

कंपनी अपनी 12 अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों में, जो पूरे देश में स्थित हैं और लगभग 21211 कर्मचारियों के साथ, विभिन्न प्रकार के गोला–बारूद एवं विस्फोटक का उत्पादन करती है। यह भारत की सबसे बड़ी निर्माता और बाजार में अग्रणी कंपनी है जो सेना, नौसेना, वायु सेना, अर्ध–सैन्य बलों और निर्यात के लिए गोला–बारूद और विस्फोटक की व्यापक श्रृंखला के उत्पादन, परीक्षण, अनुसंधान और विकास और विपणन में लगी हुई है। कंपनी के पास 200 से अधिक वर्षों से इन–हाउस इनिशिएटरी कंपोजिशन, प्रोपेलेंट और उच्च विस्फोटक के निर्माण के साथ छोटे, मध्यम एवं उच्च क्षमता वाले गोला–बारूद, मोर्टार, रॉकेट, हथगोले आदि के उत्पादन के लिए एक सिद्ध एकीकृत आधार है। कंपनी गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करती है। कंपनी की सभी इकाइयाँ ISO 9001 प्रमाणित हैं।

उत्पादन और गैर–उत्पादन इकाइयों का विवरण:

उत्पादन इकाइयां

गोला बारूद निर्माणी खड़की (एएफके)

पुणे शहर में स्थित एएफके, 16 दिसंबर 1869 को ब्रिटिश सरकार की एक छोटे हथियारों की विनिर्माण इकाई के रूप में अस्तित्व में आई। गन पाउडर का उपयोग करके गोला–बारूद कारतूस का नियमित उत्पादन 1872 में शुरू हुआ। 1886 में, कॉर्डाइट (नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन पेस्ट से बना) प्रोपेलेंट का उपयोग करके 0.303" कारतूस का निर्माण स्थापित किया गया था। 1914 में एएफके में विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार हुआ और एशिया और अफ्रीका में युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एएफके में विभिन्न प्रकार के प्राथमिक विस्फोटक जैसे मरक्यूरी फलमिनेट, लीड एजाइड, लीड स्टाइफनेट और कैप्स, डेटोनेटर, परक्यूशन फ्यूज और विभिन्न पायरोटेक्निक स्टोर शुरू किए गए। यह निर्माणी विभिन्न प्रकार के छोटे हथियारों के गोला–बारूद के निर्माण में अग्रणी है, जिसका उपयोग विभिन्न सशस्त्र बलों और पुलिस बलों द्वारा किया जाता है।

कॉर्डाइट फैक्टरी अरुवनकाडु

तमिलनाडु के नीलगिरि के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित सीएफए, वर्ष 1904 में स्थापित की गई थी। सीएफए में प्रोपेलेंट निर्माण के लिए उपयुक्त अच्छी जलवायु स्थिति, पानी की आपूर्ति के लिए अपना जलाशय और सुरक्षा के लिए लगभग 5 किमी दूर स्थित मद्रास रेजीमेंटल सेंटर के आवश्यक लाभ थे। सीएफए 105 मिमी, 120 मिमी, 130 मिमी, 155 मिमी सहित विभिन्न प्रकार के गोला–बारूद, नौसेना गोला–बारूद और छोटे हथियारों के लिए प्रोपेलेंट के निर्माण में अग्रणी है। 155 मिमी गोला–बारूद के लिए द्वि–मॉड्यूलर चार्ज के लिए ट्रिपल बेस प्रेपोलेंट का नवीनतम जोड़ सीएफए की एक बड़ी उपलब्धि है।

अति विस्फोटक निर्माणी खड़की

एचईएफ को द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के वर्षों, 1935-40 में AFK के लिए आवश्यक उच्च विस्फोटक (टीएनटी और सीई) और इनिशिएटर के निर्माण के लिए एक अलग इकाई के रूप में योजनाबद्ध किया गया था। इसकी आधारशिला 11 जनवरी, 1940 को मुला नदी के पश्चिमी तट पर उस स्थान पर रखी गई थी जहाँ 1817 में वीर मराठों और ब्रिटिश सेना के बीच 'खडकी का युद्ध' लड़ा गया था। एचईएफ में प्रमुख उत्पादन 1942-44 के दौरान शुरु हुआ। अपनी स्थापना के बाद से, यह हमारे देश की रक्षा तैयारी में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। एचईएफ उच्च ऊर्जा सामग्री, टीएनटी, तरल प्रेपोलेंट का उत्पादन करता है। वैश्विक रक्षा विनिर्माण कंपनियों ने एचईएफ में टीएनटी उत्पाद में बार–बार ऑर्डर देकर अपना विश्वास दिखाया है। अमोनियम परक्लोरेट, जिसका उपयोग ठोस रॉकेट प्रणोदकों में होता है, एचईएफ में नवीनतम जोड़ है।

हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली

एचईपीएफ पूर्व में हैवी अलॉय पेनेट्रेटर प्रोजेक्ट (एचएपीपी), तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में स्थित एक प्रमुख इकाई है जो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के तहत फिन स्टेबलाइज़्ड आर्मर पियर्सिंग और डिसकार्डिंग साबो (FSAPDS) नामक एंटी-टैंक काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल का निर्माण करती है। एचईपीएफ को 1980 के दशक में DRDO द्वारा स्थापित किया गया था और 1990 में तत्कालीन OFB द्वारा अधिग्रहित किया गया था, यह देश में FSAPDS की अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं वाली एकमात्र फैक्ट्री है जिसमें 20000 की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ कोर पाउडर धातुकर्म तकनीक है। HEPF ने अपनी उत्पाद श्रृंखला का विस्तार किया है और भारतीय नौसेना के लिए A/S RGB-60 नामक एंटी सबमरीन रॉकेट का निर्माण करने के लिए विविधता लाई है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 2000 है। एचईपीएफ ने विभिन्न पूर्व-खंडित टंगस्टन मिश्र धातु क्यूब्स, क्यूबोइड्स, ग्रेन्युल, वजन भी आपूर्ति किए हैं; अन्य DPSU, ARDE, DMRL, DRDO, BDL, HAL और BHEL के ग्राहकों को विभिन्न मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले काउंटर वेट।

आयुध निर्माणी भंडारा

आयुध निर्माणी भंडारा महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले में कोलकाता-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर भंडारा शहर से 18 किलोमीटर पश्चिम और नागपुर शहर से 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस निर्माणी को सभी प्रोपेलेंट फैक्टरियों की जननी माना जाता है क्योंकि यह बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के प्रोपेलेंट का उत्पादन करती है। इसमें एसिड से लेकर उच्च विस्फोटक और उच्चतम गुणवत्ता मानकों के साथ विभिन्न प्रोपेलेंट तक बहु-आयामी उत्पाद-मैट्रिक्स है। इसकी सुसज्जित प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाओं को NABL द्वारा मान्यता प्राप्त है।

आयुध निर्माणी बड़माल, बोलंगीर

आयुध निर्माणी बडमाल ओडिशा राज्य में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मशीन के साथ स्थापित किया गया था। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 29 अक्टूबर 1984 को इस निर्माणी की आधारशिला रखी थी। मध्यम और भारी कैलिबर गोला-बारूद के निर्माण के लिए समर्पित एक विशाल गोला-बारूद निर्माणी स्थापित करने की दृष्टि ने ओडिशा के KBK बेल्ट के इस पिछड़े क्षेत्र को सुर्खियों में ला दिया है। परियोजना की मंजूरी 1989 में मिली थी। यह निर्माणी ओडिशा के बोलांगीर जिले में 12,200 एकड़ में फैली हुई है जिसमें ऐतिहासिक गंधमर्दन पर्वतमाला की पहाड़ियों और टीले शामिल हैं और महानदी नदी प्रणाली की दो सहायक नदियाँ, लानथ और टेल, इससे घिरी हुई हैं। यह निर्माणी सेना की मशीनीकृत सेनाओं, तोपखाने और इंजीनियर रेजीमेंट द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद का उत्पादन करती है।

आयुध निर्माणी चांदा

आयुध निर्माणी चांदा परियोजना को वर्ष 1964 में स्वीकृत किया गया था और प्रारंभिक उत्पादन 1970 में शुरू हुआ था। इस फैक्टरी को विस्फोटक और गैर–विस्फोटक घटकों जैसे इनिशिएटर, प्राइमर, कैप, फ्यूज, पेपर कंपोनेंट और पैकेजिंग के उत्पादन के लिए आवश्यक सहायक उपकरणों के साथ मध्यम और उच्च कैलिबर गोला–बारूद विनिर्माण इकाई के रूप में डिजाइन किया गया था। आयुध निर्माणी चांदा नागपुर से दक्षिण में 135 किमी और चंद्रपुर से उत्तर में 28 किमी की दूरी पर स्थित है।

आयुध निर्माणी देहूरोड

सेना ने संकेत दिया था कि भविष्य में रात्रि युद्ध प्रमुख हो जाएगा और इस तरह, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बहुत आवश्यक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत में रात्रि युद्ध के लिए विभिन्न पायरोटेक्निक गोला–बारूद वस्तुओं का उत्पादन स्थापित किया जाना था। इस नई निर्माणी की स्थापना की आवश्यकता पर रक्षा मंत्रालय उत्पादन और आपूर्ति समिति की बैठक के दौरान विचार किया गया और परियोजना को जनवरी 1977 में सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। यह फैक्ट्री विभिन्न प्रकार के पायरोटेक्निक गोला–बारूद के निर्माण में लगी हुई है। यह देश में इस प्रकार के गोला–बारूद का उत्पादन करने वाली एकमात्र निर्माणी है। चूंकि यहाँ उपयोग की जाने वाली सामग्री बहुत संवेदनशील होती है और उनमें उच्च ऊर्जा सामग्री होती है, इसलिए उत्पादन प्रक्रियाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।

आयुध निर्माणी इटारसी

1969-70 में आयुध निर्माणियों में उपलब्ध क्षमताओं के मुकाबले उच्च कैलिबर गोला–बारूद के लिए प्रोपेलेंट की आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद, एक नई प्रोपेलेंट फैक्ट्री को आवश्यक माना गया और आयुध निर्माणी इटारसी की स्थापना की गई। OFI डबल और ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट और तीनों सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के रॉकेट और मिसाइलों के लिए आवश्यक कास्ट और केस बॉन्डेड प्रोपेलेंट का निर्माण करती है। सुरक्षा और मानव संसाधन विकास फैक्टरी की बुनियादी एवं महत्वपूर्ण विषय हैं। अनुसंधान और विकास इसके प्रयास के क्षेत्र हैं।

आयुध निर्माणी खमरिया

आयुध निर्माणी खमरिया को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में संबद्ध सेनाओं के लिए गोला–बारूद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्वी समूह परियोजनाओं में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद, फैक्टरी की उत्पाद श्रृंखला को विभिन्न सेवाओं और अर्ध–सैन्य बलों की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवर्तित किया गया था। 1962 में चीनी युद्ध और 1965 और 1971 में पाकिस्तान युद्धों के दौरान, सेना, वायु सेना और नौसेना की नई मांगों को पूरा करने के लिए फैक्ट्री का और विस्तार किया गया। वर्तमान में यह देश की सबसे बड़ी गोला–बारूद फैक्टरी है। फैक्टरी की वर्तमान उत्पादन गतिविधि तीनों सेवाओं और अर्ध–सैन्य बलों के लिए हार्डवेयर घटक विनिर्माण, विस्फोटक भरने और गोला–बारूद असेंबली का एक संयोजन है।

आयुध निर्माणी नालंदा

आयुध निर्माणी नालंदा, देश में गोला–बारूद विनिर्माण निर्माणियों में नवीनतम इकाई है। यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है और नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रोपेलेंट के निर्माण में लगी हुई है। 155 मिमी तोप के लिए बाय–मॉड्यूलर प्रोपेलेंट के प्रोपेलेंट निर्माण के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए दि. 29.11.2001 को लगभग 3000 एकड़ के मध्यम व्यापक क्षेत्र के साथ इस परियोजना को स्वीकृत किया गया था।

आयुध निर्माणी वरणगांव

आयुध निर्माणी वरणगांव को 1964 में चीनी आक्रमण के तुरंत बाद मुख्य रूप से 7.62 मिमी गोला–बारूद के निर्माण के लिए स्थापित किया गया था ताकि 0.303" कारतूस को बदला जा सके जो तब तक भारतीय सेना का प्राथमिक गोला–बारूद था। उत्पादन 1965 में यूएस सहायता के तहत प्राप्त संयंत्र और मशीनों के साथ शुरू हुआ। DRDO द्वारा भारतीय राष्ट्रीय छोटे हथियार प्रणाली (INSAS) के विकास के बाद, आयुध निर्माणी वरणगांव ने इसके गोला–बारूद के निर्माण के लिए उत्पादन लाइन स्थापित की। वर्तमान में यह फैक्टरी सशस्त्र और पुलिस बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के छोटे हथियारों के गोला–बारूद के उत्पादन में लगी हुई है।

गैर उत्पादन इकाइयां

राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी

एनएडीपी एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, जिसका जनादेश भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (IOFS) और भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा (IOFHS) अधिकारियों को प्रेरणा और सेवाकालीन प्रशिक्षण दोनों प्रदान करना है। भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के नए प्रवेशकों और सेवाकालीन अधिकारियों को संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1978 में आयुध निर्माणी स्टाफ कॉलेज (OFSC) के रूप में स्थापित; इसे 2003 में नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन (एनएडीपी) के रूप में फिर से नामित किया गया था। 'विद्या अमृतम' (ज्ञान शाश्वत) के आदर्श वाक्य के साथ, एकेडमी 'सीखने के माध्यम से उत्कृष्टता' के दर्शन के लिए प्रतिबद्ध है। एकेडमी ने संगठन की तेजी से बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने अधिकारियों को पर्याप्त तकनीकी-प्रबंधकीय कौशल से लैस करने के लिए वर्षों से विकसित किया है।

आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया

आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया को 1 अप्रैल, 1996 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, खमारिया (RTI, KH) के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसे समूह 'ख' एवं 'ग' कर्मचारियों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने और विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिए आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया, जबलपुर के रूप में फिर से नामित किया गया। इस संस्थान को रसायन और विस्फोटक के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने की विशेषज्ञता है। उपरोक्त के अलावा, इस संस्थान द्वारा नए भर्ती किए गए चार्जमैन (केमिस्ट) के लिए रसायन, विस्फोटक, गोला-बारूद घटक, विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद और संबंधित सुरक्षा पहलुओं आदि के निर्माण पर प्रेरण प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड-संरक्षा नियंत्रणालय

विस्फोटक उत्पादन में सुरक्षा का अत्यधिक महत्व है और इसमें कोई ढिलाई स्वीकार नहीं की जा सकती है।
तदनुसार, MIL-COS को निम्नलिखित मामलों की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था :

- विस्फोटक सुरक्षा
- विद्युत सुरक्षा
- औद्योगिक सुरक्षा
- पर्यावरणीय सुरक्षा
- विस्फोटक और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन

5.2 प्रमुख उत्पाद :

i. छोटे कैलिबर गोला–बारूद

ii. मध्यम कैलिबर गोला–बारूद

iii. बड़े कैलिबर गोला–बारूद

iv. ग्रेनेड

v. हवाई बम

vi. मोर्टार बम

vii. नौसेना गोला–बारूद

viii. रॉकेट पिनाका

ix. विस्फोटक एवं प्रोपेलेंट

x. धुआँ और पायरोटेक्निक्स

5.3 मान्यता और प्रमाणन:

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के पास निम्नलिखित प्रमाणपत्र हैं :

प्रमाणीकरण	संस्करण	इकाइयाँ
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS)	ISO 9001:2015,	एमआईएल की सभी इकाइयां
पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (EMS)	ISO 14001:2015,	एमआईएल की सभी इकाइयां
व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (OHSMS)	ISO 145001:2018	एमआईएल की सभी इकाइयां
ऊर्जा और प्रबंधन प्रणाली (EnMS)	ISO 50001:2018	एमआईएल की सभी इकाइयां
राष्ट्रीय परीक्षण एवं प्रयोगशालाओं के लिए मान्यता बोर्ड (NABL)	SO/IEC/17025,	एमआईएल की सभी इकाइयां
ऊर्जा और प्रबंधन प्रणाली (EnMS)	ISO 50001:2018	एमआईएल की सभी इकाइयां
एयरोस्पेस QMS,	AS9100D,	एएफके, ओएफडीआर, ओएफआई, ओएफबीए, ओएफके, एचईपीएफ, ओएफसीएच

06. स्वदेशीकरण:

एमआईएल 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। एमआईएल द्वारा आयात किए जा रहे कच्चे माल / कम्पोनेन्ट्स / सब–असेंबलियों को 'आत्मनिर्भर भारत' की प्राप्ति के लिए स्वदेशी विकल्पों को विकसित करने के लिए विभिन्न पोर्टलों पर सूचीबद्ध किया गया है, जैसे **सृजन पोर्टल और आई–डेक्स**। वर्तमान में, एमआईएल उत्पादों के लिए स्वदेशीकरण सामग्री लगभग 95% है और हमारा प्रयास है कि अगले दो से तीन वर्षों में इसे और बढ़ाया जाए। स्वदेशीकरण के लिए सृजन पोर्टल पर कुल 192 आइटम प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें 51 पीआईएल आइटम, 125 गैर–पीआईएल आइटम और 16 पी एंड एम आइटम शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 88 आइटम स्वदेशीकृत किए गए हैं (14 पीआईएल और 74 गैर–पीआईएल)।

07. निर्यात:

7.1 म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की निर्यात रणनीति

क) एमआईएल निम्नलिखित कार्यों के साथ एक आक्रामक निर्यात संवर्धन रणनीति बनाने की योजना बना रहा है।

i. पहचान किए गए लक्षित देशों में उत्साही विपणन द्वारा भूगोल का विस्तार।

ii विभिन्न देशों के हथियार सूची का विश्लेषण करके उत्पाद–देश मैट्रिक्स तैयार करना।

iii. निर्यात योग्य उत्पाद आधार का विस्तार करना।

iv. गोला–बारूद घटकों, विस्फोटक, प्रणोदक और गोला–बारूद के उप–असेंबलियों की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने की संभावनाओं की तलाश करना।

v. MIL उत्पादों और उत्पादन क्षमताओं को संभावित ग्राहकों को प्रदर्शित करने के लिए यूरोसैटरी – 2022, डिफेन्स एक्सपो–2022, एयरो इंडिया–2023, नवडेक्स–2023 और 2024, डीएसईआई–2023, एफएफएफ–2024 आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता।

vi. निर्यात लीड्स में भाग लेने के लिए डीए एवं चैनल पार्टनर्स के साथ नियमित संपर्क।

vii ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार गोला–बारूद के लिए पूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए नए उत्पादों का विकास करना।

ख) उपलब्धियां:

क) एमआईएल ने अक्टूबर, 2021 में अपनी स्थापना के बाद से रु. 10,594 करोड़ के निर्यात ऑर्डर प्राप्त किए हैं।

ख) एमआईएल को 2024-25 में निम्नलिखित नए देशों से निर्यात ऑर्डर मिले:
बांग्लादेश, इंडोनेशिया और सूडान।

ग) एमआईएल को 2024-25 में निम्नलिखित नए उत्पाद के निर्यात के लिए ऑर्डर मिले :
कॉर्ड डेटोनेटिंग।

7.2 निर्यात के लिए पेश किए गए उत्पाद

क. स्मॉल आर्म्स एम्युनिशन (5.56 मिमी, 7.62 मिमी, 9 मिमी, आदि)
ख. ग्रेनेड (30 मिमी MIL-17, 40 मिमी एमआईएल –25, 40X46 मिमी आदि)
ग. मोर्टार (81 मिमी और 120 मिमी)
घ. टैंक एम्युनिशन : 125 मिमी कए
ड. आर्टिलरी एम्युनिशन : 155 मिमी, 105 मिमी
च. प्रोपलेंट एवं विस्फोटक (RDX, TNT, बॉल पाउडर, आदि)
छ. पायरोटेक्निक्स

7.3 विदेशों में खोले गए कार्यालयों की संख्या :

रक्षा उत्पादन विभाग / रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार, रियाद, सऊदी अरब में कार्यालय खोलने की योजना है।

7.4 चालू वित्तीय वर्ष और अगले दो वित्तीय वर्षों में अपेक्षित निर्यात :

वर्ष	2024-25	2025-26	2026-27
निर्यात मूल्य (₹)	3,081 CR	2,500 CR	3,000 CR

08. मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति:

रक्षा उत्पादन विभाग / रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2018 के महीने में **'मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति'** की शुरुआत की थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य आईपी संस्कृति को बढ़ावा देना और रक्षा उत्पादन क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देना है, जो आईपीआर पर राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है ताकि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों (DPSU), रक्षा प्रतिष्ठानों और उनके रचनात्मक / नवोन्मेषी अधिकारियों को आईपीआर व्यवस्था की दिशा में प्रोत्साहित और सहायता की जा सके।

रक्षा क्षेत्र में यथार्थवादी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, एमआईएल इन–हाउस R&D प्रयासों से अधिक से अधिक पेटेंट उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और आगे भारतीय रक्षा उद्योगों द्वारा सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए इसके समय पर व्यावसायीकरण को सुनिश्चित कर रहा है।

एमआईएल ने अपनी सभी इकाइयों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आईपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की है। प्रशिक्षण के दौरान विकसित ज्ञान आधार ने संगठन के भीतर अभिनव विचारों / आईपी को पकड़ने के लिए कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा की है।

एमआईएल ने आभासी / भौतिक मोड के माध्यम से व्यापक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करके आईपीआर संबंधित गतिविधियों पर विक्रेताओं को भी सुविधा प्रदान की है।

आज तक एमआईएल ने कुल 352 आईपीआर दायर किए हैं। जिनमें से 88 आईपीआर MIL को प्रदान किए गए हैं, जिनमें 24 पेटेंट शामिल हैं।

09. मानव संसाधन विकास:

9.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण:

विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया।

9.2 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास:

कंपनी ने 'वेब–सक्षम एम. टेक इन एम्युनिशन टेक्नोलॉजी' आयोजित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज तक 2022 से 31 कर्मचारी नामित और प्रायोजित उम्मीदवार रहे हैं।

कंपनी के प्रशिक्षण संस्थान, नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन (NADP) को 'पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (बिजनेस मैनेजमेंट)' आयोजित करने के लिए एआईसीटीई की मंजूरी मिल गई है, जो प्रबंधन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने/आगे बढ़ाने के इच्छुक छात्रों सहित अधिकारियों के लिए रक्षा उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने वाला दो साल का पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम है।

9.3 औद्योगिक संबंध:

औद्योगिक संबंध स्वस्थ, सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बने रहे। औद्योगिक संबंधों / औद्योगिक सद्भाव के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर परामर्श तंत्र का गठन किया गया है।कंपनी के विकास और वृद्धि में योगदान के लिए, इस मंच के माध्यम से कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय में उच्च–स्तरीय सलाहकार समिति (HLCC) और एमआईएल औद्योगिक संबंध तंत्र जैसे उपयुक्त मंचों का गठन किया गया है। पहली HLCC बैठक 08.05.2025 को हुई थी जिसमें 41 आयुध निर्माणियों के सेवानिवृत्त / सेवारत कर्मचारी सदस्य थे और पहली MIL IR तंत्र बैठक 06.06.2025 को हुई थी जिसमें एमआईएल इकाइयों के सेवारत कर्मचारी सदस्य थे। इन दोनों मंचों का गठन MILCO के अधिकारियों और मान्यता प्राप्त रक्षा संघों और मान्यता प्राप्त रक्षा संघों के प्रतिनिधियों के बीच उत्पादकता, गुणवत्ता, लागत–प्रभावशीलता, आधुनिकीकरण, सुरक्षा, व्यवसाय विस्तार, अनुसंधान एवं विकास, छवि निर्माण, उत्पादन लक्ष्य, संसाधन उपलब्धता और कौशल विकास से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए किया गया है।

10. रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन किया गया था। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापन स्कोर 91 था और यह उत्कृष्ट रेटिंग थी।

11. राजभाषा कार्यान्वयन:

राजभाषा अधिनियम, उसके नियम और रक्षा मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में समय – समय पर जारी किए गए आदेशों को इस अवधि के दौरान कंपनी में लागू किया गया। कंपनी में हिंदी के उपयोग की समीक्षा करने और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए वार्षिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई।

12. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, आदि पर रिपोर्ट

12.1 ऊर्जा का संरक्षण –

12.1.1 भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के पांच अमृत तत्वों (पंचामृत) के अनुरूप और तदनुसार रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने छह सूत्री कार्य योजना तैयार की है जो इस प्रकार हैं :

i) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार ;
ii) उपकरणों एवं प्रक्रियाओं में ऊर्जा दक्षता में सुधार ;
iii) क्षति एवं अपशिष्टों में कटौती और विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी ;
iv) हरित भवनों की ओर बढ़ना ;
v) इलेक्ट्रिक गतिशीलता की ओर धीरे–धीरे बढ़ावा,
vi) क्षमता निर्माण के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र का निर्माण और सक्षम वातावरण, और सभी एमआईएल इकाइयों में ऊर्जा दक्षता पहलों का मापन, मूल्यांकन, निगरानी, रिपोर्टिंग और पुरस्कृत करना ।

इन कार्य योजनाओं के निष्पादन की दिशा में की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं :

i. दिसंबर 2025 तक अनुबंधित भार क्षमता के 65% से 92% तक स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । एमआईएल और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (NVVNL) के बीच पहले ही 949 KW रूफटॉप एसपीपी और 10349 KW ग्राउंड माउंटेड एसपीपी की स्थापना के लिए विद्युत खरीद समझौता (PPA) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं जो महाराष्ट्र समूह की 05 फैक्टरियों और तमिलनाडु समूह की 02 फैक्टरियों में स्थापित किए जाएंगे ।
एएफके, ओएफचांदा और ओएफवी में NVVNL द्वारा 30% एसपीपी स्थापना कार्य पूरा कर लिया गया है ।

ii. पारंपरिक पंखों को BLDC पंखों से बदलना, BLDC पंखे के 90% रेट्रोफिट पर विचार करते हुए एक व्यापक परियोजना को MILCO में स्वीकृत किया गया है और सभी एमआईएल इकाइयों को दिसंबर 2025 तक BLDC पंखे स्थापित करने के लिए सूचित किया गया है । अब तक 19000 से अधिक पारंपरिक पंखों को इङऊउ ऊर्जा बचत पंखों से बदला गया है ।

iii. पारंपरिक लाइटों को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों से 100% बदलना जो MIL द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है, जिसमें सभी इकाइयों में लगभग 1.78 लाख लैंप का प्रतिस्थापन शामिल है ।

iv. स्ट्रीट सोडियम वेपर लैंप को एलईडी लैंप से 100% बदलना और स्ट्रीट लाइट के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर नियंत्रण स्विच स्थापित करना ताकि सूर्योदय पर लाइटें अपने आप बंद हो जाएं, यह किया गया है ।

v. APFC पैनल सभी सबस्टेशनों और फैक्टरियों तथा संपत्तियों के भीतर उत्पादन दुकानों में स्थापित किए गए हैं ताकि बिजली कारक को इकाई तक सुधारा जा सके ।

vi. निम्नलिखित के प्रतिस्थापन के लिए नीति अपनाई गई है :
क) ऊर्जा कुशल ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर के साथ ऑइल टाइप ट्रांसफॉर्मर को जब प्रतिस्थापन देय हो ।
ख) ऊर्जा कुशल स्क्रू कंप्रेसर के साथ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ।

ग) FRP ब्लेड के साथ कूलिंग टॉवर फैन ब्लेड।

घ) उच्च एचपी मोटरों के लिए VFDs/सॉफ्ट स्टार्टर के साथ स्टार-डेल्टा स्टार्टर जब प्रतिस्थापन देय हो।

ङ) जहाँ भी सुविधाएँ उपलब्ध हों, पाइपेड नेचुरल गैस से चलने वाले बॉयलरों द्वारा फर्नेस फ्यूल ऑयल से चलने वाले बॉयलरों को बदलना।

vii. बिजली की खपत को कम करने के लिए खरीद के तहत सभी संयंत्र और मशीनरी के लिए तकनीकी विशिष्टताओं में ऊर्जा कुशल IE3-IE4 मोटरों को शामिल करने और भविष्य की खरीद के लिए नीति अपनाई गई है।

viii. ईंधन की खपत बचाने के लिए बॉयलर हाउस में सौर फीड वाटर हीटिंग सिस्टम स्थापित करना।

ix. MIL की सभी इकाइयों में इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट (IGEA) पूरा हो गया है और सिफारिशें लागू की जा रही हैं।

x. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से 04 MIL इकाइयों ने स्टार लेबल बिल्डिंग प्रमाणन के लिए आवेदन किया है।

xi. सभी MIL इकाइयों को 40 EV चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी दी गई है।

xi. वर्तमान में MIL इकाइयों में 63% एत का उपयोग सामग्री हैंडलिंग के लिए किया जाता है और भविष्य में EV खरीदने या किराए पर लेने के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं।

xii. मजबूत संस्थागत तंत्र के निर्माण के लिए MIL कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए फैक्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (FTI), आयुध निर्माणियां शिक्षण संस्थान (OFIL) खमरिया और राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी (NADP) नागपुर में विभिन्न ऊर्जा प्रबंधन और संरक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

13.2 प्रौद्योगिकी अवशोषण :

13.2.1 DRDO से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अनुरूप निम्नलिखित गोला-बारूद विकास के अधीन हैं।

i. इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज के साथ 40 मिमी HEAP

ग्रेनेड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज के साथ एकीकृत 40 मिमी हाई एक्सप्लोसिव एंटी-पर्सनेल (HEAP) ग्रेनेड का विकास सफलतापूर्वक किया गया है। यह फ्यूज आत्म-विनाश और बिंदु-विस्फोट सुविधाएँ प्रदान करता है, जिससे विश्वसनीयता और परिचालन सुरक्षा बढ़ती है।

ii. कैनोपी सेवरेंस सिस्टम (CSS)

एक नई उत्पाद विकास पहल से कैनोपी सेवरेंस सिस्टम (CSS) का स्वदेशी निर्माण हुआ है। CSS इजेक्शन समय को कम करता है, खतरों को कम करता है और पायलट के जीवित रहने की संभावनाओं को काफी बढ़ाता है।

MIL ARDE द्वारा प्रदान किए गए ToT के माध्यम से विकास का नेतृत्व कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय वायु सेना, HAL (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड), और ADA (एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी) से आवश्यकताओं को पूरा करना है।

iii. उच्च प्रदर्शन गन प्रोपेलेन्ट (HPGP)

HEMRL ने उच्च प्रदर्शन गन प्रोपेलेन्ट प्रौद्योगिकी विकसित की है, जिसे अब MIL द्वारा उत्पादन में स्थानांतरित किया जा रहा है। यह प्रोपेलेन्ट विभिन्न टैंक गन एम्युनिशन में उपयोग के लिए उपयुक्त है। ये प्रोपेलेन्ट सुरक्षित परिचालन सीमाओं के भीतर चैंबर दबाव को पार किए बिना हाई मजल वेलोसिटिस प्राप्त करते हैं।

13.2.3 अनुसंधान और विकास पर खर्च किया गया व्यय ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा अनुसंधान और विकास पर किया गया कुल व्यय ₹ 60.28.00 करोड़ है ।

13.2.4 कंपनी ने व्यय को कम करने और अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है :

i. मौजूदा अपरिहार्य अस्वीकृति (UAR) में कमी कंपनी की प्रत्येक उत्पादन इकाई द्वारा सभी प्रमुख स्टोरों की UAR में कमी के लिए ठोस कार्रवाई की गई है और परिणामस्वरूप प्रमुख स्टोरों के लिए UAR 10% से नीचे लाया गया है ।
सभी उत्पादन इकाइयों ने प्रक्रिया में सुधार किया है और मशीन रखरखाव गतिविधियों की आवृत्ति को अनुकूलित किया है, ताकि अस्वीकृति को कम किया जा सके जिससे अंततः UAR में कमी आएगी ।

ii. जल खपत में कमी :

कंपनी ने जल खपत को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे वर्षा जल संचयन, जल निकायों की गाद निकालना और बहाली, बोरवेल जल की स्थापना और संपत्तियों और कारखानों में पुनर्नवीनीकृत जल का पुन: उपयोग आदि ।

iii. ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा का उपयोग :

कंपनी की सभी इकाइयों ने लोड संतुलन सहित ऊर्जा कुशल उपकरण और फिटिंग का उपयोग किया है और बिजली के खर्च को कम करने के लिए सौर ऊर्जा जैसे गैर–पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया है । कार्यालयों, उत्पादन इकाइयों और प्रत्येक इकाई की संपत्ति में ऊर्जा कुशल प्रकाश फिटिंग, एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित की गई हैं जिसके परिणामस्वरूप बिजली की बचत हुई है ।

अधिकांश इकाइयों में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का दोहन किया जा रहा है । वर्तमान में, MIL में कुल 28 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है जो कंपनी की अनुबंधित मांग के मुकाबले लगभग 65% है । नए एसपीपी के निष्पादन के बाद, जो DDP के निर्देशों के अनुसार NVVN द्वारा स्थापित किया जा रहा है, कुल नवीकरणीय ऊर्जा (RE) अनुबंधित मांग के मुकाबले 92% होगी ।

iv. व्यय को कम करने के लिए जहां भी संभव हो प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए :

बैठकें, विक्रेता मीट, ग्राहक मीट आदि आयोजित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है । सभी खरीद मामलों को अधिकारियों / कर्मचारियों के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके संसाधित किया जा रहा है । इसके अलावा, इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय के बीच संचार के लिए ईमेल सेवाओं का उपयोग किया गया है और विभिन्न रिपोर्ट आदि प्राप्त करने के लिए इंट्रानेट का भी उपयोग किया जा रहा है, जो तेजी से संचार प्रदान करता है और कागज और मुद्रण की लागत को भी कम करता है ।

14. सतर्कता मामले :

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (MIL) में एक सुस्थापित सतर्कता विभाग है जिसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) करते हैं । संयुक्त महाप्रबंधक (उप. सीवीओ) और सहायक कर्मचारी / जांच अधिकारी मुख्य सतर्कता अधिकारी,

एमआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय के कार्यालय में तैनात हैं । इकाई स्तर की गतिविधियों के समन्वय और निगरानी के लिए, समूह ए श्रेणी के इकाई स्तर के सतर्कता अधिकारी नामित किए जाते हैं और वे संबंधित MIL इकाइयों के सतर्कता विभागों का नेतृत्व करते हैं ।

सतर्कता एक अभिन्न प्रबंधकीय कार्य है। सतर्कता विभाग द्वारा की जाने वाली प्रमुख सतर्कता गतिविधियाँ इस प्रकार हैं :

सतर्कता गतिविधियाँ :

सतर्कता विभाग म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (MIL) में निवारक, सहभागी और दंडात्मक सतर्कता को पूरा करने के लिए उचित कार्रवाई करता है । यह सभी वाणिज्यिक खरीद कार्यों, भर्ती, आउटसोर्सिंग गतिविधियों आदि सहित विभिन्न गतिविधियों में पारदर्शिता, अखंडता, निष्पक्षता, जवाबदेही को बढ़ावा देता है ।

सतर्कता विभाग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए शिकायतों / मौके पर जांच / CTE प्रकार की जांच के आधार पर उचित उपाय / प्रणालीगत सुधार सुझाता है । यह भी सुनिश्चित करता है कि संगठन के सभी कार्यों में अखंडता बनी रहे ।

i). CTE प्रकार की जांच :

निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में, निर्धारित प्रक्रियाओं और वैधानिक मानदंडों / विनियमों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए खरीद / सेवा अनुबंध / परामर्श अनुबंध / उपठेके / आउटसोर्सिंग आदेशों की CTE प्रकार की गहन जांच की जाती है ।

01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा विभिन्न MIL इकाइयों में ऐसी 05 CTE प्रकार की जांच की गई हैं और प्रणालीगत सुधारों का सुझाव दिया गया था ।

ii) **शिकायतें :**

01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग को 04 सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर संकल्प संरक्षण (PIDPI) शिकायतों सहित 38 शिकायतें प्राप्त हुई । इन 38 शिकायतों में से 33 शिकायतों की जांच पूरी कर ली गई है और उनका उचित निपटान कर दिया गया है तथा शेष 05 शिकायतों की जांच प्रगति पर है ।

iii) **मौके पर जांच / औचक निरीक्षण :**

सतर्कता विभाग द्वारा औचक / मौके पर जांच भी की जा रही है । 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान, विभिन्न MIL इकाइयों में 04 औचक / मौके पर जांच की गई हैं और प्रणालीगत सुधारों के लिए सुझाव / सुधारात्मक उपाय सुझाए गए थे।

iv). लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सीएजी रिपोर्ट की जांच :

MIL की CAG रिपोर्ट और विभिन्न इकाइयों की वैधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच की गई है ।

v). कार्यकारियों के वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (AIPR) की जांच :

01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के AIPR की जांच की गई ।

vi). निवारक सतर्कता :

खरीद के क्षेत्र में प्रणालीगत सुधारों का प्रबंधन को निवारक सतर्कता की एक पहल के रूप में सुझाव दिया गया और उन्हें प्रबंधन द्वारा स्वीकार कर सर्कुलर के माध्यम से प्रचारित किया गया । MIL की सभी इकाइयों में संवेदनशील पद की पहचान और जॉब रोटेशन के लिए नई नीति तैयार की गई है । तदनुसार, MIL समूह की फैक्ट्रियों / इकाइयों में संवेदनशील पद / क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों की रोटेशनल ट्रांसफर नीति के कार्यान्वयन की निगरानी सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है । इकाई स्तर के सतर्कता अधिकारियों के नामांकन के लिए नए दिशानिर्देश भी तैयार किए गए हैं ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह :

सतर्कता जागरूकता सप्ताह निवारक सतर्कता के उपकरणों में से एक है जिसका ध्यान जागरूकता बढ़ाने और सार्वजनिक शासन में अखंडता बनाए रखने के लिए सभी की प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि करना है ।

की गई गतिविधियाँ : सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के प्रस्तावना के रूप में निवारक सतर्कता पर अभियान (16 अगस्त – 15 नवंबर 2024) की अवधि से चलाया गया ।

तकनीकी पहल : क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन, परिपत्रों / दिशानिर्देशों / नियमावली का अद्यतन, शिकायतों का निपटान, गतिशील डिजिटल उपस्थिति जैसी गतिविधियाँ इस अभियान अवधि के दौरान की गई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह गतिविधियाँ :

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (VAW 2024) का आयोजन पूरे संगठन में MIL की सभी इकाइयों में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2024 तक 'राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति' विषय पर देश भर में विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर किया गया ।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड में 12 उत्पादन इकाइयाँ और 02 प्रशिक्षण / अकादमी इकाइयाँ शामिल हैं । सभी इकाई प्रमुखों ने अपने कर्मचारियों को अखंडता की शपथ दिलाई। इकाई प्रमुखों / सतर्कता अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता फैलाने के लिए मुख्य भाषण / वार्ता दी गई ।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने कॉर्पोरेट कार्यालय में सभी अधिकारियों को अखंडता की शपथ दिलाई है ।
सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के अनुपालन में निम्नलिखित गतिविधियाँ की गई :–

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के अनुपालन में निम्नलिखित गतिविधियाँ की गई :-

क. MIL कर्मचारियों के बीच सतर्कता से संबंधित विषयों पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में नारा, पोस्टर और निबंध, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई ताकि सतर्कता जागरूकता बढ़ाई जा सके और 500 से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके ।

ख. सभी इकाइयों द्वारा पर्याप्त संख्या में पैम्फलेट, बैनर प्रदर्शित / वितरित किए गए ताकि सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय
सभी कर्मचारियों तक अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में पहुँचाया जा सके ।

ग. विभिन्न इकाइयों में सीवीसी द्वारा प्रदान किए गए जिंगल्स को टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से प्राप्त कॉल के लिए 'ऑन होल्ड' और 'कॉलर' ट्यून के रूप में सेट किया गया है । LAN में कंप्यूटरों को सीवीसी द्वारा जारी जिंगल प्रदर्शित करने के लिए सेट किया गया था ।

घ. मासिक विक्रेता बैठक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम को विक्रेताओं को संप्रेषित किया गया है ।

ड. एम्युनिशन फैक्टरी खड़की (AFK), पुणे और उसके अन्य हितधारकों के सभी कर्मचारियों को ई-मेल (3000) और एसएमएस (6000) के माध्यम से सीवीसी ई-प्लेज लिंक भेजा गया । जागरूकता फैलाने के लिए 'द' (ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ फॉर्म का भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया ।

च. आयुध निर्माणी चांदा (OFCH) में, सीवीसी वेबसाइट पर माननीय गणमान्य व्यक्तियों के संदेशों को इसके कॉम-नेट के माध्यम से प्रसारित किया गया है ।

छ. सभी इकाइयों में सामान्य सतर्कता विषयों और नैतिकता और शासन, आचार संहिता, संगठन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा और खरीद पर व्याख्यान / संवेदीकरण कार्यक्रम / कार्यशालाएँ आयोजित की गईं ।

ज. बडमाल (ओडिशा), इटारसी (एमपी) और भंडारा (महाराष्ट्र) में स्थित आयुध निर्माणियों में जर्नल और समाचार पत्र जारी किए गए।

झ. कॉर्डाइट फैक्टरी अरुवनकाडु इकाई (CFA) द्वारा 29.10.2024 को ''सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम'' विषय पर लगभग 80 प्रतिभागियों के साथ एक मिनी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कॉर्डाइट फैक्टरी स्कूल के छात्र, समूह 'क' अधिकारी और CFA के कर्मचारी शामिल थे, जिन्होंने बैनर और प्लेकार्ड के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया और भ्रष्टाचार विरोधी नारे लगाए। रैली गांधी गेट से शुरू हुई, CFA एस्टेट से होकर गुजरी और गांधी गेट पर समाप्त हुई।

ञ. राजगीर, बिहार में ग्राम सभा वार्ड प्रतिनिधियों के लिए नागरिक शिकायत निवारण तंत्र पर कार्यशाला आयोजित की गई और तत्संबंधी एक कार्यशाला भी आयोजित की गई।

ट. जनजीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयास में, उन विभिन्न स्थानों पर कॉलेज और स्कूल के छात्रों के बीच प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जहाँ एमआईएल इकाइयाँ स्थित हैं।

ठ. टी बोर्ड कुन्नूर में श्री के.एस. बैरवा, डीजीएम और सीएफए के यूनिट सतर्कता अधिकारी द्वारा 'सतर्कता कार्य और सतर्कता के प्रकार' पर एक व्याख्यान दिया गया।

ड सभी इकाइयों ने जागरूकता अभियान के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित करके सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2024 का सहर्ष और औपचारिक रूप से समापन किया है।

15. निदेशक मंडल और बोर्ड बैठकें :

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसलिए, कंपनी के पास निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक पर कोई नीति नहीं है, जिसमें धारा 178 की उप–धारा (3) के तहत प्रदान किए गए योग्यता, सकारात्मक दृष्टिकोण, निदेशक की स्वतंत्रता और अन्य मामलों को निर्धारित करने के मानदंड शामिल हैं।

आज की तारीख में, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड में श्री संजय हज़ारी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक; श्री प्रकाश अग्रवाल, निदेशक / वित्त और सीएफओ ; श्री राकेश ओझा, निदेशक/संचालन; श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक, निदेशक/मानव संसाधन; और श्री अमित सतीजा, संयुक्त सचिव के रूप में सरकारी नामित निदेशक हैं। श्री राकेश ओझा ने 08 नवंबर, 2024 को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे में निदेशक / संचालन का कार्यभार संभाला। श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक ने 05 फरवरी, 2025 को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे में निदेशक/मानव संसाधन का कार्यभार संभाला। श्री देबाशीष बनर्जी, निदेशक/मानव संसाधन, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार के साथ 30.11.2024 को सेवानिवृत्त हुए

और श्री अनुराग बाजपेयी, अपर सचिव, सरकारी नामित निदेशक के रूप में 14.08.2024 से सरकारी नामित निदेशक नहीं हैं । श्री प्रकाश अग्रवाल, निदेशक/वित्त और सीएफओ ने 01/12/2024 से 29/04/2025 तक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की छह बैठकें 27.05.2024, 05.08.2024, 14.08.2024, 26.09.2024, 28.11.2024 और 05.03.2025 को आयोजित की गई ।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को पारिश्रमिक

नाम	पदनाम	2024-25 (रूपये में)	2023-24 (रूपये में)
श्री देबाशीष बनर्जी	निदेशक/मानव संसाधन और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (30/11/2024 तक)	30,84,826	45,20,765
श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/वित्त एवं सीएफओ और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (01/12/2024 से 31/03/2025 तक)	48,20,580	45,61,235
श्री राकेश ओझा	निदेशक / संचालन	19,30,753	लागू नहीं
श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक	निदेशक / मानव संसाधन	8,12,330	लागू नहीं
श्री ई.जे. पॉल	कंपनी सचिव	10,20,000	10,20,000

निदेशकों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189(1) के तहत किए गए अनुबंध या व्यवस्था ।

क) श्री राकेश ओझा, निदेशक / संचालन की सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते और अनुलाभ तय करना । इसे डीपीएसयू म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक / संचालन के रूप में उनके पात्रानुसार डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया गया है और यह रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के अधीन है ।

ख) श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक, निदेशक / मानव संसाधन की सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते और अनुलाभ तय करना । इसे डीपीएसयू म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक/मानव संसाधन के रूप में उनके पात्रानुसार डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया गया है और यह रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के अधीन है ।

16. लेखापरीक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स बोरकर एंड मुजुमदार, 21/168, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, वकोला, सांताक्रूज़ ईस्ट, मुंबई– 400055, महाराष्ट्र और 06 अन्य फर्मों को शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के खातों का लेखापरीक्षण किया है। आवश्यक अनुलग्नक और रिपोर्टों के साथ लेखापरीक्षित खाते इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं ।

17. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

कंपनी में आरटीआई आवेदनों और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आरटीआई तंत्र मौजूद है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन के लिए कंपनी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है।

* अपीलीय प्राधिकारी : श्री अविनाश तरहावदकर
* मुख्य जन सूचना अधिकारी : श्री शहीर फारुकी

18. सतर्कता तंत्र :

बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अमल में लाने के लिए, कंपनी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य धोखाधड़ी का पता लगाने या उसे रोकने, पता चली या संदिग्ध किसी भी धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग करने और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों से निष्पक्ष रूप से निपटने के लिए एक प्रणाली प्रदान करना है।

19. लेखा परीक्षा समिति :

लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। 31 मार्च, 2025 तक लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है :

निदेशक का नाम	पदनाम	लेखा परिक्षक समिती में पद
अभी नियुक्त किया जाना है	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
अभी नियुक्त किया जाना है	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
अभी नियुक्त किया जाना है	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/वित्त एवं सीएफओ और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य
श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक	निदेशक / मानव संसाधन	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की छह बैठकें 25/06/2024, 05/08/2024, 14/08/2024, 26/09/2024, 28/11/2024 और 21/03/2025 को आयोजित की गई।

20. कंपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट :

फॉर्म संख्या एमआर–3, कंपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अनुलग्नक–II के रूप में संलग्न किया गया है।

21. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ:

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में दी गई योग्य राय पर निदेशक मंडल द्वारा स्पष्टीकरण :

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय प्रदान की है और कंपनी का निदेशक मंडल केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहेगा:

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
1.1	**पूर्व अवधि समायोजन** हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 31 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 145.95 करोड़ रुपये की राशि के असमाधान रहित पुराने शेषों के बारे में बताया गया है, जिन्हें विभिन्न असमाधान रहित देनदारियों से वापस लिखा गया है, और 138.93 करोड़ रुपये की राशि के बारे में बताया गया है, जिन्हें समूह द्वारा वर्ष के दौरान असमाधान रहित परिसंपत्तियों (पीपीई शेष सहित) से यूनिट रिटर्न में दर्शाई गई सीमा तक बट्टे खाते में डाला गया है। 7.02 करोड़ रुपये की राशि के बट्टे खाते में डाले गए और वापस लिखे गए मदों का शुद्ध प्रभाव वित्तीय विवरणों में अपवादात्मक मद के अंतर्गत प्रकट किया गया है क्योंकि ये राशियाँ पिछले वर्षों से संबंधित लेनदेन से संबंधित हैं और अनावर्ती हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित आय और व्यय बहीखातों में पिछले वर्षों से संबंधित विभिन्न आय और व्यय शामिल हैं। पिछले वर्षों से संबंधित उपरोक्त शेष, आय और व्यय, तुलनात्मक आरंभिक आंकड़ों की सत्यता के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण, 31 मार्च, 2024 तक शेषों की विश्वसनीयता के संबंध में पिछले स्टैंडअलोन लेखापरीक्षा रिपोर्टों की योग्यताओं का एक हिस्सा थे। समूह ने प्रतिधारित आय आरंभिक शेष को समायोजित करके ऐसी पूर्व अवधि मदों के लिए पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों का पूर्वव्यापी पुनर्कथन नहीं किया है, क्योंकि समूह ने पुनर्कथन के लिए भौतिकता सीमा निर्धारित नहीं की है, जो कि भारतीय लेखा मानक-8 के अनुरूप नहीं है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन ऑडिट रिपोर्ट भी इस मामले पर योग्य थी। (HO, HEF, OFDR, AFK, OFK, OFCH, OFV, HEPF, OFI, OFIL के मामले में देखा गया)।	भारतीय लेखा मानक 1 में वस्तुओं की भौतिक चूक/गलत विवरण को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है : भौतिक वस्तुओं की चूक या गलत विवरण भौतिक होते हैं यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। भौतिकता आसपास की परिस्थितियों में आंकी गई चूक या गलत विवरण के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। वस्तु का आकार या प्रकृति, या दोनों का संयोजन, निर्धारण कारक हो सकता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई चूक या गलत बयान उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है और इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उन उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं पर विचार करना आवश्यक है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए रूपरेखा के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि 'यह माना जाता है कि उपयोगकर्ताओं को व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों तथा लेखांकन का उचित ज्ञान है और वे उचित परिश्रम के साथ जानकारी का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं।' इसलिए, मूल्यांकन में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी विशेषताओं वाले उपयोगकर्ताओं से आर्थिक निर्णय लेने में किस प्रकार प्रभावित होने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है। पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड से हस्तांतरित विरासती अचल संपत्तियाँ/प्राप्य/देय राशियाँ निरंतर जाँच के दायरे में हैं। हस्तांतरण और अधिग्रहण की प्रक्रिया जटिल थी और इसमें अनेक संपत्तियाँ/देयताएँ शामिल थीं और यह पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराए गए लेखा-पुस्तकों/अभिलेखों पर आधारित थी। चूंकि पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड के सभी अभिलेख और परिसंपत्तियां दशकों के संचालन की अवधि में निर्मित/संचित की गई थीं, इसलिए ऐसी त्रुटियों को एक वर्ष के भीतर सुधारना संभव नहीं है। अत: त्रुटियों का पता लगाने के लिए हर साल प्रयास किए जा रहे हैं, जब तक कि खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय न मिल जाए और समय के साथ खातों की पुस्तकों को साफ किया जा रहा है। कृपया ध्यान दें कि यदि हर साल पिछली तारीख से बैलेंस शीट का पुनर्लेखन किया जाता है, तो इससे जटिल स्थिति पैदा हो

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
		जाएगी क्योंकि पिछली अवधियों के लिए कई बैलेंस शीट तैयार करनी होंगी। इसलिए, पिछले वर्ष में पहले से पुनर्लेखन किए गए लेखा पुस्तकों का हर साल पुनर्लेखन करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार यदि कोई व्यावहारिक कठिनाई है तो प्रबंधन चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व अवधि की त्रुटियों का हिसाब रख सकता है। भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा 45 में निम्नानुसार प्रावधान है : जब वर्तमान अवधि के आरंभ में, सभी पूर्ववर्ती अवधियों पर किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव का निर्धारण करना अव्यावहारिक हो, तो इकाई, त्रुटि को यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, सुधारने के लिए तुलनात्मक जानकारी को पुनः प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त के मद्देनजर, प्रबंधन ने वर्ष के दौरान पहचानी गई त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया है : 1. लाभ–हानि विवरण में आवश्यक प्रविष्टियां करके पूर्व अवधि की सभी त्रुटियों को वर्तमान अवधि में सुधारा गया। 2. सभी अज्ञात पूर्व अवधि के बकाया शेष को 3 वर्ष पूरे होने के बाद बट्टे खाते में डाल दिया गया अर्थात अक्टूबर 2024 से। जैसा कि ऊपर बताया गया है, व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए प्रबंधन ने IndAS 8 के अनुसार उपयुक्त निर्णय लिया।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
1.2	**व्यापार प्राप्य शेष** समूह के पास व्यापारिक प्राप्य शेषों और ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों के समाधान हेतु कोई प्रणाली नहीं है, जिसमें मुख्यालय द्वारा प्राप्त अग्रिमों का आवंटन और 26AS में दर्शाए गए TDS को संबंधित इकाइयों में शामिल करना शामिल है । ये शेष राशियाँ संबंधित पक्षों से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं । इसके अलावा, लेखा प्रणाली, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों सहित व्यापारिक प्राप्य शेषों की चालान–वार सूची प्रदान नहीं करती है, जिसका सामान्य खाता–बही शेष राशि से उचित मिलान हो । व्यापारिक प्राप्य से प्राप्तियों/बकाया राशियों का बिल–वार अभिलेखन और शेष राशि की पुष्टि के अभाव में, समेकन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 8 में उल्लिखित आयु विश्लेषण से संबंधित उचित आधार सत्यापित नहीं किया जा सकता है । इसके अलावा यह भी पाया गया कि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार व्यापार प्राप्तियों पर कोई ईसीएल प्रावधान सुनिश्चित या निर्मित नहीं किया है । ऐसे शेषों की पुष्टि, समाधान और ईसीएल के लिए प्रावधान की गणना न होने तक, समेकित वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हों, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है । इसलिए, हम 31 मार्च, 2025 तक इन शेषों की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं । वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन ऑडिट रिपोर्ट भी इस मामले पर योग्य थी । (HO, HEF, OFDR, AFK, OFK, OFI, OFIL, OFBL, OFBA, OFCH, NADP, OFV के मामले में देखा गया)।	i) आवधिक समाधान : व्यापार संतुलन प्राप्य आम तौर पर अन्य डीपीएसयू, अन्य रक्षा विभागों और सरकारी एजेंसियों से । एमआईएल ने इस तरह के प्राप्य शेष के समाधान के लिए विभिन्न तरीके अपनाए हैं । एमआईएल ने इन पक्षों को शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र जारी किए हैं, हालाँकि समय पर पुष्टि प्राप्त करना एक चुनौती है । एहतियाती कदम के तौर पर, एमआईएल की सभी इकाइयों ने सभी पक्षों को विस्तृत सामान्य खाता बही के साथ ई–मेल भेजा है और कहा है कि यदि पक्षों की ओर से कोई जवाब नहीं आता है, तो ई–मेल में दी गई शेष राशि को अंतिम माना जाएगा और उन मेलों में वैधानिक लेखा परीक्षकों को भी चिह्नित किया गया है और एक नकारात्मक पुष्टि प्राप्त कर रिकॉर्ड में रख ली गई है । इस प्रकार, व्यापार प्राप्य शेष उपलब्ध है और बनाए रखा गया है । चूंकि बकाया राशि अधिकतर सरकारी संस्थाओं से है, इसलिए चूक की कोई उम्मीद नहीं है । ii. बिल–वार बकाया : टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बिल–वार लेनदेन रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सभी यूनिट स्तर पर इसका पालन किया जाता है । हालाँकि, किसी भी बिक्री लेनदेन के संबंध में प्राप्त भुगतान के लिए हमेशा ऐसा नहीं होता है । क्रेडिट या अग्रिम भुगतान के लिए, लेकिन यह उपरोक्त सभी का संयोजन हो सकता है और कई बार एक साथ आता है । इसलिए ऐसे जटिल लेन–देन टैली में बिल के अनुसार दर्ज नहीं किए जा सकते थे और बिल के अनुसार बकाया राशि का पता लगाना मुश्किल था । हालाँकि, मिलान मैन्युअल रूप से किया जा रहा है । अगले वित्तीय वर्ष में इसी प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाएगा । iii. ईसीएल का प्रावधान : अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल), जैसा कि नाम से पता चलता है ईसीएल को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – कंपनी को अपने देनदारों को ऋण सुविधा प्रदान करने के कारण होने वाली संभावित हानि । एमआईएल के मामले में, व्यापार प्राप्य शेष राशि का अधिकांश भाग केवल सरकार या सरकारी एजेंसियों का होता है, इसलिए ईसीएल का प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
1.3	**व्यापार देय राशि का शेष** समूह के पास आवधिक आधार पर व्यापार देय शेष राशि के समाधान के लिए कोई प्रणाली नहीं है । ये शेष राशि संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं । इसके अलावा, लेखांकन प्रणाली आपूर्तिकर्ता को अग्रिम सहित व्यापार देय शेष राशि की चालान-वार सूची प्रदान नहीं करती है जो सामान्य खाता शेष के साथ विधिवत मेल खाती हो । व्यापार देय राशियों के भुगतान/बकाया की बिल-वार रिकॉर्डिंग और शेष राशि की पुष्टि के अभाव में, समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 18 में बताए गए लेनदारों की आयु के उचित आधार को सत्यापित नहीं किया जा सकता है । ऐसी पुष्टि, समाधान और एजिंग विश्लेषण के आधार के लंबित रहने तक, समेकित वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है । इसलिए, हम 31 मार्च, 2025 तक इन शेष राशि की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं । वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन ऑडिट रिपोर्ट भी इस मामले पर योग्य थी। (HO, HEF, OFDR, AFK, OFK, OFI, OFIL, OFBL, OFBA, OFCH, NADP, OFV के मामले में देखा गया)। 31 मार्च, 2025 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ('एमएसएमई') विक्रेताओं को देय राशियों से संबंधित पार्टी-वार विवरण के अभाव और एमएसएमई विक्रेताओं की पहचान करने में समूह की असमर्थता के कारण, हम एमएसएमई को देय अतिदेय राशियों और 31 मार्च, 2025 तक एमएसएमई को देय बकाया राशि के समापन शेष की सटीकता की पुष्टि	आवधिक समाधान : देय व्यापार शेष सामान्यतः अन्य डीपीएसयू और ट्रेडों के साथ होता है । एमआईएल ने ऐसे देय शेष के समाधान के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं, हालाँकि, पक्षों की सीमाओं के कारण, हम सभी पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ रहे । I. एहतियाती कदम के तौर पर, एमआईएल की सभी इकाइयों ने सभी पक्षों को विस्तृत सामान्य खाता बही के साथ ई-मेल भेजा है और कहा है कि यदि पक्षों की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो ई-मेल में दी गई शेष राशि को अंतिम माना जाएगा और उन मेलों में वैधानिक लेखा परीक्षकों को भी चिह्नित किया गया है । चूँकि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और यह एमआईएल के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हमारे रिकॉर्ड के अनुसार देय व्यापार को अंतिम माना जाता है । II. बिल-वार बकाया : टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बिल-वार लेन-देन रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सभी यूनिट स्तर पर इसका पालन किया जाता है । हालाँकि, इस प्रक्रिया को और मज़बूत किया जाएगा । अगले वित्तीय वर्ष में ईआरपी लागू होने के बाद इस प्रक्रिया में और सुधार किया जाएगा । III. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) : MSME अधिनियम के अनुसार, MSME अधिनियम के तहत सूक्ष्म या लघु के रूप में पंजीकृत संस्थाओं को ठइख की दर से तीन गुना अधिक ब्याज देना होता है । MSME से संबंधित डाटा MIL के पास भौतिक रूप में उपलब्ध है, जिसका ऑडिट भी किया जा सकता है । हालाँकि, हम इसके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में हैं । डाटा की मात्रा और सटीकता को देखते हुए, इकाइयों ने निर्णय लिया है कि इस तरह के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू किया जाएगा । आमतौर पर भुगतान समय पर किया जाता है, सिवाय उन मामलों के जब आपूर्तिकर्ता की ओर से कोई चूक हो, इसलिए यदि कोई ब्याज छूट जाता है, तो वह बहुत अधिक नहीं होगा ।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	करने में असमर्थ हैं। साथ ही, 31 मार्च, 2025 तक एमएसएमई को देय अतिदेय राशियों पर ब्याज का प्रावधान वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है, जिसका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव निश्चित नहीं है। तदनुसार, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण गलत है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन ऑडिट रिपोर्ट भी इस मामले पर योग्य थी। (एनएडीपी, एचईपीएफ, ओएफवी के मामले में देखा गया)	
1.4	**अन्य डीपीएसयू का शेष** समूह के पास अन्य डीपीएसयू के आवधिक आधार पर समाधान हेतु कोई प्रणाली नहीं है। ये शेष राशियाँ संबंधित डीपीएसयू से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसके अलावा, लेखा प्रणाली, आपूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिमों सहित डीपीएसयू के शेष राशियों की चालान-वार सूची प्रदान नहीं करती है जो सामान्य खाता-बही शेष राशि से विधिवत मेल खाती हो। डीपीएसयू को की गई खरीद/बिक्री का बिल-वार रिकॉर्ड और शेष राशि की पुष्टि के अभाव में, डीपीएसयू की आयु-निर्धारण के लिए दिए गए उचित आधार की पुष्टि नहीं की जा सकती। कुछ मामलों में, प्रबंधन ने समाधान का विवरण तो दिया है, लेकिन विस्तृत रिकॉर्ड रखरखाव के अभाव और असंतोषजनक प्रतिक्रिया के कारण, मार्च 2025 तक रिपोर्ट की गई शेष राशियों की सटीकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसी पुष्टि, समाधान और एजिंग-वार विश्लेषण के आधार पर, समेकित वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2025	जैसा कि उक्त मुद्दा संख्या ख और ग में बताया गया है, एमआईएल लगातार एमआईएल बहीखाते अन्य डीपीएसयू को भेज रहा है, हालाँकि अन्य डीपीएसयू से सीमित उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। चूँकि शेष राशि का मिलान करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए हमें समन्वित पक्षों की ओर से किसी भी टिप्पणी के अभाव में अपने रिकॉर्ड को अंतिम मानना होगा। इसके अलावा टैली में बिलवार/इनवॉयसवार लेनदेन रिकॉर्ड करने की प्रणाली भी है, जिसका उपयोग एमआईएल इकाइयों में किया जा रहा है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	तक इन शेष राशियों की शुद्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन ऑडिट रिपोर्ट भी इस मामले पर योग्य थी। (एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफआई, ओएफआईएल के मामले में देखा गया)।	
1.5	**असमायोजित जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट** लेखा पुस्तकों के अनुसार जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) संबंधित इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में दिखाई देने वाली शेष राशि और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जीएसटीआर–3बी में उपयोग की गई राशि के साथ सामंजस्य स्थापित करने के अधीन है। सामंजस्य स्थापित न होने के कारण, कुछ आईटीसी जो समाप्त हो गए हैं या जिनका लाभ नहीं उठाया गया था, उन्हें उलटने के बजाय पुस्तकों में दर्शाया जाना जारी है। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि वर्ष के दौरान निम्नलिखित मामलों में जीएसटी व्यय दर्ज किया गया है: ❊ सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के तहत अवरुद्ध क्रेडिट; ❊ अयोग्यता या गैर–अनुपालन के कारण प्रारंभिक इनपुट क्रेडिट को वापस लेना; और ❊ वैधानिक समय सीमा के भीतर समाप्त आईटीसी का दावा नहीं किया गया। कुछ इकाइयों (अर्थात एनएडीपी, एचईएफ, ओएफडीआर) में, आईटीसी शेषों का समाधान तैयार किया गया था। हालाँकि, हमारे सत्यापन के समय ये समाधान अधूरे थे और उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं	सामान्य लेखा नीति के अनुसार, एमआईएल सभी खरीदों को रसीद वाउचर (आरवी) तैयार होने की तिथि के अनुसार दर्ज करता है, न कि चालान की तिथि के अनुसार। इसके कारण, आईटीसी का दावा करने में देरी होती है क्योंकि गुणवत्ता परीक्षण की आवश्यकताओं में काफी समय लग सकता है। वर्ष के दौरान लिए गए क्रेडिट का एक–एक करके मिलान संबंधित इकाई के पास उपलब्ध है। जीएसटी पोर्टल के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेज़र और मिलान में इनपुट टैक्स लेज़र का समग्र रूप से मिलान किया गया। हालाँकि, कुछ ऐसे अवसर भी हो सकते हैं जब लेखा परीक्षकों द्वारा मिलान अधूरा पाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी चूक की संभावना से बचने के लिए आईटीसी शेष राशि की सावधानीपूर्वक जाँच की जाती है। देरी केवल यह सुनिश्चित करने में होती है कि निरीक्षण में अस्वीकृत माल के कारण अयोग्य आईटीसी का लाभ न उठाया जाए। सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करते हुए, प्रबंधन वित्त वर्ष 2024-25 में इस प्रक्रिया को और सुदृढ़ करेगा।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	किया जा सकता था। पूर्ण सहायक दस्तावेज़ों और समाधान के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट शेषों की सत्यता और पात्रता की पुष्टि करने में असमर्थ हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन ऑडिट रिपोर्ट भी इस मामले पर योग्य थी। (एचईएफ, ओएफडीआर, ओएफआईएल, ओएफआई, ओएफके, एचईपीएफ, एनएडीपी, ओएफसी, ओएफबीए के मामले में देखा गया)।	
1.6	**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगति पर पूंजीगत कार्य और विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां और उन पर मूल्यह्रास** कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख के अनुसार परिसंपत्तियों के जीवन पर विचार करके एसेट क्लास 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' के मामले में मूल्यह्रास प्रदान किया है। हालांकि, चूंकि ये परिसंपत्तियां नई नहीं हैं और समूह के निगमन से पहले बनाई/अधिग्रहित की गई थीं, इसलिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इन परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के शेष अनुमानित जीवन पर किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति Ind AS-16 में निर्धारित पद्धति के अनुसार नहीं है। तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन और अनुमानित अवशिष्ट मूल्य के विवरण के अभाव में, हम समेकित वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं। साथ ही, समूह ने कुछ ऐसी संपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों के लिए उपयोगी जीवन लागू किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख में निर्धारित से अधिक है ऐसे साक्ष्य के अभाव में,	I. उपयोगी जीवन : कंपनी, प्रबंधन द्वारा किए गए मूल्यांकन और प्रबंधन के अनुमान के आधार पर, भवन, संयंत्र और मशीनरी, मोटर वाहन और अन्य उपकरणों की कुछ वस्तुओं का अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक मूल्यह्रास करती है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन से अलग है। मूल्यह्रास के मानदंड व्यवस्थित अध्ययनों के आधार पर अच्छी तरह से निर्धारित किए गए हैं और यह तदर्थ नहीं है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमानित उपयोगी जीवन यथार्थवादी हैं और जहां भी आवश्यक हो, कई शिफ्टों में ऐसी परिसंपत्तियों के उपयोग पर विचार करने के बाद उस अवधि का उचित अनुमान दर्शाते हैं जिसके दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम की अनुसूची II उपयोगी जीवन के दिशानिर्देश डेटा प्रदान करती है और कंपनी को उसी दिशानिर्देशों से किसी भी विचलन के मामले में खुलासा करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान परिदृश्य में कंपनी ने सामग्री लेखांकन नीति में तथ्य बताया है, इसलिए कंपनी अधिनियम की आवश्यकता का कोई विचलन नहीं है। II. सड़कों का उपयोगी जीवन : इकाई द्वारा स्वामित्व वाली सड़कें निगमीकरण से पहले की हैं और इन्हें उस भवन सहित, जिससे ये सड़कें जुड़ी हैं, पुस्तक मूल्य पर अधिग्रहित कर

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	हम मूल्यह्रास व्यय, पीपीई की वहन राशि और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, निर्धारित करने में असमर्थ हैं। यह पाया गया कि वर्ष के दौरान समूह ने सड़कों के उपयोगी जीवन काल को 60 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करने की नीति बनाई थी। हालाँकि, इकाई ने उपयोगी जीवन काल के साथ परिसंपत्ति का मूल्यह्रास किया है जो नीतियों के अनुरूप नहीं है। (ओएफबीए और ओएफडीआर के मामले में देखा गया) इसके अलावा, आयुध निर्माणी नालंदा में, लेखांकन प्रथाओं में विसंगतियाँ पाई गई क्योंकि एक ही श्रेणी के कंप्यूटर और हार्डवेयर के लिए दो अलग-अलग उपयोगी अवधियाँ लागू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 'बिल्डिंग' के अंतर्गत रु.55.41 करोड़ का एक अज्ञात आरंभिक WIP, परिसंपत्तियों में दर्शाया गया है, जिसकी प्रकृति, पूर्णता का चरण और वर्गीकरण, सहायक दस्तावेज़ों के अभाव में, अप्रमाणित हैं। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 38 - अमूर्त परिसंपत्तियों का भी अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि इस अवधि के दौरान किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति पर कोई परिशोधन शुल्क नहीं लिया गया है। इसके अलावा एएफके में यह भी बताया गया कि पुस्तकों और स्थिर संपत्ति रजिस्टर के अनुसार विभिन्न परिसंपत्ति श्रेणियों (भवन रु. 43.80 करोड़, कंप्यूटर और हार्डवेयर रु. 0.86 करोड़, फर्नीचर और फिक्सचर रु. 0.002 करोड़, प्लांट और मशीनरी रु. 43.82 करोड़, और वाहन - रु. 1.40 करोड़) में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सकल मूल्यों के बीच रु. 87.08 करोड़ की राशि का भौतिक अंतर नोट किया गया; लंबित सुलह और इन अंतरों के	लिया गया है। एमआईएल इकाइयों के पास सड़कों और भवनों के मूल्यों का अलग-अलग विभाजन उपलब्ध नहीं है क्योंकि एमआईएल इकाइयों के वित्तीय कार्यों को सौंपने/अधिग्रहण के समय रक्षा लेखा विभाग द्वारा यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इन सड़कों का मूल्यह्रास भवन के शेष उपयोगी जीवन के आधार पर लगाया जाता है। एमआईएल के प्रारंभ होने के बाद पूंजीकृत सड़कों का मूल्यह्रास, अद्यतन सामग्री लेखा नीति में उल्लिखित संशोधित उपयोगी जीवन के अनुसार किया गया है। III. ओएफएन: ओएफएन में सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित योग्यता को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित विवरण यहां दिए गए हैं: सीडब्ल्यूआईपी का मूल्य- 55.41 करोड़ रुपये सूचित किया जाता है कि आयुध निर्माणी नालंदा में CWIP में एनजी प्लांट- 36 करोड़, ड्रेन गारलैंड- 7 करोड़ (लगभग) शामिल हैं। इसके अलावा, CWIP में शामिल हैं: इनटेक पंप हाउस संख्या 1 और 2, और प्लांट क्षेत्र में विभिन्न पहुँच मार्ग (स्टेटिक टैंक, फायर हाइड्रेंट, पीएच, वर्कशॉप, स्टोर आदि), जिनका मूल्य रिकॉर्ड में नहीं है क्योंकि डीआरडीओ द्वारा लागत संबंधी दस्तावेज़ नहीं सौंपे गए हैं। आयुध निर्माणी नालंदा ने आगे की जानकारी के लिए डीआरडीओ के साथ इस मामले को उठाया है। इसके मद्देनजर, यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सीडब्ल्यूआईपी को पूर्ववर्ती ओएफबी के खातों से आगे बढ़ाया गया है और संबंधित दस्तावेज़ डीएडी द्वारा ओएफएन को नहीं सौंपे गए हैं। हालाँकि, ओएफएन में इन अभिलेखों की पहचान और विभाजन का कार्य किया जा रहा है। IV. एएफके: एएफके पर सकल ब्लॉक पीपीई मूल्य के संबंध में पूछे गए प्रश्न के मद्देनजर निम्नलिखित विवरण यहां दिए गए हैं: निगमीकरण और परिसंपत्तियों के स्थानांतरण की पृष्ठभूमि क) एएफके 01.10.2021 से निगमीकरण के बाद म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) की एक इकाई बन गई। उस समय, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	डब्ल्यूडीवी को ले जाने की जानकारी के अभाव में, वित्तीय विवरण के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखा मानक 36 – परिसंपत्तियों की क्षति के अंतर्गत, समूह को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या उसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्ति की क्षति हो सकती है । समूह ने ऐसा कोई क्षति परीक्षण नहीं किया है, न ही यह दर्शाने के लिए कोई सहायक तकनीकी आकलन प्रदान किया है कि वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं है। इसके अभाव में, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि क्या किसी ऐसी क्षति हानि को मान्यता दी जानी चाहिए थी, जिसका समेकित पीपीई के साथ-साथ समेकित अमूर्त परिसंपत्ति और समेकित वित्तीय विवरणों के वहन मूल्य पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है। समेकित अमूर्त परिसंपत्ति का प्रकटीकरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रभाग II के अनुरूप नहीं है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन ऑडिट रिपोर्ट भी इस मामले पर योग्य थी।	और विकासाधीन अमूर्त संपत्ति सहित) पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) से स्थानांतरित किए गए थे । ख) ओएफबी से प्राप्त अचल संपत्ति रजिस्टर (एफएआर) में ऐतिहासिक आरंभिक शेष सहित संपत्ति का विवरण था । हालाँकि, कुछ संपत्ति शेषों को संचित मूल्यह्रास के साथ पूर्ण सकल मूल्य दर्शाने के बजाय, शुद्ध मूल्य (मूल्यह्रास के बाद) पर टैली में दर्ज किया गया था । इससे एफएआर, जो सकल मूल्यों को सही ढंग से दर्ज करता था, से तुलना करने पर एक बेमेल स्थिति पैदा हुई, जिसके परिणामस्वरूप बहीखातों और एफएआर के बीच बेमेल हो गया । अंतरों के कारण : लेखापरीक्षा द्वारा नोट किए गए 07.08 करोड़ के भौतिक अंतर निम्नलिखित से उत्पन्न हुए हैं: र) स्थानांतरण के समय टैली में सकल मूल्यों का समावेश न होना ङ्क कुछ परिसंपत्ति शेषों को संचित मूल्यह्रास के साथ पूर्ण सकल मूल्य दर्शाने के बजाय, शुद्ध मूल्य (मूल्यह्रास के बाद) पर टैली में दर्ज किया गया था। इससे FAR से तुलना करने पर, जो सकल मूल्यों को सही ढंग से दर्शाता था, एक बेमेल स्थिति उत्पन्न हुई। ख) उपयोगी जीवन के करीब पहुंची विरासती परिसंपत्तियां – हस्तांतरण के समय कई परिसंपत्तियां पहले ही अपना उपयोगी जीवन पूरा कर चुकी थीं या पूरा करने के करीब थीं, जिसके कारण विचलन हुआ। ग) पूर्व में समाधान के प्रयास – एएफके ने मामले की समीक्षा के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्त किया था, लेकिन रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि इसमें अवशिष्ट मूल्य और उपयोगी जीवन के तकनीकी मूल्यांकन को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया था। AFK द्वारा की गई कार्रवाई – तृतीय पक्ष सत्यापन क) चिंता का समाधान करने के लिए, एएफके ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अचल संपत्तियों का 100% भौतिक सत्यापन करने के लिए एक तृतीय-पक्ष एजेंसी को नियुक्त किया। (ख) यह सत्यापन पूरा हो चुका है और परिसंपत्तियों का भौतिक अस्तित्व स्थापित हो चुका है। सत्यापन रिपोर्ट लेखापरीक्षा समीक्षा के लिए उपलब्ध है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
		ग) इस अभ्यास के बावजूद, अंतर कायम रहा, क्योंकि मूल मुद्दा माइग्रेशन के समय टैली में सकल मूल्यों के ऐतिहासिक गैर–समावेश से संबंधित है, न कि परिसंपत्तियों के भौतिक अस्तित्व से। सुधारात्मक उपायों की योजना: एएफके ने स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए आगे सुधारात्मक कदम उठाए हैं: क) विरासत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य, स्थिति और शेष उपयोगी जीवन का निर्धारण करने के लिए एक बाहरी विशेषज्ञ द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। ख) इस मूल्यांकन के आधार पर, एफएआर और पुस्तकों का मिलान किया जाएगा, और आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियाँ (संचित मूल्यह्रास और/या आरंभिक इक्विटी समायोजन के माध्यम से) भारतीय लेखा मानक 101 और भारतीय लेखा मानक 16 के अनुपालन में दर्ज की जाएंगी। ग) एएफके यह सुनिश्चित करेगा कि आगे चलकर, एफएआर और पुस्तकों के बीच सभी संतुलन उचित रूप से संरेखित हों ताकि इस तरह के बेमेल को समाप्त किया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव क) यह मुद्दा शेष राशि के प्रस्तुतीकरण और स्थानांतरण तक ही सीमित है; यह अलिखित व्यय या देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ख) नकदी प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ग) तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर एक बार समायोजन करने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि मूल्यह्रास और WDV सही ढंग से प्रतिबिंबित हों, तथा पूंजीकरण का दोहराव न हो। नियंत्रण और सटीकता के प्रति प्रतिबद्धता र) एएफके ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 100% तृतीय–पक्ष भौतिक सत्यापन आयोजित करके और शेष राशि को अद्यतन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में तकनीकी मूल्यांकन की योजना बनाकर अपने आंतरिक नियंत्रण को पहले ही मजबूत कर लिया है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
		ख) एफएआर और पुस्तकों के बीच आवधिक सामंजस्य स्थापित करना, और ग) भौतिक सत्यापन और दस्तावेज़ीकरण नियंत्रण को बढ़ाना। उपरोक्त के मद्देनजर, यह कहा गया है कि, पुस्तकों और एफएआर के बीच ₹87.08 करोड़ का भौतिक अंतर मुख्य रूप से माइग्रेशन के दौरान टैली में सकल मूल्यों को शामिल न करने के कारण है, न कि गुम या अलिखित संपत्तियों के कारण। एएफके ने वित्त वर्ष 2024-25 में 100% तृतीय–पक्ष भौतिक सत्यापन कराया, जिससे संपत्तियों के भौतिक अस्तित्व की पुष्टि हुई, हालाँकि लेखांकन विसंगति बनी रही। एएफके वित्त वर्ष 2025-26 में एक तकनीकी विशेषज्ञ को नियुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि संपत्तियों के मूल्य और शेष उपयोगी जीवन का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके, जिसमें भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक समायोजन किए जाएँगे। सटीक और विश्वसनीय पीपीई रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण को और मजबूत किया गया है। V. क्षति परीक्षण: अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के भाग के रूप में सभी संपत्तियों की क्षति के लिए जाँच की गई है और उक्त तथ्य समिति की रिपोर्ट में परिलक्षित है, जिसमें कहा गया है कि क्षति का परीक्षण किया गया है और कोई भी संपत्ति ऐसी स्थिति में नहीं पाई गई जिसके लिए किसी क्षति की आवश्यकता हो। एमआईएल में सभी संपत्तियाँ पहले ही अपने निर्धारित उपयोगी जीवन को पार कर चुकी हैं। VI. अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन: अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन: सभी इकाइयों में एक समिति गठित की गई और अचल संपत्तियों का सत्यापन किया गया तथा समिति की रिपोर्ट संबंधित इकाइयों के सभी लेखा परीक्षकों को अभिलेखों में उपलब्ध करा दी गई। भौतिक सत्यापन के दौरान जो भी विसंगतियाँ पाई गईं, उन्हें सुधारा गया, संशोधित किया गया और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
1.7	**इन्वेंटरी:** इकाइयों ने कच्चे माल की इन्वेंट्री का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य (NRV) में से जो भी कम हो, उसके बजाय लागत पर किया है, जो कि IND AS-2 के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, कुछ इकाइयों में, प्रगति पर कार्य, अर्ध-तैयार माल (तैयार घटक), तैयार माल और स्क्रैप इन्वेंट्री का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, के बजाय लागत पर किया जाता है। जैसा कि कुछ इकाइयों के लेखा परीक्षकों ने बताया, यह देखा गया कि इन्वेंट्री मूल्यांकन पर छठत को ध्यान में रखते हुए धीमी और गैर-चलती इन्वेंट्री के लेखांकन प्रभाव का प्रबंधन द्वारा आकलन नहीं किया गया था और इसका मूल्यांकन सामान्य उपयोग में आने वाली इन्वेंट्री के आधार पर किया गया था। लागत की गणना करते समय, कुछ इकाइयों में इन्वेंट्री की लागत निकालते समय विक्रय और प्रशासनिक व्यय जैसे गैर-उत्पादन उपरिव्यय भी शामिल किए जाते हैं, जो भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-2 के अनुरूप नहीं है। आवश्यक गणना उपलब्ध न होने के कारण हम इसके प्रभाव का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन ऑडिट रिपोर्ट भी इस मामले पर योग्य थी।	I. इन्वेंटरी मूल्यांकन: इन्वेंटरी सत्यापन समितियों का गठन करके इकाई स्तर पर इन्वेंटरी का पूर्ण (100%) भौतिक सत्यापन किया गया है। भौतिक सत्यापन में पहचाने गए अंतरों को लेखा पुस्तकों में उचित रूप से दर्ज किया गया है। एमआईएल ने नीतिगत निर्णय लिया है कि सभी कच्चे माल का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाएगा, क्योंकि उत्पादों की तकनीकी जटिलता के कारण लागत में कमी की संभावना कम है, जो कि इंड एएस 2 के अनुरूप भी है। इकाई(यों) द्वारा ऐसी सूची के सत्यापन के समय, प्रत्येक इकाई स्तर पर प्रगतिरत कार्यों और तैयार माल के लिए एनआरवी (NRV) की जाँच की गई है। एनआरवी प्रभाव का लेखा इकाई स्तर पर और संबंधित इकाई(यों) के वित्तीय विवरण तैयार करते समय टैली प्रणाली में किया गया है। V. क्षति परीक्षण: अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के भाग के रूप में सभी संपत्तियों की क्षति के लिए जाँच की गई है और उक्त तथ्य समिति की रिपोर्ट में परिलक्षित होता है, जिसमें कहा गया है कि क्षति का परीक्षण किया गया है और कोई भी संपत्ति ऐसी स्थिति में नहीं पाई गई जिसके लिए किसी क्षति की आवश्यकता हो। एमआईएल में सभी संपत्तियाँ पहले ही अपने निर्धारित उपयोगी जीवन को पार कर चुकी हैं। इस प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा। II. उत्पादों की लागत: एमआईएल इकाइयों को जारी एनआरवी निर्देश के अनुसार, उत्पादों (कार्यरत और तैयार माल) के एनआरवी की गणना करते समय, विक्रय मूल्य से विक्रय और प्रशासनिक व्यय घटा दिए जाते हैं। साथ ही, वस्तु की लागत की गणना कुल लागत से विक्रय और प्रशासनिक व्यय घटाने के बाद की जाती है। एमआईएल इकाइयों में एनआरवी गणना का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। इस प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जाएगा।
1.8	**कंपनी अधिनियम, 2013 का गैर-अनुपालन** जैसा कि होल्डिंग कंपनी, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कुछ आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के संबंध में	कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसमें भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यात्मक, स्वतंत्र, महिला निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसलिए

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36(बी)(ii) में दर्शाया गया है। होल्डिंग कंपनी के लेखा परीक्षकों ने नीचे रिपोर्ट दी है: कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, इस समितियों की संरचना क्रमशः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2), 178(1) और 135 के प्रावधान के अनुसार नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी ने गैर–स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII का अनुपालन नहीं किया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान समूह के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ नहीं किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन ऑडिट रिपोर्ट भी इस मामले पर योग्य थी।	निदेशकों की नियुक्ति में एमआईएल की कोई भूमिका नहीं है, हालाँकि प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्रालय के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 03/11/2022 को लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है जो कंपनी के मामलों में सक्रिय रूप से शामिल है। कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसमें भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यात्मक, स्वतंत्र, महिला निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसलिए निदेशकों की नियुक्ति में एमआईएल की कोई भूमिका नहीं है, हालाँकि प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्रालय के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 03/11/2022 को लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है जो कंपनी के मामलों में सक्रिय रूप से शामिल है।

२२. **सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणीयाँ:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और 149(4) को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पढ़ने पर, कंपनी के लिए कम से कम 2 स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। इस प्रकार, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सीपीएसई (CPSEs) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई (DPE) के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।

कंपनी ने बोर्ड समितियाँ जैसे लेखा परीक्षा समिति नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है, हालाँकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, इन समितियों की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की क्रमशः धारा 177(2), 178(1) और 135 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पढ़ने पर, कंपनी के लिए बोर्ड में एक महिला निदेशक होना आवश्यक है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी का निदेशक मंडल, कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित था।

जवाब : म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाली एक सरकारी कंपनी है, अत: म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की नियुक्ति रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है। अपने निदेशकों की नियुक्ति में म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड की कोई भूमिका नहीं है। हमने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय को कई बार पहले ही सूचित कर दिया है।

स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गैर–स्वतंत्र निदेशकों) और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।

जवाब : म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाली एक सरकारी कंपनी) है, अत: म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की नियुक्ति रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है। अपने निदेशकों की नियुक्ति में म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड की कोई भूमिका नहीं है। हमने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय को कई बार पहले ही सूचित कर दिया है।

इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, कंपनी गैर–स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII का पालन करेगी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की छह बैठकें 25/06/2024, 05/08/2024, 14/08/2024, 26/09/2024, 28/11/2024 और 21/03/2025 को आयोजित की गई।

20. कंपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट :

फॉर्म संख्या एमआर–3, कंपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अनुलग्नक–II के रूप में संलग्न किया गया है।

21. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ:

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में दी गई योग्य राय पर निदेशक मंडल द्वारा स्पष्टीकरण :

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय प्रदान की है और कंपनी का निदेशक मंडल केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहेगा:

क.	वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या ।	3
ख.	वर्ष के दौरान निपटाए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या।	3
ग.	नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या।	शून्य

23. जोखिम प्रबंधन नीति :

निदेशक मंडल समय–समय पर व्यवसाय के आंतरिक और बाहरी जोखिमों की समीक्षा करता है ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। अपनी आंतरिक कमजोरियों और विभिन्न बाहरी खतरों की समय–समय पर समीक्षा करने के लिए, रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष रिपोर्ट रखी जाती हैं।

24. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :

कृपया अनुलग्नक–III देखें

25. महिला कल्याण :

1) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण –

पीओएसएच अधिनियम, 2013 के अनुसार म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की सभी निर्माणियों/इकाइयों में आंतरिक शिकायत समितियाँ (आईसीसी) कार्य कर रही हैं, ताकि महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज शिकायतों का समाधान किया जा सके। आईसीसी सदस्यों के संपर्क नंबर, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर नीति और आईसीसी को शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी सभी संबंधितों के व्यापक प्रचार के लिए एमआईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है।

2) महिलाओं को उत्पीड़न से सुरक्षा – पीओएसएच अधिनियम, 2013 के अनुसार म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की सभी निर्माणियों / इकाइयों में आंतरिक शिकायत समितियाँ (आईसीसी) कार्य कर रही हैं, ताकि महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज शिकायतों का समाधान किया जा सके । आईसीसी सदस्यों के संपर्क, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर नीति और आईसीसी को शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी सभी संबंधितों के व्यापक प्रचार के लिए एमआईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है ।

3) जागरूकता प्रशिक्षण – एमआईएल की निर्माणियों/इकाइयों में महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा की जागरूकता का प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है । आ.नि.शि.संस्थान खमरिया द्वारा आईसीसी सदस्यों, महिला कर्मचारियों को पीओएसएच अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से अवगत कराने के लिए 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा' पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया था ।

4) महिला स्वास्थ्य – सभी निर्माणियों/इकाइयों को मासिक धर्म स्वच्छता के लिए महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड के वितरण के संबंध में सरकारी नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया है ।

5) महिला कल्याण के लिए सीएसआर परियोजनाएं – एमआईएल की इकाइयों के माध्यम से सीएसआर के तहत महिला कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की गई हैं और चल रही परियोजनाओं के रूप में प्रक्रिया में हैं, जो इस प्रकार हैं :

(i) गोला बारूद निर्माणी खडकी द्वारा खडकी, पुणे के पास के गाँव में महिला स्वास्थ्य के लिए कल्याण गतिविधियाँ, जागरूकता सेमिनार ।

(ii) अति विस्फोटक निर्माणी खडकी द्वारा विश्रांतवाड़ी, पुणे में महिला छात्रावास के शौचालय, बाथरूम, कमरे, रसोई, खिड़कियां, सीढ़ियों आदि की मरम्मत ।

(iii) आयुध निर्माणी चांदा द्वारा जेडपी स्कूल, भद्रावती की छात्राओं के लिए प्यूरीफायर के साथ सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन वाटर कूलर प्रदान करना ।

(iv) आयुध निर्माणी इटारसी द्वारा सेवा भारती आशा महेंद्र शुक्ला आदिवासी छात्रावास धुरपन, इटारसी की 100 आदिवासी छात्राओं के लिए 1 वर्ष के लिए पोषण संतुलित आहार, सैनिटरी नैपकिन, गीजर, 25–लीटर वाटर प्यूरीफायर, आरओ क्षमता स्पोर्ट्स सामग्री बेड शीट, दरी, गद्दे और तकिए ।

(v) आयुध निर्माणी इटारसी द्वारा आदिवासी कार्य विभाग, कलेक्ट्रेट के माध्यम से लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड निपटान मशीन, छात्रों के लिए वाटर कूलर प्रदान करना ।

(vi) आयुध निर्माणी इटारसी के माध्यम से पीएचसी सुखतावा को सहायता प्रदान करना, जैसे सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग मशीन, रिफिल के लिए सैनिटरी पैड, महिला रोगियों के लिए एयर कूलर ।

(vii) आयुध निर्माणी खमरिया मेधा छात्रवृत्ति योजना: आयुध निर्माणी खमरिया द्वारा खमरिया क्षेत्र के पास राज्य बोर्ड की 30 मेधावी कक्षा दसवीं की छात्राओं को शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान करना ।

(viii) आयुध निर्माणी खमरिया द्वारा भारतीय सर्व समाज महासंघ, नई दिल्ली के माध्यम से सीएसआर परियोजनाओं के लिए महिला साइकिलों का वितरण ।

(viii) आयुध निर्माणी नालंदा द्वारा नालंदा के आसपास के स्थानीय क्षेत्र में स्तनपान कराने वाली/गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण पूरक आहार के वितरण के साथ चिकित्सा शिविर ।

(ix) माझा घर फाउंडेशन पुणे के आश्रम को किराने का सामान प्रदान करना जो जरूरतमंद, असहाय और निराश्रित महिलाओं और बच्चों के लिए काम करता है ।

6) **महिला दिवस समारोह** – म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड एमआईएल की सभी निर्माणियों / इकाइयों में महिला दिवस मनाया गया है जहाँ विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियाँ, प्रेरक भाषण, निर्माणी की महिला कर्मचारियों के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं।

7) **क्रेच का प्रावधान** – कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए, 06 निर्माणियों में क्रेच सुविधा उपलब्ध कराई गई है और शेष 06 निर्माणियों ने निर्माणी परिसर में क्रेच सुविधा के लिए पहल की गई है।

8) **महिला–कल्याण के लिए सहायता** – म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड महिला कल्याण गतिविधियों को संचालित करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूए को यथासंभव सहायता प्रदान करता है, जैसे – केजी और प्रायमरी स्कूलों का संचालन, महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के लिए सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों का आयोजन, जरूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को पोषण आहार, किताबें, स्कूल स्टेशनरी, वर्दी का वितरण, लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का संचालन आदि।

9) **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961** – मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के सभी प्रावधानों और इसके संशोधनों का एमआईएल द्वारा पालन किया जा रहा है।

26. कॉर्पोरेट शासन :

कंपनी अपने कामकाज में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट शासन के सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का लगातार प्रयास करती है। इन प्रयासों को उजागर करने वाली कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है (अनुलग्नक I)।

27. सावधि जमा :

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(31), 73 और 74 के तहत जनता से जमा आमंत्रित नहीं किए हैं।

28. कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी में कोई भी कर्मचारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के तहत रिपोर्ट किए जाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आता है, जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के साथ पढ़ा जाता है।

29. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीद पर डाटा :

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) से खरीद पर निम्नलिखित डेटा नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	खरीद पैरामीटर	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1.	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल घरेलू खरीद	1946.36
2.	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमएसई फर्मों के माध्यम से कुल खरीद लक्ष्य	447.75
3.	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमएसई फर्मों के माध्यम से उपरोक्त लक्ष्य के मुकाबले प्राप्त कुल खरीद	668.88

30. आभार :

बोर्ड कंपनी के व्यावसायिक भागीदारों को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड में उनके समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद देता है और भविष्य में भी इस पारस्परिक सहायक संबंध को बनाए रखने और बनाने की उम्मीद करता है। बोर्ड भारत सरकार, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय से कंपनी के संचालन में प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन को भी कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता है। निदेशक सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, वैधानिक लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक, बैंकरों, संरक्षकों और कंपनी के ग्राहकों के प्रति भी अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करते हैं। बोर्ड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के उत्साही और समर्पित कार्य के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त करता है। उनकी उत्कृष्ट टीम का प्रयास रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी के सुचारू कामकाज के लिए अमूल्य था।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(संजय हजारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 11089196

स्थान: पुणे
दिनांक: 29/09/2025

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक– I)

भारत सरकार का एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन पर मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करता है।

कॉर्पोरेट शासन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है :

1. कॉर्पोरेट शासन संहिता पर कंपनी का दर्शन :

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड अपने सभी हितधारकों के हितों की रक्षा, प्रचार और सुरक्षा के लिए उचित पारदर्शी प्रणालियों और अभ्यास द्वारा समर्थित अच्छे कॉर्पोरेट शासन के लिए प्रतिबद्ध है।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड देश और विदेश में विस्फोटक और गोला–बारूद के निर्माण के लिए एक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक–अनुकूल और विकास–उन्मुख संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अपने सभी ग्राहकों को पारदर्शी तरीके से ग्राहक–अनुकूल सर्वोत्तम सेवाएँ प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

2. निदेशक मंडल :

2.1 बोर्ड की संरचना :

एमआईएल के निदेशक मंडल में चार सदस्य हैं, जिनमें से तीन कार्यात्मक निदेशक हैं और एक 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार के सरकारी नामित निदेशक हैं। निदेशक बोर्ड में व्यापक अनुभव, ज्ञान और कौशल हैं। 31 मार्च 2025 तक बोर्ड की संरचना इस प्रकार है :

कार्यकारी निदेशक

श्री प्रकाश अग्रवाल	–	सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) और निदेशक/वित्त, सीएफओ
श्री राकेश ओझा	–	निदेशक / संचालन
श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक	–	निदेशक / मानव संसाधन

गैर–कार्यकारी निदेशक

श्री अमित सतीजा	–	सरकारी नामित निदेशक

2.2 बोर्ड और समितियों के अन्य प्रावधान :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक का विवरण :

i. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की छह बैठकें 27.05.2024, 05.08.2024,14.08.2024, 26.09.2024, 28.11.2024 और 05.03.2025 को आयोजित की गई।

ii. बोर्ड को कंपनी के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी तक पूर्ण पहुंच है जिससे निदेशक मंडल को अवगत कराने और कुशल निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।

iii. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशकों द्वारा भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या, पिछली एजीएम में उपस्थिति, निदेशकों द्वारा धारित अन्य निदेशकों (सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में) और समिति सदस्यताओं का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड बैठकें		पिछली एजीएम में उपस्थिति	31/03/2025 तक अन्य निदेशक पद	31/03/2025 तक अन्य समिति सदस्यता	
			कार्यकाल के दौरान आयोजित	में भाग लिया			अध्यक्ष के रुप में	सदस्य के रुप में
1	श्री देबाशीष बनर्जी	निदेशक/मानव संसाधन (सीएमडी के अतिरिक्त प्रभार के साथ)	5	5	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/वित्त और सीएफओ और सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) (01/12/2024 से 31/03/2025 तक)	6	6	हाँ	2	5	0
3	श्री राकेश ओझा	निदेशक/संचालन	2	2	लागू नहीं	1	0	3
4	श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक	निदेशक/मानव संसाधन	1	1	लागू नहीं	0	0	4
5	श्री अनुराग बाजपेयी	सरकारी नामित निदेशक	2	2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	श्री अमित सतीजा	सरकारी नामित निदेशक	3	3	लागू नहीं	3	0	1

iv. बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है।

v. नए निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री अमित सतीजा, आईएएस, संयुक्त सचिव (डीडीपी) ने 14 अगस्त, 2024 को एमआईएल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। श्री अमित सतीजा एजीएमयूटी कैडर के 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। भारत सरकार में शामिल होने से पहले, उन्होंने दिल्ली, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह सहित देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। श्री सतीजा अर्थशास्त्र में स्नातक हैं और आईएएस में शामिल होने से पहले जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई से मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज किया है।

उनके पास रक्षा संबंधी मामलों, लोक प्रशासन, गृह/जनगणना, वित्त, शहरी विकास, उत्पाद शुल्क, भूमि राजस्व प्रबंधन और जिला प्रशासन, जल संसाधन, परिवहन और पर्यटन में व्यापक अनुभव है।

श्री राकेश ओझा ने 08 नवंबर, 2024 को एमआईएल में निदेशक/संचालन का कार्यभार संभाला। श्री राकेश ओझा एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिन्होंने डीसीएमटी, क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम से एम.एससी. (गन सिस्टम डिजाइन) में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त की है। आप वर्ष 1997 में भारतीय आयुध निर्माणी सेवा में शामिल हुए।

27 से अधिक वर्षों के करियर के दौरान, श्री राकेश ओझा ने रक्षा उद्योग में उत्पादन, योजना, अनुसंधान और विकास, सामग्री प्रबंधन, व्यवसाय विकास जैसे विभिन्न पोर्टफोलियो पर काम किया है। उन्होंने आर्टिलरी गोला–बारूद निर्माण, छोटे हथियारों के गोला–बारूद और हथियार प्रणालियों के उत्पादन में कौशल और ज्ञान प्राप्त किया। आप आईएसबी के पूर्व छात्र हैं। आप एएमपीओएस–2024 के छात्र थे।

श्री राकेश ओझा ने फरवरी 2024 से नवंबर 2024 तक आयुध निर्माणी वरणगाँव के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। यह निर्माणी 5.56 मिमी और 7.62 मिमी छोटे हथियारों के गोला–बारूद के उत्पादन में लगा हुआ है। इस अवधि के दौरान निर्माणी ने 100% निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया।

श्री राकेश ओझा ने 08 नवंबर, 2024 को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे, एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के निदेशक/संचालन के रूप में कार्यभार संभाला।

कंपनी में 12 आयुध निर्माणियां (उत्पादन इकाइयाँ) शामिल हैं जो विभिन्न प्रकार के गोला–बारूद और विस्फोटक के उत्पादन में लगे हुए हैं और 03 गैर–उत्पादन इकाइयाँ भारत के 5 राज्यों में फैली हुई हैं।

श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक ने 05 फरवरी, 2025 को निदेशक / मानव संसाधन का कार्यभार संभाला। श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक एक अनुभवी पेशेवर हैं जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग, मानव संसाधन और प्रबंधन में एक समृद्ध और विविध पृष्ठभूमि है। वह सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और उनके पास बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी), एक्सएलआरआई जमशेदपुर से मानव संसाधन प्रबंधन में प्रमाणन, और प्रबंधन में डिप्लोमा है। भारतीय आयुध निर्माणियां सेवा (आईओएफएस) के 1995 बैच के एक प्रतिष्ठित अधिकारी, श्री नाईक के पास सार्वजनिक सेवा में 29 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

अपने करियर के दौरान, श्री नाईक ने मानव संसाधन, उत्पादन, योजना, खरीद और सिविल रखरखाव सहित विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान दिया है। उनका नेतृत्व और विशेषज्ञता विविध संगठनात्मक सेटिंग्स के भीतर परिचालन दक्षता को बढ़ाने और कार्यबल के लचीलेपन को बढ़ावा देने में सहायक रही है। विशेष रूप से, श्री नाईक ने सीएफए में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने संचालन को अनुकूलित करने और समग्र प्रदर्शन में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

5 फरवरी 2025 को, श्री नाईक ने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, एक प्रमुख रक्षा सार्वजनिक उद्यम में निदेशक (मानव संसाधन) का पद संभाला। उनकी नियुक्ति संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में आती है, उनके व्यापक अनुभव और

रणनीतिक दृष्टिकोण परिचालन दक्षता बढ़ाने, कार्यबल क्षमताओं को मजबूत करने और लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। श्री नाईक का नेतृत्व म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के चल रहे विकास और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में योगदान देना जारी रखता है।

2.3 आचार संहिता

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता पर एक नीति तैयार की है, जो कंपनी के मिशन और उद्देश्यों के अनुरूप है और कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

3. निदेशक मंडल की समितियाँ:

3.1 बोर्ड द्वारा गठित समितियाँ इस प्रकार हैं:

- लेखा परीक्षा समिति
- नामांकन और पारिश्रमिक समिति
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
- निवेश सह उधार समिति
- पूंजीगत व्यय के लिए निदेशकों की समिति
- नई नीतियों, समझौता ज्ञापनों, नीतियों में बदलाव और समझौता ज्ञापनों के अनुसार निर्णय लेने के लिए निदेशकों की समिति।

3.1.1 लेखा परीक्षा समिति

i. 31 मार्च, 2025 तक लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	–	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	–	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	–	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/वित्त एवं सीएफओ और सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य
5	श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक	निदेशक/मानव संसाधन	सदस्य

तीन स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की छह बैठकें 25/06/2024, 05/08/2024, 14/08/2024, 26/09/2024, 28/11/2024 और 21/03/2025 को आयोजित की गई।

ii. लेखा परीक्षा समिति की भूमिका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देश 2010 के अध्याय 4.2 में निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करना है।

3.1.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

i. 31 मार्च, 2025 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	–	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	–	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक	निदेशक/मानव संसाधन	सदस्य
4	श्री अमित सतीजा	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य

दो स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गई।

ii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित नीति तैयार करना और निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय भुगतान पूल और उसके वितरण के लिए नीति तय करना होगा।

3.1.3 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

i. 31 मार्च, 2025 तक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/वित्त और सीएफओ और	अध्यक्ष
		सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	
2	श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक	निदेशक/मानव संसाधन	सदस्य
3	–	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

एक स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की तीन बैठकें 12/11/2024, 18/03/2025 और 28/03/2025 को आयोजित की गई।

ii. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की भूमिका है :

क. बोर्ड को एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना जो कंपनी द्वारा किए जाने वाले गतिविधियों (अनुसूची तखख में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय में) को इंगित करेगी।

ख. उपरोक्त (1) में संदर्भित गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि की सिफारिश करना और

ग. समय-समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना।

3.1.4 निवेश सह उधार समिति

i. 31 मार्च, 2025 तक निवेश सह उधार समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	श्री प्रकाश अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक / वित्त और सीएफओ	सदस्य
3	श्री राकेश ओझा	निदेशक/संचालन	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पैंसठ निवेश समिति की बैठकें 02/04/2024, 08/04/2024, 10/04/2024, 15/04/2024, 17/05/2024, 20/05/2024, 21/05/2024, 21/05/2024, 22/05/2024, 24/05/2024, 28/05/2024, 29/05/2024, 31/05/2024, 07/06/2024, 28/06/2024, 09/07/2024, 12/07/2024, 18/07/2024, 26/07/2024, 31/07/2024, 06/09/2024, 13/09/2024, 20/09/2024, 26/09/2024, 03/10/2024, 04/10/2024, 21/10/2024, 31/10/2024, 08/11/2024, 08/11/2024, 14/11/2024, 18/11/2024, 19/11/2024, 29/11/2024, 30/12/2024, 20/12/2024, 27/12/2024, 30/12/2024, 15/01/2025, 22/01/2025, 27/01/2025, 30/01/2025, 31/01/2025, 01/02/2025, 05/02/2025, 07/02/2025, 10/02/2025, 17/02/2025, 28/02/2025, 12/03/2025, 13/03/2025, 19/03/2025, 20/03/2025, 21/03/2025 और 27/03/2025 को आयोजित की गई।

ii. नई नीतियों, समझौता ज्ञापनों, नीतियों और समझौता ज्ञापनों में परिवर्तनों की मंजूरी तय करने के लिए निदेशकों की समिति की भूमिका नई नीतियों, समझौता ज्ञापनों, नीतियों और समझौता ज्ञापनों में परिवर्तनों की मंजूरी देना है।

3.1.5 पूंजीगत व्यय हेतु निदेशक समिति

i. 31 मार्च, 2025 तक पूंजीगत व्यय हेतु निदेशक समिति की संरचना निम्नानुसार है –

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक / वित्त एवं सीएफओ और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य
2	श्री राकेश ओझा	निदेशक जो आधुनिकीकरण का कार्य देख रहे हैं।	सदस्य
3	श्री राकेश ओझा	निदेशक/संचालन	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए निदेशकों की समिति की ग्यारह बैठकें दि. 26/04/2024, 16/05/2024, 28/05/2024, 06/06/2024, 14/06/2024, 01/07/2024, 30/08/2024, 03/12/2024, 12/12/2024, 07/01/2025 और 27/03/2025 को आयोजित की गई।

ii. पूंजीगत व्यय के लिए निदेशकों की समिति का कार्य लोक उद्यम विभाग/रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानदंड 10 करोड़ रुपये से अधिक तक के संयंत्र एवं मशीनरी और सिविल कार्यों के पूंजीगत व्यय को अनुमोदित करना है।

3.1.6 नई नीतियों, समझौता ज्ञापनों, नीतियों और समझौता ज्ञापनों में परिवर्तन के अनुमोदन हेतु निदेशकों की समिति।

i. 31 मार्च, 2025 तक नई नीतियों, समझौता ज्ञापनों, नीतियों और समझौता ज्ञापनों में परिवर्तन के अनुमोदन के लिए निदेशकों की समिति की संरचना निम्नानुसार है –

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिती में पद
1	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक / वित्त एवं सीएफओ और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य
2	श्री राकेश ओझा	निदेशक/संचालन	सदस्य
3	श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक	निदेशक/मानव संसाधन	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नई नीतियों, समझौता ज्ञापनों, नीतियों और समझौता ज्ञापनों में परिवर्तन के अनुमोदन के लिए निदेशकों की बाईस समिति की बैठकें दि. 14/05/2024, 15/05/2024, 29/05/2024, 13/06/2024, 25/06/2024, 25/06/2024, 01/07/2024, 18/07/2024, 25/07/2024, 29/07/2024, 05/08/2024, 20/08/2024, 19/09/2024, 11/11/2024, 15/11/2024, 25/11/2024, 22/01/2025, 27/02/2025, 28/02/2025, 04/03/2025, 17/03/2025 और 25/03/2025 को आयोजित की गई।

ii. नई नीतियों, समझौता ज्ञापनों, नीतियों और समझौता ज्ञापनों में परिवर्तन के अनुमोदन हेतु निदेशकों की समिति की भूमिका नई नीतियों, समझौता ज्ञापनों, नीतियों और समझौता ज्ञापनों में परिवर्तन को मंजूरी देना है।

4. वार्षिक आम बैठक :

सं.	वर्ष	स्थान	दिनांक एवं समय	क्या कोई विशेष प्रस्ताव पारित हुआ है
1	2021-22	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	21/12/2022 पूर्वा 11.10	नहीं
2	2022-23	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	20/12/2023 12.00 दोपहर	नहीं
3	2023-24	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	26/09/2024 04.00 अपराह्न	नहीं

5. प्रकटीकरण :

i. संबंधित पक्षों अर्थात प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ कंपनी के हितों के विपरीत कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ है।

ii. कंपनी ने कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले सुझाए गए मदों को अपनाया है।

iii. कंपनी के निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

iv. सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक अतिरिक्त खुलासे।

i. लेखा पुस्तकों में डेबिट की गई व्यय की वस्तुएं, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं हैं – शून्य

ii. व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए व्यय – शून्य

iii.

iv. गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने/गैर–अपनाने पर जानकारी नीचे दी गई है :
गैर–अनिवार्य आवश्यकताएँ

i. बोर्ड
कंपनी का नेतृत्व एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक करते हैं। कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

ii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
डीपीई के निर्देशों के अनुसार म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ने वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित नीति तैयार करने और निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों और गैर–संघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और उसके वितरण के लिए नीति तय करने के लिए एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

iii. शेयरधारकों के अधिकार
अभी तक शेयरधारकों को पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित अर्ध–वार्षिक वित्तीय प्रदर्शन भेजने की कोई प्रणाली नही है।

iv. लेखा परीक्षा योग्यता – लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है।

v. बोर्ड सदस्य को प्रशिक्षण – यह आवश्यकता पर आधारित है।

vi. व्हिसल ब्लोअर नीति
कंपनी द्वारा व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की गई है, जिसमें धोखाधड़ी का पता लगाने, उसे रोकने और रिपोर्ट करने के लिए एक व्हिसल ब्लोअर तंत्र स्थापित किया गया है। यह नीति कर्मचारियों के साथ–साथ हितधारकों, सलाहकारों, विक्रेताओं, उधारदाताओं, उधारकर्ताओं, ठेकेदारों, कंपनी के साथ व्यवसाय करने वाली बाहरी एजेंसियों, ऐसी एजेंसियों के कर्मचारियों, और/या कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध रखने वाले किसी भी अन्य पक्ष को शामिल करने वाली किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी पर लागू होती है।

6. संचार के साधन :
कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्टों, आम बैठक और वेबसाइट के माध्यम से संवाद करती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रत्येक अवधि की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ लेखापरीक्षित खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल होगी, जो सदस्यों और अन्य हकदार व्यक्तियों को वितरित की जाती है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (अनुलग्नक- II)

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्य गण,
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड,
द्वारा गोला बारूद निर्माणी, खडकी,
पुणे – 411003
महाराष्ट्र

हमने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (U29190PN2021GOI203505) (जिसे इसके बाद 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट तरीकों के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है । सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से किया गया था कि इसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया ।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक्स, फाइल किए गए फॉर्म और रिटर्न, और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के सत्यापन के साथ-साथ सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जिस हद तक, जिस तरीके से और जिसके अधीन रिपोर्टिंग नीचे दी गई है ।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक्स, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न, और अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम ।
(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (लागू नहीं) ।
(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उप-नियम (असूचीबद्ध कंपनी की सीमा तक लागू) ।
(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारों से संबंधित हैं ; (लागू नहीं) ।
(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('SEBI अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं थे ।

क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011
ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015
ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018
घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021
ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2021
च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993, जो कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार से संबंधित हैं।
छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021
ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की बायबैक) विनियम, 2018

(vi) प्रबंधन द्वारा समझाए गए अनुसार, निम्नलिखित कानून उनके सेक्टर/उद्योग के आधार पर कंपनी पर विशेष रूप से लागू होते हैं:

1	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 एवं ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
4	पेट्रोलियम अधिनियम, 1934
5	भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923
6	लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
7	परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004
8	SOMET के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992
9	शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016
10	मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 2018 के अंतर्गत राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम (स्पिरिट लाइसेंस), मध्य प्रदेश मोटर, स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018

हम रिपोर्ट करते हैं कि अन्य विशिष्ट लागू कानूनों (जो उद्योग पर लागू होते हैं) के अंतर्गत अनुपालन/प्रक्रियाएं/प्रणालियां कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आंतरिक अनुपालन प्रणाली के अंतर्गत आवधिक प्रमाण पत्र के आधार पर निर्भर हैं।

कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों, जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों का अनुपालन, इस लेखा परीक्षा में समीक्षा नहीं की गयी है क्योंकि यह वैधानिक लेखा परीक्षक और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन रहा है।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) समय–समय पर संशोधित सचिवीय मानक, जो द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं।
(ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज(ओं) के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते एवं सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), 2015 (वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)
(iii) सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन है :

1. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और 149(4) के अनुसार, जिसे कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पढ़ा जाए, कंपनी को कम से कम 2 स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। इस प्रकार, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।**

2. **कंपनी ने बोर्ड समितियों का गठन किया है जैसे लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, हालांकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण इन समितियों की संरचना क्रमशः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2), 178(1) और 135 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।**

3. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार, जिसे कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, कंपनी को बोर्ड में एक महिला निदेशक रखने की आवश्यकता है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।**

4. **स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गैर–स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।**

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत नहीं किया गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सामान्यतः सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिए गए थे, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और कुछ मामलों में कम नोटिस पर भी, और बैठक से पहले कार्यसूची मुद्दे पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत का निर्णय लागू किया गया था जबकि असहमति जताने वाले सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में कैप्चर और रिकॉर्ड किया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं थीं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर असर डालने वाली कोई बड़ी घटनाएं/कार्य नहीं थे।

ए. के. रस्तोगी एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड नंबर P2025UP104900
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 7006/2025

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 04.08.2025

(ए. के. रस्तोगी)
पार्टनर
एफसीएस नंबर: 1748
कॉप नंबर: 22973
यूडीआईएन: F001748G000921634

अनुलग्नक-क

सेवा में,
सदस्य गण,
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड,
द्वारा – गोला बारूद निर्माणी ,
खडकी, पुणे – 411003 (महाराष्ट्र)

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए ।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रख– रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर एक राय व्यक्त करना है ।

2. हमने सचिवीय रिकॉर्डों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है । यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्डों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं । हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं ।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पहले से ही इंगित की गई टिप्पणियों/टिप्पणियों/कमजोरियों को कवर नहीं कर रही है ।

4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है ।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी और यह राय देने के लिए थी कि क्या कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र मौजूद हैं या नहीं ।

6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ।

ए. के. रस्तोगी एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड नंबर P2025UP104900
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 7006/2025

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 04.08.2025

(ए. के. रस्तोगी)
पार्टनर
एफसीएस नंबर: 1748
कॉप नंबर: 22973
यूडीआईएन: F001748G000921634

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (अनुलग्नक– III)

1. कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त विवरण –

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं –

(i) भूख, गरीबी और कुपोषण को खत्म करना, [''निवारक स्वास्थ्य सेवा सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना''] और स्वच्छता स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहितें और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

(ii) शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएँ शामिल हैं।

(iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना, वृद्धाश्रम, डे–केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएँ स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय।

(iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना। [गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान सहित]।

(v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा करना, जिसमें ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थलों का जीर्णोद्धार और कलाकृतियाँ, सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना और विकसित करना शामिल है।

(vi) सशस्त्र बलों के सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, [केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्ध–सैन्य बल (सीपीएमएफ) के सैनिकों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों] के लाभ के लिए उपाय करना।

(vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना।

(viii) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष [या प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)] या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत और कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान करना।

(ix) (क) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान करना, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित हों, और

(ख) सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), फार्मास्यूटिकल्स विभाग, आयुष मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकायों, अर्थातब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों में योगदान करना, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान कर रहे हैं।

(x) ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए।

(xi) झुग्गी क्षेत्र विकास के लिए।
स्पष्टीकरण: इस मद के प्रयोजनों के लिए, 'झुग्गी क्षेत्र' का अर्थ किसी भी ऐसे क्षेत्र से होगा जिसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी भी कानून के तहत ऐसा घोषित किया गया हो।

(xii) आपदा प्रबंधन के लिए, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में भाग लेने की संख्या
1	श्री देबाशीष बनर्जी	निदेशक / मानव संसाधन (30/11/2024 तक	3	1
2	श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक / वित्त और सीएफओ	3	3
3	श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक	निदेशक / मानव संसाधन (05/02/2025 से प्रभावी	3	2
4	रिक्त	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	शून्य

3	वेब–लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर खुलासा किया गया है।	https://munitionsindia.in/About **us/Corporate Social Responsibility** https://munitionsindia.in/Downloads/Manual **and Policies/Composition of CSR Committee** https://munitionsindia.in/Downloads/Manual and Policies/CSR Activities 2023-24
4	यदि लागू हो तो नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब–लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें ।	लागू नहीं
5.(क)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	रू. 351.47 करोड़
(ख)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	रू. 702.94 लाख
(ग)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष ।	शून्य
(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो	शून्य
(ड़)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (ख+ग+घ)	रू. 702.94 लाख
6.(क)	वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 और 2024-25 के लिए सीएसआर परियोजनाओं (चल रही परियोजनाओं और चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य दोनों) पर खर्च की गई राशि	रू. 268.64 लाख
(ख)	प्रशासनिक अपरिव्यय में खर्च की गई राशि	शून्य
(ग)	प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो	शून्य
(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (क + ख + ग)	रू. 268.64 लाख
(ङ)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि	रू. 702.94 लाख

ड. वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि खर्च की गई या खर्च नहीं की गई

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खर्च की गई कुलराशि (रुपये में)	खर्च न की गई राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुलराशि।		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूचीत VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि।		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधी का नाम	राशि	स्थानातरण की तिथि
रु. 89.05	रु. 613.89 लाख	17/06/2025	शून्य	शून्य	शून्य

(च) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
1	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	702.94 लाख
2	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	89.05 लाख
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
4	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
5	बाद के वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि का विवरण :

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष.	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपयेमें)	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपयेमें)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जानेवाली शेषराशि। (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि	स्थानांतरण की तिथि		
1	2022-23	51.66 लाख	5.71 लाख	79.62 लाख	70.22 लाख	(26/09/2024)	5.71 लाख	
2	2023-24	117.95 लाख	53.54 लाख	99.97 लाख	35.57 लाख	(26/09/2024)	53.54 लाख	
3		शून्य						
	कुल	169.61 लाख	59.25 लाख	179.59 लाख	105.79 लाख		59.25 लाख	शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई या अधिग्रहित की गई है :

हाँ / नहीं

यदि हाँ, तो बनाई / अधिग्रहित की गई पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें – शून्य

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि से बनाई या अधिग्रहित की गई ऐसी संपत्तियों का विवरण प्रदान करें :

क्र.सं.	संपत्तिया संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरापता और स्थान सहित)	संपत्ति का पिनकोड	सृजन की तारीख	खर्च की गई सीएसआर की राशि	इकाई/प्राधिकरण/ का विवरण पंजीकृत स्वामी का लाभार्थी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
	शून्य						

(सभी क्षेत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में दिखाई देने वाले अनुसार कैप्चर किया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, नगर कार्यालय / नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ–साथ सीमाओं को भी।)

9. ‘विभिन्न चल रही सीएसआर (CSR) परियोजनाओं के लिए 702.94 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो पूरे भारत में फैली हुई 15 इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय, पुणे में चल रही हैं। इसे एक चल रहे प्रोजेक्ट के रूप में निष्पादित किया जा रहा है और यह एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा ।‘

(संजय हजारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 11089196

(नंदकिशोर प्रभाकर नाईक)
निदेशक / मानव संसाधन एवं अध्यक्ष सीएसआर समिति
डीआईएन संख्या 1094367

सं. एमआईएल/एफआईएन/ऑडिट/सीएजी/एमआईएल प्रतिक्रिया/2024-25 दिनांक 29.09.2025

सेवा में ,
लेखापरीक्षा महानिदेशक का कार्यालय,
आयुध निर्माणियां ,
कोलकाता

ध्यानाकर्षण : श्रीमती सुधा राजन, प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक (आयुध निर्माणियाँ)

विषय : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एमआईएल के खातों पर टिप्पणियाँ पर एमआईएल की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रतिक्रिया

संदर्भ : (i) सीएंडएजी पत्र संख्या 100/टी–459/एमआईएल/लेखा/2025-26 दिनांक 29.09.2025

उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में, एमआईएल का निम्नलिखित प्रबंधन उत्तर यहां प्रस्तुत है:

क्र.सं.	प्रकटीकरण पर C&AG की टिप्पणियाँ	एमआईएल के समेकित और एकल वित्तीय विवरणों के विरुद्ध प्रबंधन की प्रतिक्रिया
1	तुलन पत्र संपत्ति गैर तात्कालिक परिसंपत्ति संपत्ति, संयंत्र और उपकरण – (नोट संख्या 4(क) रू. 3387.06 करोड़ इसमें एमआईएल की दो अलग–अलग इकाइयों अर्थात एनएडीपी (13.60 एकड़) और एचईपीएफ (882.34 एकड़) के अंतर्गत भूमि का विवरण शामिल नहीं है, जो ऐतिहासिक रूप से 'शून्य' मूल्य पर रखी गई है। ''नोट 40(ग) अन्य विनियामक सूचनाङ्क के अंतर्गत एनएडीपी और एचईपीएफ की भूमि का खुलासा न करना भारतीय मानक ब्यूरो (आईएएस)1 के अनुरूप नहीं था।	* म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पूर्ववर्ती ओएफबी से हथियारों और गोला–बारूद का कारोबार संभालने के लिए नवगठित इकाई थी। इसलिए, पुनर्गठन के समय कंपनी व्यवसाय की परिभाषा को पूरा नहीं करती थी। तदनुसार,इस लेनदेन को सामान्य नियंत्रण के तहत एक व्यावसायिक संयोजन के रूप में नहीं, बल्कि पूंजी पुनर्गठन के रूप में माना जाता है । पूंजी पुनर्गठन के लिए लेखांकन पर इंड–एएस के तहत कोई मार्गदर्शन नहीं है। हालांकि, व्यवसाय पुनर्गठन से पहले और बाद में सामान्य नियंत्रण (अर्थात, भारत सरकार द्वारा) के अधीन रहा है, इसलिए प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि इंड एएस 103 के परिशिष्ट–ग के प्रावधानों को लागू करना उचित है जो इंड एएस 8 द्वारा प्रदान की गई नीति विकल्प के अनुसार सामान्य नियंत्रण के तहत व्यावसायिक संयोजनों से संबंधित है। तदनुसार, कंपनी ने इंड एएस 103 के परिशिष्ट–ग के तहत प्रावधानों का पालन करके, कंपनी द्वारा अनुसरण की जाने वाली लेखांकन नीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के प्रभाव के लिए समायोजित उनके मौजूदा वहन मूल्यों पर व्यवसाय की परिसंपत्तियों और देनदारियों का लेखा किया है। * पूर्ववर्ती OFB ने सरकारी विभागों पर लागू सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार व्यवसाय का लेखा–जोखा रखा। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत

क्र.सं.	प्रकटीकरण पर C&AG की टिप्पणियाँ	एमआईएल के समेकित और एकल वित्तीय विवरणों के विरुद्ध प्रबंधन की प्रतिक्रिया
		निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) को स्वेच्छा से अपनाया है। प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि सामान्य वित्तीय नियम, कंपनी को हस्तांतरित होने से पहले व्यवसाय द्वारा अपनाए गए पिछले GAAP हैं। 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरण कंपनी के पहले वित्तीय विवरण हैं। चूँकि कंपनी नव-निगमीकृत थी, इसलिए इसकी आरंभिक तिथि अर्थात निगमन की तिथि पर इसके पास कोई संपत्ति या देनदारियाँ नहीं थीं। हालाँकि, OFB की कुछ इकाइयों के व्यवसाय MIL को हस्तांतरित कर दिए गए थे, इसलिए प्रबंधन ने निर्धारित किया कि कंपनी हस्तांतरित व्यवसायों के संबंध में पहली बार अपनाने वाली हो सकती है । * तदनुसार, प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय लेखा मानक 101 के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध छूट और अपवादों को वहन मूल्य परिसंपत्तियों और देनदारियों पर लागू किया जाना चाहिए और फिर एमआईएल को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। * कंपनी ने हस्तांतरण की तिथि पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर अनुमानित लागत लागू की। * वर्तमान मामले में, हस्तांतरण की तिथि अर्थात 01.10.2021 को HEPF और NADP की भूमि का बही मूल्य शून्य था। अतः MIL ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यों को बही मूल्य पर दर्ज किया है और उचित मूल्य MIL की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए NADP और HEPF की भूमि का मूल्य चखङ की लेखा पुस्तकों में शून्य रखा गया है। * एमआईएल ने अपनी पुस्तकों में अचल संपत्तियों के लेखांकन के संबंध में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से संपर्क किया है। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने अपनी राय संख्या ईएसी/1922/25 के तहत यह राय दी है कि, * उपरोक्त के आधार पर, ऊपर पैराग्राफ 7 और 11 में किए गए अस्वीकरणों के अधीन, समिति की राय है कि विषय वस्तु अर्थात भूमि पर कंपनी की लेखांकन प्रथा भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार उपयुक्त है।

क्र.सं.	प्रकटीकरण पर C&AG की टिप्पणियाँ	एमआईएल के समेकित और एकल वित्तीय विवरणों के विरुद्ध प्रबंधन की प्रतिक्रिया
2	तुलन पत्र संपत्ति वर्तमान संपत्ति इन्वेंटरी (नोट संख्या 07): रू.4206.67 करोड़ इसमें रू.23.32 करोड़ मूल्य के उन इन्वेंटरी (26 वस्तुएँ) शामिल हैं जो 12 अप्रैल 2025 (हस्ताक्षरित 15 अप्रैल 2025) की स्टॉक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं थीं। हालाँकि, कंपनी इस महत्वपूर्ण विसंगति का खुलासा करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप रू.23.32 करोड़ मूल्य के इन्वेंटरी की स्थिति का अपर्याप्त खुलासा हुआ है।	भौतिक सत्यापन के समय देखी गई स्पष्ट विसंगतियों को उचित जांच के बिना दर्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कमियों को उचित लेखा प्रभाव देने के साथ–साथ उच्च अधिकारियों की स्वीकृति भी प्राप्त करना आवश्यक है । वर्ष 2024-25 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, 26 मदों में विसंगतियाँ पाई गई। परिणामों का विवरण इस प्रकार है: क) सत्यापन के बाद ऐसे अंतरों की विस्तृत समीक्षा की गई और एएफके ने पाया कि 26 मदों में से 13 मदों में अंतर डिमांड नोट न पोस्ट करने के कारण था, जिसे बाद में सुधार लिया गया । इन 13 वस्तुओं के डिमांड नोट और बिन कार्ड रिकार्ड में उपलब्ध हैं तथा इन्हें सीएजी कार्यालय द्वारा अपनी सुविधानुसार सत्यापित किया जा सकता है। ख) शेष 13 वस्तुओं, जिनका मूल्य 7.66 करोड़ रुपये है, के संबंध में, बीओई का गठन किया गया और 31.03.2025 तक बीओई के परिणाम प्रतीक्षित थे। चूँकि बीओई के परिणाम अभी भी प्रतीक्षित थे, इसलिए इन्वेंट्री में समायोजन नहीं किया गया । बोर्ड ऑफ इंक्वॉयरी की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और जांच बोर्ड ने पाया है कि यह अंतर स्टोर्स और संबंधित उत्पादन अनुभागों के बीच संवादहीनता के कारण है, इन लेनदेन को नियमित करने के लिए समय पर डिमांड नोट प्राप्त नहीं किए जा सके और पोस्ट नहीं किए जा सके। बोर्ड ऑफ इंक्वॉयरी की रिपोर्ट रिकार्ड में उपलब्ध है और सीएजी कार्यालय द्वारा अपनी सुविधानुसार इसका सत्यापन किया जा सकता है।

(प्रकाश अग्रवाल)
निदेशक/वित्त एवं सीएफओ
एमआईएल

अनुबंध–V

फॉर्म AOC- 1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं से युक्त विवरण

भाग क सहायक कंपनियां

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में सूचना रुपये में राशि के साथ प्रस्तुत की जाए)

1. क्रम संख्या 1
2. सहायक कंपनी का नाम: म्यूनिशंस इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशनल काउंसिल (MISPC)
3. सहायक कंपनी के अधिग्रहण की तिथि: 02/04/2024
4. संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो। – 02/04/2024 से 31/03/2025
5. विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग। – लागू नहीं
6. शेयर पूंजी– शून्य
7. आरक्षित निधि और अधिशेष– शून्य
8. कुल संपत्ति– 0.57 करोड़
9. कुल देनदारियां– 0.57 करोड़
10. निवेश– शून्य
11. कारोबार– 0.86 करोड़
12. कराधान से पहले लाभ– शून्य
13. कराधान का प्रावधान– शून्य
14. कराधान के बाद लाभ– शून्य
15. प्रस्तावित लाभांश: शून्य
16. शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में): लागू नहीं गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी।

नोट : विवरण के अंत में निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी:

१. उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू होना बाकी है

२. वर्ष के दौरान समाप्त या बेची गई सहायक कम्पनियों के नाम।

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट संलग्न है ।

के निदेशक मंडल की ओर से
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

प्रकाश अग्रवाल	**ईजे पॉल**	**संजय हजारी**
निदेशक वित्त एवं सीएफओ	कंपनी सचिव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09666613	सदस्यता संख्या: FCS4521	डीआईएन: 11089196

पुणे
दिनांक : 15/09/2025

भाग ख सहयोगी और संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों का नाम	नाम 1	नाम 2	नाम 3
1. नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट तिथि			
2. वह तिथि जब सहयोगी या संयुक्त उद्यम संबद्ध हुआ या अधिग्रहित हुआ			
3. सहयोगी या संयुक्त उद्यम के शेयर वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा आयोजित			
नहीं।			
सहयोगियों या संयुक्त में निवेश की राशि उद्यम			
होल्डिंग की सीमा (प्रतिशत में)			
4. महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे पड़ता है इसका विवरण			
5. सहयोगी/संयुक्त उद्यम को समेकित न किये जाने का कारण।			
6. नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार			
शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य			
7. वर्ष के लिए लाभ या हानि			
i. समेकन में विचार किया गया			
ii. समेकन में विचार नहीं किया गया			

1. उन सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है।
2. वर्ष के दौरान समाप्त या बेचे गए सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम।

टिप्पणी :इस फॉर्म को उसी तरह प्रमाणित किया जाना है जिस तरह से बैलेंस शीट को प्रमाणित किया जाता है।
हमारी सम तारीख की रिपोर्ट संलग्न है ।

के निदेशक मंडल की ओर से
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

प्रकाश अग्रवाल
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन: 09666613

ईजे पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: FCS4521

संजय हजारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11089196

पुणे
दिनांक:१५/०९/२०२५

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. कंपनी:

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो ऐतिहासिक शहर पुणे में स्थित है। एमआईएल, भारत की सबसे बड़ी निर्माता एवं बाज़ार अग्रणी कंपनी, सेना, नौसेना, वायु सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बलों के लिए गोला–बारूद और विस्फोटकों की व्यापक श्रृंखला के उत्पादन, परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास और विपणन में लगी हुई है।

एमआईएल का लक्ष्य सशस्त्र बलों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण युद्धक्षेत्र गोला–बारूद से लैस करके उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करना है। एमआईएल का लक्ष्य गोला–बारूद क्षेत्र में ''आत्मनिर्भर भारत अभियान'' और ''मेक इन इंडिया'' पहल का एक प्रमुख संरक्षक बनना है। एमआईएल घरेलू बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के साथ–साथ गोला–बारूद की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की आकांक्षा रखता है।

2. एमआईएल की शक्ति –

- कुशल कार्यबल
- 150 से अधिक वर्षों से गोला–बारूद के निर्माण और बिक्री का अनुभव
- विशाल विनिर्माण क्षमता
- अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता
- घरेलू गोला–बारूद बाजार में नेतृत्व की स्थिति
- स्थापित आपूर्तिकर्ता आधार
- स्थापित उत्पाद रेंज
- गोला–बारूद उत्पादन के लिए व्यापक सुविधाएं
- उच्च स्वदेशीकरण घटक

3. कमजोरी –

- उच्च उपरिव्यय (ओवरहेड्स)
- पुरानी/विरासतगत समस्याए

4. अवसर –

- निर्यात के अवसर
- निगमीकरण के बाद, संयुक्त उद्यम बनाने एवं सह–उत्पादन समझौते करने की स्वतंत्रता और लचीलापन
- निगमीकरण के बाद, संचालन में अधिक स्वायत्तता
- वर्तमान भू–राजनीतिक परिदृश्य/वातावरण
- महत्वपूर्ण घटकों के लिए सुविधाओं की उपलब्धता
- गोला–बारूद उत्पादन के लिए सम्पूर्ण सुविधाएं सृजित करने हेतु नए प्रवेशकर्ता के लिए भारी निवेश की आवश्यकता

5. जोखिम / खतरे

- भारतीय रक्षा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलना
- घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धियों का उदय
- विभिन्न घरेलू कम्पनियों को वस्तुओं (जो पहले हमारे द्वारा आपूर्ति की गई थीं) के लिए आरएफपी जारी करना
- प्रमाण श्रेणियों (प्रूफ रेंजों) के लिए डीआरडीओ/डीजीक्यूए पर पूर्ण निर्भरता

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता –

कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

7. मजबूत औद्योगिक संबंध :

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय में उच्च–स्तरीय परामर्शदात्री समिति (एचएलसीसी) और एमआईएल औद्योगिक संबंध तंत्र जैसे उपयुक्त मंचों का गठन किया गया है। प्रथम एचएलसीसी बैठक दिनांक 08.05.2025 को हुई थी, जिसमें 41 आयुध निर्माणियों के सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारी सदस्य थे और प्रथम एमआईएल आईआर तंत्र दि. 06.06.2025 को हुई थी, जिसमें एमआईएल इकाइयों के सेवारत कर्मचारी सदस्य थे। इन दोनों मंचों का गठन उत्पादकता में सुधार, गुणवत्ता, लागत प्रभावशीलता, आधुनिकीकरण, सुरक्षा, व्यवसाय विस्तार, अनुसंधान एवं विकास, छवि निर्माण, उत्पादन लक्ष्य, संसाधनों की उपलब्धता तथा कौशल विकास से संबंधित बिंदुओं पर एमआईएलसीओ के अधिकारियों और मान्यता प्राप्त रक्षा संघों और रक्षा एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा करने के लिए किया गया है।

8. राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी में कैंपस चयन

विभिन्न एमआईएल इकाइयों में कार्यकाल के आधार पर पीजीडीएम छात्रों की नियुक्ति।

क्र.सं.	उम्मीदवारों का नाम	प्रस्तावित पोस्टिंग
1	हितेश गंगाराम जवालीकर	आयुध निर्माणी खमरिया
2	जाधव रोहित धनराज	आयुध निर्माणी खमरिया
3	सौरव कुमार	आयुध निर्माणी खमरिया
4	सुश्री मीनाक्षी मंडल	आयुध निर्माणी इटारसी
5	सत्यम वत्स	आयुध निर्माणी खमरिया
6	क्रुणाल भूपेंद्र पटले	आयुध निर्माणी भंडारा

क्र.सं.	उम्मीदवारों का नाम	प्रस्तावित पोस्टिंग
7	आनंद कुमार	एमआईएल–कॉर्पोरेट
8	सुश्री हन्ना जोस	आयुध निर्माणी भंडारा
9	विपुल चौहान	आयुध निर्माणी इटारसी
10	अक्षय कुमार चौधरी	आयुध निर्माणी चांदा
11	सुब्रत श्रीवास्तव	एमआईएल– कॉर्पोरेट
12	सिद्धांत साह	आयुध निर्माणी इटारसी
13	सत्यजीत सिंह यादव	आयुध निर्माणी चांदा
14	जय कुमार वैध	आयुध निर्माणी चांदा
15	इंद्रजीत कुमार	आयुध निर्माणी भंडारा
16	सुश्री उत्प्रेक्षा नागर	आयुध निर्माणी भंडारा
17	संकेत राजेंद्र बहाले	आयुध निर्माणी चांदा

एनएडीपी ने रक्षा प्रबंधन एवं रक्षा उद्योग पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (पीजीडीएम) आयोजित करने के लिए एआईसीटीई की मंजूरी प्राप्त कर ली है, जो सफलतापूर्वक पूरा हो गया है एवं उत्तीर्ण भी हो गए हैं। दीक्षांत समारोह का आयोजन शीघ्र ही किया जा रहा है।

एनएडीपी ने आईआईएम, विशाखापत्तनम के सहयोग से डीडीपी, डीपीएसयू और निजी रक्षा प्रतिष्ठान के अधिकारियों/कार्यकारियों के लिए जून 2025 से 02 वर्षीय हाइब्रिड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू किया है। चालू वर्ष के लिए एमआईएल ने कार्यक्रम के लिए 06 अधिकारियों को नामित/प्रायोजित किया है।

डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क I-Got–कर्मयोगी (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी प्लेट फॉर्म) – एनएडीपी ने I-Got प्लेटफॉर्म के लिए विभिन्न डिजिटल विषय–वस्तु पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की है। आज के डिजिटल युग में एनएडीपी द्वारा किए गए प्रयास अत्यंत सराहनीय है।

9. म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड द्वारा सृजित नए रोजगार के अवसर :

कार्यकाल आधारित एवं ग्रेजुएट/डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर की स्वीकृत और नियुक्ति का विवरण :

म.सं.	निर्माणी का नाम	पद	स्वीकृति तिथि	स्वीकृत पदों की संख्या	मौजूदा संख्याबल
1	सीएफए	डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	08-03-2023	49	41
		डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	26-05-2023	150	
		डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	24-11-2023	126	
		डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	27-03-2024	156	
		इंजीनियर	06-01-2025	40	37
		स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (रसायन)	20-09-2024	20	
		स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (रसायन)	30-05-2025	20	

म.सं.	निर्माणी का नाम	पद	स्वीकृति तिथि	स्वीकृत पदों की संख्या	मौजूदा संख्याबल
2	एचईएफ	स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (रसायन)	19-12-2024	6	6
		स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (मैकेनिकल)	19-12-2024	3	3
		स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (इलेक्ट्रिकल)	19-12-2024	3	3
		स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (सिविल)	19-12-2024	3	3
		स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (आईटी)	13-03-2025	2	
3	ओएफबीए	डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	29-12-2023	80	136
		डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	21-05-2024	100	
		डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	23-04-2025	125	
4	ओएफबीएल	डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	21-12-2023	75	29
5	ओएफसीएच	डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	15-05-2023	250	43
		स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (रसायन)	05-07-2024	10	
		स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (मैकेनिकल)	05-07-2024	10	
6	ओएफडीआर	डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	22-04-2024	201	65
		डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	23-04-2025	165	
		स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (रसायन)	21-11-2024	4	4
		स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (मैकेनिकल)	21-11-2024	6	6
7	ओएफआई	डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	08-03-2023	100	52
		डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	15-06-2023	58	
		डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	23-04-2025	35	
		स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (रसायन)	02-08-2024	10	7
8	ओएफके	डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	19-05-2023	200	211
		डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	05-01-2024	80	
		डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	25-04-2024	123	
		इंजीनियर	18-10-2024	50	
9	ओएफएन	डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	02-03-2023	40	47
		डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	10-10-2024	50	
			कुल योग	**2350**	**693**

पद	स्वीकृत पदों की संख्या	मौजूदा संख्याबल
डीबीडब्ल्यू/सीपीडब्ल्यू	2163	588
इंजीनियर	90	37
स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (रसायन)	70	17
स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (सिविल)	3	3
स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (इलेक्ट्रिकल)	3	3
स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (आईटी)	2	
स्नातक/डिप्लोमा अपरेंटिस (मैकेनिकल)	19	9
कुल योग	**2350**	**693**

10. रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापन स्कोर 91 और उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हुई।

11. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समझौता ज्ञापन के तहत टर्नओवर लक्ष्य :

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समझौता ज्ञापन के तहत टर्नओवर लक्ष्य ९,२५० करोड़ रुपये है।

12. चालू वित्त वर्ष और अगले दो वित्त वर्षों के दौरान अपेक्षित निर्यात :

वर्ष	2024-25	2025-26 (लक्ष्य)	2026-27 (लक्ष्य)
निर्यात मूल्य (₹)	3,081 CR	2,500 CR	3,000 CR

13. कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार चालू परियोजनाओं पर 702.94 लाख रुपये का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्य,
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड,
पुणे, महाराष्ट्र

हमने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (सीआईएन: U29190PN2021GOI203505) (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के संबंध में डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश, 2010 के तहत किया जाना आवश्यक है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जांच प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी, जिसे कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया था । यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नीचे निर्दिष्ट मामलों के अलावा उपर्युक्त संदर्भित कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है :

1. कंपनी ने बोर्ड की संरचना के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 3.1.1 का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है ।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के अनुसार, जिसे कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, कंपनी को बोर्ड में एक महिला निदेशक रखने की आवश्यकता है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी ।

3. कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है, हालांकि स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में कंपनी द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं ।

हम आगे प्रमाणित करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ।

दिनांक: 04.08.2025
स्थान: गाजियाबाद

ए. के. रस्तोगी एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड नंबर P2025UP104900
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 7006/2025

(ए. के. रस्तोगी)
पार्टनर
एफसीएस नंबर: 1748
कॉप नंबर: 22973
यूडीआईएन: F001748G000921898

व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के लिए प्रमाणपत्र

सं.एमआईएल/एचआर/बीसीएण्डई/2024-25 दिनांक: 02/04/2025

व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के लिए प्रमाणपत्र

एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(प्रकाश अग्रवाल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
निदेशक / वित्त, मुख्य वित्त अधिकारी

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्यों के लिए,
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

प्रतिकूल राय

1. हमने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ('कंपनी', जिसमें पुणे, महाराष्ट्र में स्थित मुख्यालय और पंद्रह इकाइयां शामिल हैं) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की बैलेंस शीट, और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा जाएगा) शामिल है, जिसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ग्यारह इकाइयों के रिटर्न शामिल हैं, जिन्हें कंपनी के अन्य इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	इकाई का नाम	इकाई का स्थान
1	राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी (एनएडीपी)	नागपुर, महाराष्ट्र
2	आयुध निर्माणी भंडारा (ओएफबीए)	भंडारा, महाराष्ट्र
3	आयुध निर्माणी चांदा (ओएफसीएच)	चंद्रपुर, महाराष्ट्र
4	आयुध निर्माणी नालंदा (ओएफएन)	नालंदा, बिहार
5	आयुध निर्माणी वरणगांव (ओएफवी)	वरणगांव, महाराष्ट्र
6	आयुध निर्माणी इटारसी (ओएफआई)	इटारसी, मध्य प्रदेश
7	आयुध निर्माणी खमरिया (ओएफके)	खमरिया, जबलपुर, मध्य प्रदेश
8	आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया (ओएफआईएल)	खमरिया, जबलपुर, मध्य प्रदेश
9	आयुध निर्माणी बडमाल (ओएफबीएल)	बडमाल, ओडिशा
10	कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु (सीएफए)	ऊटी, तमिलनाडु
11	हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली (एचईपीएफ)	तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार खंड में वर्णित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित ('इंडस्ट्रिज एएस') और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जो 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, उसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन की स्थिति और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के बारे में है।

प्रतिकूल राय के लिए आधार

3. हम इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक 'क' में वर्णित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनके मात्रात्मक और गुणात्मक प्रभाव, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, हमारे विचार से, वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, ऐसे मामले भी हैं जहाँ हम और अन्य इकाई लेखा परीक्षक पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे। उक्त अनुलग्नक 'क' में वर्णित मामलों के प्रभाव, जिन्हें यथोचित रूप से निर्धारित किया जा सकता था, जहाँ तक संभव हो, परिमाणित किए गए हैं और उनमें दिए गए हैं।

4. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व' खंड में विस्तार से वर्णित हैं। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण हेतु प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने आईसीएआई आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी की हैं।

5. हमारा मानना है कि इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक 'क' के साथ प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। इकाइयों की पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की लेखापरीक्षा रिपोर्टों ने भी अपनी–अपनी जारी रिपोर्टों में अनुलग्नक 'क' में वर्णित मामलों पर योग्यता प्राप्त की थी।

मामले पर जोर

6. इंडस्ट्रीज एएस 19 – कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व

हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36(ख)(i) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार कंपनी के अधिकांश कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनके वेतन का खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। हालाँकि, कुछ कर्मचारी लाभों, जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान, ऐसे कर्मचारियों के लिए मान्य नहीं हैं क्योंकि वे कंपनी के वेतन–पत्रक पर नहीं हैं। रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1(5)/2021/ओएफ/डीपी(योजना–V)/02 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के अनुसार, प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने का दायित्व सरकार का है, न कि कंपनी का, जिसे पत्र संख्या: 1(5)/2023/ईजीओएम/मान्य प्रतिनियुक्ति/ओएफ/डीपी(एम एंड पी) दिनांक 09.09.2024 के अनुसार 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।
उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

7. अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए ज़िम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बोर्ड रिपोर्ट हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

8. वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है, या लेखापरीक्षा या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

9. जब हम ऐसी अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें इस मामले की सूचना शासन के प्रभारी को देनी होगी। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

10. कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है, जिसमें संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रिज एएस) शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते थे और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त थे।

11. वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

12. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए भी ज़िम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

13. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि वित्तीय विवरणों के अनुसार किया गया लेखा-परीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

14. वित्तीय विवरणों के अनुसार लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा-परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

⁕ वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करना और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

⁕ परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता क्या है।

⁕ प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

⁕ प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

⁕ **प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें और यह भी देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को**

15. भौतिकता, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलतबयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभव बनाती है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलतबयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

16. हम शासन के प्रभारी के साथ, अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं जिनकी हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

17. हम शासन के प्रभारियों को यह विवरण भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य मामले

18. हमने ग्यारह इकाइयों के वित्तीय विवरणों का लेखा–परीक्षण नहीं किया, जिनकी वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2025 तक 14,238.37 करोड़ रुपये (अंतर–इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) की कुल संपत्ति और 8,584.47 करोड़ रुपये (अंतर–इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) की शुद्ध संपत्ति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 8,050.28 करोड़ रुपये का कुल राजस्व, (अंतर–इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) 946.62 करोड़ रुपये की कुल व्यापक आय (जिसमें लाभ और अन्य व्यापक आय शामिल है) दर्शाती है, जैसा कि वित्तीय विवरणों में माना गया है । इस वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों (इकाई लेखापरीक्षकों) द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है और वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक यह इन इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, तथा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह उपरोक्त इकाइयों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है ।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है ।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

19. कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश'/'सीएआरओ') के अनुसार, जो अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है । हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल ग्यारह इकाइयों के लिए संबंधित इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्टों के आधार पर, हम अनुलग्नक–'ख' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं, जहाँ तक लागू हो ।

20. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, अनुबंध–क में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, हमारी रिपोर्ट के अनुबंध–'क' में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कंपनी द्वारा उपरोक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा–बहियाँ रखी गई हैं, जहाँ तक उन लेखा–बहियों की हमारी जाँच और संबंधित इकाई लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों से पता चलता है ।

ग) कंपनी की यूनिटों के खातों पर रिपोर्ट, यूनिट लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित और हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उनका समुचित ढंग से विश्लेषण किया है ।

घ) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ–हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन विवरण, लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं । हालाँकि, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुबंध 'क' में वर्णित मामलों के कारण वित्तीय विवरणों पर हमारी राय मान्य है ।

ङ) हमारी राय में, अनुबंध 'क' में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए ।

च) कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार लागू नहीं होते हैं।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया 'अनुलग्नक सी' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें, जहाँ हमने प्रतिकूल राय दी है।

ज) कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार लागू नहीं होते हैं।

ञ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और यूनिट लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार के आधार पर :

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के नोट 38 का संदर्भ लें।

(ii) कंपनी के पास 31 मार्च, 2025 तक अपने माल की आपूर्ति के लिए बकाया दीर्घकालिक अनुबंध हैं, जिनके लिए वित्तीय विवरणों के नोट 3 में उल्लिखित प्रावधान किया गया है।

(iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

(iv) (क) प्रबंधन ने हमें बताया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों के खातों के नोट्स में बताए गए (नोट 40 (सी) (एक्स) देखें) के अलावा, यदि कोई हो, तो कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था (संस्थाओं) को या उनमें कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से), विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थ') सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ('अंतिम लाभार्थियों') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने हमें बताया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों के लेखों के नोट्स (नोट 40(सी)(x) देखें) में प्रकट की गई जानकारी के अलावा, यदि कोई हो, तो कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति(यों) या संस्था (यों) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्तपोषण पक्ष') शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगी।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और यूनिट लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, कंपनी के संबंध में हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और जैसा कि उप-खंड (iv)(क) और (iv)(ख) के तहत उल्लेख किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

(v) कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है। अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (1) और (4) के प्रावधान, अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) हमारी जाँच, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल है, के आधार पर, हम पाते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा-बही के रखरखाव हेतु लेखांकन सॉफ्टवेयर, अर्थातब टैली प्राइम का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है। रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से टैली प्राइम के अलावा अन्य सॉफ्टवेयर, जो टैली प्राइम, अर्थातब इंफॉर्मिक्स, पीपीसी और फॉक्स प्रो में दर्ज किए गए डेटा के स्रोत के रूप में काम करते हैं, के लिए ऑडिट ट्रेल सक्षम नहीं था। उक्त सुविधा सॉफ्टवेयर (टैली प्राइम) में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रही है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, रिकार्ड संरक्षण हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

21. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम 'अनुलग्नक-घ' में कंपनी के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों पर एक बयान देते हैं।

बोरकर एवं मुजुमदार की ओर से

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 101569W

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592
UDIN: 25048592BMMLLJ3696
दिनांक: 19 अगस्त, 2025
स्थान: पुणे

अनुलग्नक क

(जैसा कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्य राय के आधार पैरा में संदर्भित है)

खंड I

कंपनी की कुल 15 इकाइयाँ और मुख्यालय (जिन्हें सामूहिक रूप से 'कंपनी' कहा जाता है) हैं, जिनकी अलग-अलग लेखा इकाइयाँ और सहायक कंपनी (कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को सामूहिक रूप से 'समूह' कहा जाता है) हैं। इनमें से, 11 इकाइयों और सहायक कंपनी का लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया और 4 इकाइयों एवं सभी इकाइयों के समेकित विवरणों सहित मुख्यालय के संचालन का लेखापरीक्षा हमारे, बोरकर और मुजुमदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया गया।

उपर्युक्त इकाइयों और सहायक कंपनी में से, कुल 3 इकाइयाँ (हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 1 सहित) और सहायक कंपनी हैं जहाँ लेखापरीक्षकों ने अयोग्य लेखापरीक्षा राय दी है और 12 इकाइयाँ (हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 3 सहित) हैं जहाँ इकाई लेखापरीक्षकों ने योग्य राय दी है।

ये 11 इकाइयाँ एवं मुख्यालय संचालन, जहाँ संबंधित इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा राय को योग्य माना गया था, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में 22,149.82 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले), 9,414.06 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति, 9403.95 करोड़ रुपये का कुल राजस्व (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) और 801.82 करोड़ रुपये की कुल व्यापक आय (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) का गठन करती हैं ।

यह देखते हुए कि अधिकांश लेखा परीक्षकों ने योग्य राय जारी की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक महत्वपूर्ण संपत्ति एवं देनदारियाँ और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समूह की आय और व्यय शामिल हैं, नीचे दी गई टिप्पणियों के आधार पर, हमने समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय जारी की है।

प्रमुख योग्यताओं का सारांश

इकाई लेखा परीक्षकों एवं हमारे द्वारा संचालित 4 इकाइयों और मुख्यालय संचालनों की रिपोर्टों के आधार पर महत्वपूर्ण योग्यताओं का सारांश निम्नलिखित है। नीचे उल्लिखित योग्यताएँ अधिकांश इकाइयों में समान हैं। संबंधित रिपोर्टों में उल्लिखित इकाई लेखा परीक्षकों की विस्तृत योग्यताएँ इस अनुलग्नक के खंड खख में दी गई हैं।

क. पूर्व अवधि समायोजन

हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 31 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 145.95 करोड़ रुपये की राशि के असंगत रहित पुराने शेषों के बारे में बताया गया है, जिन्हें विभिन्न असंगत रहित देनदारियों से वापस लिखा गया है, 138.93 करोड़ रुपये जो वर्ष के दौरान समूह द्वारा असंगत रहित परिसंपत्तियों (पीपीई शेष सहित) से इकाइयों के रिटर्न में बताई गई सीमा तक बट्टे खाते में डाले गए हैं। 7.02 करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते में डाले गए और वापस लिखे गए मदों का शुद्ध प्रभाव वित्तीय विवरणों में अपवादात्मक मद के अंतर्गत दर्शाया गया है क्योंकि ये राशियाँ पिछले वर्ष के लेन-देन से संबंधित हैं एवं अनावर्ती हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष से संबंधित विभिन्न आय एवं व्यय भी संबंधित आय एवं व्यय बहीखातों में शामिल हैं।

पिछले वर्ष से संबंधित उपरोक्त शेष, आय एवं व्यय, तुलनात्मक आरंभिक आंकड़ों की सत्यता के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण, 31 मार्च, 2024 तक शेष की विश्वसनीयता के संबंध में पिछले स्टैंडअलोन लेखापरीक्षा रिपोर्टों की योग्यताओं का एक हिस्सा थे। समूह ने प्रतिधारित आय आरंभिक शेष को समायोजित करके ऐसी पूर्व अवधि मदों के लिए पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों का पूर्वव्यापी पुनर्कथन नहीं किया है, क्योंकि समूह ने पुनर्कथन के लिए भौतिकता सीमा निर्धारित नहीं की है, जो कि भारतीय लेखा मानक–8 के अनुरूप नहीं है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

(एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफसीएच, ओएफवी, एचईपीएफ, ओएफआई, ओएफआईएल के मामले में देखा गया)।

ख. व्यापार प्राप्य शेष

समूह के पास व्यापार प्राप्य शेष एवं ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों के समाधान हेतु कोई प्रणाली नहीं है, जिसमें मुख्यालय द्वारा प्राप्त अग्रिमों का आबंटन और 26AS में दर्शाए गए ढव्ब्ब्ड का संबंधित इकाइयों को आबंटन शामिल है। ये शेष संबंधित पक्षों से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसके अलावा, लेखा प्रणाली, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों सहित व्यापार प्राप्य शेषों की चालान–वार सूची प्रदान नहीं करती है, जिसका सामान्य खाता–बही शेष से उचित मिलान हो। व्यापार प्राप्य से प्राप्तियों/बकाया राशियों का बिल–वार अभिलेखन एवं शेष पुष्टि के अभाव में, समेकन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 8 में उल्लिखित आयुवार (ऐजिंग) विश्लेषण से संबंधित उचित आधार सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

यह भी देखा गया कि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार व्यापारिक प्राप्य पर कोई एउङ प्रावधान निर्धारित या निर्मित नहीं किया है।

ऐसे शेषों की पुष्टि, समाधान और ईसीएल के लिए प्रावधान की गणना न होने तक, समेकित वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2025 तक इन शेषों की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

(एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफआई, ओएफआईएल, ओएफबीएल, ओएफबीए, ओएफसीएच, एनएडीपी, ओएफवी के मामले में देखा गया)।

ग. व्यापार देय शेष

समूह के पास आवधिक आधार पर व्यापार देय शेषों के समाधान हेतु कोई प्रणाली नहीं है। ये शेष संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, लेखा प्रणाली, आपूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिमों सहित व्यापार देय शेषों की चालान–वार सूची प्रदान नहीं करती है जो सामान्य खाता–बही शेष से विधिवत मेल खाती हो। व्यापार देय भुगतानों/बकाया राशियों के बिल–वार अभिलेखन और शेष पुष्टिकरण के अभाव में, समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 18 में उल्लिखित लेनदारों की आयुवार (एजिंग) के उचित आधार का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। ऐसी पुष्टि,

समाधान और आयु–वार विश्लेषण के आधार तक, समेकित वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2025 तक इन शेषों की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की एकल लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

(एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफआई, ओएफआईएल, ओएफबीए, ओएफबीएल, ओएफसीएच, एनएडीपी, ओएफवी के मामले में देखा गया)।

31 मार्च, 2025 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ('एमएसएमई') विक्रेताओं को देय राशियों से संबंधित पार्टी–वार विवरण के अभाव और एमएसएमई विक्रेताओं की पहचान करने में समूह की असमर्थता के कारण, हम एमएसएमई को देय अतिदेय राशियों की सटीकता और 31 मार्च, 2025 तक एमएसएमई को देय बकाया राशि के समापन शेष की पुष्टि करने में असमर्थ हैं। साथ ही, 31 मार्च, 2025 तक एमएसएमई को देय अतिदेय राशियों पर ब्याज का प्रावधान वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव निश्चित नहीं है। तदनुसार, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण गलत है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

(एनएडीपी, एचईपीएफ, ओएफवी के मामले में देखा गया)

घ. अन्य डीपीएसयू के शेष

समूह के पास अन्य डीपीएसयू के आवधिक आधार पर समाधान हेतु कोई प्रणाली नहीं है। ये शेष संबंधित डीपीएसयू से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसके अलावा, लेखा प्रणाली, आपूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिमों सहित डीपीएसयू के शेषों की चालान–वार सूची प्रदान नहीं करती है जो सामान्य खाता–बही शेष से उचित रूप से मेल खाती हो। डीपीएसयू को की गई खरीद/बिक्री का बिल–वार रिकॉर्ड और शेष राशि की पुष्टि के अभाव में, डीपीएसयू की एजिंग के लिए दिए गए उचित आधार का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। कुछ मामलों में, प्रबंधन ने समाधान का विवरण तो दिया है, लेकिन विस्तृत रिकॉर्ड रखरखाव के अभाव और असंतोषजनक प्रतिक्रिया के कारण, मार्च 2025 तक रिपोर्ट किए गए शेषों की सटीकता की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

ऐसी पुष्टि, समाधान और एजिंग विश्लेषण के आधार के लंबित रहने तक, समेकित वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2025 तक इन शेष राशियों की सत्यता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन ऑडिट रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

(एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफआई, ओएफआईएल के मामले में देखा गया)।

ङ. असमाधानित जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट

खातों की पुस्तकों के अनुसार जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का मिलान संबंधित इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र (ईसीएल) में प्रदर्शित शेष राशि और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जीएसटीआर–3बी में उपयोग की गई राशि के साथ किया जाना आवश्यक है। समायोजन न होने के कारण, कुछ आईटीसी जो समाप्त हो गए हैं या जिनका लाभ नहीं उठाया गया था, उन्हें वापस करने के बजाय, पुस्तकों में दर्शाया जाता है।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि वर्ष के दौरान निम्नलिखित से संबंधित कुछ मामलों में जीएसटी व्यय दर्ज किए गए हैं:

- सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के तहत अवरुद्ध क्रेडिट;
- अयोग्यता या गैर–अनुपालन के कारण प्रारंभिक इनपुट क्रेडिट का प्रत्यावर्तन; और
- वैधानिक समय सीमा के भीतर दावा न किया गया समाप्त आईटीसी।

कुछ इकाइयों (अर्थात एनएडीपी, एचईएफ, ओएफडीआर) में, आईटीसी शेषों का समाधान तैयार किया गया था। हालाँकि, हमारे सत्यापन के समय ये समाधान अधूरे थे और इन पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता था। पूर्ण सहायक दस्तावेज़ों और समाधान के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट शेषों की शुद्धता और पात्रता का सत्यापन करने में असमर्थ हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन ऑडिट रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

(एचईएफ, ओएफडीआर, ओएफआईएल, ओएफआई, ओएफके, एचईपीएफ, एनएडीपी, ओएफसी, ओएफबीए के मामले में देखा गया)।

च. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, प्रगतिरत पूंजीगत कार्य और विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ तथा उन पर मूल्यह्रास

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख के अनुसार संपत्तियों के जीवनकाल को ध्यान में रखते हुए 'संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण' परिसंपत्ति वर्ग के मामले में मूल्यह्रास का प्रावधान किया है। हालाँकि, चूँकि ये संपत्तियाँ नई नहीं हैं और समूह के निगमन से पहले सृजित/अधिग्रहित की गई थीं, इसलिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इन संपत्तियों का मूल्यह्रास शेष अनुमानित जीवनकाल पर किया जाना चाहिए था। अतः समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति भारतीय लेखा मानक–16 में निर्धारित पद्धति के अनुरूप नहीं है। तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर संपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल और अनुमानित अवशिष्ट मूल्य के विवरण के अभाव में, हम समेकित वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, समूह ने कुछ संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के लिए उपयोगी जीवन लागू किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अवधि से अधिक है। इस विचलन को प्रमाणित करने के लिए हमारे सत्यापन हेतु कोई पर्याप्त तकनीकी मूल्यांकन, औचित्य या सहायक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसे साक्ष्य के अभाव में, हम मूल्यह्रास व्यय, पीपीई की वहन राशि और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लाभ पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।
यह पाया गया कि वर्ष के दौरान समूह ने सड़कों के उपयोगी जीवन काल को 60 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करने की नीति बनाई थी।

हालाँकि, इकाई ने उपयोगी जीवन काल के साथ परिसंपत्ति का मूल्यह्रास किया है जो नीतियों के अनुरूप नहीं है।

(ओएफबीए और ओएफडीआर के मामले में देखा गया)।

इसके अलावा, ओएफएन में, लेखांकन प्रथाओं में विसंगतियाँ पाई गई क्योंकि एक ही श्रेणी के कंप्यूटर और हार्डवेयर के लिए दो अलग–अलग उपयोगी अवधियाँ लागू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 'भवन' के अंतर्गत ₹55.41 करोड़ का एक अज्ञात आरंभिक WIP, परिसंपत्तियों में दर्शाया गया है, जिसकी प्रकृति, पूर्णता का चरण और वर्गीकरण सहायक दस्तावेज़ों के अभाव में अप्रमाणित हैं। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 38 – अमूर्त संपत्ति का भी अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि इस अवधि के दौरान किसी भी अमूर्त संपत्ति पर कोई परिशोधन शुल्क नहीं लिया गया है।

इसके अलावा एएफके में यह भी बताया गया कि पुस्तकों और स्थिर संपत्ति रजिस्टर के अनुसार विभिन्न परिसंपत्ति श्रेणियों (भवन ₹43.80 करोड़, कंप्यूटर और हार्डवेयर ₹0.86 करोड़, फर्नीचर और फिक्सचर ₹0.002 करोड़, प्लांट और मशीनरी ₹43.82 करोड़, और वाहन – ₹1.40 करोड़) में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सकल मूल्यों के बीच ₹87.08 करोड़ की राशि का भौतिक अंतर नोट किया गया; लंबित सुलह और इन अंतरों के डब्ल्यूडीवी को ले जाने की जानकारी के अभाव में, वित्तीय विवरण के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखा मानक 36 – परिसंपत्तियों की क्षति के अंतर्गत, समूह को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या उसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्ति की क्षति हो सकती है। समूह ने ऐसा कोई क्षति परीक्षण नहीं किया है, न ही यह दर्शाने के लिए कोई सहायक तकनीकी आकलन प्रदान किया है कि वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं है। इसके अभाव में, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि क्या किसी ऐसी क्षति हानि को मान्यता दी जानी चाहिए थी, जो समेकित पीपीई के साथ–साथ समेकित अमूर्त परिसंपत्ति और समेकित वित्तीय विवरणों के वहन मूल्य को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकती है।

समेकित अमूर्त परिसंपत्ति का प्रकटीकरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रभाग II के अनुरूप नहीं है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

छ. इन्वेंटरी:

इकाइयों ने कच्चे माल की इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य (NRV) में से जो भी कम हो, उसके बजाय लागत पर किया है, जो कि IND AS-2 के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, कुछ इकाइयों में, प्रगति पर कार्य, अर्ध–तैयार माल (तैयार घटक), तैयार माल और स्क्रैप इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उसके बजाय लागत पर किया जाता है। जैसा कि कुछ इकाइयों के लेखा परीक्षकों ने बताया, यह पाया गया कि छठत को ध्यान में रखते हुए इन्वेंटरी मूल्यांकन पर धीमी और गैर–चलती इन्वेंटरी के लेखांकन प्रभाव का प्रबंधन द्वारा आकलन नहीं किया गया था और इसका मूल्यांकन सामान्य उपयोग में आने वाली इन्वेंटरी के आधार पर किया गया था।

लागत की गणना करते समय, कुछ इकाइयों में इन्वेंटरी की लागत निकालते समय विक्रय और प्रशासनिक व्यय जैसे गैर–उत्पादन उपरिव्यय भी शामिल किए जाते हैं, जो कि IND AS-2 के अनुरूप नहीं है। आवश्यक गणनाओं की अनुपलब्धता के कारण हम इसके प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

ज. कंपनी अधिनियम, 2013 का गैर–अनुपालन

जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36(बी)(ii) में दर्शाया गया है, होल्डिंग कंपनी, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कुछ आवश्यकताओं का गैर–अनुपालन किया गया है। होल्डिंग कंपनी के लेखा परीक्षकों ने निम्नलिखित रिपोर्ट दी है :

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अंतर्गत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। हालाँकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, इन समितियों की संरचना क्रमशः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2), 178(1) और 135 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी ने गैर–स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खत के खंड VII का अनुपालन नहीं किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड में एक महिला निदेशक रखने की आवश्यकता का भी अनुपालन नहीं किया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान समूह के निदेशक मंडल का विधिवत गठन नहीं किया गया था और कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का उचित संतुलन नहीं था।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ख

हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में शीर्षक 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत संदर्भित, आज की तारीख तक और हमारे द्वारा कवर की गई इकाइयों की लेखापरीक्षा और संबंधित इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्टों के विचारों के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

(i) (क)(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा यूनिट लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने 3 इकाइयों अर्थात एनएडीपी, ओएफवी और एएफके को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा यूनिट लेखा परीक्षकों के रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी 3 इकाइयों अर्थात एनएडीपी, ओएफवी, ओएफएन को छोड़कर अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख बनाए रख रही है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा यूनिट लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि नीचे उल्लिखित 4 यूनिटों को छोडकर प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गई तथा यदि कोई विसंगतियां हैं तो उनका लेखा पुस्तकों में उचित ढंग से निपटारा किया गया है।

इकाई का नाम	संबंधित इकाई लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
ओएफबीए, ओएफसीएच	इस अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया है। सत्यापन का एक कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, इकाई के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए अनुचित है।
एनएडीपी	इकाई ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया है। हालाँकि, हमें प्रस्तुत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अधूरी है क्योंकि हमें पाई गई विसंगतियों के पूर्ण विवरण और पुस्तकों में उनके लेखांकन उपचार की पुष्टि करने के लिए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
एएफके	इसके संचालन के आकार और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है। हालाँकि, इस सत्यापन में पाई गई भौतिक विसंगतियों का उचित समाधान नहीं किया गया है, और लेखा पुस्तकों में आवश्यक समायोजन/प्रभावों का उचित ढंग से निपटान नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा यूनिट लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि, नीचे दी गई 8 यूनिटों के संबंध में, वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं :

अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं क्योंकि सभी संपत्तियाँ रक्षा मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर 2021 के समझौता ज्ञापन के तहत पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा संचालित गतिविधियों को 7 नई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों (डीपीएसयू) को हस्तांतरित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप हस्तांतरित की गई थीं। यह कंपनी ऐसी ही एक डीपीएसयू है। हालाँकि, प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि कंपनी ने 'पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी भूमि को नए डीपीएसयू के नाम पर सौंपना' नामक हस्ताक्षरित दस्तावेज़ प्राप्त कर लिया है।

तालिका 1 – संबंधित इकाई लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में दी गई जानकारी :

इकाई का नाम	संपत्ति का विवरण	परिसंपत्तियों का सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	के नाम पर	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार, कर्मचारी	अवधि	प्रबंधन द्वारा दिए गए इकाई के नाम पर न रखे जाने का कारण
ओएफबीए	भूमि	0.26	रक्षा भारत	नहीं	एमआईएल की स्थापना के बाद से	चूंकि आयुध निर्माणी भंडारा, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड – एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की इकाई है, इसलिए अचल संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज केंद्र सरकार (रक्षा) के नाम पर है।
ओएफआई	भूमि	0.93	आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएँ), कोलकाता	लागू नहीं		जिला राजस्व कार्यालय की ओर से भूमि का हस्तांतरण लंबित है।
ओएफके	भूमि	0.08	आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएँ), कोलकाता	लागू नहीं	स्थापना कि तिथी से	जिला राजस्व कार्यालय की ओर से भूमि का हस्तांतरण लंबित है।

इकाई का नाम	संपत्ति का विवरण	परिसंपत्तियों का सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	के नाम पर	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार, कर्मचारी	अवधि	प्रबंधन द्वारा दिए गए इकाई के नाम पर न रखे जाने का कारण
ओएफबीएल	भूमि	5.02	1. 231.34 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पास 2. 93.12 एकड़ राजस्व विभाग ओडिशा के पास 3. 4206.96 एकड़ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय	नहीं	स्थापना की तिथि से	कंपनी के नाम पर उत्परिवर्तन / हस्तांतरण (टाइटल डीड) के लिए आवेदन करने की उचित प्रक्रिया, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आयुध निर्माणी बड़माल के नाम पर उत्परिवर्तन / हस्तांतरण (टाइटल डीड) के लिए मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही शुरू की जा सकती है, जो ओडिशा सरकार के राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यालयों के पास लंबित पूरी निजी भूमि और राजस्व भूमि के लिए है । यह उल्लेखनीय है कि पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग, भारत सरकार द्वारा 4206.96 एकड़ आरक्षित वन भूमि का केवल अनुमेय कब्जा ही आयुध निर्माणी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नाम पर बडमाल को दिया गया है । इसलिए, आरक्षित

इकाई का नाम	संपत्ति का विवरण	परिसंपत्तियों का सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	के नाम पर	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार, कर्मचारी	अवधि	प्रबंधन द्वारा दिए गए इकाई के नाम पर न रखे जाने का कारण
						वन भूमि के स्वामित्व विलेख को आयुध निर्माणी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नाम पर परिवर्तित/ हस्तांतरित नहीं किया जा सकता ।
एएफके	विस्फोटक भंडारण मैगजीन (126.873 एकड़)	राशि निश्चित नहीं है	निजी मालिक और भारत सरकार	नहीं	स्थापना की तिथि से	
ओएफसीएच	भूमि	0.09	रक्षा भारत	नहीं	एमआईएल की स्थापना के बाद से	चूंकि आयुध निर्माणी चांदा, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड - एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की शाखा है, इसलिए अचल संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज केंद्र सरकार (रक्षा) के नाम पर हैं ।
ओएफबी	अंदर की जमीन और इस्टेट में जमीन	0.89	भारत सरकार	नहीं	एमआईएल की स्थापना के बाद से	ओएफवी ने राजस्व अधिकारियों के समक्ष भारत सरकार/ओएफबी से नाम बदलकर म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड -ऑर्डनेंस फैक्ट्री वरणगांव करने का मामला उठाया है ।

इकाई का नाम	संपत्ति का विवरण	परिसंपत्तियों का सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	के नाम पर	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार, कर्मचारी	अवधि	प्रबंधन द्वारा दिए गए इकाई के नाम पर न रखे जाने का कारण
एनएडीपी	एनएडीपी अंबाझरी भवन अर्जुन हाउस हॉस्टल– I सारथ भवन अजय हाउस हॉस्टल– I, पीडीएफसी (व्यक्तित्व एवं विकास फिटनेस केंद्र) और विकास के लिए खुली भूमि	8.78	रक्षा भारत	नहीं	एमआईएल की स्थापना के बाद से	चूंकि एनएडीपी, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) की इकाई है, इसलिए अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख केंद्र सरकार (रक्षा) के नाम पर हैं।

(घ) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा यूनिट लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान संयंत्र, संपत्ति और उपकरण या अमूर्त संपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया। तदनुसार, कंपनी (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के पैराग्राफ 3(i)(घ) के अंतर्गत आवश्यकताएँ कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

(ई) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा यूनिट लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि कंपनी के विरुद्ध बेनामी संपत्ति लेनदेन प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(i)(ङ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(ii) (क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा इकाई लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि, नीचे दी गई 3 इकाई के मामले को छोड़कर, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है और प्रबंधन द्वारा ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है और इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगतियां नहीं देखी गई :

इकाई का नाम	संबंधित इकाई लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
ओएफसीएच और ओएफबीए	प्रबंधन ने इस अवधि के दौरान पारगमन में मौजूद माल और तृतीय पक्षों के पास पड़े स्टॉक को छोड़कर उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है । अवधि के अंत में तृतीय पक्षों के पास पड़े स्टॉक के लिए, प्रबंधन द्वारा लिखित पुष्टि प्राप्त नहीं की गई थी । हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन का कवरेज और प्रक्रिया अनुचित है ।
ओएफबी	प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूँजी सीमा स्वीकृत नहीं हुई है। हालाँकि, कंपनी को किसी बैंक से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की असुरक्षित कार्यशील पूँजी सीमा स्वीकृत हुई है । इसलिए, कंपनी द्वारा बैंक के साथ तिमाही रिटर्न या विवरण दाखिल करना लागू नहीं होता है । इसलिए, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है ।

(iii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा यूनिट लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और रिपोर्टों के आधार पर, इस अवधि के दौरान, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों या किसी अन्य पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण के रूप में कोई अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं किया है । इसलिए, उक्त आदेश के खंड (iii)(क), (iii)(ख), (iii)(ग), (iii)(घ), (iii)(ड़) और (iii)(च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है ।

(iv) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा यूनिट लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अंतर्गत आने वाले पक्षों को कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है । इसलिए, उक्त आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(v) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा यूनिट लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अर्थ के अंतर्गत जनता से कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है, जो अधिसूचित सीमा तक जमा मानी जाती है ।

(vi) वर्ष के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित किया है । 27 सितंबर, 2024 की वित्तीय वर्ष 2023-24 की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट उचित लागत रिकॉर्ड इकाई द्वारा बनाए रखे जाते हैं ।

(vii) (क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा इकाई लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि नीचे उल्लिखित 2 इकाइयों को छोड़कर कंपनी सामान्यतः निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया राशि, जैसा भी लागू हो, उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है । 31 मार्च, 2025 तक, देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई भी वैधानिक बकाया राशि बकाया नहीं है ।

इकाई का नाम	संबंधित इकाई लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
ओएफबी	हमने पाया कि शाखा ने वर्ष के दौरान कुछ बिक्री पर जीएसटी देयता का उचित रूप से निर्वहन नहीं किया है । इस तरह के गैर–अनुपालन की सीमा और संबंधित प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका क्योंकि आवश्यक समाधान एवं दस्तावेज़ हमें उपलब्ध नहीं कराए गए थे ।
ओएफएन	बिहार लघु खनिज समनुदेशन नियमावली, **1972** के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा अपेक्षित किसी भी निर्माण अनुबंध में रॉयल्टी कटौती नहीं की गई है ।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक उप–खंड (क) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया राशि का विवरण, जो हमारे और अन्य इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित इकाइयों में रिपोर्ट किए गए विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, निम्नानुसार है :

इकाई का नाम	कानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	मात्रा (करोड रुपए में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
ओएफसीएच	जीएसटी विभाग, महाराष्ट्र	जीएसटी व्यवस्था में ट्रान–I फॉर्म में दावा किया गया अतिरिक्त सेनवैट क्रेडिट	0.28	वित्तीय वर्ष 2017-2018	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।
ओएफसीएच	जीएसटी विभाग, महाराष्ट्र	जीएसटीआर 3बी में दावा किया गया अतिरिक्त आईटीसी जिसकी पुष्टि 2ए आदि में नहीं की गई है।	3.24	वित्तीय वर्ष 2017-2018	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।
ओएफसीएच	जीएसटी विभाग, महाराष्ट्र	आईटीसी बेमेल आदि	0.00	वित्तीय वर्ष 2019-2020	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।

इकाई का नाम	कानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	मात्रा (करोड रुपए में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
ओएफसीएच	जीएसटी विभाग, महाराष्ट्र	आईटीसी बेमेल आदि	5.14	वित्तीय वर्ष 2020-2021	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।
ओएफसीएच	जीएसटी विभाग, महाराष्ट्र	आईटीसी बेमेल आदि	105.07	वित्तीय वर्ष 2021-2022	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।
ओएफबीए	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	8.98	01.06.2015 से 30.06.2017 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
एचईपीएफ	जीएसटी अधिनियम, 2017	मूल्यांकन आदेश और जीएसटी डीआरसी-07	2.22	वित्तीय वर्ष 2019-2020	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।
एचईपीएफ	जीएसटी अधिनियम, 2017	मूल्यांकन आदेश और जीएसटी डीआरसी-07	3.90	वित्तीय वर्ष 2019-2020	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।
एचईपीएफ	जीएसटी अधिनियम, 2017	मूल्यांकन आदेश और जीएसटी डीआरसी-07	0.24	वित्तीय वर्ष 2020-2021	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।
एचईपीएफ	जीएसटी अधिनियम, 2017	मूल्यांकन आदेश और जीएसटी डीआरसी-07	5.37	वित्तीय वर्ष 2021-2022	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।
एचईपीएफ	जीएसटी अधिनियम, 2017	मूल्यांकन आदेश और जीएसटी डीआरसी-07	0.14	वित्तीय वर्ष 2017-2018	राज्य कर उपायुक्त का जीएसटी कार्यालय।
एचईएफ	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम 2017	कर, ब्याज और जुर्माना	1.35	वित्तीय वर्ष 2019-2020	संयुक्त आयुक्त (अपील), पुणे

इकाई का नाम	कानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	मात्रा (करोड रुपए में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
एचईएफ	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम 2017	कर, ब्याज और जुर्माना	0.97	वित्तीय वर्ष 2021-2022	उप आयुक्त
एचईएफ	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम 2017	कर, ब्याज और जुर्माना	0.33	वित्तीय वर्ष 2022-2023	उप आयुक्त

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांची गई खाता–बही और अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या खुलासा नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(viii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा यूनिट लेखा परीक्षकों के अभिलेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण और उधारी के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ (ix) (क) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा यूनिट लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा यूनिट लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा यूनिट लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी ने अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है जिसका उपयोग दीर्घावधि आधार पर किया गया हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और सहयोगी कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(ई) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है क्योंकि इसका कोई संयुक्त उद्यम या सहयोगी नहीं है और इसकी सहायक कंपनियाँ धारा 8 के अंतर्गत आती हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक निर्गम, अग्रिम सार्वजनिक निर्गम (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्णतः या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमें प्रस्तुत यूनिट लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, हमने और यूनिट लेखापरीक्षकों ने वर्ष के दौरान कंपनी या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई भी मामला न तो देखा है और न ही रिपोर्ट किया है, और न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रपत्र ADT-4 में रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(xii) हमारी राय में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेन-देन, जहाँ लागू हो, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पक्ष लेन-देन के संबंध में IND AS 24 के तहत आवश्यक विस्तृत प्रकटीकरणों से छूट प्राप्त की है। अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट संबंधित पक्ष प्रकटीकरण, संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित, से छूट प्राप्त की है। आवश्यक प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 37 में किए गए हैं।

(xiv) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा यूनिट लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि, नीचे दी गई 4 इकाइयों को छोड़कर, कंपनी के पास इकाई स्तर पर आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जो कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

इकाईवार अवलोकन नीचे दिए गए हैं :

इकाई का नाम	संबंधित इकाई लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
ओएफबीए, सीएफए, एनएडीपी, एचईपीएफ,	इकाई के लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, उनकी राय है कि इकाई के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है ।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा यूनिट लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि, 4 इकाइयों को छोड़कर, लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया गया ।

इकाई का नाम	संबंधित इकाई लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
सीएफए और ओएफबीएल	उक्त पैरा को लेखा परीक्षकों द्वारा जारी उअठज में शामिल नहीं किया गया है ।
ओएफएन	कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रगति पर है । तदनुसार, हमने अपनी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर केवल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त अवधि तक ही विचार किया है ।
एचईपीएफ	आंतरिक लेखापरीक्षा के समय लेखा पुस्तकें पूरी नहीं की गई थीं, जिसके कारण रिपोर्ट में कमी की उचित सीमा को शामिल नहीं किया जा सका ।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और यूनिट लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेन–देन नहीं किया है । तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते ।

(xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है । तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।
(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं । इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है ।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं के अनुसार, कंपनी कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित किया गया है, इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(घ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है ।

(xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष और उसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया है, इसलिए आदेश के खंड 3(xviii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा यूनिट लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की एजिंग और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर और इसके अलावा यह भी ध्यान में रखते हुए कि कंपनी रक्षा क्षेत्र में एक सरकारी कंपनी है, केंद्र सरकार द्वारा सक्रिय इक्विटी भागीदारी और यूनिट लेखापरीक्षकों द्वारा जारी उअठज रिपोर्टों के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हम आगे बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा देय होने पर चुका दिया जाएगा।

इकाई का नाम	**संबंधित इकाई लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ**
एचईएफ, एएफके और ओएफडीआर	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्ययों के गलत समूहीकरण के कारण हम वित्तीय अनुपातों पर टिप्पणी नहीं कर पाएँगे। बैंक शेष और अंतर–इकाई शेष को छोड़कर, सभी चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए शेष राशि की पुष्टि उपलब्ध न होने के कारण, हम वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, और वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(xx) (क) कंपनी ने अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत 'चालू परियोजनाओं के अलावा' के संबंध में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अव्ययित राशि को हमारी रिपोर्ट की तिथि तक अधिनियम की अनुसूची तखख में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दिया है। साथ ही, इस तरह के हस्तांतरण की समयावधि, अर्थात अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने, हमारी रिपोर्ट की तिथि तक वित्त वर्ष 22-23 के लिए बीत चुके हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं :

सीएसआर निधि में हस्तांतरित चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य से संबंधित अव्ययित राशि का विवरण :

	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
क्र.सं.	प्रासंगिक वित्तीय वर्ष	''चालू परियोजनाओं के अलावा'' सीएसआर गतिविधियों पर खर्च के लिए चिन्हित राशि	(ख) की अप्रयुक्त राशि	अधिनियम में निर्दिष्ट निधि में अनुसूची VII में स्थानांतरित राशि	निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की नियत तिथि	निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की वास्तविक तिथि	विलंब के दिनों की संख्या (ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक)
1	2022-23	0.03	0.03	0	30-09-2023	लागू नहीं	517
2	2022-23	0.70	0.70	0.70	30-09-2023	26-09-2024	362
3	2023-24	0.35	0.35	0.35	30-09-2024	26-09-2024	0

(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, चालू परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि को उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है ।

विशेष खाते में स्थानांतरित चल रही परियोजनाओं से संबंधित अव्ययित राशि का विवरण :

	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
क्र.सं.	प्रासंगिक वित्तीय वर्ष	''चालू परियोजनाओं'' के लिए सीएसआर गतिविधियों पर व्यय हेतू चिन्हित राशि	(ख) की अप्रयुक्त राशि	धारा 135(6) के तहत विशेष खाते में स्थानांतरित की गई राशि	खाते में स्थानांतरण की नियत तिथि	खाते में स्थानांतरण की वास्तविक तिथि	विलंब के दिनों की संख्या, यदि कोई हो
1	2022-23	0.52	0.15	0.15	30-04-2023	21-04-2023	0
2	2023-24	1.42	1.18	1.18	30-04-2024	30-04-2024	0
3	2024-25	7.03	6.14	6.14	30-04-2025	17-06-2025	48

(xxi) आदेश के खंड 3(xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं होती है। तदनुसार, इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

बोरकर एवं मुजुमदार की ओर से

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 101569W

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592
UDIN: 25048592BMMLLJ3696
दिनांक: 19 अगस्त, 2025
स्थान: पुणे

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ग

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 2(छ) में उल्लिखित:

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमें 31 मार्च, 2025 तक म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') (जिसमें मुख्यालय और पंद्रह इकाइयाँ शामिल हैं) के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण के साथ-साथ किया गया था।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित, इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किए गए हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित है, जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होता है, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं।

नीचे दिए गए 'प्रतिकूल राय का आधार' पैराग्राफ में वर्णित मामलों के कारण, कंपनी ने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नहीं बनाए रखा है और मौजूदा नियंत्रण भी बैलेंस शीट की तिथि तक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे थे। तदनुसार, हमारी राय में, नियंत्रण (डिज़ाइन, संचालित या कार्यान्वित) वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयानों को समय पर रोकने, पता लगाने और सुधारने में असमर्थ हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियाँ और

प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन–देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

प्रतिकूल राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2025 तक निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमज़ोरियों की पहचान की गई है :

1. इन्वेंटरी:

कंपनी इन्वेंटरी के मात्रात्मक रिकॉर्ड के लिए इन्वेंटरी मॉड्यूल (फॉक्सप्रो) का उपयोग करती है, लेकिन भौतिक सत्यापन के दौरान विसंगतियाँ पाए जाने पर इसे अद्यतन नहीं किया जाता है, जिससे उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभाव होता है। इसके अलावा, यह मॉड्यूल लेखा प्रणाली के साथ भी एकीकृत नहीं है और इससे भौतिक इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मॉड्यूल में इन्वेंटरी रिकॉर्ड और टैली प्राइम में रखे गए वित्तीय रिकॉर्ड के बीच विसंगतियाँ हो सकती हैं।

2. बिक्री:

कंपनी की नॉमिनल वाउचर जारी करने की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है क्योंकि नॉमिनल मूल्य पर जारी किए गए माल का तुरंत रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री का गलत रिकॉर्ड होता है। कई बार, तत्काल आवश्यकताओं के आधार पर नॉमिनल वाउचर के आधार पर माल नॉमिनल मूल्य पर जारी किया जाता है और बिक्री प्रविष्टि को मूल्य के साथ दर्ज करके निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे नियमित नहीं किया जाता है, जिससे गलत बिक्री लेखांकन और जीएसटी नियमों का अनुपालन नहीं होता है। इसके अलावा, नॉमिनल वाउचर सिस्टम द्वारा जनरेट नहीं किए जाते हैं और ऐसा कोई समाधान उपलब्ध नहीं है जो यह सुनिश्चित कर सके कि नॉमिनल वाउचर पर जारी किए गए सभी माल बिक्री के रूप में सही ढंग से दर्ज किए गए हैं।

इसके अलावा, ये वाउचर लेखांकन प्रणाली के साथ भी एकीकृत नहीं हैं।

3. मुख्य लेखांकन सॉफ़्टवेयर के साथ विभिन्न प्रणालियों का गैर–एकीकरण :

इकाई अपने वित्तीय लेन–देन रिकॉर्ड करने के लिए अपने लेखांकन सॉफ़्टवेयर के रूप में 'टैली प्राइम–एडिट लॉग' का उपयोग करती है । इकाइयाँ रिपोर्टिंग और डाटा संग्रह के लिए पीपीसी, इन्वेंट्री के मूल्यांकन के लिए फॉक्सप्रो और पेरोल के लिए इन्फॉर्मिक्स का भी उपयोग करती हैं । हालाँकि, टैली प्राइम, पीपीसी, फॉक्सप्रो और इन्फॉर्मिक्स को एकीकृत नहीं किया गया है । इस प्रकार, मैन्युअल हस्तक्षेप होता है जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन डाटा में त्रुटियाँ/चूक हो सकती हैं । लेन–देन से संबंधित निर्माता और परीक्षक अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में कोई स्वचालित नियंत्रण नहीं हैं । दस्तावेज़ी साक्ष्य के अभाव में प्रबंधन मैन्युअल निर्माता परीक्षक का प्रदर्शन करने में असमर्थ है । इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि मैन्युअल नियंत्रण डिज़ाइन के अनुसार संचालित हुआ ।

इकाई ने लेखांकन सॉफ़्टवेयर का संचालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अलग और विशिष्ट उपयोगकर्ता आईडी प्रदान करने की प्रणाली लागू नहीं की है । इसके बजाय, इकाई को उपयोगकर्ता आईडी का एक सीमित सेट निर्दिष्ट किया गया है, जिसे कई कर्मचारी एक–दूसरे के स्थान पर एक्सेस करते हैं । यह प्रथा नियंत्रण वातावरण को काफी कमजोर करती है क्योंकि यह विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लेखांकन रिकॉर्ड में पहचान और विशेषता परिवर्तनों की अनुमति नहीं देती है । व्यक्तिगत उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण के अभाव में, लेखा–बही में प्रविष्टियों या संशोधनों का स्रोत निर्धारित करना कठिन हो जाता है जिससे अनधिकृत या त्रुटिपूर्ण परिवर्तनों का पता न चल पाने का जोखिम बढ़ जाता है । इस तरह की प्रथा ऑडिट ट्रेल की विश्वसनीयता को कमज़ोर करती है ।

4. प्राप्त अग्रिमों का समाधान न होना :

यह देखा गया कि प्राप्त/भुगतान किए गए अग्रिमों का उचित हिसाब–किताब नहीं है और उन्हें आवंटन के माध्यम से संबंधित इकाइयों को हस्तांतरित करने और 26AS में टीडीएस शेष सहित उनका समय पर समाधान न करने के परिणामस्वरूप मुख्यालय स्तर पर अग्रिमों का समाधान नहीं हो पाता है, जिसके परिणामस्वरूप देनदारों/लेनदारों के शेष गलत हो जाते हैं, जो कमज़ोर नियंत्रण को दर्शाता है ।

'भौतिक कमज़ोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी या कमियों का एक संयोजन है, जिससे इस बात की उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में किसी भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा ।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरियों के संभावित प्रभावों के कारण, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नहीं बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था ।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2025 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू किए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय उक्त पहचानी गई और बताई गई महत्वपूर्ण कमज़ोरियों पर विचार किया है और ये महत्वपूर्ण कमज़ोरियाँ कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं ।

बोरकर एवं मुजुमदार की ओर से

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 101569W

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592
UDIN: 25048592BMMLLJ3696
दिनांक: 19 अगस्त, 2025
स्थान: पुणे

अनुलग्नक-घ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के खातों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों / उप-निर्देशों पर रिपोर्ट।

अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, तथा कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम उक्त निर्देशों में निर्दिष्टमामलों पर एक वक्तव्य देते हैं।

यह रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त 11-इकाई और सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा जारी रिपोर्टों पर आधारित एक समेकित रिपोर्ट है और 4 इकाइयों और मुख्यालय के संचालन को हमारे द्वारा, बोरकर और मुजुमदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है। इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई नियमित प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अलावा अन्य विसंगतियों का उल्लेख उक्त खंड में अलग से प्रकट किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत मेसर्स म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) के लिए निर्देश जारी किए गए

	दिशा-निर्देश	प्रतिक्रिया
	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देश	
●	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और अउद्धृत, दोनों का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, इंडस्ट्रिज (एएस) के साथ संगति सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन पद्धति, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा, और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट करेगा।	सेवानिवृत्ति के पश्चात के लाभों के संबंध में एमआईएल के पास कोई उद्धृत या अउद्धृत निवेश नहीं है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 37 क के अनुसार, सभी कर्मचारियों (समूह क, ख एवं ग) को 01.10.2021 से 2 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) से एमआईएल में मानित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित किया गया है। पत्र संख्या : 1(5)/2023/ ईजीओएम/मान्य प्रतिनियुक्ति/ ओएफ/डीपी(एम एंड पी) दिनांक 09.09.2024 द्वारा इसे 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(5)/2021/ ओएफ/डीपी(योजना-V)/02 दिनांक 24/09/2021 के अनुसार, सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों का वहन रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा स्थापित क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से सरकार द्वारा किया जाएगा। **मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मामलों पर जोर के तहत भी इसकी सूचना दी गई है**

		हमें यह भी बताया गया कि कंपनी ने केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान किया है जो कंपनी के पे रोल पर हैं। लेखापरीक्षा के दौरान हमने इसकी पुष्टि की है।
●	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन–देन को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की कोई प्रणाली है ? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेन–देनों के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जाए।	हाँ, कंपनी अपने वित्तीय लेन–देन रिकॉर्ड करने के लिए अपने मुख्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में 'टैली प्राइम–एडिट लॉग' का उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपने अकाउंटिंग लेनदेन को पीपीसी, इनफॉर्मिक्स और फॉक्सप्रो जैसे अन्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी संसाधित करती है। हालाँकि, टैली प्राइम, पीपीसी, इनफॉर्मिक्स और फॉक्सप्रो को एकीकृत नहीं किया गया है। गैर–एकीकरण और कमजोर नियंत्रण के कारण वित्तीय निहितार्थ इस प्रकार हैं : * मैन्युअल हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप लेखांकन डाटा में त्रुटियाँ/चूक हो सकती हैं। * लेन–देन से संबंधित निर्माता और परीक्षक की मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में कोई स्वचालित नियंत्रण नहीं है। इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि डाटा ऐसे सॉफ़्टवेयर में रखा जाता है जो एकीकृत नहीं हैं। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी रिपोर्ट में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है।
●	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखा–जोखा लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त धनराशि का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया था ? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखा–जोखा अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है ? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी को केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई धनराशि (अनुदान / सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं हुई है।

●	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है ? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है ?	जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी ने ऋण जोखिम, तरलता जोखिम और बाज़ार जोखिम को अपने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों के रूप में पहचाना है, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 34 में बताया गया है। हालाँकि, कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई औपचारिक नीति नहीं बनाई है।
●	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, तथा SEBI, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियमितता प्राधिकरण, CERT-IN, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है, जहाँ भी लागू हो? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जाए।	हमें सूचित किया गया कि निम्नलिखित संस्थानों द्वारा लागू नियम और विनियम म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड पर लागू नहीं होते हैं – 1. SEBI 2. भारतीय दूरसंचार नियमितता प्राधिकरण 3. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 4. भारतीय रिजर्व बैंक कंपनी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की आवश्यकताओं के अनुपालन की समीक्षा के लिए एक सचिवीय ऑडिट कराया है। नियमों और विनियमों के अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए अनुपालन के साक्ष्य के लिए कोई विशिष्ट रजिस्टर या रिकॉर्ड नहीं है, निम्नलिखित संस्थानों के लिए अनुपालन जांच से संबंधित कोई औपचारिक रजिस्टर नहीं रखा गया है – 1. CERT-IN 2. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 3. निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। हालाँकि, हमें सूचित किया गया है कि सभी आवश्यक निर्देशों और आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।
	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अतिरिक्त निर्देश	
●	क्या पूर्ववर्ती ओएफबी से हस्तांतरण की तिथि (नियत तिथि) पर परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्थानांतरण, जो 31 मार्च 2024 तक अधूरा रहा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूरा हो गया है ? यदि कोई विचलन है, तो उसके कारण, विचलन की प्रकृति और वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, निगमीकरण के समय अर्थात 01/10/2021 को सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्थानांतरण हो चुका है और भूमि से संबंधित स्वामित्व विलेखों को छोड़कर, जो अभी भी प्रक्रियाधीन हैं, इकाइयों/कंपनी के नाम पर हस्तांतरित न की गई कोई भी वस्तु शेष नहीं बची है। CARO रिपोर्ट के बिंदु संख्या (i)(c) में दी गई तालिका देखें। इमारतें जो निगमीकरण के समय हस्तांतरित की गई तथा अचल

		संपत्ति रजिस्टर में दर्ज इमारतें उस भूमि पर बनी हैं जिसके लिए स्वामित्व विलेख हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। जब तक म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई विचलन है और इसका वित्तीय विवरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
●	क्या कंपनी ने वर्ष के अंत में इंटर-कंपनी /इंट्रा कंपनी शेषों से संबंधित समाधान प्रक्रिया अपनाई है ? क्या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से वर्ष के अंत में उन्हें देय/देय शेषों की पुष्टि प्राप्त कर ली गई है ? यदि कोई शेष राशि शेष है, तो उसका कारण और साथ ही असमाधान न की गई राशि का उल्लेख किया जाए।	प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि – 1. सभी इंट्रा एमआईएल शेष राशि का 31/03/2025 तक मिलान किया गया है। 2. अंतर-डीपीएसयू शेषों के संबंध में, सभी लेज़र शेष पुष्किरण अनुरोध संबंधित डीपीएसयू की संबंधित इकाइयों को भेजे गए हैं, जिनका अधिकांश मामलों में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। हालाँकि, कुछ डीपीएसयू से लेज़र एक्सट्रैक्ट प्राप्त हुए हैं और पुराने आरंभिक शेषों में अंतर देखा गया है, जिसके लिए समाधान प्रक्रिया जारी है। मुख्य रिपोर्ट में हमारी योग्यता का संदर्भ लें।
●	क्या कंपनी या उसकी इकाइयों के पास वित्तीय विवरणों में उल्लिखित भूमि का स्पष्ट स्वामित्व और कब्ज़ा है ? अतिक्रमण और/या विवाद (यदि कोई हो) के अंतर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल बताएँ।	प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर दिए गए मुद्दे में बताया गया है कि भूमि से संबंधित अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख अभी भी प्रक्रियाधीन हैं। CARO रिपोर्ट के मुद्दा संख्या (i)(c) में दी गई तालिका देखें। प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर अतिक्रमण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है – **गोला बारूद फैक्टरी खड़की, पुणे** (i) रेंजहिल्स इस्टेट, खड़की के 101 दुकानदार – 31.03.2012 को लीज़ करार की समाप्ति के पश्चात भी 101 दुकानदारों ने परिसर खाली नहीं किया है। यह मामला माननीय जिला उच्च न्यायालय, पुणे में आरसीए संख्या 762/2012, सिविल एमए संख्या 1260/2018, एमसीए संख्या 324/2018, 99/2022, सिविल अपील (सीए) संख्या 01/2023, सिविल अपील पीपीई संख्या 18/2023 से 39/2023 के तहत विचाराधीन है। (ii) श्री चंद्रकांत बाबूराव भोसले, जो गोला-बारूद निर्माणी कॉरपरेट, खड़की, पुणे के एक कर्मचारी हैं एवं 'चौकीदार' के पद

		पर कार्यरत हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वेंट क्वार्टर खाली करना आवश्यक था। लेकिन उन्होंने माननीय जिला न्यायालय, पुणे में मामला दायर किया और मामला संख्या आरसीएस 539/2021 और आरसीएस 196/2022 दर्ज किया। सर्वेंट क्वार्टर का क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। (iii) अनधिकृत संरचना – मई 2012 में रेंजहिल्स इस्टेट में 'डी' टाइप क्वार्टर के ब्लॉक संख्या 30 के पास 378 वर्ग फुट क्षेत्रफल में एक अनधिकृत संरचना (बुद्ध विहार) बनाई गई थी। एमआईएल के अंतर्गत आने वाली एक इकाई, एएफके ने प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई। हालाँकि, जेएमएफसी अदालत खड़की ने 01.08.2013 के आदेश द्वारा आरसीएस संख्या 236/2012 में अभियुक्तों को बरी कर दिया। इस संबंध में, 2012 में संरचना को ध्वस्त करने के प्रयासों को गंभीर कानून–व्यवस्था की समस्या के कारण स्थगित रखना पड़ा था। मामले की संवेदनशीलता और प्रकृति को देखते हुए, और एक पूजा स्थल होने के कारण, एएफके द्वारा अब तक कोई कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई गई है। (iv) जीएलआर सर्वेक्षण संख्या 265–बी में स्थित तीन मंदिरों का सर्वेक्षण किया गया है और माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका 77/2006 और डब्ल्यूपी 5971/2011 में रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आयुध निर्माणी वरणगांव, जिला–जलगांव एमआईएल–ओएफवी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। हालाँकि, 2.248 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है, जिसे पहले ही डीओओ (सी एंड एस) कोलकाता को हस्तांतरित कर दिया गया है। ओएफ स्कूलों, ओएफ अस्पतालों और चिन्हित अतिरिक्त भूमि की परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण हेतु बोर्ड कार्यवाही की सिफारिश के अनुसार: 'ओएफवी को अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।'

●	क्या कंपनी की मूल्य निर्धारण नीति उत्पादन की सभी स्थिर और परिवर्तनीय लागत के साथ-साथ ओवरहेड्स के आवंटन को भी अवशोषित करती है ?	हां, कंपनी ने 16-09-2022 को एक मूल्य निर्धारण नीति तैयार की है जो उत्पादन की सभी स्थिर और परिवर्तनीय लागत के साथ-साथ आवंटनीय ओवरहेड्स को अवशोषित करने की रूपरेखा प्रदान करती है।
●	उप-उत्पादों और तैयार उत्पादों की व्यवस्था क्या है? इसकी घोषित नीति से विचलन के मामलों की सूची बनाइए।	हमें बताया गया कि कंपनी की उत्पादन प्रक्रिया में कोई उप-उत्पाद उत्पन्न नहीं होता। अंतिम उत्पाद के साथ केवल अपशिष्ट पदार्थ ही उत्पन्न होता है। ऐसे अपशिष्ट उत्पाद का निपटान एमआईएल की निपटान नीति के अनुसार किया जाता है। * सभी इकाइयां एमएसटीसी के माध्यम से अपशिष्ट निपटान की एक ही प्रक्रिया का पालन कर रही हैं। * हां, सभी प्रणालियां नीति के अनुरूप हैं और आईएसओ 9001 द्वारा ऑडिट की गई हैं।
●	क्या कंपनी के पास भौतिक सत्यापन, स्टॉक/इन्वेंट्री के मूल्यांकन, नॉन-मूविंग वस्तुओं के समाधान और भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई कमी/अधिकता के प्रभाव का लेखा-जोखा रखने के लिए प्रभावी प्रणाली है ?	कंपनी के पास कुल मिलाकर इन्वेंट्री/स्टॉक के भौतिक सत्यापन की एक प्रभावी प्रणाली है और प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि एमआईएल इकाइयों में अनुपयोगी, नॉन-मूविंग और स्लो-मूविंग वस्तुओं के लिए प्रावधान किया गया है। तदनुसार, लेखा पुस्तकों और वित्तीय विवरणों में लेखांकन प्रभाव लिया गया है। इसके अलावा, लेखा पुस्तकों में कमी/अधिकता के प्रभाव को उचित रूप से दर्शाया गया है। इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन के प्रभाव को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है। इन्वेंट्री के मूल्य से संबंधित मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हमारी योग्यता देखें।
●	क्या कंपनी ने सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/एसपीवी आदि में, यदि कोई हो, के सभी निवेशों के संबंध में स्वामित्व (शेयर प्रमाणपत्र) प्राप्त कर लिया है -	कंपनी ने एक धारा 8 कंपनी बनाई है जो 100% सहायक कंपनी है। हालाँकि, एक धारा 8 कंपनी होने के नाते, यह गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है और इसलिए इसमें शेयरों के रूप में कोई निवेश नहीं है। कंपनी ने किसी अन्य सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/एसपीवी में निवेश नहीं किया है।

बोरकर एवं मुजुमदार की ओर से

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 101569W

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592
UDIN: 25048592BMMLLJ3696
दिनांक: 19 अगस्त, 2025
स्थान: पुणे

गोपनीय/स्पीड पोस्ट

संख्या/00/टी–459/एमआईएल/लेखा/2025-26 दिनांक: 29/09/2025

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (आयुध निर्माणियां) का कार्यालय, कोलकाता
'आयुध भवन',
10/ए, शहीद खुदीराम बोस रोड (पूर्वी विंग, 8वीं मंजिल)
कोलकाता–700 001

सेवा में,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
मेसर्स म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड, पुणे

विषय : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत टिप्पणियाँ ।

महोदय,

मुझे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत मेसर्स म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड, पुणे के 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के एकल (Standalone) और समेकित (Consolidated) वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

संलग्न:– यथोक्त ।

भवदीय

(सुधा राजन)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (आयुध निर्माणियां), कोलकाता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड, पुणे के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड, पुणे के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक (Statutory Auditor) अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा (Independent Audit) के आधार पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार होनी चाहिए। यह बताया गया है कि उन्होंने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 19 अगस्त 2025 के माध्यम से यह कार्य पूरा कर लिया है।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत मैसर्स म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड, पुणे के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा (Supplementary Audit) आयोजित की है। इस अनुपूरक लेखा परीक्षा को वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं:

ख. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

बैलेंस शीट
संपत्ति
गैर–वर्तमान संपत्ति
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण – ₹3387.06 करोड़

1. ₹3387.06 करोड़ की इस राशि में एमआईएल की दो अलग–अलग इकाइयों – एनएडीपी (13.60 एकड़)** और एचईपीएफ (882.34 एकड़) के तहत भूमि का विवरण शामिल नहीं है, जिसे ऐतिहासिक 'शून्य' मूल्य पर रखा गया है। एनएडीपी और एचईपीएफ की भूमि का 'नोट 40 (ग) अन्य विनियामक जानकारी' के तहत गैर–प्रकटीकरण Ind AS 1 के अनुरूप नहीं था।

बैलेंस शीट
संपत्ति
वर्तमान संपत्ति
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण – ₹4206.67 करोड़

2. इस राशि में ₹23.32 करोड़ का मूल्य शामिल है, जो स्टॉक सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 12 अप्रैल 2025 (15 अप्रैल 2025 को हस्ताक्षरित) के अनुसार 31 मार्च 2025 को भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं थी (26 वस्तुओं की इन्वेंटरी)। हालांकि, कंपनी इस महत्वपूर्ण विसंगति का खुलासा करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप ₹23.32 करोड़ की इन्वेंटरी की स्थिति का अपर्याप्त प्रकटीकरण हुआ है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(सुधा राजन)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा ((आयुध निर्माणियां), कोलकाता

स्थान – कोलकाता
दिनांक:– 29 सितंबर 2025

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट
(सभी राशियाँ करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

	नोट	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
संपत्ति	–		-
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति	–		-
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	4 (क)	3,387.06	3,363.16
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4 (ख)	2,219.23	1,616.39
अमूर्त संपत्ति	4 (ग)	46.01	62.70
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	4 (घ)	179.35	100.99
वित्तीय पूंजी			
– निवेश	5	0.80	0.80
अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति	6	12.29	40.51
कुल गैर – मौजूदा संपत्तियां		**5,844.73**	**5,184.55**
वर्तमान संपत्ति			
सूची	7	4,206.67	4,523.11
वित्तीय पूंजी			
(क) व्यापार प्राप्य	8	1,437.89	1,437.71
(ख) नकद और नकद समकक्ष	9	6,144.76	3,500.32
(ग) उपरोक्त (ख) के अलावा अन्य बैंक शेष	10	-	221.00
(घ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	315.71	130.87
अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	1,150.54	1,402.51
कुल मौजूदा संपत्तियां		**13,255.56**	**11,215.52**
कुल संपत्ति		**19,100.29**	**16,400.07**
इक्विटी और देयता			
इक्विटी शेयर पूंजी	13	35,645.36	34,314.66
व्यवसाय पुनर्गठन पर इक्विटी शेयर जारी करने की प्रक्रिया लंबित	13	-	5.25
शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	13	490.83	1,070.83
अन्य इक्विटी	14	(25,931.48)	(26,771.34)
कुल इक्विटी		**10,204.71**	**8,619.40**

देयताएं			
गैर मौजूदा देनदारियां			
वित्तीय देनदारियाँ			
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	15	4.80	6.97
गैर–वर्तमान प्रावधान	16	2,692.11	2,783.90
आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	17	198.45	141.78
कुल गैर–वर्तमान देनदारियाँ		**2,895.36**	**2,932.65**
वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियाँ			
(क) व्यापार देयताएं	18		
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		91.45	57.78
(ii) उपरोक्त (क)(ळ) के अलावा कुल बकाया राशि		1,295.02	1,099.99
(ख) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	19	390.02	292.80
अन्य वर्तमान देनदारियां	20	3,806.59	3,108.82
प्रावधानों	21	193.43	267.43
वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	22	223.71	21.19
कुल वर्तमान दायित्व		**6,000.22**	**4,848.01**
कुल देनदारियों		**8,895.58**	**7,780.66**
कुल शेयर और देनदारियां		**19,100.29**	**16,400.07**

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं। 1 to 40

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट संलग्न है।

बोरकर और मुजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
फर्म पंजीकरण संख्या: 101569W

के निदेशक मंडल की ओर से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592

संजय हज़ारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11089196

प्रकाश अग्रवाल
निदेशक वित्त एवं मु.वि.अधिकारी
डीआईएन: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक – 19/08/2025

पुणे
दिनांक – 19/08/2025

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण
(सभी राशियाँ करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

	नोट	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025 को	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024 को
परिचालन से राजस्व	23	8,214.10	7,221.58
अन्य आय	24	435.03	313.04
कुल आय		**8,649.14**	**7,534.62**
खर्च			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	3,453.68	3,509.98
कार्य-प्रगति और तैयार माल की सूची में परिवर्तन	26	315.45	191.57
कर्मचारी लाभ व्यय	27	2,356.71	2,161.34
वित्तीय लागत	28	4.05	2.16
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	198.16	183.19
अन्य खर्चों	30	1,041.59	897.31
कुल व्यय		**7,369.63**	**6,945.56**
असाधारण वस्तु से पहले लाभ		**1,279.51**	**589.06**
असाधारण वस्तुएँ	31	7.02	161.53
कर से पहले का लाभ		**1,286.52**	**750.60**
आयकर व्यय			
- वर्तमान कर	32	390.00	64.00
- आस्थगित कर	32	56.67	127.81
कुल कर व्यय		**446.67**	**191.81**
कर के बाद लाभ		**839.86**	**558.78**
अन्य व्यापक आय		-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर के बाद		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**839.86**	**558.78**
प्रति शेयर आय (रुपये में)			
मूल और तनु (प्रति शेयर नाममात्र मूल्य 10 रुपये प्रत्येक)	39	0.24	0.16

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं। 1 to 40

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट संलग्न है।

बोरकर और मुजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
फर्म पंजीकरण संख्या: 101569W

के निदेशक मंडल की ओर से
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592

संजय हज़ारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11089196

प्रकाश अग्रवाल
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक – 19/08/2025

पुणे
दिनांक – 19/08/2025

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

नकदी आमद विवरण

(सभी राशियाँ करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
आयकर से पहले का लाभ	1,286.52	589.06
समायोजन के लिए :		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	188.74	183.19
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर शुद्ध लाभ	(2.13)	(2.61)
प्राप्त ब्याज	(254.43)	(209.84)
राजस्व बंटवारे का प्रावधान		97.58
वारंटी	35.94	21.62
पीपीई के पीछे लिखा हुआ	14.38	
अमूर्त संपत्तियों का लिखित विवरण	9.18	
लाभांश आय	-	(0.09)
परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन :		
व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(0.18)	(31.14)
इन्वेंटरी में (वृद्धि)/कमी	316.44	(208.67)
व्यापार देय राशि में वृद्धि/(कमी)	228.70	336.88
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(184.44)	(109.24)
अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	95.05	91.32
अन्य चालू और गैर-चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	280.18	(198.60)
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(201.73)	261.43
चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	673.31	(718.74)
परिचालन से उत्पन्न नकदी	**2,484.99**	**102.16**
भुगतान किए गए आयकर	(162.86)	50.00
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**2,322.12**	**152.16**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान	(112.35)	(36.48)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से प्राप्त आय	18.69	13.13
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के लिए भुगतान	(723.42)	(399.90)
अमूर्त संपत्तियों के लिए भुगतान	(81.48)	(47.50)
प्राप्त ब्याज	254.43	209.84
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(644.14)**	**(260.91)**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभांश आय	-	0.09
सदस्यता शेयर पूंजी के लिए प्राप्त राशि	745.45	580.00
बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि	221.00	(221.00)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी	**966.45**	**359.09**
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**2,644.44**	**250.34**
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष	3,500.32	3,249.98
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	**6,144.76**	**3,500.32**

नोट 11 के अनुसार	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
बैंकों के पास शेष राशि		
– चालू खातों में	1,026.40	244.00
– ईईएफसी खाते में	867.81	240.78
तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमा राशि	4,250.55	3,015.52
हाथ में नकदी	0.00	0.02
कुल	**6,144.76**	**3,500.32**

अप्रयुक्त ऋण सुविधाएँ: 31 मार्च 2025 तक, संस्था के पास ₹3000 करोड़ (₹2500 करोड़) की अप्रयुक्त ऋण सुविधाएँ हैं, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। इन सुविधाओं में ऋण पत्र, बैंक गारंटी, मुद्रा जोखिम सीमा शामिल हैं। ये सभी सुविधाएँ MCLR से जुड़ी हैं।

सीमा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
एसबीआई		
FBWC स्वच्छ नकद क्रेडिट	2000	2000
ईपीसी/पीसीएफसी/एफबीडी⁕	200(USD 23.78 मिलियन)	200(USD 24.08 मिलियन)
बैंक गारंटी (बीजी)	1000	1000
साख पत्र*	1500	1500
कैपेक्स साख पत्र*	1500	1500
मुद्रा जोखिम सीमा (सीईएल)*	50	50
आईसीआईसीआई		
साख पत्र	500	500
बैंक गारंटी**	300	300

सीमा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
एचडीएफसी		
बैंक गारंटी	500	-
साख पत्र***	250	-
ओवरड्राफ्ट – कार्य कैप***	50	-
कुल	**3000**	**2500**

* एफबीडब्ल्यूसी क्लीन कैश क्रेडिट खाते की उप–सीमा
** साख पत्र की उप–सीमा
*** बैंक गारंटी के लिए उप–सीमा

बोरकर और मुजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
फर्म पंजीकरण संख्या: 101569W

के निदेशक मंडल की ओर से
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592

संजय हज़ारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11089196

प्रकाश अग्रवाल
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक – 19/08/2025

पुणे
दिनांक – 19/08/2025

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड
इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण
(सभी राशियाँ करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

2024-25		
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	वर्ष के दौरान जारी	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
34,314.66	1,330.70	35,645.36

2023-24		
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	वर्ष के दौरान जारी	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
33737.66	577	34,314.66

ख. अन्य इक्विटी

	नोट्स	व्यवसाय पुनर्गठन पर इक्विटी शेयर जारी करने के लंबित मुद्दे	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	अन्य इक्विटी			कुल
				पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	कुल भंडार और अधिशेष	
31 मार्च 2024 तक		**5.25**	**1,070.83**	**(27,425.16)**	**653.82**	**(26,771.34)**	**(25,695.26)**
वर्ष में लेनदेन		-	-	-	839.86	839.86	839.86
आवेदन राशि प्राप्त हुई			-				-
अन्य समायोजन				-	-	-	-
इक्विटी शेयरों का निर्गम		5.25	(580.00)				(585.25)
31 मार्च 2025 तक		**0.00**	**490.83**	**(27,425.16)**	**1,493.68**	**(25,931.48)**	**(25,440.65)**
31 मार्च 2023 तक		**5.25**	**1,067.83**	**(27,425.16)**	**95.04**	**(27,330.12)**	**(26,257.04)**
वर्ष के लिए लाभ				-	558.78	558.78	558.78
आवेदन राशि प्राप्त हुई		-	580.00	-	-	-	580.00
इक्विटी शेयरों का निर्गम		-	577.00	-	-	-	577.00
31 मार्च 2024 तक		**5.25**	**1,070.83**	**(27,425.16)**	**653.82**	**(26,771.34)**	**(25,695.26)**

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं। 1 to 40

हमारी संलग्न सम–तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

बोरकर और मुजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से फर्म पंजीकरण संख्या: 101569W	**के निदेशक मंडल की ओर से** **म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड**	
सुप्रिया दीपक भट पार्टनर सदस्यता संख्या: 048592	**संजय हज़ारी** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन: 11089196	**प्रकाश अग्रवाल** निदेशक वित्त एवं सीएफओ डीआईएन: 09666613
	ई.जे. पॉल कंपनी सचिव सदस्यता संख्या : FCS4521	
पुणे **दिनांक – 19/08/2025**	**पुणे** **दिनांक – 19/08/2025**	

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए समेकित नोट्स

(सभी राशि करोड़ रुपये में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

1. सामान्य जानकारी

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ('एमआईएल', या 'कंपनी') एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय पुणे, भारत में स्थित है । जिसे 2021 में सात अलग – अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आयुध फैक्टरी बोर्ड के पुर्नगठन और निगमीकरण के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था । एमआईएल भारतीय सशस्त्र बल, विदेशी सेनाओं और घरेलू नागरिक उपयोग के लिए रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए एक एकीकृत आधार बनाता है ।

2. सामग्री लेखांकन नीतियों की तैयारी और सारांश का आधार

यह नोट इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की सूची प्रदान करता है। ये नीतियाँ प्रस्तुत सभी वर्षों में समान रूप से लागू की गई हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.1 तैयारी का आधार

i. Ind-AS का अनुपालन

वित्तीय विवरण सभी भौतिक पहलुओं में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 [कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015] और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं।

ii. ऐतिहासिक लागत सम्मेलन

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किये गये हैं।

iii. वर्तमान और गैर–वर्तमान वर्गीकरण

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (प्रभाग II) में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी और नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू या गैर–चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

2.2 सामग्री लेखांकन नीतियों का सारांश

क) विदेशी मुद्रा लेनदेन

(i) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा का उपयोग करके किया जाता है जिसमें कंपनी संचालित होती है ('कार्यात्मक मुद्रा')। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (INR) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है।

(ii) लेनदेन और शेष राशि

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे लेनदेन के निपटान और वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूपांतरण से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है और शुद्ध आधार पर लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

गैर–मौद्रिक मदें, जो विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में अंकित की जाती हैं, उन्हें लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है।

ख) राजस्व मान्यता

कंपनी को मुख्य रूप से उत्पादों की बिक्री से राजस्व प्राप्त होता है । माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व की गणना रिटर्न और छूट को घटाकर की जाती है।

राजस्व की पहचान उस राशि में ग्राहकों को वादा किए गए उत्पादों के नियंत्रण के हस्तांतरण पर की जाती है जो उस प्रतिफल को दर्शाती है जो कंपनी उन उत्पादों या सेवाओं के बदले में प्राप्त करने की उम्मीद करती है।

राजस्व की पहचान करने के लिए, कंपनी निम्नलिखित पांच चरणीय दृष्टिकोण अपनाती है:
1. ग्राहक के साथ अनुबंध की पहचान करें;
2. अनुबंध में निष्पादन दायित्वों की पहचान करें;
3. लेनदेन मूल्य निर्धारित करें;
4. अनुबंध में निष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करें; और
5. जब निष्पादन दायित्व पूरा हो जाए तो राजस्व को मान्यता दें।

राजस्व की गणना ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट प्रतिफल के आधार पर की जाती है और इसमें तृतीय पक्षों की ओर से एकत्रित राशि शामिल नहीं होती। कंपनी अपने लाभ–हानि विवरण में अप्रत्यक्ष करों को घटाकर शुद्ध राजस्व प्रस्तुत करती है।

कंपनी द्वारा माल की बिक्री के लिए किए गए अनुबंधों में आमतौर पर एक ही निष्पादन दायित्व होता है और उन्हें एक निश्चित समय पर मान्यता दी जाती है। यह समय उस समय निर्धारित होता है जब माल का नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है, जो आमतौर पर इस आधार पर निर्धारित होता है कि स्वामित्व के भौतिक जोखिम और लाभ ग्राहक को कब हस्तांतरित किए जाते हैं। इसके अलावा, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरित करने के समय को निर्धारित करने में भुगतान के अपने वर्तमान अधिकार, माल पर कानूनी स्वामित्व, भौतिक कब्जे और ग्राहक की स्वीकृति पर भी विचार करती है।

ग) उत्पादों की खरीद

उत्पाद की खरीद के मामले में, खरीद का दायित्व तभी दर्ज किया जाता है जब उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण में पास हो जाता है और ऐसी खरीद के संबंध में सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त हो जाते हैं।

घ) आयकर

अवधि के लिए आयकर व्यय या क्रेडिट, वर्तमान अवधि की करयोग्य आय पर देय कर है, जो लागू आयकर दर पर आधारित है, तथा अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन द्वारा समायोजित किया जाता है।

वर्तमान आयकर प्रभार की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर की जाती है।

प्रबंधन समय-समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में अपनाई गई स्थिति का मूल्यांकन करता है जिनमें लागू कर विनियमन व्याख्या के अधीन होता है और इस बात पर विचार करता है कि क्या यह संभव है कि कोई कराधान प्राधिकरण अनिश्चित कर व्यवस्था को स्वीकार करेगा। कंपनी अपने कर शेष को या तो सबसे संभावित राशि या अपेक्षित मूल्य के आधार पर मापती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी विधि अनिश्चितता के समाधान का बेहतर पूर्वानुमान प्रदान करती है।

आस्थगित आयकर, देयता पद्धति का उपयोग करते हुए, परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और वित्तीय विवरणों में उनकी अग्रणीत राशियों के बीच उत्पन्न होने वाले अस्थायी अंतरों पर पूर्ण रूप से लगाया जाता है। हालाँकि, यदि आस्थगित कर देनदारियाँ सद्भावना की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होती हैं, तो उन्हें मान्यता नहीं दी जाती है। आस्थगित आयकर का लेखा-जोखा तब भी नहीं लिया जाता है, जब यह किसी ऐसे व्यावसायिक संयोजन के अलावा किसी अन्य लेन-देन में किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है, जो लेन-देन के समय न तो लेखांकन लाभ और न ही कर योग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करता है। आस्थगित आयकर का निर्धारण उन कर दरों (और कानूनों) का उपयोग करके किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हो चुके हैं और जिनके लागू होने की उम्मीद तब होती है जब संबंधित आस्थगित आयकर परिसंपत्ति की वसूली हो जाती है या आस्थगित आयकर देयता का निपटान हो जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए तभी मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि भविष्य में कर योग्य राशि उन अस्थायी अंतरों और हानियों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो। वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब संस्था के पास समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहती हो, या परिसंपत्ति की वसूली और देनदारियों का एक साथ निपटान करना चाहती हो।

चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जहाँ यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो। इस मामले में, कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

ड.) इनवेंटरी

कच्चा माल और भंडार, प्रगति पर कार्य और तैयार माल

कच्चे माल और भंडार, निर्माणाधीन निर्माण और तैयार माल, लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर दर्शाए जाते हैं। कच्चे माल की लागत में क्रय लागत शामिल होती है। निर्माणाधीन निर्माण और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनशील व स्थिर उपरिव्यय का एक उचित अनुपात शामिल होता है, जिसे सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर आवंटित किया जाता है। इन्वेंटरी की लागत में इन्वेंटरी को उसकी वर्तमान स्थिति और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य सभी लागतें भी शामिल होती हैं। इन्वेंटरी की प्रत्येक वस्तु को भारित औसत विधि के आधार पर लागतें सौंपी जाती हैं। क्रय की गई इन्वेंटरी की लागत, छूट और रियायतों को घटाने के बाद निर्धारित की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित विक्रय मूल्य में से, कार्य पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित लागतों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इन्वेंटरी के उत्पादन में उपयोग के लिए रखी गई सामग्री और अन्य आपूर्ति को लागत से कम नहीं लिखा जाता है, यदि जिन तैयार उत्पादों में उन्हें शामिल किया जाएगा, उनके लागत पर या उससे अधिक पर बेचे जाने की उम्मीद है।

ङ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

i. वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:

- जिन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाएगा (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से, या लाभ या हानि के माध्यम से), और
- इन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाएगा।

यह वर्गीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल और नकदी प्रवाह की संविदात्मक शर्तों के आधार पर किया जाता है।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों के लिए, लाभ और हानि को लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में दर्ज किया जाएगा, जैसा कि चुना गया हो। ऋण उपकरणों में निवेश के लिए, यह उस व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है।

कंपनी ऋण निवेशों को तभी पुनर्वर्गीकृत करती है जब और केवल तभी जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए उसका व्यवसाय मॉडल बदलता है।

ii. मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी उपकरण के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाती है।

iii. माप

प्रारंभिक मान्यता के समय, कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य पर मापती है, साथ ही, यदि वित्तीय परिसंपत्ति लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं है, तो उस वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण से सीधे संबंधित लेनदेन लागतों को भी मापती है। 'लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य' पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागतों को लाभ या हानि में व्यय किया जाता है।

ऋण उपकरण: ऋण लिखतों का बाद का मापन कंपनी के परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय मॉडल और परिसंपत्ति की नकदी प्रवाह विशेषताओं पर निर्भर करता है। कंपनी अपने ऋण लिखतों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत करती है:

परिशोधित लागत: संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी गई संपत्तियों को, जहाँ ये नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इन वित्तीय संपत्तियों से प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है। मान्यता समाप्ति पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को सीधे लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है और अन्य आय में प्रस्तुत किया जाता है। हानि हानि को लाभ और हानि विवरण में एक अलग पंक्ति मद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

iv. वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी अपनी परिशोधित लागत पर रखी गई परिसंपत्तियों से जुड़ी अपेक्षित ऋण हानियों का पूर्वानुमान-आधारित आकलन करती है। लागू की गई हानि पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि की गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का प्रयोग करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पूर्वानुमान-आधारित अनुमानों पर आधारित होता है।

केवल व्यापारिक प्राप्य के लिए, कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा अपेक्षित सरलीकृत दृष्टिकोण को लागू करती है, जिसके अनुसार अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की प्रारंभिक मान्यता से मान्यता दी जानी आवश्यक है।

v. वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब

- कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं।
- वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व मानता है।

जहाँ इकाई ने किसी परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया है, वहाँ कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को मूलतः हस्तांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है। जहाँ इकाई ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को मूलतः हस्तांतरित नहीं किया है, वहाँ वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द नहीं की जाती है।

जहाँ इकाई ने न तो वित्तीय परिसंपत्ति हस्तांतरित की है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को मूलतः बरकरार रखा है, वहाँ वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है यदि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार नहीं रखा है। जहाँ कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार रखती है, वहाँ परिसंपत्ति की मान्यता वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक जारी रहती है।

vi. आय मान्यता

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय की गणना प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके की जाती है और इसे लाभ–हानि विवरण में अन्य आय के भाग के रूप में मान्यता दी जाती है।
ब्याज आय की गणना वित्तीय परिसंपत्ति की सकल अग्रणीत राशि पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके की जाती है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों के जो बाद में ऋण क्षीण हो जाती हैं। ऋण क्षीण वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रभावी ब्याज दर वित्तीय परिसंपत्ति की शुद्ध अग्रणीत राशि (हानि भत्ते की कटौती के बाद) पर लागू होती है।

छ) वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है, जहाँ मान्यता प्राप्त राशियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति की वसूली और देनदारियों का एक साथ निपटान करने का इरादा हो। कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार भविष्य की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए और सामान्य व्यावसायिक क्रम में और कंपनी या प्रतिपक्ष के डिफ़ॉल्ट, दिवालियेपन या दिवालियापन की स्थिति में प्रवर्तनीय होना चाहिए।

ज) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अन्य सभी मदों को ऐतिहासिक लागत से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे तौर पर इन वस्तुओं के अधिग्रहण से संबंधित होता है।

बाद की लागतों को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है या आवश्यकतानुसार एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, केवल तभी जब यह संभावना हो कि उस मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और उस मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। किसी भी घटक की अग्रणीत राशि, जिसे एक अलग परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है, को प्रतिस्थापित करने पर मान्यता से हटा दिया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव उस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ या हानि में शामिल किए जाते हैं जिसमें वे किए गए थे।

झ) मूल्यह्रास विधियाँ, अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्टमूल्य

मूल्यह्रास की गणना, परिसंपत्तियों की लागत को, उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर आवंटित करने के लिए सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

कंपनी, प्रबंधन के अनुमान के आधार पर, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी, मोटर वाहनों और अन्य उपकरणों की कुछ वस्तुओं का मूल्यह्रास अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक करती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न है, जो नीचे दिया गया है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमानित उपयोगी जीवन यथार्थवादी हैं और जहाँ भी आवश्यक हो, कई पारियों में ऐसी परिसंपत्तियों के उपयोग पर विचार करने के बाद, उस अवधि का एक उचित अनुमान दर्शाते हैं जिसके दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग होने की संभावना है।

संपत्ति	उपयोगी जीवन अनुसूची II के अनुसार	प्रबंधन अनुमान के अनुसार उपयोगी जीवन
इमारतें (निर्माणियों के अलावा)	60 वर्ष	60 वर्ष
इमारतें – निर्माणी	30 वर्ष	60 वर्ष
संयंत्र और मशीनरी	15 वर्ष	10-20 वर्ष
मोटर वाहन	8 वर्ष	5-7 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	5 साल	3-8 वर्ष
कार्यालय उपकरण	8 वर्ष	3-8 वर्ष
कंप्यूटर हार्डवेयर		
i) सर्वर और नेटवर्क	6 साल	6 साल
ii) डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सहायक उपकरण	3 वर्ष	3-7 वर्ष
सड़कें		
(a) कारपेट सड़कें		
i. कालीन सड़कें–आरसीसी	10 वर्ष	10 वर्ष
ii. कालीन वाली सड़कें– आरसीसी के अलावा	5 साल	5 साल
(b) गैर– कारपेट सड़कें	3 वर्ष	3 वर्ष

मूर्त संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, संपत्ति की मूल लागत के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। मूल्यह्रास की गणना मूल लागत और अवशिष्ट मूल्य के शुद्ध मूल्य पर, ऊपर दी गई तालिका में उल्लिखित उपयोगी जीवन के अनुसार की जाती है।

मूर्त संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, संपत्ति की मूल लागत के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। मूल्यह्रास की गणना मूल लागत और अवशिष्ट मूल्य के शुद्ध मूल्य पर, ऊपर दी गई तालिका में उल्लिखित उपयोगी जीवन के अनुसार की जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, तथा यदि उपयुक्त हो तो उन्हें समायोजित किया जाता है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो उसकी वहन राशि को तुरंत उसकी वसूली योग्य राशि में लिख दिया जाता है। जिन परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत लागत ₹10,000 या उससे कम है, उनका मूल्यह्रास खरीद के वर्ष में पूर्ण रूप से किया जाता है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की तुलना अग्रणीत राशि से करके किया जाता है। इन्हें अन्य आय में लाभ या हानि में शामिल किया जाता है।

i. अमूर्त संपत्तियां: अर्जित अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण लागत में से संचित परिशोधन और हानि हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है। परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। यदि संपत्ति का अपेक्षित उपयोगी जीवन पिछले अनुमानों से काफी भिन्न है, तो परिशोधन अवधि को तदनुसार बदल दिया जाता है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति की सेवानिवृत्ति या निपटान से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अमूर्त संपत्तियों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत तकनीकी जानकारी के अधिकार शामिल हैं, जिनका परिशोधन समझौते की अवधि के दौरान किया जाता है। अन्य अमूर्त संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

संपत्ति	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3-7 वर्ष
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (TOT)	5-7 वर्ष
पेटेंट	5-7 वर्ष
कॉपीराइट	5-7 वर्ष

ञ) अनुसंधान एवं विकास व्यय:

विकास लागतें जो सीधे तौर पर कंपनी द्वारा नियंत्रित पहचान योग्य और अद्वितीय अमूर्त परिसंपत्तियों के डिजाइन और परीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है, जहां निम्नलिखित मानदंड पूरे होते हैं:

- तकनीकी रूप से परिसंपत्ति को पूरा करना संभव है ताकि यह उपयोग के लिए उपलब्ध हो सके
- प्रबंधन अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने और उसका उपयोग करने या उसे बेचने का इरादा रखता है
- परिसंपत्ति का उपयोग करने या उसे बेचने की क्षमता है
- यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि परिसंपत्ति भविष्य में संभावित आर्थिक लाभ कैसे उत्पन्न करेगी
- विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं, और
- परिसंपत्ति के विकास के दौरान उस पर होने वाले व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागतें, जिन्हें अमूर्त परिसंपत्ति के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, उनमें कर्मचारी लागतें और प्रासंगिक उपरिव्ययों का उचित भाग शामिल होता है।

पूंजीकृत विकास लागतों को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है तथा उस बिंदु से परिशोधित किया जाता है, जिस बिंदु पर परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

अनुसंधान व्यय और विकास व्यय जो उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। विकास लागतें जिन्हें पहले व्यय के रूप में मान्यता दी गई थी, उन्हें बाद की अवधि में परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

ट) व्यापार और अन्य देयताएं

ये राशियाँ वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कंपनी को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए बकाया देनदारियों को दर्शाती हैं। ये राशियाँ असुरक्षित हैं और इन्हें चालू देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर भुगतान देय न हो। इन्हें शुरू में उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

i. प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ

कानूनी दावों और सेवा वारंटियों के लिए प्रावधान तब मान्य होते हैं जब कंपनी पर पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व हो। यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य के परिचालन घाटे के लिए प्रावधान मान्य नहीं हैं।

प्रावधानों को अछूती राशि पर मापा जाता है, क्योंकि छूट का प्रभाव भौतिक नहीं होता।

आकस्मिक देयताओं का खुलासा तब किया जाता है जब अतीत की घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्व होता है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं या वर्तमान दायित्व जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है, जहां या तो यह संभव नहीं है कि निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ठ) कर्मचारी लाभ

पूर्ववर्ती ओएफबी की उत्पादन सुविधाओं के निगमीकरण के बाद, पूर्ववर्ती ओएफबी के कर्मचारियों को रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1(5)/2021/ओएफ/डीपी(योजना–V)/02 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के अनुसार दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए कंपनी में मानित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर दिया गया है। उक्त ओएम के अनुसार, कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे और इसलिए वेतन भत्ते, अवकाश, चिकित्सा सुविधाएँ और पेंशन देयता केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी बनी रहेगी। केंद्र सरकार कंपनी से प्रतिनियुक्ति शुल्क वसूलती है। व्यय के सार को देखते हुए, इन व्ययों को वित्तीय विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

ड) राशियों का पूर्णांकन

वित्तीय विवरणों और नोटों में प्रकट की गई सभी राशियों को अनुसूची III की आवश्यकताओं के अनुसार निकटतम करोड़ तक पूर्णांकित किया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

3. आलोचनात्मक अनुमान और निर्णय

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए लेखांकन अनुमानों का उपयोग आवश्यक है, जो परिभाषा के अनुसार, वास्तविक परिणामों के बराबर शायद ही कभी होंगे। प्रबंधन को कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करते समय विवेक का प्रयोग करने की भी आवश्यकता है। यह नोट उन क्षेत्रों का अवलोकन प्रदान करता है जिनमें अधिक विवेक या जटिलता शामिल है, और उन मदों का भी जिनमें मूल रूप से मूल्यांकन किए गए अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न होने के कारण भौतिक रूप से समायोजन की अधिक संभावना है।

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

वारंटी का प्रावधान

कंपनी, पूर्ववर्ती ओएफबी से हस्तांतरित भारतीय सशस्त्र बलों के साथ मान्य अनुबंधों के अंतर्गत अपने उत्पादों पर आजीवन वारंटी प्रदान करती है। कंपनी ने पूर्ववर्ती ओएफबी से हस्तांतरित शुद्ध परिसंपत्तियों को, उन उत्पादों के मामले में, जिनकी शेल्फ–लाइफ़ हस्तांतरण तिथि तक समाप्त नहीं हुई है, निपटान योग्य राशि के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर, हस्तांतरण तिथि पर वारंटी प्रावधान प्रदान करके समायोजित किया है। इन वारंटियों के अंतर्गत की गई आपूर्ति की लागत को अनुमानित प्रावधान के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

मान्य अनुबंधों के अलावा अन्य बिक्री के लिए, वारंटी के प्रावधान को वारंटी अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है। उपयुक्त ऐतिहासिक आंकड़ों के अभाव में, प्रबंधन ने वारंटी प्रावधान के लिए मान्य अनुबंध को छोड़कर निर्यात बिक्री और अन्य निर्यात बिक्री के बिक्री मूल्य पर क्रमशः 1% और 2% की एक समान दर का अनुमान लगाया है।

दीर्घकालिक अनुबंध

कंपनी के केवल सरकारी संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक अनुबंध हैं। वर्ष के दौरान, सरकार ने लाभ तत्व के साथ-साथ वार्षिक सुनिश्चित मुद्रास्फीति अधिकारों के साथ मूल्य वृद्धि के रूप में राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई की है। इसलिए, 31 मार्च, 2025 तक कोई अनुमानित नुकसान नहीं है।

4 (क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ

विवरण	भूमि	इमारतों	संयंत्र और मशीनरी	वाहनों	कंप्यूटर हार्डवेयर	कार्यालय फर्नीचर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	अन्य आइटम	कुल	पूंजीगत कार्य प्रगति पर
सकल वहन राशि										
प्रारंभिक सकल वहन राशि	73.09	1,855.82	1,852.28	68.50	11.01	7.35	3.63	0.08	3,871.77	1,616.39
परिवर्धन	-	77.21	121.77	11.52	15.09	3.55	3.11	0.69	232.93	723.42
स्थानांतरण	-	2.59	0.20	-	0.01	0.01	0.00	-	2.82	120.58
निपटान	0.00	4.09	25.27	2.74	0.07	0.01	0.01	-	32.19	-
समायोजन	(0.02)	62.07	199.98	0.52	1.69	1.08	0.71	0.45	266.48	-
31-03-2025 तक समापन सकल वहन राशि	**73.07**	**1,988.42**	**2,148.56**	**77.78**	**27.70**	**11.97**	**7.45**	**1.22**	**4,336.17**	**2,219.23**
संचित मूल्यह्रास										
संचित मूल्यह्रास खोलना	-	147.63	323.63	31.04	3.04	1.41	1.77	0.08	508.61	-
अवधि के लिए शुल्क	-	45.46	116.82	6.56	5.31	2.06	1.28	0.61	178.10	-
निपटान	-	2.32	13.64	2.29	0.02	0.01	0.17	-	18.45	-
समायोजन	-	82.43	190.79	4.69	1.34	1.00	0.61	-0.02	280.84	
संचित मूल्यह्रास को बंद करना	-	273.21	617.60	40.01	9.67	4.46	3.50	0.66	949.11	-
शुद्ध वहन राशि	**73.07**	**1,715.21**	**1,530.96**	**37.77**	**18.03**	**7.51**	**3.95**	**0.56**	**3,387.06**	**2,219.23**

संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.एच देखें

प्रकटीकरण:
1. फ्रीहोल्ड भूमि का विस्तृत विवरण नोट '40(सी) अन्य विनियामक' में दिया गया है।
2. मूल्यह्रास का परीक्षण सामग्री लेखांकन नीति के अनुसार किया जाता है और वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास नहीं हुआ।

वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ

विवरण	भूमि	इमारतों	संयंत्र और मशीनरी	वाहनों	कंप्यूटर हार्डवेयर	कार्यालय फर्नीचर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	अन्य आइटम	कुल	पूंजीगत कार्य प्रगति पर
सकल वहन राशि										
प्रारंभिक सकल वहन राशि	73.09	1,748.09	1,665.53	37.23	4.59	2.06	1.64		3,532.23	1,409.65
परिवर्धन	-	123.11	134.91	15.63	6.23	5.22	1.11	0.08	286.30	399.90
स्थानांतरण	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	193.16
निपटान	-	9.14	3.03	0.11	0.33	0.01	-	-	12.62	-
समायोजन	-	-6.24	54.87	15.74	0.52	0.08	0.88	-	65.86	
31-03-2024 तक समापन सकल वहन राशि	**73.09**	**1,855.82**	**1,852.28**	**68.50**	**11.01**	**7.35**	**3.63**	**0.08**	**3,871.77**	**1,616.39**
संचित मूल्यह्रास										
संचित मूल्यह्रास खोलना	-	55.47	160.40	9.31	1.16	0.37	0.34	-	227.05	-
अवधि के लिए शुल्क	-	41.41	117.37	8.34	1.59	1.06	0.49	0.08	170.35	-
निपटान	-	0.07	2.01	0.02	0.00	-	-	-	2.10	-
समायोजन	-	50.82	47.87	13.40	0.29	-0.02	0.95	-	113.31	
संचित मूल्यह्रास को बंद करना	-	147.63	323.63	31.04	3.04	1.41	1.77	0.08	508.61	-
शुद्ध वहन राशि	**73.09**	**1,708.19**	**1,528.66**	**37.45**	**7.97**	**5.95**	**1.86**	**-0.00**	**3,363.16**	**1,616.39**

4 (ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ

पूंजीगत कार्य प्रगति में निम्नलिखित शामिल हैं :

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
इमारतों	254.11	739.56
संयंत्र और मशीनरी	1,965.12	876.83
कुल	2,219.23	1,616.39

पूंजीगत कार्य–प्रगति आयु निर्धारण अनुसूची

31 मार्च 2025 तक

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
बड़े कैलिबर गोला–बारूद की सुविधा	180.85	66.87	202.92	588.26	1,039.21
रॉकेट उत्पादन सुविधाएं	-	-	-	1.90	1.90
अन्य संयंत्र एवं उपकरण तथा भवन निर्माण कार्य प्रगति पर	421.99	254.61	227.88	273.63	1,178.12
कुल	**602.84**	**321.48**	**430.80**	**864.11**	**2,219.23**

31 मार्च 2024 तक

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
बड़े कैलिबर गोला–बारूद की सुविधा	66.87	202.92	125.33	463.23	858.36
रॉकेट उत्पादन सुविधाएं	-	-	-	1.90	1.90
अन्य संयंत्र एवं उपकरण तथा भवन निर्माण कार्य प्रगति पर	254.61	227.88	155.30	118.33	756.13
कुल	**321.48**	**430.80**	**280.63**	**583.48**	**1,616.39**

संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.i देखे

मूल्यह्रास का परीक्षण भौतिक लेखांकन नीति के अनुसार किया जाता है तथा वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास नहीं हुआ।

कुछ परियोजनाएँ अपने मूल समय अनुमान से आगे निकल गई हैं। हालाँकि, इनके संशोधित समय अनुमान के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। पूंजी प्रतिबद्धता के लिए नोट 40(डी) देखें

4 (ग) अमूर्त संपत्ति

वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ

विवरण	अमूर्त संपत्ति
सकल वहन राशि	
आरंभिक सकल वहन राशि	101.16
परिवर्धन	3.13
निपटान	0.66
समायोजन	6.16
समापन सकल वहन राशि	**109.79**
प्रारंभिक संचित परिशोधन	**38.46**
वर्ष के लिए शुल्क	10.64
समायोजन	14.68
संचित परिशोधन को बंद करना	**63.78**
शुद्ध वहन राशि	**46.01**

वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ

विवरण	अमूर्त संपत्ति
सकल वहन राशि	
31 मार्च 2024 तक	98.200
परिवर्धन	**4.57**
निपटान	1.50
समायोजन	0.11
समापन सकल वहन राशि	**101.16**
संचित परिशोधन	**26.92**
वर्ष के लिए शुल्क	11.54
संचित परिशोधन को बंद करना	**38.46**
शुद्ध वहन राशि	**62.70**

4 (घ) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक जमा	100.99	56.46
जोड़ना	78.81	44.53
स्थानांतरण	0.45	
जमा शेष	**179.35**	**100.99**

विकास के अंतर्गत अमूर्त वृद्धावस्था अनुसूची

31 मार्च 2025 तक

विवरण	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
उत्पादों और अन्य अमूर्त वस्तुओं से संबंधित प्रौद्योगिकी	78.36	44.53	56.46	-	179.35
कुल	**78.36**	**44.53**	**56.46**	-	**179.35**

31 मार्च 2024 तक

विवरण	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
उत्पादों और अन्य अमूर्त वस्तुओं से संबंधित प्रौद्योगिकी	44.53	56.46	-	-	100.99
कुल	**44.53**	**56.46**	-	-	**100.99**

संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.i देखें

कुछ परियोजनाएँ अपने मूल समय अनुमान से आगे निकल गई हैं। हालाँकि, इनके संशोधित समय अनुमान के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में पूंजीकृत सभी व्यय विकास व्यय से संबंधित हैं।
मूल्यह्रास का परीक्षण भौतिक लेखांकन नीति के अनुसार किया जाता है और वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास नहीं हुआ।

5 गैर चालू निवेश

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहयोगी में निवेश - लागत पर किया गया		
गैर उद्धृत		
इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के 80,000 इक्विटी शेयर	0.80	0.80
कुल	**0.80**	**0.80**
उद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि	0.80	0.80
निवेश के मूल्य में कुल हानि की राशि	-	-

वित्तीय परिसंपत्तियों पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.f देखें

कंपनी ने ओएफबी के पुनर्गठन के एक भाग के रूप में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (आईआरआरपीएल) में 8% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है। कंपनी ने आईआरआरपीएल के निदेशक मंडल में एक निदेशक को भी नामित किया है। प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि आईआरआरपीएल में इक्विटी निवेश और निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व, उसे आईआरआरपीएल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि यह कंपनी की सहयोगी कंपनी नहीं है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

(क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है और

(ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान होता है।

चूंकि उपरोक्त दोनों शर्तें पूरी नहीं होती हैं, इसलिए निवेश का उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

6 अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
(I) पूंजी अग्रिम	10.26	7.54
(II) पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
सुरक्षा जमा	2.04	2.00
(III) अन्य गैर चालू परिसंपत्ति		
(क) अन्य दीर्घ बकाया	0.00	12.95
(ख) गैर-वर्तमान इन्वेंटरी- कच्चा माल	-	18.02
कुल	**12.29**	**40.51**

7 इंवेंटरी

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
कच्चा माल	3,006.08	3,007.09
कार्य प्रगति पर	786.97	1,209.13
तैयार माल	413.61	306.89
कुल	**4,206.67**	**4,523.11**

इन्वेंट्री पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.e देखें

उपरोक्त सूची में निम्नलिखित पारगमन माल शामिल है:

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
कच्चा माल	533.13	588.80
	533.13	**588.80**

8 व्यापार प्राप्तियां

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त व्यापार प्राप्य – बिलित	1,437.89	1,437.71
कुल	**1,437.89**	**1,437.71**

सुरक्षा विवरण का ब्यौरा

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
व्यापारिक प्राप्य अच्छे माने जाते हैं – सुरक्षित	-	-
व्यापार प्राप्य अच्छे माने जाते हैं – असुरक्षित	1,437.89	1,437.71
व्यापार प्राप्य जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
व्यापार प्राप्य – ऋण क्षति	-	-
कुल	**1,437.89**	**1,437.71**
घटाएँ: हानि भत्ता		
कुल व्यापार प्राप्य	1,437.89	1,437.71

31 मार्च 2025 तक

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						कुल
	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार प्राप्तियां							
निर्विवाद व्यापार प्राप्य– अच्छा माना जाता है	-	808.15	254.48	163.27	22.22	189.76	1,437.89
कुल	-	**808.15**	**254.48**	**163.27**	**22.22**	189.76	**1,437.89**

31 मार्च 2024 तक

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						कुल
	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार प्राप्तियां							
निर्विवाद व्यापार प्राप्य– अच्छा माना जाता है	-	1,194.86	68.27	148.89	25.69	-	1,437.71
कुल	-	**1,194.86**	**68.27**	**148.89**	**25.69**	-	**1,437.71**

9 नकद और नकद के समान

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
बैंकों के पास शेष राशि		
– चालू खातों में	1,026.40	244.00
– ईईएफसी खाते में	867.81	240.78
– बारह महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियां	4,250.55	3,015.52
हाथ में नकदी	0.00	0.02
कुल	**6,144.76**	**3,500.32**

10 नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि	-	221.00
कुल	-	**221.00**

उपरोक्त उल्लिखित एफडी के विरुद्ध शून्य रुपये (172.33 करोड़ रुपये) की राशि ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित है।

11 अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सुरक्षा जमा	14.55	10.37
अन्य	240.05	3.85
सरकार से प्राप्तियां	61.11	116.65
कुल	**315.71**	**130.87**

अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में किराया प्राप्ति आदि शामिल हैं ।

12 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
विक्रेताओं को अग्रिम	462.05	831.69
पूंजी अग्रिम	-	5.42
सरकारी प्राधिकारियों के साथ संतुलन	559.11	353.62
अन्य चालू परिसंपत्तियां	129.38	211.78
कुल	**1,150.54**	**1,402.51**

13 इक्विटी शेयर पूंजी
(क) अधिकृत शेयर पूंजी

विवरण	शेयर की संख्या	राशि
31 मार्च 2024 तक	**42,00,00,00,000**	**42,000.00**
इस अवधि के दौरान हुए परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2025 तक	**42,00,00,00,000**	**42,000.00**

विवरण	शेयर की संख्या	राशि
31 मार्च 2023 तक	**42,00,00,00,000**	**42,000.00**
इस अवधि के दौरान हुए परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2024 तक	**42,00,00,00,000**	**42,000.00**

(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी

विवरण	शेयर की संख्या	राशि
31 मार्च 2024 तक	**34,31,46,60,000**	**3,43,14,66,00,000.00**
वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	1,33,07,00,000	13,30,70,00,000.00
31 मार्च 2025 तक	**35,64,53,60,000**	**3,56,45,36,00,000.00**

इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

इक्विटी शेयरों का सममूल्य 10 रुपये होता है। ये धारक को लाभांश में भाग लेने और कंपनी के समापन से प्राप्त आय में, धारित शेयरों की संख्या और भुगतान की गई राशि के अनुपात में हिस्सा लेने का अधिकार देते हैं। बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक को एक वोट का अधिकार होता है, और मतदान के बाद प्रत्येक शेयर को एक वोट का अधिकार होता है।

(ग) कंपनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
भारत सरकार	35,64,53,60,000	100%	34,31,46,60,000	100%

प्रमोटर होने के नाते भारत सरकार के पास 31 मार्च 2025 तक 100% शेयर होंगे ।

(घ) व्यवसाय पुनर्गठन पर इक्विटी शेयर जारी करने का मामला लंबित

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक जमा	5.25	5.25
व्यवसाय पुनर्गठन पर इक्विटी शेयर जारी करने का मामला लंबित	-	-
आवंटन लंबित रहने तक आवेदन राशि में स्थानांतरित कर दिया गया	-	-
उप-योग	**5.25**	**5.25**
इक्विटी शेयरों का निर्गम	(5.25)	-
जमा शेष	**0.00**	**5.25**

(ङ) शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
आवेदन राशि प्राप्त हुई	490.83	1,070.83

प्रकटीकरण: शेयर केवल भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही जारी किए जाएंगे।

(च) नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
व्यवसाय पुनर्गठन पर जारी इक्विटी शेयर	32,50,53,50,000.00	32,50,53,50,000.00

14 अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
(क) पूंजी आरक्षित	(27,425.16)	(27,425.16)
(ख) प्रतिधारित आय	1,493.68	653.82
कुल	**(25,931.48)**	**(26,771.34)**

(क) पूंजी आरक्षित

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक जमा	(27,425.16)	(27,425.16)
अन्य समायोजन	-	-
जमा शेष	**(27,425.16)**	**(27,425.16)**

पूंजी आरक्षित निधि, आयुध निर्माणी बोर्ड के व्यवसाय पुनर्गठन पर कंपनी को हस्तांतरित शुद्ध परिसंपत्तियों और जारी किए गए प्रतिफल के बीच के अंतर को दर्शाती है।

(ख) प्रतिधारित कमाई

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक जमा	653.82	95.04
वर्ष/अवधि के लिए लाभ	839.86	558.78
जमा शेष	**1,493.68**	**653.82**

15 अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
देय सुरक्षा जमा	4.66	6.97
पीजीडीएम कॉशन मनी देय	0.14	-
कुल	**4.80**	**6.97**

16 गैर-वर्तमान प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
वारंटी का प्रावधान	2,692.11	2,783.90
कुल	**2,692.11**	**2,783.90**

महत्वपूर्ण अनुमानों और निर्णयों (वारंटी के लिए प्रावधान) पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 3 का संदर्भ लें

वारंटी प्रावधानों में बदलाव

विवरण	उत्पाद वारंटी
31 मार्च 2024 तक	**2,783.90**
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया प्रावधान	127.73
घटाएँ: वर्ष के दौरान उलटा प्रावधान	17.20
जोड़ें: वर्ष के लिए प्रावधान	53.14
31 मार्च 2025 तक	**2,692.11**
31 मार्च 2023 तक	**2,917.62**
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया प्रावधान	155.34
घटाएँ: वर्ष के दौरान उलटा प्रावधान	-
जोड़ें: वर्ष के लिए प्रावधान	21.62
31 मार्च 2024 तक	**2,783.90**

17 आस्थगित कर देयताएं

शेष राशि में निम्नलिखित के कारण अस्थायी अंतर शामिल हैं:

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
आस्थगित कर देयताएं		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	885.79	599.58
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
वारंटी के लिए प्रावधान	56.45	21.62
धारा 43बी के तहत अस्वीकृति	40.84	14.60
नेट डीटीएल/(डीटीए)	**788.50**	**563.36**
कर की दर @25.168%	**198.45**	**141.78**
डीटीएल का आरंभिक शेष	**141.78**	**13.97**
शुद्ध आस्थगित कर	**56.67**	**127.81**

18 व्यापार देयताएं

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
व्यापार देयताएं		
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसएमई)	91.45	57.78
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा	1,295.02	1,099.99
कुल	**1,386.48**	**1,157.77**

व्यापार देय राशि की आयु

31 मार्च 2025 तक

विवरण	बिना बिल वाला	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएं							
निर्विवाद-एमएसएमई	-	-	90.79	0.84	0.18	0.18	91.99
निर्विवाद-अन्य	-	-	1,007.64	52.35	56.60	177.90	1,294.49
विवादित बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
विवादित बकाया- अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**1,098.43**	**53.19**	**56.78**	**178.08**	**1,386.48**

31 मार्च 2024 तक

विवरण	बिना बिल वाला	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएं	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद-एमएसएमई	-	-	54.57	0.80	0.26	2.15	57.78
निर्विवाद-अन्य	-	-	858.49	193.64	30.56	4.84	1,087.53
विवादित बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
विवादित बकाया- अन्य	-	-	-	-	-	12.46	12.46
कुल	-	-	**913.06**	**194.44**	**30.82**	**19.45**	**1,157.77**

व्यापार और अन्य देयताओं पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.k. देखें

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ('एमएसएमईडी अधिनियम') के तहत परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों (एमएसएमई) को देय राशि का विवरण और एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय मूल राशि, जो वर्ष के अंत तक अदा नहीं की गई	91.99	57.78
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय ब्याज, जो वर्ष के अंत तक अदा नहीं किया गया	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई मूल राशि	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज	-	-

एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अलावा, एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज	-	-
भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज	2.00	0.86
आगामी वर्षों में भी देय और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि	-	-

नोट: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट की जाने वाली अपेक्षित सूचना का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सीमा तक किया गया है, जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त पुष्टि के आधार पर किया गया है।

19 अन्य वित्तीय देनदारियाँ – चालू

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
कर्मचारियों को देय	221.24	222.32
श्रम ठेकेदार शुल्क देय	0.04	0.88
सरकार को देय	0.04	0.04
देय बयाना राशि	0.29	0.27
देय लेखा परीक्षा शुल्क	0.17	0.18
देय बिजली शुल्क	3.57	3.69
डीपीएसयू को लाभ हस्तांतरण*	27.89	-
देय सुरक्षा व्यय	26.63	-
देय जल शुल्क	0.10	0.09
देय सुरक्षा जमा	2.73	4.40
अन्य विविध वस्तुएँ	107.33	60.93
कुल	**390.02**	**292.80**

* चालू वर्ष में, राशि क्रिस्टलीकृत देयता पर अर्जित की गई है और इसलिए इसे अन्य वित्तीय देयताओं – चालू के अंतर्गत दर्ज किया गया है

20 अन्य वर्तमान देनदारियां

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
ग्राहकों से अग्रिम	3,615.68	2,949.73
वैधानिक बकाया	165.43	146.76
अन्य विविध वस्तुएँ	25.48	12.33
कुल	**3,806.59**	**3,108.82**

अनुबंध देयताएं

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक जमा	**2,949.73**	**3,299.12**
वर्ष में मान्यता प्राप्त राजस्व जो वर्ष के आरंभ में अनुबंध देयताओं में शामिल था	(2,763.20)	(2,460.22)
राजस्व में मान्यता न दिए गए निष्पादन दायित्वों के लिए वर्ष में प्राप्त नकदी या जारी किए गए चालानों के कारण वृद्धि	3,429.15	2,110.83
जमा शेष	**3,615.68**	**2,949.73**

21 प्रावधानों

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
देय सुरक्षा व्यय	23.66	103.14
सीएसआर प्रावधान	-	2.39
दर अंतर के लिए प्रावधान	-	161.01
अन्य विविध वस्तुएं	167.79	0.89
एमएसएमई हित	1.98	-
कुल	**193.43**	**267.43**

प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.I. का संदर्भ लें

⁕ पिछले वर्ष में, राशि अनुमान के आधार पर दर्ज की गई है और इसलिए प्रावधानों के तहत दर्ज की गई है।

22 वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
वर्तमान कर प्रावधान	223.71	21.19
कुल	**223.71**	**21.19**

23 परिचालन से राजस्व

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री – एक निश्चित समय पर	8,123.57	7,141.79
सेवा की बिक्री	3.53	1.68
अन्य परिचालन राजस्व		
स्क्रैप की बिक्री	85.71	78.11
अन्य	1.30	-
कुल	**8,214.10**	**7,221.58**

31 मार्च 2025 तक

विवरण	घरेलू		अन्य	कुल
	रक्षा	गैर रक्षा	निर्यात	
उत्पादों की ब्रिकी	2,823.51	2,223.97	3,076.08	8,123.57
कुल	**2,823.51**	**2,223.97**	**3,076.08**	**8,123.57**

31 मार्च 2024 तक

विवरण	घरेलू		अन्य	कुल
	रक्षा	गैर रक्षा	निर्यात	
उत्पादों की ब्रिकी	3,684.54	1,760.37	1,696.87	7,141.79
कुल	**3,684.54**	**1,760.37**	**1,696.87**	**7,141.79**

24 अन्य कमाई

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
किराये की आय	10.43	9.22
उपयोगिता शुल्क	3.45	21.55
विविध आय	87.76	7.25
सावधि जमा पर ब्याज आय, जो परिशोधित लागत पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियां हैं	254.43	209.84
शुद्ध विनिमय लाभ	29.60	25.08
परिसमापन क्षति वसूली गई	16.00	20.53
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर शुद्ध लाभ	2.13	2.61
अन्य वसूली	10.74	7.29
निर्यात प्रोत्साहन*	20.50	9.67
कुल	**435.03**	**313.04**

* शुल्क वापसी प्रोत्साहन को नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है

25 उपभोग की गई सामग्री की लागत

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
वर्ष/अवधि की शुरुआत में कच्चा माल	2,821.76	2,636.93
जोड़ें: खरीदारी	3,638.01	3,694.80
घटाएँ: वर्ष/अवधि के अंत में कच्चा माल	3,006.08	2,821.75
उपभोग की गई सामग्रियों की कुल लागत	**3,453.68**	**3,509.98**

खरीद पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.सी देखें

इन्वेंट्री पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.e देखें

26 कार्य–प्रगति और तैयार माल की सूची में परिवर्तन

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
प्रारंभिक जमा		
कार्य प्रगति पर	1,209.13	1,387.42
तैयार माल	306.89	320.17
कुल	**1,516.02**	**1,707.59**
जमा शेष		
कार्य प्रगति पर	786.97	1,209.13
तैयार माल	413.61	306.89
कुल समापन शेष	**1,200.58**	**1,516.02**
कार्य–प्रगति और तैयार माल की सूची में परिवर्तन	**315.45**	**191.57**

27 कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
वेतन, मजदूरी और बोनस	2,337.93	2,161.34
अन्य भत्ते	18.78	-
कुल	**2,356.71**	**2,161.34**

28 वित्तीय लागत

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
वित्तीय लागत	4.05	2.16
कुल	**4.05**	**2.16**

29 मूल्याहास और परिशोधन व्यय

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास	187.52	171.65
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	10.64	11.54
कुल	**198.16**	**183.19**

संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.एच देखें

30 अन्या खर्चों

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
बिजली और ईंधन	104.80	122.94
परिवहन शुल्क	60.46	42.33
विज्ञापन	0.40	0.01
मुद्रण और स्टेशनरी	2.25	2.96
किराया, दरें और कर	30.86	25.93
ठेका श्रमिक	108.98	97.65
जल प्रभार	32.19	35.33
मरम्मत और रखरखाव - भवन	50.71	49.88
मरम्मत और रखरखाव-अन्य	10.05	7.30
मरम्मत और रखरखाव-पी एंड एम	14.75	4.94
यात्रा खर्च	4.37	10.62
टेलीफोन खर्च	2.12	1.62
बिजली का खर्च	77.51	41.24
आईटी व्यय	5.09	3.41
कानूनी और पेशेवर शुल्क	30.83	8.00
संपत्ति कर	29.83	29.83
सुरक्षा व्यय	258.16	234.71
किराये का खर्च	0.74	1.04
पुनर्रचना व्यय	-	0.21
प्रदर्शनी व्यय	2.49	3.87
जुर्माना, दंड और वैधानिक भुगतान	2.29	9.27
विविध व्यय	62.44	64.40
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	7.03	2.44
निर्यात आयोग	107.29	75.74
वारंटी व्यय	35.94	21.62
कुल	**1,041.85**	**897.31**

30 (क) लेखा परीक्षकों को भुगतान का विवरण

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.55	0.33
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.08	0.08
कुल	**0.63**	**0.41**

* नोट 30 के अंतर्गत कानूनी और व्यावसायिक शुल्क और विविध व्यय शामिल हैं

30 (ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है। सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	9.42	2.99
(ii) व्यय की गई राशि	2.69	0.60
– नई परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
– उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से	2.74	-
(iii) वर्ष के अंत में कमी/(अधिकता)	6.73	2.39
(iv) पिछले वर्षों की कमी/(अधिकता) का योग (जो ऊपर शामिल है)	2.39	0.15
(v) कमी का कारण	कंपनी ने 6.73 करोड़ रुपये की कुल कमी में से 6.14 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं, जिसे वर्ष के अंत में विशेष खाते (सीएसआर खाते) में जमा किया जाना है; कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और सीएसआर से संबंधित नियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर।	
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	कंपनी प्रभावशाली सामाजिक परियोजनाएं चलाती है जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों के अनुरूप हैं, जिनमें से कंपनी ने मुख्य रूप से शिक्षा, जल संरक्षण, स्वास्थ्य और स्वच्छता और सामुदायिक विकास के चार प्रमुख क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाएं शुरू की हैं।	
(vii) संबंधित पक्ष लेन-देन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	ना	
(viii) जहां संविदागत दायित्व में प्रवेश करने से उत्पन्न देयता के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वहां वर्ष के दौरान प्रावधान में होने वाले परिवर्तनों को अलग से दर्शाया जाना चाहिए ।	ना	

31 असाधारण वस्तूएँ

विवरण	31 मार्च 2025 तक			31 मार्च 2024 तक		
	डेबिट	क्रेडिट	कुल	डेबिट	क्रेडिट	कुल
पूर्व अवधि के व्यय	0.71	24.38	23.06	10.60	58.61	48.01
वर्तमान परिसंपत्ति/देयताएं वापस/बट्टे खाते में डाली गई	93.32	121.57	28.85	6.11	56.46	50.35
असंगत शुल्क और कर	18.01	-	(18.01)	27.47	125.23	97.76
पीपीई में समायोजन	22.75	-	(22.75)	44.34	9.75	-34.59
पीपीई से संबंधित राइट ऑफ समायोजन	4.14		(4.14)			
कुल	**138.93**	**145.95**	**7.02**	**88.52**	**250.05**	**161.53**

32 आयकर व्यय

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय के प्रमुख घटक नुकसान इस प्रकार हैं:

लाभ और हानि अनुभाग	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
आयकर व्यय		
वर्तमान आयकर	390.00	64.00
आस्थगित आयकर	56.67	127.81
कुल	**446.67**	**191.81**

33 उचित मूल्य माप

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां

लाभ और हानि सेक्शन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
वित्तीय पूंजी		
व्यापार प्राप्तियां	1,437.89	1,437.71
नकद और नकद के समान	6,144.76	3,500.32
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	315.71	130.87
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**7,898.35**	**5,068.90**
वित्तीय देनदारियाँ		
व्यापार देयताएं	1,386.48	1,157.77
सुरक्षा जमा	7.52	7.44
कर्मचारियों को देय	221.24	222.32
सरकार को देय	0.04	0.04

लाभ और हानि सेक्शन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
देय बयाना राशि	0.29	0.27
देय बिजली शुल्क	3.57	3.69
देय सुरक्षा व्यय	26.63	-
देय जल शुल्क	0.10	0.09
अन्य विविध वस्तुएँ	107.33	70.01
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**1,753.19**	**1,461.63**

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

परिशोधित लागत पर रखे गए सभी वित्तीय साधनों के उचित मूल्य उनकी वहन राशि से भौतिक रूप से भिन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वे या तो अल्पकालिक प्रकृति के होते हैं या लागू ब्याज दर वर्तमान बाजार ब्याज दर से भौतिक रूप से भिन्न नहीं होती है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य और अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत मापे जाने वाले कोई वित्तीय साधन नहीं हैं।

34 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

अपने व्यवसाय के दौरान, समूह मुख्यतः बाज़ार जोखिम, तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के संपर्क में रहता है, जो उसके वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करती है, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों से जुड़े अन्य जोखिमों, जैसे ऋण जोखिमों को भी कवर करती है। जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।

क ऋण जोखिम

ऋण जोखिम, प्रतिपक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों या दायित्वों के अनुसार ऋण चुकाने या सेवा देने में विफलता से उत्पन्न होने वाला वित्तीय नुकसान का जोखिम है। ऋण जोखिम में चूक का प्रत्यक्ष जोखिम और ऋण-योग्यता में गिरावट का जोखिम, दोनों शामिल हैं।

समूह का ऋण जोखिम मुख्यतः व्यापार प्राप्य, नकदी और बैंक शेष तथा अन्य प्राप्य से उत्पन्न होता है।

सरकार/सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) से व्यापार प्राप्तियों की एक बड़ी राशि बकाया है, जिसके परिणामस्वरूप समूह को ऐसी प्राप्तियों से जुड़ा कोई ऋण जोखिम नहीं है। गैर-सरकारी व्यापार प्राप्तियों के मामले में, बिक्री आमतौर पर ग्राहक द्वारा दिए गए साख पत्र के आधार पर की जाती है, जिससे ऋण जोखिम कम हो जाता है। समूह को आमतौर पर बैंक गारंटी के आधार पर 60% अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है, जो व्यापार प्राप्तियों से जुड़े ऋण जोखिम को और अधिक सुरक्षित बनाता है।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए केवल उच्च रेटिंग वाले बैंक/संस्थाएं ही स्वीकार की जाती हैं।

ऋण जोखिम के प्रति जोखिम

वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशियाँ अधिकतम ऋण जोखिम को दर्शाती हैं। ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम, जो बैंकों में शेष राशि, बैंकों में अल्पकालिक जमा, व्यापारिक प्राप्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि का योग होता है, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रकट किया जाता है। विवरण के लिए संबंधित नोट देखें।

ख तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और जमा राशि बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने और दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखना है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, समूह ग्राहकों से ऑर्डर मूल्य का 60% अग्रिम प्राप्त करने के बाद माल के उत्पादन के लिए ऑर्डर स्वीकार करके कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करके धन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर समूह की तरलता स्थिति और नकदी व नकदी समकक्षों के निरंतर पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। समूह की तरलता प्रबंधन नीति में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना शामिल है। समूह अपनी अतिरिक्त धनराशि को बैंक सावधि जमाओं में निवेश करता है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

(i) नीचे दी गई तालिका समूह की वित्तीय देनदारियों का उनके संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में विश्लेषण करती है:

तालिका में दर्शाई गई राशियाँ संविदागत अ–बट्टाकृत नकदी प्रवाह हैं। 12 महीनों के भीतर देय शेष राशियाँ उनके अग्रणीत शेष के बराबर होती हैं क्योंकि छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होता है।

31 मार्च 2025 तक	कुल	3 महिने से कम	3 से 12 महिने	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष
व्यापार देयताएं	1,386.48	-	1,386.48	–	–
सुरक्षा जमा	7.52	2.73	4.80	–	–
कर्मचारियों को देय	221.24	221.24	-	–	–
देय बिजली शुल्क	3.57	3.57	-	–	–
देय सुरक्षा व्यय	26.63	-	26.63	–	–
देय जल शुल्क	0.10	0.10		–	–
सरकार को देय	0.04	0.04		–	–
देय बयाना राशि	0.29	0.29	-	–	–
अन्य विविध वस्तुएँ	107.33	107.33	-	–	–
कुल	**1,753.19**	**335.29**	**1,417.91**	–	–

31 मार्च 2024 तक	कुल	3 महिने से कम	3 से 12 महिने	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष
व्यापार देयताएं	1,157.77	-	1,157.77	-	–
सुरक्षा जमा	7.44	0.47	7.44	6.97	–
कर्मचारियों को देय	222.32	222.32	-	-	–
अन्य विविध वस्तुएं	70.01	70.01	-	-	–
कुल	**1,457.54**	**292.80**	**1,165.21**	**6.97**	–

ग बाजार ज़ोखिम

बाज़ार जोखिम भविष्य की आय, प्राप्ति योग्य उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में किसी भी प्रकार की हानि का जोखिम है जो किसी वित्तीय साधन की कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हो सकता है। किसी वित्तीय साधन का मूल्य विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, तरलता और अन्य बाज़ार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बदल सकता है। भविष्य में विशिष्ट बाज़ार गतिविधियों का सामान्यतः उचित सटीकता के साथ पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेनदेन करता है और विदेशी मुद्रा लेनदेन, मुख्यतः अमेरिकी डॉलर, यूरो और स्वीडिश क्राउन के संदर्भ में, से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति संवेदनशील है। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों से उत्पन्न होता है, जिनका मूल्य समूह की कार्यात्मक मुद्रा (INR) से भिन्न मुद्रा में होता है।

समूह का आयात और निर्यात, दोनों ही लेन–देन विदेशी मुद्राओं में होता है। आयात, निर्यात से ज़्यादा है, इसलिए समूह का विदेशी मुद्रा जोखिम इस हद तक है कि ख़रीद, निर्यात से ज़्यादा है।

समूह जिन मुद्राओं के संपर्क में है, उनमें बहुत ज़्यादा उतार–चढ़ाव नहीं होता। हालाँकि, प्रबंधन इन मुद्राओं की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखता है और अस्थिरता के कारण होने वाले नुकसान से समूह को बचाने के लिए ज़रूरी कदम उठाता है।

लाभ और हानि सेक्शन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
वित्तीय पूंजी		
व्यापार प्राप्तियां		
यूरो	0.01	2.34
यूएसडी	98.50	587.26
बैंक बैलेंस		
यूएसडी	703.24	24.00
यूरो	164.57	
विदेशी मुद्रा जोखिम (परिसंपत्तियों) में शुद्ध जोखिम	**966.32**	**613.59**
व्यापार देयताएं		
यूरो	1.42	-2.88
यूएसडी	48.73	60.79
पूंजी लेनदारों		
यूरो	-	-
विदेशी मुद्रा जोखिम (देनदारियों) के प्रति शुद्ध जोखिम	**50.15**	**57.91**

वर्ष के अंत मे देय/प्राप्य शेष के संबंध में विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ या हानि की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

	लाभ पर प्रभाव	लाभ पर प्रभाव
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
5% की वृद्धि*		
यूरो	8.16	0.26
यूएसडी	37.65	27.52
5% की कमी*		
यूरो	(8.16)	(0.26)
यूएसडी	(37.65)	(27.52)
*अन्य सभी चरों को स्थिर रखते हुए		

35 पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन के समय समूह के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
– एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की उनकी क्षमता की रक्षा करना, ताकि वे शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, और
– पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।
पूँजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, समूह शेयरधारकों को पूँजी लौटा सकता है, नए शेयर जारी कर सकता है। समूह वार्षिक परिचालन योजनाओं, दीर्घकालिक परियोजनाओं और अन्य रणनीतिक निवेश योजनाओं के आधार पर आवश्यक पूँजी की मात्रा निर्धारित करता है। वित्तपोषण आवश्यकताओं को इक्विटी के माध्यम से पूरा किया जाता है।

36 (क) सेगमेंट रिपोर्टिंग

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने संशोधित अधिसूचना संख्या 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के तहत रक्षा उत्पादन में लगी कंपनियों को सेगमेंट रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट दे दी है।

(ख) (i) कर्मचारी लाभ दायित्व के लिए प्रावधान

पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) की उत्पादन और गैर–उत्पादन सुविधाओं के निगमीकरण पर, पूर्ववर्ती ओएफबी के कर्मचारियों को रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1(5)/2021/ओएफ/डीपी(योजना–V)/02 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के अनुसार दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए मानित प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया है। उक्त ओएम के अनुसार, ऐसे सभी कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे और इसलिए उनके संबंधित वेतन भत्ते, अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन देयता केंद्र सरकार का दायित्व बनी रहेगी। चूँकि कंपनी को इन दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए IND-AS 19 के अनुसार कुछ कर्मचारी लाभों के प्रावधान, जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ और भत्ते, वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इसे पत्र संख्या: 1(5)/2023/ईजीओएम/डीम्ड डिप्यूट./ओएफ/डीपी(एम एंड पी) दिनांक 09.09.2024 के तहत 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा कंपनी ने 12 कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया है, जिसके लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का प्रावधान किया गया है।

(ख) (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 का गैर–अनुपालन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 और धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, समूह को क्रमशः स्वतंत्र निदेशकों और कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति करना और लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक है। हालांकि, एक सरकारी कंपनी और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई होने के नाते, समूह को स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक सहित निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक है। ऐसी प्रक्रियाओं के लंबित होने के कारण, कंपनी महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने में सक्षम नहीं थी। समूह ने एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है जो अधिनियम की धारा 177(2), 178(1) और 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन नहीं करती है। बीओडी की संरचना कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं है।

प्रबंधन ने इस संबंध में सरकार से आवश्यक आवेदन कर दिए हैं। प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त गैर–अनुपालन के कारण वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण समायोजन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित नहीं था। चूँकि निदेशक मंडल की नियुक्ति सीधे रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए कंपनी ऐसे निदेशकों की नियुक्ति करने में सक्षम नहीं है।

37 संबंधित पक्ष लेनदेन

समूह का नियंत्रण भारत सरकार के पास है।

संबंधित पक्षों के नाम और रिश्ते की प्रकृति

(क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री देबाशीष बनर्जी	सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार (01/04/2024 से 30/11/2024 तक)
श्री देबाशीष बनर्जी	निदेशक/मानव संसाधन (01/04/2024 से 30/11/2024 तक)
श्री प्रकाश अग्रवाल	सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार (01/12/2024 से 31/03/2025 तक)
श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/वित्त/सीएफओ (01/04/2024 से 31/03/2025 तक)
श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/संचालन (01/04/2024 से 07/11/2024 तक)
श्री राकेश ओझा	निदेशक/संचालन (08/11/2024 से 31/03/2025 तक)
श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक	निदेशक/मानव संसाधन (05/02/2025 से 31/03/2025 तक)
श्री अनुराग बाजपेयी	नामित निदेशक (01/04/2024 से 04/08/2024 तक)
श्री अमित सतीजा	नामित निदेशक (14/08/2024 से 31/03/2025 तक)
श्री ई.जे. पॉल	कंपनी सचिव (01/04/2024 से 31/03/2025 तक)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का मुआवजा	**31 मार्च 2025**	**31 मार्च 2024**
अल्पाकालिक कर्मचारी लाभ	1.17	1.54
कुल	**1.17**	**1.54**

(ख) चूंकि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के नियंत्रण में एक सरकारी इकाई है, इसलिए कंपनी ने सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन के संबंध में इंड एएस 24 के तहत आवश्यक विस्तृत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त की है।

हालांकि, भारतीय लेखा मानक 24 के तहत अपेक्षित, निम्नलिखित व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन हैं: कंपनी के टर्नओवर और व्यापार प्राप्तियों का लगभग 51% और ग्राहक अग्रिमों का 75% सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में है।

38 आकस्मिक देयताएं

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
(i) आकस्मिक देयताएं		
कानूनी दावों में वेतन और भत्ते के लिए अदालती मामले, अनुशासनात्मक मामलों में जुर्माना, खरीद में मध्यस्थता और वेतन निर्धारण आदि शामिल हैं।	76.59	10.50
कानूनी दावों में वेतन और भत्ते, खरीद में मध्यस्थता, वेतन निर्धारण और जीएसटी विभाग आदि के लिए अदालती मामले शामिल हैं।	143.99	15.01
बैंक गारंटी	1,017.71	184.95
साख पत्र	590.78	945.58
कुल	**1,829.08**	**1,156.04**

प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.I. का संदर्भ लें

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऊपर शामिल 172.33 करोड़ रुपये की राशि के ऋण पत्र के विरुद्ध सुरक्षा के लिए नोट संख्या 14 देखें और चालू वर्ष के लिए शून्य। मंजूरी एसबीआई द्वारा प्रदान की गई सुविधा से है।

39 प्रति शेयर आय

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
(क) प्रति शेयर मूल आय		
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ, जिसका उपयोग प्रति शेयर मूल आय की गणना में किया जाता है	839.86	558.78
प्रति शेयर मूल आय की गणना में हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	34,42,08,80,000	34,24,03,61,370
प्रति शेयर मूल आय (रुपये में)	**0.24**	**0.16**
(ख) प्रति शेयर तनु आय		
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ, जिसका उपयोग प्रति शेयर तनु आय की गणना में किया जाता है	839.86	558.78
प्रति शेयर तनु आय की गणना में हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	34,91,17,11,823	34,77,43,75,753
प्रति शेयर डायलूटेड आय (रुपये में)	**0.24**	**0.16**

40 अनुसूची III द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियामक जानकारी

(क) वित्तीय मुख्य बिंदु

क्रमांक	विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	विचरण %
क	**लाभ और हानि का विवरण**			
1	परिचालन से राजस्व	8,214.10	7,221.58	14%
2	अन्य कमाई	435.03	313.04	39%
	कुल आय	**8,649.41**	**7534.618473**	**15%**
3	कुल व्यय	7,369.63	6,945.56	6%
	कर से पहले का लाभ	**1,279.51**	**589.06**	**117%**
	असाधारण वस्तु	7.02	161.53	-96%
	कर के बाद लाभ	**839.86**	**558.78**	**50%**
	प्रति शेयर आय	**0.24**	**0.16**	52%

क्रमांक	विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	विचरण %
ख	**तुलन पत्र**			
	संपत्ति			
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/ अमूर्त परिसंपत्ति/ सीडब्ल्यूआईपी	5,831.64	5,143.24	13%
2	सूची	4,206.67	4,523.11	-7%
3	निवेश	0.80	0.80	0%
4	अन्य परिसंपत्ति	1,162.84	1,443.02	-19%
5	वित्तीय पूंजी	7,898.35	5,289.90	49%
	कुल	**19,100.29**	**16,400.07**	16%
	देयताएं			
6	हिस्सेदारी	10,204.71	8,619.40	18%
7	गैर चालू देयता	2,895.36	2,932.65	-1%
8	वर्तमान देनदारियां	6,000.22	4,848.01	24%
	कुल	**19,100.29**	**16,400.07**	16%

(ख) वित्तीय अनुपात

क्र.सं.	अनुपात	मीटर	भाजक	31 मार्च 2025 मीटर	भाजक	31 मार्च 2025 अनुपात	31 मार्च 2024 अनुपात	% भिन्नता	भिन्नता का कारण
1.	वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	13,255.56	6,000.22	2.21	2.31	-4%	लागू नहीं क्योंकि विचरण 25% से कम है
2.	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	करों के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारक निधि	839.86	10,204.71	8..23%	6.48%	27%	परिचालन से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप परिचालन लाभ हुआ है
3.	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की कीमत	औसत इन्वेंटरी	3,769.13	4,364.89	0.86	0.84	3%	परिचालन से राजस्व में वृद्धि के कारण, बेची गई वस्तुओं की लागत भी बढ़ गई है।
4.	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	परिचालन से राजस्व(सकल)	औसत व्यापार प्राप्य	8,214.10	1,437.80	5.71	5.08	12%	लागू नहीं क्योंकि विचरण 25% से कम है
5.	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण खरीद	औसत व्यापार देय	1,455.20	1,272.13	1.14	1.50	-24%	लागू नहीं क्योंकि विचरण 25% से कम है
6.	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	परिचालन से राजस्व(सकल)	चालू संपत्तियां चालू दायित्व	8,214.10	7,255.34	1.13	1.13	0%	यह वृद्धि परिचालन से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के कारण हुई है
7.	शुद्ध लाभ अनुपात	करों के बाद शुद्ध लाभ	परिचालन से राजस्व (सकल)	839.86	8,214.10	10.22%	7.74%	32%	परिचालन से प्राप्त राजस्व और परिचालन लाभ में वृद्धि के कारण करों के बाद शुद्ध लाभ में भी वृद्धि हुई है ।
8.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की कमाई	कुल संपत्ति – चालू और गैर–चालू देयताएं	1,283.56	10,204.71	12.58%	6.86%	83%	परिचालन से राजस्व में वृद्धि के कारण, EBITDA में वृद्धि हुई है ।
9.	निवेश पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पहले की कमाई	कुल संपत्ति	1,283.56	19,100.29	6.72%	3.60%	87%	परिचालन से राजस्व में वृद्धि के कारण, EBITDA में वृद्धि हुई है ।

नोट: निम्नलिखित अनुपातों का खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि वे कंपनी पर लागू नहीं हैं
ऋण इक्विटी अनुपात
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात

(ग) अन्य विनियामक जानकारी

(i) समूह के नाम पर न रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख

वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकटित सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख, संबंधित कारखानों के स्थान पर स्थित 43146.79 एकड़ भूमि को छोड़कर, कंपनी के नाम पर हैं, जिनमें से 39883.836 एकड़ क्षेत्रफल वाली भूमि अभी भी भारत सरकार के नाम पर है और हस्तांतरण प्रक्रिया प्रगति पर है।

इकाई का नाम	संपत्ति का विवरण (भूमि)	क्षेत्रफल एकड़ में	जगह	सकल वहन मूल्य (INR)	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक, रिश्तेदार या कर्मचारी है	तब से धारित संपत्ति	क्या विलेख कंपनी के नाम पर है?	कंपनी के नाम न रखे जाने का कारण
एएफके	भूमि	126.873	भोसरी, वडमुखवाड़ी	मात्रा पता नहीं चला हैं	निजी मालिक और भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
ओएफबी	भूमि	4737.85	आयुध निर्माणी भंडारा जिला.भंडारा महाराष्ट्र-441906	25,78,685	भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
ओएफबीएल	भूमि	11971.03	ओ.एफ. बदमल, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। उत्परिवर्तन	5,02,18,000	भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
ओएफसीएच	भूमि	7942.89	ओएफसीएच	9,75,637	भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
ओएफआई	भूमि	5357.21	ओएफआई	93,56,700	भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
ओएफके	भूमि	3870.04	ऑर्ड. फाय. खमरिया	8,09,000	भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है

इकाई का नाम	संपत्ति का विवरण (भूमि)	क्षेत्रफल एकड़ में	जगह	सकल वहन मूल्य (INR)	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक, रिश्तेदार या कर्मचारी है	तब से धारित संपत्ति	क्या विलेख कंपनी के नाम पर है?	कंपनी के नाम न रखे जाने का कारण
ओएफवी	भूमि	1308	इनसाइड फैक्ट्री (ओएफवी)	88,62,761	भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
	भूमि	1645.519	ओएफवी एस्टेट		भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
एनएडीपी	इमारत		अंबाझरी, नागपुर	3,19,28,246		नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है, भूमि हस्तांतरण के बाद प्रक्रिया शुरू की जा सकती है
कुल		**42383.4011**		**761193255**					

(ii) कंपनी रजिस्ट्रार के साथ शुल्कों का पंजीकरण या संतुष्टि
ऐसे कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं हैं जिन्हें वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया जाना बाकी है।

(iii) बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधार का उपयोग। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया गया है।

(iv) बेनामी संपत्ति का विवरण
बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बेनामी संपत्ति रखने के लिए समूह के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(v) चालू परिसंपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित उधार
कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है।

(vi) जानबूझकर चूककर्ता
कंपनी की किसी भी इकाई को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(vii) हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हटाई गई कंपनियों के साथ कोई व्यावसायिक लेनदेन नहीं किया है ।

(viii) कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन
कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

(ix) व्यवस्था की अनुमोदित योजना(यों) का अनुपालन
कंपनी ने ऐसी कोई व्यवस्था योजना शुरु नहीं की है जिसका चालू अवधि पर लेखांकन प्रभाव हो।

(x) उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग
कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या संस्था(संस्थशयों) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निरि्शत धनराशि नहीं दी है कि मध्यस्थ:

(xi) इकाइयों द्वारा रिपोर्ट किए गए रिटर्न के लेखापरीक्षित आंकड़ों को भारतीय लेखा मानक रिपोर्टिंग के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों में एकरूपता लाने के लिए यथासंभव पुनर्समूहित किया गया है।

(xii) अघोषित आय
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में चालू अवधि के दौरान कोई भी आय समर्पित या आय के रूप में प्रकट नहीं की गई है, जिसे लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

(xiii) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण
कंपनी ने चालू अवधि के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(xiv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन
कंपनी ने चालू अवधि के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त परिसंपत्तियों या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(xv) कंपनी के सरकारी सशस्त्र बलों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) के साथ बड़े लेन–देन हैं। उनके/उनसे बकाया शेष (व्यापार देय/व्यापार प्राप्य आदि के अंतर्गत शामिल) और कुछ अन्य बकाया क्रेडिट और डेबिट शेष पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। इनसे उत्पन्न होने वाले समायोजन, यदि कोई हों, निपटान पर महत्वपूर्ण नहीं होंगे और जब भी उनका पता लगाया जाएगा, उनका हिसाब लगाया जाएगा।

(xvi) चालू वर्ष की प्रस्तुति की पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को यथासंभव पुनः समूहीकृत किया गया।

(घ) भावी पूंजी प्रतिबद्धता

विवरण	2024-2025 के लिए भावी पूंजी प्रतिबद्धता	2023-2024 के लिए भावी पूंजी प्रतिबद्धता
प्रतिबद्ध दायित्व	2,106.24	2,367.5

बोरकर और मुजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
फर्म पंजीकरण संख्या: 101569W

के निदेशक मंडल की ओर से
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592

संजय हज़ारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11089196

प्रकाश अग्रवाल
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक – 19/08/2025

पुणे
दिनांक – 19/08/2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्यों के लिए,
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

प्रतिकूल राय

1. हमने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (‘कंपनी‘, जिसमें पुणे, महाराष्ट्र स्थित मुख्यालय और पंद्रह इकाइयाँ शामिल हैं) और उसकी सहायक कंपनी (कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को सामूहिक रूप से ‘समूह‘ कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक का समेकित बैलेंस शीट, और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और नकदी प्रवाह का समेकित विवरण, और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे आगे ‘समेकित वित्तीय विवरण‘ कहा गया है) शामिल हैं, जिसमें ग्यारह इकाइयों और सहायक कंपनी के रिटर्न शामिल हैं। समूह के संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा उस तिथि को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षा किया गया, जो निम्नानुसार है :

क्र.सं.	इकाई का नाम	इकाई का स्थान
1	राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी (एनएडीपी)	नागपुर, महाराष्ट्र
2	आयुध निर्माणी भंडारा (ओएफबीए)	भंडारा, महाराष्ट्र
3	आयुध निर्माणी चांदा (ओएफसीएच)	चंद्रपुर, महाराष्ट्र
4	आयुध निर्माणी नालंदा (ओएफएन)	नालंदा, बिहार
5	आयुध निर्माणी वरणगांव (ओएफवी)	वरणगांव, महाराष्ट्र
6	आयुध निर्माणी इटारसी (ओएफआई)	इटारसी, मध्य प्रदेश
7	आयुध निर्माणी खमरिया (ओएफके)	खमरिया, जबलपुर, मध्य प्रदेश
8	आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया (ओएफआईएल)	खमरिया, जबलपुर, मध्य प्रदेश
9	आयुध निर्माणी बडमाल (ओएफबीएल)	बडमाल, ओडिशा
10	कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु (सीएफए)	ऊटी, तमिलनाडु
11	हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली (एचईपीएफ)	तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु
	सहाय्यक कंपनी	**सहाय्यक कंपनी का स्थान**
12	म्यूनिशंस इंडिया स्पोटर्स प्रमोशनल कांउसिल (एमआईएसपीसी)	पुणे, महाराष्ट्र

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के प्रतिकूल राय के आधार खंड में वर्णित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम‘) द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, (‘इंडस्ट्रिज एएस‘) और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जो 31 मार्च, 2025 तक समूह के लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन की स्थिति और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की स्थिति को दर्शाता है।

प्रतिकूल राय के लिए आधार

3. हम इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक 'क' में वर्णित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनके मात्रात्मक और गुणात्मक प्रभाव, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, हमारे विचार से, समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, ऐसे मामले भी हैं जहाँ हम और समूह के संबंधित लेखापरीक्षक पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे। उक्त अनुलग्नक 'क' में वर्णित मामलों के प्रभाव, जिन्हें यथोचित रूप से निर्धारित किया जा सकता था, जहाँ तक संभव हो, परिमाणित किए गए हैं और उसमें दिए गए हैं।

4. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। इन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व खंड में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं और हमने आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को भी पूरा किया है।

5. हमारा मानना है कि इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक 'क' के साथ प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी प्रतिकूल राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। इकाइयों की पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की लेखापरीक्षा रिपोर्टों ने भी अपनी-अपनी जारी रिपोर्टों में अनुलग्नक 'क' में वर्णित मामलों पर योग्यता प्राप्त की थी।

मामले पर जोर

6. इंडस्ट्रीज एएस 19 – कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व

हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36(बी)(i) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार कंपनी के अधिकांश कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनके वेतन का खर्च समूह द्वारा वहन किया जाता है। हालाँकि, कुछ कर्मचारी लाभों, जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान, ऐसे कर्मचारियों के लिए मान्य नहीं हैं क्योंकि वे समूह के वेतन-सूची में नहीं हैं। रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1(5)/2021/ओएफ/डीपी(योजना-V)/02 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के अनुसार, प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने का दायित्व सरकार का है, न कि कंपनी का, जिसे पत्र संख्या: 1(5)/2023/ईजीओएम/मान्य प्रतिनियुक्ति/ओएफ/डीपी(एम एंड पी) दिनांक 09.09.2024 के अनुसार 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

7. सहायक कंपनी का स्वैच्छिक समापन

धारा 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण, चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं क्योंकि प्रबंधन ने स्वेच्छा से अपने संचालन को बंद करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरण, भारतीय लेखा मानक 1- वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति की आवश्यकताओं के अनुपालन में, ऐतिहासिक लागत के अलावा किसी अन्य मापन आधार का उपयोग करके तैयार किए गए हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य जानकारी

8. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है । अन्य जानकारी में बोर्ड रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है । बोर्ड रिपोर्ट हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है । समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं ।

9. समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है, या लेखापरीक्षा या अन्य माध्यम से प्राप्त हमारी जानकारी भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है ।

10. जब हम ऐसी अन्य जानकारी पढ़ते हैं, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई भौतिक रूप से गलत विवरण है, तो हमें इस मामले की सूचना शासन के प्रभारी को देनी होगी । इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट नहीं करनी है ।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

11. कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह के समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रिजएएस) शामिल हैं । इस समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल/न्यासी/प्रबंधन समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग करने, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाने के लिए जिम्मेदार हैं; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं ।

12. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, समूह में शामिल संस्थाओं के निदेशक मंडल/न्यासी/प्रबंधन, संबंधित कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो, चालू संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो ।

13. समूह में शामिल संस्थाओं के निदेशक मंडल/न्यासी/प्रबंधन, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए भी जिम्मेदार होंगे ।

वित्तीय विवरणों के लेखा–परीक्षण हेतु लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

14. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र समेकित वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार किया गया लेखा–परीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

15. समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार लेखा–परीक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा–परीक्षण के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं :

* समेकित वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करना, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

* परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता क्या है।

* प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

* प्रबंधन द्वारा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।

* प्रकटीकरणों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करें, और यह भी कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

* समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें।

16. भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानों की वह मात्रा है जो, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इस बात की संभावना बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलतबयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

17. हम शासन के प्रभारियों के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं।

18. हम शासन के प्रभारियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के बारे में भी बताते हैं।।

अन्य मामले

19. हमने ग्यारह इकाइयों और सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया, जिनकी वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2025 तक 14,238.94 करोड़ रुपये (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) की कुल संपत्ति और 8,584.47 करोड़ रुपये (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) की शुद्ध संपत्ति, 8,051.14 करोड़ रुपये का कुल राजस्व (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले), उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 946.62 करोड़ रुपये (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) की कुल व्यापक आय (लाभ और अन्य व्यापक आय से युक्त) दर्शाती है, जैसा कि वित्तीय विवरणों में माना जाता है। इस वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा समूह के संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है, और वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक यह इन इकाइयों और सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह उपरोक्त समूहों और सहायक कंपनी से संबंधित है, पूरी तरह से संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

20. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा और भारत में निगमित सहायक कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, हम 'अनुलग्नक 1' में आदेश के पैराग्राफ 3(xxi) में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

21. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने अनुबंध 'क' में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं।

(ख) हमारी राय में, हमारी रिपोर्ट के अनुलग्नक–'क' में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, समूह द्वारा उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा–बहियाँ रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जाँच और संबंधित इकाई लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों से प्रतीत होता है।

ग) कंपनी की इकाइयों और सहायक कंपनियों के खातों पर रिपोर्ट, जिनका अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत क्रमशः इकाई और सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है और हमें भेजी गई हैं, और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उनका उचित ढंग से निपटान किया है।

घ) इस रिपोर्ट में उल्लिखित समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ–हानि विवरण (समेकित अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, लेखा–बहियों से मेल खाते हैं। हालाँकि, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक–'क' में वर्णित मामलों के कारण समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय मान्य है।

ङ) हमारी राय में, अनुलग्नक–'क' में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

च) कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार लागू नहीं होते हैं।

छ) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया 'अनुलग्नक–ख' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें, जहाँ हमने प्रतिकूल राय दी है जो कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

ज) कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान अधिसूचना संख्या GSR 463(ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार लागू नहीं होते।

i) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और इकाई लेखापरीक्षकों तथा सहायक कंपनी लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार के आधार पर :

(i) समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के अपने वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का खुलासा किया है – समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 38 का संदर्भ लें।

(ii) समूह के पास 31 मार्च, 2025 तक अपने माल की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक अनुबंध बकाया हैं, जिसके लिए वित्तीय विवरणों के नोट 3 में उल्लिखित प्रावधान किया गया है।

(iii) समूह द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

(iv) (क) कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंधित प्रबंधन ने हमें सूचित किया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के लेखाओं के नोट्स (नोट 40(सी)(x) देखें), यदि कोई हो, में प्रकट की गई जानकारी के अलावा, कंपनी या सहायक कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों), जिसमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ') शामिल हैं, को कोई धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') या सहायक कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगा।

(ख) कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंधित प्रबंधन ने हमें सूचित किया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के खातों के नोट्स में प्रकट किए गए विवरण (नोट 40(सी)(x) देखें) के अलावा, यदि कोई हो, तो कंपनी या सहायक कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) से, विदेशी संस्थाओं ('वित्तपोषण पक्ष') सहित, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी या सहायक कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार नहीं देगी या निवेश नहीं करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान नहीं करेगी।

(ग) कंपनी और उसकी सहायक कंपनी द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और इकाई और सहायक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंध में हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और जैसा कि उप-खंड (iv)(क) और (iv)(ख) के तहत उल्लेख किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

(v) कंपनी और उसकी सहायक कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है। अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (1) और (4) के प्रावधान, अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) हमारी जाँच के आधार पर, जिसमें कंपनी पर हमारे द्वारा की गई नमूना जाँचें शामिल हैं, और इकाइयों एवं सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई है, हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर अर्थात टैली प्राइम का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है। कंपनी और उसकी इकाइयों द्वारा रिकॉर्ड रखने के उद्देश्यों के लिए बनाए गए अन्य सॉफ्टवेयर (टैली प्राइम के अलावा) को छोड़कर, जो टैली प्राइम में दर्ज किए गए डाटा के स्रोत के रूप में काम करते हैं, अर्थात इंफॉर्मिक्स, पीपीसी और फॉक्स प्रो, जिनके लिए ऑडिट ट्रेल सक्षम नहीं था। उक्त सुविधा पूरे वर्ष सॉफ्टवेयर (टैली प्राइम) में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए संचालित रही है। इसके अलावा, हमारे लेखा परीक्षा के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड रखने की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, होल्डिंग कंपनी द्वारा समूह के ऑडिट ट्रेल को सुरक्षित रखा जाता है।

22. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के बहीखातों और अभिलेखों की जाँच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम 'अनुलग्नक ग' में कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों का विवरण देते हैं।

बोरकर एवं मुजुमदार की ओर से

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 101569W

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592
UDIN: 25048592BMMLLJ3696
दिनांक: 19 अगस्त, 2025
स्थान: पुणे

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के शीर्षक 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ में संदर्भित 'अनुलग्नक 1'

विषय : म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ("कंपनी")

(xxi) समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्ट में संबंधित लेखा परीक्षकों की योग्य या प्रतिकूल टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

क्रमांक	नाम	सीआईएन	होल्डिंग कंपनी / सहायक कंपनी / सहयोगी / संयुक्त उद्यम	सीएआरओ रिपोर्ट का खंड संख्या जो योग्य और प्रतिकूल है
1	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड	U29190PN2021G$OI203505	होल्डिंग कंपनी	खंड (i)(क),(ख),(ग), खंड (ii)(र), खंड (vii)(क), खंड (xiv)(क)(ख), खंड (xx)(क) एवं (ख)
2	म्यूनिशंस इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशनल काउंसिल	U93190PN2024NPL230249	सहायक कंपनी	चूंकि यह धारा 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत है, इसलिए CARO रिपोर्टिंग लागू नहीं है

के लिए और की तरफ से
बोरकर और मुजुमदार
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 101569W

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592
UDIN: 25048592BMMLLJ3696
दिनांक: 19 अगरस्त, 2025
स्थान: पुणे

अनुलग्नक क
(जैसा कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्य राय के आधार पैरा में संदर्भित है)

खंड I

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की कुल 15 इकाइयाँ और मुख्यालय (जिन्हें सामूहिक रूप से 'कंपनी' कहा जाता है) हैं, जो अलग-अलग लेखा इकाइयाँ और सहायक कंपनी (कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को सामूहिक रूप से 'समूह' कहा जाता है) हैं। इनमें से, 11 इकाइयों और सहायक कंपनी का लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया और 4 इकाइयों और सभी इकाइयों के समेकित विवरणों सहित मुख्यालय के संचालन का लेखापरीक्षा हमारे, बोरकर और मुजुमदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया गया।

उपर्युक्त इकाइयों और सहायक कंपनी में से, कुल 3 इकाइयाँ (हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 1 सहित) और सहायक कंपनी हैं जहाँ लेखापरीक्षकों ने अयोग्य लेखापरीक्षा राय दी है और 12 इकाइयाँ (हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 3 सहित) हैं जहाँ इकाई लेखापरीक्षकों ने योग्य राय दी है।

ये 11 इकाइयाँ और मुख्यालय संचालन, जहाँ संबंधित इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा राय को योग्य माना गया था, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में 22,149.82 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले), 9,414.06 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति, 9403.95 करोड़ रुपये का कुल राजस्व (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) और 801.82 करोड़ रुपये की कुल व्यापक आय (अंतर-इकाई उन्मूलन प्रविष्टियों से पहले) का गठन करती हैं।

यह देखते हुए कि अधिकांश लेखा परीक्षकों ने योग्य राय जारी की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक महत्वपूर्ण संपत्ति और देनदारियाँ और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समूह की आय और व्यय शामिल हैं, नीचे दी गई टिप्पणियों के आधार पर, हमने समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय जारी की है।

प्रमुख योग्यताओं का सारांश
निम्नलिखित यूनिट लेखा परीक्षकों और हमारे द्वारा संचालित 4 इकाइयों और मुख्यालय संचालनों की रिपोर्टों के आधार पर महत्वपूर्ण योग्यताओं का सारांश है। नीचे उल्लिखित योग्यताएँ अधिकांश यूनिटों में समान हैं। संबंधित रिपोर्टों में उल्लिखित यूनिट लेखा परीक्षकों की विस्तृत योग्यताएँ इस अनुलग्नक के खंड खख में दी गई हैं।

क. पूर्व अवधि समायोजन

हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 31 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 145.95 करोड़ रुपये की राशि के असमाधान रहित पुराने शेषों के बारे में बताया गया है, जिन्हें विभिन्न असमाधान रहित देनदारियों से वापस लिखा गया है, 138.93 करोड़ रुपये जो वर्ष के दौरान समूह द्वारा असमाधान रहित परिसंपत्तियों (पीपीई शेष सहित) से इकाइयों के रिटर्न में बताई गई सीमा तक बट्टे खाते में डाले गए हैं। 7.02 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाले गए और वापस लिखे गए मदों का शुद्ध प्रभाव वित्तीय विवरणों में अपवादात्मक मद के अंतर्गत दर्शाया गया है क्योंकि ये राशियाँ पिछले वर्षों से संबंधित लेन-देन से संबंधित हैं और अनावर्ती हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों से संबंधित विभिन्न आय और व्यय भी संबंधित आय और व्यय बहीखातों में शामिल हैं।

पिछले वर्षों से संबंधित उपरोक्त शेष, आय और व्यय, तुलनात्मक आरंभिक आंकड़ों की सत्यता के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण, 31 मार्च, 2024 तक शेष की विश्वसनीयता के संबंध में पिछले स्टैंडअलोन लेखापरीक्षा रिपोर्टों की योग्यताओं का एक हिस्सा थे। समूह ने प्रतिधारित आय आरंभिक शेष को समायोजित करके ऐसी पूर्व अवधि मदों के लिए पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों का पूर्वव्यापी पुनर्कथन नहीं किया है, क्योंकि समूह ने पुनर्कथन के लिए भौतिकता सीमा निर्धारित नहीं की है, जो कि भारतीय लेखा मानक–8 के अनुरूप नहीं है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

(एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफसीएच, ओएफवी, एचईपीएफ, ओएफआई, ओएफआईएल के मामले में देखा गया)।

ख. **व्यापारिक प्राप्य शेष**

समूह के पास व्यापारिक प्राप्य शेष और ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों के समाधान हेतु कोई प्रणाली नहीं है, जिसमें मुख्यालय द्वारा प्राप्त अग्रिमों का आबंटन और 26AS में दर्शाए गए ढउ्ड का संबंधित इकाइयों को आबंटन शामिल है। ये शेष संबंधित पक्षों से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसके अलावा, लेखा प्रणाली, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों सहित व्यापारिक प्राप्य शेषों की चालान–वार सूची प्रदान नहीं करती है, जिसका सामान्य खाता–बही शेष से उचित मिलान हो। व्यापारिक प्राप्य से प्राप्तियों/बकाया राशियों का बिल–वार अभिलेखन और शेष पुष्टि के अभाव में, समेकन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 8 में उल्लिखित एजिंग विश्लेषण से संबंधित उचित आधार सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

यह भी देखा गया कि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार व्यापारिक प्राप्य पर कोई एउङ प्रावधान निर्धारित या निर्मित नहीं किया है।

ऐसे शेषों की पुष्टि, समाधान और ईसीएल के लिए प्रावधान की गणना न होने तक, समेकित वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2025 तक इन शेषों की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

(एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफआई, ओएफआईएल, ओएफबीएल, ओएफबीए, ओएफसीएच, एनएडीपी, ओएफवी के मामले में देखा गया)।

ग. **व्यापार देय शेष**

समूह के पास आवधिक आधार पर व्यापार देय शेषों के समाधान हेतु कोई प्रणाली नहीं है। ये शेष संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, लेखा प्रणाली, आपूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिमों सहित व्यापार देय शेषों की चालान–वार सूची प्रदान नहीं करती है जो सामान्य खाता–बही शेष से विधिवत मेल खाती हो। व्यापार देय भुगतानों/बकाया राशियों के बिल–वार अभिलेखन और शेष पुष्टिकरण के अभाव में, समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

संख्या 18 में उल्लिखित लेनदारों की आयु के उचित आधार का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। ऐसी पुष्टि, समाधान और एजिंग (आयु–वार) विश्लेषण के आधार तक, समेकित वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2025 तक इन शेषों की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की एकल लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

(एचओ, एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफआई, ओएफआईएल, ओएफबीए, ओएफबीएल, ओएफसीएच, एनएडीपी, ओएफवी के मामले में देखा गया)।

31 मार्च, 2025 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (‘एमएसएमई’) विक्रेताओं को देय राशियों से संबंधित पार्टी–वार विवरण के अभाव और एमएसएमई विक्रेताओं की पहचान करने में समूह की असमर्थता के कारण, हम एमएसएमई को देय अतिदेय राशियों की सटीकता और 31 मार्च, 2025 तक एमएसएमई को देय बकाया राशि के समापन शेष की पुष्टि करने में असमर्थ हैं। साथ ही, 31 मार्च, 2025 तक एमएसएमई को देय अतिदेय राशियों पर ब्याज का प्रावधान वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव निश्चित नहीं है। तदनुसार, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण गलत है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की एकल लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

(एनएडीपी, एचईपीएफ, ओएफवी के मामले में देखा गया)

घ. अन्य डीपीएसयू के शेष

समूह के पास अन्य डीपीएसयू के आवधिक आधार पर समाधान हेतु कोई प्रणाली नहीं है। ये शेष संबंधित डीपीएसयू से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसके अलावा, लेखा प्रणाली, आपूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिमों सहित डीपीएसयू के शेषों की चालान–वार सूची प्रदान नहीं करती है जो सामान्य खाता–बही शेष से उचित रूप से मेल खाती हो। डीपीएसयू को की गई खरीद/बिक्री का बिल–वार रिकॉर्ड और शेष राशि की पुष्टि के अभाव में, डीपीएसयू की एजिंग के लिए दिए गए उचित आधार का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। कुछ मामलों में, प्रबंधन ने समाधान का विवरण तो दिया है, लेकिन विस्तृत रिकॉर्ड रखरखाव के अभाव और असंतोषजनक प्रतिक्रिया के कारण, मार्च 2025 तक रिपोर्ट किए गए शेषों की सटीकता की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

ऐसी पुष्टि, समाधान और आयु–वार विश्लेषण के आधार के लंबित रहने तक, समेकित वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजनों, यदि कोई हो, के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, हम 31 मार्च, 2025 तक इन शेष राशियों की सत्यता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

(एचईएफ, ओएफडीआर, एएफके, ओएफके, ओएफआई, ओएफआईएल के मामले में देखा गया)।

ङ. असमाधानित जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट

खातों की पुस्तकों के अनुसार जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का मिलान संबंधित इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र (ईसीएल) में प्रदर्शित शेष राशि और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जीएसटीआर–3बी में उपयोग की गई राशि के साथ किया जाना आवश्यक है। समायोजन न होने के कारण, कुछ आईटीसी जो समाप्त हो गए हैं या जिनका लाभ नहीं उठाया गया था, उन्हें वापस करने के बजाय, पुस्तकों में दर्शाया जाता है।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि वर्ष के दौरान निम्नलिखित से संबंधित कुछ मामलों में जीएसटी व्यय दर्ज किए गए हैं :

* सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के तहत अवरुद्ध क्रेडिट;
* अयोग्यता या गैर–अनुपालन के कारण प्रारंभिक इनपुट क्रेडिट का प्रत्यावर्तन; और
* वैधानिक समय सीमा के भीतर दावा न किया गया समाप्त आईटीसी।

कुछ इकाइयों (अर्थात एनएडीपी, एचईएफ, ओएफडीआर) में, आईटीसी शेषों का समाधान तैयार किया गया था। हालाँकि, हमारे सत्यापन के समय ये समाधान अधूरे थे और इन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता था। पूर्ण सहायक दस्तावेज़ों और समाधान के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट शेषों की शुद्धता और पात्रता का सत्यापन करने में असमर्थ हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

(एचईएफ, ओएफडीआर, ओएफआईएल, ओएफआई, ओएफके, एचईपीएफ, एनएडीपी, ओएफसी, ओएफबीए के मामले में देखा गया)।

च. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, प्रगतिरत पूंजीगत कार्य और विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ तथा उन पर मूल्यह्रास

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार संपत्तियों के जीवनकाल को ध्यान में रखते हुए 'संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण' परिसंपत्ति वर्ग के मामले में मूल्यह्रास का प्रावधान किया है। हालाँकि, चूँकि ये संपत्तियाँ नई नहीं हैं और समूह के निगमन से पहले सृजित/अधिग्रहित की गई थीं, इसलिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इन संपत्तियों का मूल्यह्रास शेष अनुमानित जीवनकाल पर किया जाना चाहिए था। अतः, समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति भारतीय लेखा मानक–16 में निर्धारित पद्धति के अनुरूप नहीं है। तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर संपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल और अनुमानित अवशिष्ट मूल्य के विवरण के अभाव में, हम समेकित वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, समूह ने कुछ संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के लिए उपयोगी जीवन लागू किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अवधि से अधिक है। इस विचलन को प्रमाणित करने के लिए हमारे सत्यापन हेतु कोई पर्याप्त तकनीकी मूल्यांकन, औचित्य या सहायक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसे साक्ष्य के अभाव में, हम मूल्यह्रास व्यय, पीपीई की वहन राशि और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लाभ पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।

यह पाया गया कि वर्ष के दौरान समूह ने सड़कों के उपयोगी जीवन काल को 60 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करने की नीति बनाई थी। हालाँकि, इकाई ने उपयोगी जीवन काल के साथ परिसंपत्ति का मूल्यह्रास किया है जो नीतियों के अनुरूप नहीं है।

(ओएफबीए और ओएफडीआर के मामले में देखा गया)।

इसके अलावा, ओएफएन में, लेखांकन प्रथाओं में विसंगतियाँ पाई गई क्योंकि एक ही श्रेणी के कंप्यूटर और हार्डवेयर के लिए दो अलग–अलग उपयोगी अवधियाँ लागू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 'भवन' के अंतर्गत ₹55.41 करोड़ का एक अज्ञात आरंभिक डब्ल्यूआईपी, परिसंपत्तियों में दर्शाया गया है, जिसकी प्रकृति, पूर्णता का चरण और वर्गीकरण सहायक दस्तावेज़ों के अभाव में अप्रमाणित हैं। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 38 – अमूर्त संपत्ति का भी अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि इस अवधि के दौरान किसी भी अमूर्त संपत्ति पर कोई परिशोधन शुल्क नहीं लिया गया है।

इसके अलावा एएफके में यह भी बताया गया कि पुस्तकों और स्थिर संपत्ति रजिस्टर के अनुसार विभिन्न परिसंपत्ति श्रेणियों (भवन ₹43.80 करोड़, कंप्यूटर और हार्डवेयर ₹0.86 करोड़, फर्नीचर और फिक्सचर ₹0.002 करोड़, प्लांट और मशीनरी ₹43.82 करोड़, और वाहन – ₹1.40 करोड़) में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सकल मूल्यों के बीच ₹87.08 करोड़ की राशि का भौतिक अंतर नोट किया गया; लंबित सुलह और इन अंतरों के डब्ल्यूडीवी को ले जाने की जानकारी के अभाव में, वित्तीय विवरण के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखा मानक 36 – परिसंपत्तियों की क्षति के अंतर्गत, समूह को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या उसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्ति की क्षति हो सकती है। समूह ने ऐसा कोई क्षति परीक्षण नहीं किया है, न ही यह दर्शाने के लिए कोई सहायक तकनीकी आकलन प्रदान किया है कि वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं है। इसके अभाव में, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि क्या किसी ऐसी क्षति हानि को मान्यता दी जानी चाहिए थी, जो समेकित पीपीई के साथ–साथ समेकित अमूर्त परिसंपत्ति और समेकित वित्तीय विवरणों के वहन मूल्य को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकती है।

समेकित अमूर्त परिसंपत्ति का प्रकटीकरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रभाग II के अनुरूप नहीं है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

छ. इन्वेंटरी:

इकाइयों ने कच्चे माल की इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य (NRV) में से जो भी कम हो, उसके बजाय लागत पर किया है, जो कि IND AS-2 के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, कुछ इकाइयों में, प्रगति पर कार्य, अर्ध–तैयार माल (तैयार घटक), तैयार माल और स्क्रैप इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उसके बजाय लागत पर किया जाता है। जैसा कि कुछ इकाइयों के लेखा परीक्षकों ने बताया, यह पाया गया कि छठत को ध्यान में रखते हुए इन्वेंटरी मूल्यांकन पर धीमी और गैर–चलती इन्वेंटरी के लेखांकन प्रभाव का प्रबंधन द्वारा आकलन नहीं किया गया था और इसका मूल्यांकन सामान्य उपयोग में आने वाली इन्वेंटरी के आधार पर किया गया था।

लागत की गणना करते समय, कुछ इकाइयों में इन्वेंटरी की लागत निकालते समय विक्रय और प्रशासनिक व्यय जैसे गैर–उत्पादन उपरिव्यय भी शामिल किए जाते हैं, जो कि IND AS-2 के अनुरूप नहीं है। आवश्यक गणनाओं की अनुपलब्धता के कारण हम इसके प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की एकल लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

ज. कंपनी अधिनियम, 2013 का गैर–अनुपालन

जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36(बी)(ii) में दर्शाया गया है, होल्डिंग कंपनी, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कुछ आवश्यकताओं का गैर–अनुपालन किया गया है। होल्डिंग कंपनी के लेखा परीक्षकों ने निम्नलिखित रिपोर्ट दी है :

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अंतर्गत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। हालाँकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, इन समितियों की संरचना क्रमशः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2), 178(1) और 135 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी ने गैर–स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII का अनुपालन नहीं किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड में एक महिला निदेशक रखने की आवश्यकता का भी अनुपालन नहीं किया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान समूह के निदेशक मंडल का विधिवत गठन नहीं किया गया था और कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का उचित संतुलन नहीं था।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी पिछले वर्ष की स्टैंडअलोन लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी इस मामले में योग्य थी।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ख

हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 2(छ) में उल्लिखित:

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमें 31 मार्च, 2025 तक म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') (जिसमें मुख्यालय और पंद्रह इकाइयाँ शामिल हैं) और उसकी सहायक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा–परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था, साथ ही उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा–परीक्षण भी किया गया था।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

संबंधित कंपनी का प्रबंधन एवं उसकी सहायक कंपनी, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी ज़िम्मेदारी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है, जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होता है, और ये दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं।

नीचे दिए गए 'प्रतिकूल राय का आधार' पैराग्राफ में वर्णित मामलों के कारण, कंपनी ने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नहीं बनाए रखा है और मौजूदा नियंत्रण भी बैलेंस शीट की तिथि तक प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे। तदनुसार, हमारी राय में, नियंत्रण (डिज़ाइन, संचालित या कार्यान्वित) समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयानों को समय पर रोकने, पता लगाने और सुधारने में असमर्थ हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन–देन सामान्यतः

स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल पाता। साथ ही, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के भविष्य की अवधियों के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

प्रतिकूल राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमजोरियों की पहचान की गई है :

1. इन्वेंटरी:

कंपनी इन्वेंटरी के मात्रात्मक रिकॉर्ड के लिए इन्वेंटरी मॉड्यूल (फॉक्सप्रो) का उपयोग करती है, लेकिन भौतिक सत्यापन के दौरान विसंगतियाँ पाए जाने पर इसे अद्यतन नहीं किया जाता है, जिससे उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभाव होता है। इसके अलावा, यह मॉड्यूल लेखा प्रणाली के साथ भी एकीकृत नहीं है, और इससे भौतिक इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मॉड्यूल में इन्वेंटरी रिकॉर्ड और टैली प्राइम में बनाए गए वित्तीय रिकॉर्ड के बीच विसंगतियाँ हो सकती हैं।

2. बिक्री:

कंपनी की नॉमिनल वाउचर जारी करने की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है क्योंकि नॉमिनल मूल्य पर जारी किए गए माल का तुरंत रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री का गलत रिकॉर्ड होता है। कई बार, तत्काल आवश्यकताओं के आधार पर नॉमिनल वाउचर के आधार पर माल नॉमिनल मूल्य पर जारी किया जाता है और बिक्री प्रविष्टि को मूल्य के साथ दर्ज करके निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे नियमित नहीं किया जाता है, जिससे गलत बिक्री लेखांकन और जीएसटी नियमों का अनुपालन नहीं होता है। इसके अलावा, नॉमिनल वाउचर सिस्टम द्वारा जनरेट नहीं किए जाते हैं और ऐसा कोई समाधान उपलब्ध नहीं है जो यह सुनिश्चित कर सके कि नॉमिनल वाउचर पर जारी किए गए सभी माल बिक्री के रूप में सही ढंग से दर्ज किए गए हैं।

इसके अलावा, ये वाउचर लेखांकन प्रणाली के साथ भी एकीकृत नहीं हैं।

3. मुख्य लेखांकन सॉफ़्टवेयर के साथ विभिन्न प्रणालियों का गैर–एकीकरण :

यह इकाई अपने वित्तीय लेन–देन रिकॉर्ड करने के लिए अपने लेखांकन सॉफ़्टवेयर के रूप में 'टैली प्राइम–एडिट लॉग' का उपयोग करती है। इकाइयाँ सभी इन्वेंट्री मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए रिपोर्टिंग और डाटा संग्रह हेतु पीपीसी, इन्वेंट्री के मूल्यांकन के लिए

फॉक्सप्रो और पेरोल के लिए इन्फॉर्मिक्स का भी उपयोग करती हैं। हालाँकि, टैली प्राइम, पीपीसी, फॉक्सप्रो और इन्फॉर्मिक्स को एकीकृत नहीं किया गया है। इस प्रकार, इसमें मैन्युअल हस्तक्षेप होता है जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन डेटा में त्रुटियाँ/चूक हो सकती हैं। लेन-देन से संबंधित निर्माता और परीक्षक अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में कोई स्वचालित नियंत्रण नहीं हैं। दस्तावेज़ी साक्ष्य के अभाव में प्रबंधन मैन्युअल निर्माता परीक्षक को प्रदर्शित करने में असमर्थ है। इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि मैन्युअल नियंत्रण डिज़ाइन के अनुसार संचालित हुआ।

इकाई ने लेखांकन सॉफ़्टवेयर का संचालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अलग और विशिष्ट उपयोगकर्ता आईडी प्रदान करने की कोई प्रणाली लागू नहीं की है। इसके बजाय, इकाई को उपयोगकर्ता आईडी का एक सीमित समूह प्रदान किया गया है, जिसका उपयोग कई कर्मचारी एक-दूसरे के स्थान पर करते हैं। यह प्रथा नियंत्रण वातावरण को काफ़ी कमज़ोर करती है, क्योंकि यह लेखांकन अभिलेखों में विशिष्ट व्यक्तियों की पहचान और उनके लिए ज़िम्मेदारी तय करने की अनुमति नहीं देती है। व्यक्तिगत उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण के अभाव में, लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियों या संशोधनों के स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे अनधिकृत या गलत परिवर्तनों का पता न चलने का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसी प्रथा ऑडिट ट्रेल की विश्वसनीयता को कमज़ोर करती है।

4. प्राप्त अग्रिमों का समाधान न होना:

यह देखा गया कि प्राप्त/भुगतान किए गए अग्रिमों का उचित हिसाब-किताब नहीं है और उन्हें आवंटन के माध्यम से संबंधित इकाइयों को हस्तांतरित करने और 26AS में टीडीएस शेष सहित उनका समय पर समाधान न करने के परिणामस्वरूप मुख्यालय स्तर पर अग्रिमों का समाधान नहीं हो पाता है, जिसके परिणामस्वरूप देनदारों/लेनदारों के शेष गलत हो जाते हैं, जो कमज़ोर नियंत्रण को दर्शाता है।

'भौतिक कमज़ोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी, या कमियों का एक संयोजन है, जिससे इस बात की उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में किसी भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित भौतिक कमज़ोरियों के संभावित प्रभावों के कारण, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नहीं बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2025 के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय ऊपर पहचानी गई और बताई गई भौतिक कमज़ोरियों पर विचार किया है, और ये भौतिक कमज़ोरियाँ कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

बोरकर एवं मुजुमदार की ओर से

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 101569W

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592
UDIN: 25048592BMMLLJ3696
दिनांक: 19 अगस्त, 2025
स्थान: पुणे

अनुलग्नक–ग

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप–धारा (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के लेखों पर जारी निर्देशों/उप–निर्देशों पर रिपोर्ट।

अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तथा समूह की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा एवं हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम उक्त निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर एक वक्तव्य देते हैं।

यह रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त 11–इकाई और सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा जारी रिपोर्टों पर आधारित एक समेकित रिपोर्ट है और 4 इकाइयों और मुख्यालय के संचालन को हमारे द्वारा, बोरकर और मुजुमदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है। इकाई और सहायक संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई नियमित प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अलावा अन्य विसंगतियों का उल्लेख, यदि कोई हो, उक्त खंड में किया गया है।

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत मेसर्स म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) के लिए निर्देश जारी किए गए, जिसमें 15 इकाइयां और मुख्यालय शामिल हैं:

	दिशा–निर्देश	**प्रतिक्रिया**
	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देश	
●	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति–पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और अउद्धृत, दोनों का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, इंडस्ट्रिज (एएस) के साथ संगति सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन पद्धति, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा, और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट करेगा।	सेवानिवृत्ति के पश्चात के लाभों के संबंध में एमआईएल के पास कोई उद्धृत या अउद्धृत निवेश नहीं है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 37 क के अनुसार, सभी कर्मचारियों (समूह क, ख एवं ग) को 01.10.2021 से 2 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) से एमआईएल में मानित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित किया गया है। पत्र संख्या : 1(5)/2023/ ईजीओएम/मान्य प्रतिनियुक्ति/ ओएफ/डीपी(एम एंड पी) दिनांक 09.09.2024 द्वारा इसे 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(5)/2021/ ओएफ/डीपी(योजना–V)/02 दिनांक 24/09/2021 के अनुसार, सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों का वहन रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा स्थापित क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से सरकार द्वारा किया जाएगा। **मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मामलों पर जोर के तहत भी इसकी सूचना दी गई है**

		हमें यह भी बताया गया कि कंपनी ने केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान किया है जो कंपनी के पे रोल पर हैं। लेखापरीक्षा के दौरान हमने इसकी पुष्टि की है।
●	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन–देन को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की कोई प्रणाली है ? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेन–देनों के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जाए।	हाँ, कंपनी अपने वित्तीय लेन–देन रिकॉर्ड करने के लिए अपने मुख्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में 'टैली प्राइम–एडिट लॉग' का उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपने अकाउंटिंग लेनदेन को पीपीसी, इनफॉर्मिक्स और फॉक्सप्रो जैसे अन्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी संसाधित करती है। हालाँकि, टैली प्राइम, पीपीसी, इनफॉर्मिक्स और फॉक्सप्रो को एकीकृत नहीं किया गया है। गैर–एकीकरण और कमजोर नियंत्रण के कारण वित्तीय निहितार्थ इस प्रकार हैं : * मैन्युअल हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप लेखांकन डाटा में त्रुटियाँ/चूक हो सकती हैं। * लेन–देन से संबंधित निर्माता और परीक्षक की मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में कोई स्वचालित नियंत्रण नहीं है। इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि डाटा ऐसे सॉफ़्टवेयर में रखा जाता है जो एकीकृत नहीं हैं। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी रिपोर्ट में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है।
●	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखा–जोखा लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त धनराशि का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया था ? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखा–जोखा अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है ? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी को केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई धनराशि (अनुदान / सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं हुई है।

●	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है ? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है ?	जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी ने ऋण जोखिम, तरलता जोखिम और बाज़ार जोखिम को अपने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों के रूप में पहचाना है, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 34 में बताया गया है। हालाँकि, कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई औपचारिक नीति नहीं बनाई है।
●	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, तथा SEBI, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियमितता प्राधिकरण, CERT-IN, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है, जहाँ भी लागू हो? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जाए।	हमें सूचित किया गया कि निम्नलिखित संस्थानों द्वारा लागू नियम और विनियम म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड पर लागू नहीं होते हैं – 1. SEBI 2. भारतीय दूरसंचार नियमितता प्राधिकरण 3. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 4. भारतीय रिजर्व बैंक कंपनी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की आवश्यकताओं के अनुपालन की समीक्षा के लिए एक सचिवीय ऑडिट कराया है। नियमों और विनियमों के अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए अनुपालन के साक्ष्य के लिए कोई विशिष्ट रजिस्टर या रिकॉर्ड नहीं है, निम्नलिखित संस्थानों के लिए अनुपालन जांच से संबंधित कोई औपचारिक रजिस्टर नहीं रखा गया है – 1. CERT-IN 2. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 3. निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। हालाँकि, हमें सूचित किया गया है कि सभी आवश्यक निर्देशों और आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।
	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अतिरिक्त निर्देश	
●	क्या पूर्ववर्ती ओएफबी से हस्तांतरण की तिथि (नियत तिथि) पर परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्थानांतरण, जो 31 मार्च 2024 तक अधूरा रहा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूरा हो गया है ? यदि कोई विचलन है, तो उसके कारण, विचलन की प्रकृति और वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, निगमीकरण के समय अर्थात 01/10/2021 को सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्थानांतरण हो चुका है और भूमि से संबंधित स्वामित्व विलेखों को छोड़कर, जो अभी भी प्रक्रियाधीन हैं, इकाइयों/कंपनी के नाम पर हस्तांतरित न की गई कोई भी वस्तु शेष नहीं बची है। CARO रिपोर्ट के बिंदु संख्या (i)(c) में दी गई तालिका देखें। इमारतें जो निगमीकरण के समय हस्तांतरित की गई तथा अचल

		संपत्ति रजिस्टर में दर्ज इमारतें उस भूमि पर बनी हैं जिसके लिए स्वामित्व विलेख हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। जब तक म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई विचलन है और इसका वित्तीय विवरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
●	क्या कंपनी ने वर्ष के अंत में इंटर-कंपनी /इंट्रा कंपनी शेषों से संबंधित समाधान प्रक्रिया अपनाई है ? क्या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से वर्ष के अंत में उन्हें देय/देय शेषों की पुष्टि प्राप्त कर ली गई है ? यदि कोई शेष राशि शेष है, तो उसका कारण और साथ ही असमाधान न की गई राशि का उल्लेख किया जाए।	प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि – 1. सभी इंट्रा एमआईएल शेष राशि का 31/03/2025 तक मिलान किया गया है। 2. अंतर-डीपीएसयू शेषों के संबंध में, सभी लेज़र शेष पुष्किरण अनुरोध संबंधित डीपीएसयू की संबंधित इकाइयों को भेजे गए हैं, जिनका अधिकांश मामलों में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। हालाँकि, कुछ डीपीएसयू से लेज़र एक्सट्रैक्ट प्राप्त हुए हैं और पुराने आरंभिक शेषों में अंतर देखा गया है, जिसके लिए समाधान प्रक्रिया जारी है। मुख्य रिपोर्ट में हमारी योग्यता का संदर्भ लें।
●	क्या कंपनी या उसकी इकाइयों के पास वित्तीय विवरणों में उल्लिखित भूमि का स्पष्ट स्वामित्व और कब्ज़ा है ? अतिक्रमण और/या विवाद (यदि कोई हो) के अंतर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल बताएँ।	प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर दिए गए मुद्दे में बताया गया है कि भूमि से संबंधित अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख अभी भी प्रक्रियाधीन हैं। CARO रिपोर्ट के मुद्दा संख्या (i)(c) में दी गई तालिका देखें। प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर अतिक्रमण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है – **गोला बारूद फैक्टरी खड़की, पुणे** (i) रेंजहिल्स इस्टेट, खड़की के 101 दुकानदार – 31.03.2012 को लीज़ करार की समाप्ति के पश्चात भी 101 दुकानदारों ने परिसर खाली नहीं किया है। यह मामला माननीय जिला उच्च न्यायालय, पुणे में आरसीए संख्या 762/2012, सिविल एमए संख्या 1260/2018, एमसीए संख्या 324/2018, 99/2022, सिविल अपील (सीए) संख्या 01/2023, सिविल अपील पीपीई संख्या 18/2023 से 39/2023 के तहत विचाराधीन है। (ii) श्री चंद्रकांत बाबूराव भोसले, जो गोला-बारूद निर्माणी कॉरपरेट, खड़की, पुणे के एक कर्मचारी हैं एवं 'चौकीदार' के पद

		पर कार्यरत हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वेंट क्वार्टर खाली करना आवश्यक था। लेकिन उन्होंने माननीय जिला न्यायालय, पुणे में मामला दायर किया और मामला संख्या आरसीएस 539/2021 और आरसीएस 196/2022 दर्ज किया। सर्वेंट क्वार्टर का क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। (iii) अनधिकृत संरचना – मई 2012 में रेंजहिल्स इस्टेट में 'डी' टाइप क्वार्टर के ब्लॉक संख्या 30 के पास 378 वर्ग फुट क्षेत्रफल में एक अनधिकृत संरचना (बुद्ध विहार) बनाई गई थी। एमआईएल के अंतर्गत आने वाली एक इकाई, एएफके ने प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई। हालाँकि, जेएमएफसी अदालत खड़की ने 01.08.2013 के आदेश द्वारा आरसीएस संख्या 236/2012 में अभियुक्तों को बरी कर दिया। इस संबंध में, 2012 में संरचना को ध्वस्त करने के प्रयासों को गंभीर कानून-व्यवस्था की समस्या के कारण स्थगित रखना पड़ा था। मामले की संवेदनशीलता और प्रकृति को देखते हुए, और एक पूजा स्थल होने के कारण, एएफके द्वारा अब तक कोई कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई गई है। (iv) जीएलआर सर्वेक्षण संख्या 265-बी में स्थित तीन मंदिरों का सर्वेक्षण किया गया है और माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका 77/2006 और डब्ल्यूपी 5971/2011 में रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आयुध निर्माणी वरणगांव, जिला-जलगांव एमआईएल-ओएफवी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। हालाँकि, 2.248 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है, जिसे पहले ही डीओओ (सी एंड एस) कोलकाता को हस्तांतरित कर दिया गया है। ओएफ स्कूलों, ओएफ अस्पतालों और चिन्हित अतिरिक्त भूमि की परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण हेतु बोर्ड कार्यवाही की सिफारिश के अनुसार: 'ओएफवी को अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।'

●	क्या कंपनी की मूल्य निर्धारण नीति उत्पादन की सभी स्थिर और परिवर्तनीय लागत के साथ–साथ ओवरहेड्स के आवंटन को भी अवशोषित करती है ?	हां, कंपनी ने 16-09-2022 को एक मूल्य निर्धारण नीति तैयार की है जो उत्पादन की सभी स्थिर और परिवर्तनीय लागत के साथ–साथ आवंटनीय ओवरहेड्स को अवशोषित करने की रूपरेखा प्रदान करती है।
●	उप–उत्पादों और तैयार उत्पादों की व्यवस्था क्या है? इसकी घोषित नीति से विचलन के मामलों की सूची बनाइए।	हमें बताया गया कि कंपनी की उत्पादन प्रक्रिया में कोई उप–उत्पाद उत्पन्न नहीं होता। अंतिम उत्पाद के साथ केवल अपशिष्ट पदार्थ ही उत्पन्न होता है। ऐसे अपशिष्ट उत्पाद का निपटान एमआईएल की निपटान नीति के अनुसार किया जाता है। ❊ सभी इकाइयां एमएसटीसी के माध्यम से अपशिष्ट निपटान की एक ही प्रक्रिया का पालन कर रही हैं। ❊ हां, सभी प्रणालियां नीति के अनुरूप हैं और आईएसओ 9001 द्वारा ऑडिट की गई हैं।
●	क्या कंपनी के पास भौतिक सत्यापन, स्टॉक/इन्वेंट्री के मूल्यांकन, नॉन–मूविंग वस्तुओं के समाधान और भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई कमी/अधिकता के प्रभाव का लेखा–जोखा रखने के लिए प्रभावी प्रणाली है ?	कंपनी के पास कुल मिलाकर इन्वेंट्री/स्टॉक के भौतिक सत्यापन की एक प्रभावी प्रणाली है और प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि एमआईएल इकाइयों में अनुपयोगी, नॉन–मूविंग और स्लो–मूविंग वस्तुओं के लिए प्रावधान किया गया है। तदनुसार, लेखा पुस्तकों और वित्तीय विवरणों में लेखांकन प्रभाव लिया गया है। इसके अलावा, लेखा पुस्तकों में कमी/अधिकता के प्रभाव को उचित रूप से दर्शाया गया है। इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन के प्रभाव को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है। इन्वेंट्री के मूल्य से संबंधित मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हमारी योग्यता देखें।
●	क्या कंपनी ने सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/एसपीवी आदि में, यदि कोई हो, के सभी निवेशों के संबंध में स्वामित्व (शेयर प्रमाणपत्र) प्राप्त कर लिया है –	कंपनी ने एक धारा 8 कंपनी बनाई है जो 100% सहायक कंपनी है। हालाँकि, एक धारा 8 कंपनी होने के नाते, यह गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है और इसलिए इसमें शेयरों के रूप में कोई निवेश नहीं है। कंपनी ने किसी अन्य सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/एसपीवी में निवेश नहीं किया है।

ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सहायक कंपनी के लिए जारी निर्देश और उसके लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट :

❊ **निवेश का उचित मूल्यांकन (सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ)**

कंपनी के पास कोई निवेश नहीं है। सभी धनराशियाँ बैंक खाते में रखी जाती हैं, और 31 मार्च 2025 तक की शेष राशि का बैंक विवरण से सत्यापन किया गया है। इसलिए यह आवश्यकता लागू नहीं होती।

✼ **लेखा प्रणाली–आईटी बनाम मैनुअल :**
कंपनी अपने बही खातों का रखरखाव 'टैली प्राइम एडिट लॉग' का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से करती है। इस प्रणाली के बाहर कोई भी लेखा लेनदेन संसाधित नहीं किया जाता है ।

✼ **अनुदान/सब्सिडी का उपयोग :**
केंद्र/राज्य सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ । होल्डिंग कंपनी 'म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड' से 1 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ और अनुदान की शर्तों के अनुसार उसका उपयोग किया गया । वित्तीय विवरणों में संबंधित जानकारी दी गई है ।

✼ **जोखिम प्रबंधन ढांचा :**
कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है और अपनी खेल नीति के अंतर्गत निधि आवंटन सहित आंतरिक प्रक्रिया के अनुरूप नीति का पालन करती है । नीति के अंतर्गत भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ परिभाषित की गई हैं ।

✼ **विनियामक अनुपालन :**
कंपनी सूचीबद्ध नहीं है और एक महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के रूप में योग्य नहीं है । इसलिए, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 लागू नहीं होते । अन्य लागू नियामक प्राधिकरणों के साथ कोई महत्वपूर्ण गैर–अनुपालन नहीं देखा गया ।

हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रश्नों पर सहायक लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तथा ऐसे मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया जाता है ।

बोरकर एवं मुजुमदार की ओर से

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 101569W

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592
UDIN: 25048592BMMLLJ3696
दिनांक: 19 अगस्त, 2025
स्थान: पुणे

गोपनीय/स्पीड पोस्ट

संख्या/00/टी–459/एमआईएल/लेखा/2025-26 दिनांक: 29/09/2025

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (आयुध निर्माणियां) का कार्यालय, कोलकाता
'आयुध भवन',
10/ए, शहीद खुदीराम बोस रोड (पूर्वी विंग, 8वीं मंजिल)
कोलकाता–700 001

सेवा में,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
मेसर्स म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड, पुणे

विषय : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत टिप्पणियाँ ।

महोदय,

मुझे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत मेसर्स म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड, पुणे के 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के एकल (Standalone) और समेकित (Consolidated) वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

संलग्न:– यथोक्त ।

भवदीय

(सुधा राजन)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (आयुध निर्माणियां), कोलकाता

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड, पुणे के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) सह पठित धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) सहपठित धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 सहपठित धारा 129(4) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार है । 19 अगस्त 2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उन्होंने यह कार्य किया है ।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के समेकित वित्तीय विवरणों के अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ धारा 143 (6) (क) के तहत एक पूरक लेखा परीक्षा की है। हमने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे और सहायक कंपनी अर्थात म्यूनिशंस इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशनल काउंसिल, पुणे के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य दस्तावेजों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है ।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं:

क. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

बैलेंस शीट
संपत्ति
वर्तमान संपत्ति
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट सं. 4(क) – ₹3387.06 करोड़

1. इसमें एमआईएल की दो अलग-अलग इकाइयों, अर्थातब एनएडीपी (13.60 एकड़) और एचईपीएफ (882.34 एकड़) के अंतर्गत भूमि का विवरण शामिल नहीं है, जिनका ऐतिहासिक मूल्य 'शून्य' है।

'नोट 40 (ग) अन्य नियामक सूचना' के अंतर्गत एनएडीपी और एचईपीएफ की भूमि का खुलासा न करना भारतीय लेखा मानक 1 के अनुरूप नहीं था।

बैलेंस शीट
संपत्तियाँ
वर्तमान संपत्तियाँ
इन्वेंट्री (नोट संख्या 7): ₹7206.67 करोड़

2. इसमें ₹23.32 करोड़ उन इन्वेंटरी (26 वस्तुएँ) का मूल्य शामिल है जो 12 अप्रैल 2025 (हस्ताक्षरित 15 अप्रैल 2025) की स्टॉक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं थीं। हालाँकि, कंपनी इस महत्वपूर्ण विसंगति का खुलासा करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप ₹23.32 करोड़ के इन्वेंटरी की स्थिति का अपर्याप्त खुलासा हुआ है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(सुधा राजन)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा ((आयुध निर्माणियां), कोलकाता

स्थान – कोलकाता
दिनांक:– 29 सितंबर 2025

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 तक समेकित बैलेंस शीट
(सभी राशियाँ करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

	नोट	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
संपत्ति	–		-
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति	–		-
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	4 (क)	3,387.06	3,363.16
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4 (ख)	2,219.23	1,616.39
अमूर्त संपत्ति	4 (ग)	46.01	62.70
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	4 (घ)	179.35	100.99
वित्तीय पूंजी			
– निवेश	5	0.80	0.80
अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति	6	12.29	40.51
कुल गैर – मौजूदा संपत्तियां		**5,844.73**	**5,184.55**
वर्तमान संपत्ति			
सूची	7	4,206.67	4,523.11
वित्तीय पूंजी			
(क) व्यापार प्राप्य	8	1,437.89	1,437.71
(ख) नकद और नकद समकक्ष	9	6,145.31	3,500.32
(ग) उपरोक्त (ख) के अलावा अन्य बैंक शेष	10	-	221.00
(घ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	315.31	130.87
अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	1,150.55	1,402.51
कुल मौजूदा संपत्तियां		**13,255.73**	**11,215.52**
कुल संपत्ति		**19,100.46**	**16,400.07**
इक्विटी और देयता			
इक्विटी शेयर पूंजी	13	35,645.36	34,314.66
व्यवसाय पुनर्गठन पर इक्विटी शेयर जारी करने की प्रक्रिया लंबित	13	-	5.25
शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	13	490.83	1,070.83
अन्य इक्विटी	14	(25,931.48)	(26,771.34)
कुल इक्विटी		**10,204.71**	**8,619.40**

देयताएं			
गैर मौजूदा देनदारियां			
वित्तीय देनदारियाँ			
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	15	4.80	6.97
गैर–वर्तमान प्रावधान	16	2,692.11	2,783.90
आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	17	198.45	141.78
कुल गैर–वर्तमान देनदारियाँ		**2,895.36**	**2,932.65**
वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियाँ			
(क) व्यापार देयताएं	18		
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		91.45	57.78
(ii) उपरोक्त (क)(ळ) के अलावा कुल बकाया राशि		1,295.02	1,099.99
(ख) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	19	390.02	292.80
अन्य वर्तमान देनदारियां	20	3,806.75	3,108.82
प्रावधानों	21	193.43	267.43
वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	22	223.71	21.19
कुल वर्तमान दायित्व		**6,000.38**	**4,848.01**
कुल देनदारियों		**8,895.75**	**7,780.66**
कुल शेयर और देनदारियां		**19,100.46**	**16,400.07**

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं। 1 to 40

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट संलग्न है।

बोरकर और मुजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
फर्म पंजीकरण संख्या: 101569W

के निदेशक मंडल की ओर से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592

संजय हज़ारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11089196

प्रकाश अग्रवाल
निदेशक वित्त एवं मु.वि.अधिकारी
डीआईएन: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक – 19/08/2025

पुणे
दिनांक – 19/08/2025

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(सभी राशियाँ करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

	नोट	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025 को	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024 को
परिचालन से राजस्व	23	8,214.10	7,221.58
अन्य आय	24	435.30	313.04
कुल आय		**8,649.41**	**7,534.62**
खर्च			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	3,453.68	3,509.98
कार्य-प्रगति और तैयार माल की सूची में परिवर्तन	26	315.45	191.57
कर्मचारी लाभ व्यय	27	2,356.71	2,161.34
वित्तीय लागत	28	4.05	2.16
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	198.16	183.19
अन्य खर्चों	30	1,041.85	897.31
कुल व्यय		**7,369.90**	**6,945.56**
असाधारण वस्तु से पहले लाभ		**1,279.51**	**589.06**
असाधारण वस्तुएँ	31	7.02	161.53
कर से पहले का लाभ		**1,286.52**	**750.60**
आयकर व्यय			
- वर्तमान कर	32	390.00	64.00
- आस्थगित कर	32	56.67	127.81
कुल कर व्यय		**446.67**	**191.81**
कर के बाद लाभ		**839.86**	**558.78**
अन्य व्यापक आय		-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर के बाद		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**839.86**	**558.78**
प्रति शेयर आय (रुपये में)			
मूल और तनु (प्रति शेयर नाममात्र मूल्य 10 रुपये प्रत्येक)	39	0.24	0.24

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं। 1 to 40

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट संलग्न है।

बोरकर और मुजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से फर्म पंजीकरण संख्या: 101569W	**के निदेशक मंडल की ओर से** **म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड**	
सुप्रिया दीपक भट पार्टनर सदस्यता संख्या: 048592	**संजय हज़ारी** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन: 11089196	**प्रकाश अग्रवाल** निदेशक वित्त एवं सीएफओ डीआईएन: 09666613
	ई.जे. पॉल कंपनी सचिव सदस्यता संख्या : FCS4521	
पुणे **दिनांक – 19/08/2025**	**पुणे** **दिनांक – 19/08/2025**	

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(सभी राशियाँ करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
आयकर से पहले का लाभ	1,286.52	589.06
समायोजन के लिए :		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	188.74	183.19
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर शुद्ध लाभ	(2.13)	(2.61)
प्राप्त ब्याज	(254.43)	(209.84)
राजस्व बंटवारे का प्रावधान		97.58
वारंटी	35.94	21.62
पीपीई के पीछे लिखा हुआ	14.38	
अमूर्त संपत्तियों का लिखित विवरण	9.18	
लाभांश आय	-	(0.09)
परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन :		
व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(0.18)	(31.14)
इन्वेंटरी में (वृद्धि)/कमी	316.44	(208.67)
व्यापार देय राशि में वृद्धि/(कमी)	228.70	336.88
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(184.44)	(109.24)
अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	95.05	91.32
अन्य चालू और गैर-चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	280.59	(198.60)
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(201.73)	261.43
चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	673.31	(718.74)
परिचालन से उत्पन्न नकदी	**2,485.54**	**102.16**
भुगतान किए गए आयकर	(162.86)	50.00
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**2,322.68**	**152.16**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान	(112.35)	(36.48)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से प्राप्त आय	18.69	13.13
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के लिए भुगतान	(723.42)	(399.90)
अमूर्त संपत्तियों के लिए भुगतान	(81.48)	(47.50)
प्राप्त ब्याज	254.43	209.84
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(644.14)**	**(260.91)**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभांश आय	-	0.09
सदस्यता शेयर पूंजी के लिए प्राप्त राशि	745.45	580.00
बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि	221.00	(221.00)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी	**966.45**	**359.09**
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**2,644.99**	**250.34**
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष	3,500.32	3,249.98
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	**6,145.31**	**3,500.32**

नोट 11 के अनुसार	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
बैंकों के पास शेष राशि		
– चालू खातों में	1,026.95	244.00
– ईईएफसी खाते में	867.81	240.78
तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमा राशि	4,250.55	3,015.52
चेक हाथ में	-	-
हाथ में नकदी	0.00	0.02
कुल	**6,145.31**	**3,500.32**

अप्रयुक्त ऋण सुविधाएँ: 31 मार्च 2025 तक, संस्था के पास ₹3000 करोड़ (₹2500 करोड़) की अप्रयुक्त ऋण सुविधाएँ हैं, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। इन सुविधाओं में ऋण पत्र, बैंक गारंटी, मुद्रा जोखिम सीमा शामिल हैं। ये सभी सुविधाएँ MCLR से जुड़ी हैं।

सीमा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
एसबीआई		
FBWC स्वच्छ नकद क्रेडिट	2000	2000
ईपीसी/पीसीएफसी/एफबीडी※	200(USD 23.78 मिलियन)	200(USD 24.08 मिलियन)
बैंक गारंटी (बीजी)	1000	1000
साख पत्र*	1500	1500
कैपेक्स साख पत्र*	1500	1500
मुद्रा जोखिम सीमा (सीईएल)*	50	50
आईसीआईसीआई		
साख पत्र	500	500
बैंक गारंटी**	300	300

सीमा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
एचडीएफसी		
बैंक गारंटी	500	-
साख पत्र***	250	-
ओवरड्राफ्ट – कार्य कैप***	50	-
कुल	**3000**	**2500**

* एफबीडब्ल्यूसी क्लीन कैश क्रेडिट खाते की उप–सीमा
** साख पत्र की उप–सीमा
*** बैंक गारंटी के लिए उप–सीमा

बोरकर और मुजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
फर्म पंजीकरण संख्या: 101569W

के निदेशक मंडल की ओर से
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592

संजय हज़ारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11089196

प्रकाश अग्रवाल
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक – 19/08/2025

पुणे
दिनांक – 19/08/2025

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड
इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण
(सभी राशियाँ करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

2024-25		
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	**वर्ष के दौरान जारी**	**रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि**
34,314.66	1,330.70	35,645.36

2023-24		
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	**वर्ष के दौरान जारी**	**रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि**
33737.66	577	34,314.66

ख. अन्य इक्विटी

	नोट्स	व्यवसाय पुनर्गठन पर इक्विटी शेयर जारी करने के लंबित मुद्दे	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	अन्य इक्विटी			कुल
				पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	कुल भंडार और अधिशेष	
31 मार्च 2024 तक		**5.25**	**1,070.83**	**(27,425.16)**	**653.82**	**(26,771.34)**	**(25,695.26)**
वर्ष में लेनदेन		-	-	-	839.86	839.86	839.86
आवेदन राशि प्राप्त हुई			-				-
अन्य समायोजन				-	-	-	-
इक्विटी शेयरों का निर्गम		5.25	(580.00)				(585.25)
31 मार्च 2025 तक		**0.00**	**490.83**	**(27,425.16)**	**1,493.68**	**(25,931.48)**	**(25,440.65)**
31 मार्च 2023 तक		**5.25**	**1,067.83**	**(27,425.16)**	**95.04**	**(27,330.12)**	**(26,257.04)**
वर्ष के लिए लाभ				-	558.78	558.78	558.78
आवेदन राशि प्राप्त हुई		-	580.00	-	-	-	580.00
इक्विटी शेयरों का निर्गम		-	577.00	-	-	-	577.00
31 मार्च 2024 तक		**5.25**	**1,070.83**	**(27,425.16)**	**653.82**	**(26,771.34)**	**(25,695.26)**

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं। 1 to 40

हमारी संलग्न सम–तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

बोरकर और मुजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से फर्म पंजीकरण संख्या: 101569W	**के निदेशक मंडल की ओर से** **म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड**	
सुप्रिया दीपक भट पार्टनर सदस्यता संख्या: 048592	**संजय हज़ारी** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन: 11089196	**प्रकाश अग्रवाल** निदेशक वित्त एवं सीएफओ डीआईएन: 09666613
	ई.जे. पॉल कंपनी सचिव सदस्यता संख्या : FCS4521	
पुणे **दिनांक – 19/08/2025**	**पुणे** **दिनांक – 19/08/2025**	

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए समेकित नोट्स

(सभी राशि करोड़ रुपये में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

1. सामान्य जानकारी

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ('एमआईएल', या 'कंपनी') एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय पुणे, भारत में स्थित है। जिसे 2021 में सात अलग – अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आयुध फैक्टरी बोर्ड के पुर्नगठन और निगमीकरण के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। एमआईएल भारतीय सशस्त्र बल, विदेशी सेनाओं और घरेलू नागरिक उपयोग के लिए रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए एक एकीकृत आधार बनाता है।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को इसकी सहायक कंपनी के साथ मिलकर 'समूह' कहा जाएगा'.

2. सामग्री लेखांकन नीतियों की तैयारी और सारांश का आधार

यह नोट इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की सूची प्रदान करता है। जब तक अन्यथा न कहा गया हो, ये नीतियाँ प्रस्तुत सभी वर्षों में समान रूप से लागू की गई हैं।

2.1 समेकन का आधार

एमआईएल उन संस्थाओं का समेकन करती है जिनका वह स्वामित्व या नियंत्रण करती है। समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण शामिल होते हैं। नियंत्रण तब होता है जब मूल कंपनी के पास संस्था पर अधिकार होता है, वह संस्था के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनशील प्रतिफलों पर अधिकार रखती है, या अधिकार रखती है और संस्था पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। शक्ति का प्रदर्शन मौजूदा अधिकारों के माध्यम से होता है जो प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जो संस्था के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। सहायक कंपनी नियंत्रण शुरू होने की तिथि से लेकर नियंत्रण समाप्त होने की तिथि तक समेकित रहती है।

समूह की कंपनियों के वित्तीय विवरणों को पंक्ति–दर–पंक्ति आधार पर समेकित किया जाता है और समेकन के दौरान समूह के भीतर शेष राशि और ऐसे लेनदेन से अप्राप्त लाभ/हानि सहित लेनदेन को हटा दिया जाता है। ये वित्तीय विवरण समूह में प्रचलित एकसमान लेखांकन नीतियों को लागू करके तैयार किए जाते हैं।

एमआईएल ने केवल एक सहायक कंपनी अर्थात म्यूनिशंस इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशनल काउंसिल (एमआईएसपीसी) को समेकित किया है, जो एक सेक्शन 8 कंपनी है, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 2024 को हुई थी।

2.2 तैयारी का आधार

i. Ind-AS का अनुपालन

वित्तीय विवरण सभी भौतिक पहलुओं में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 [कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015] और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं।

ii. ऐतिहासिक लागत सम्मेलन

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किये गये हैं।

iii. वर्तमान और गैर–वर्तमान वर्गीकरण

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को समूह के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (प्रभाग II) में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी और नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर, समूह ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू या गैर–चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

2.3 सामग्री लेखांकन नीतियों का सारांश

a) विदेशी मुद्रा लेनदेन

(i) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें समूह संचालित होता है ('कार्यात्मक मुद्रा')। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (INR) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो समूह की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है।

(ii) लेनदेन और शेष राशि

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे लेनदेन के निपटान और वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के स्थानांतरण से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है और शुद्ध आधार पर लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

गैर–मौद्रिक मदें, जो विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में अंकित की जाती हैं, उन्हें लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है।

b) राजस्व मान्यता

समूह को मुख्य रूप से उत्पादों की बिक्री से राजस्व प्राप्त होता है। माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व की गणना रिटर्न और छूट को घटाकर की जाती है।

राजस्व की पहचान उस राशि में वादा किए गए उत्पादों के नियंत्रण को ग्राहकों को हस्तांतरित करने पर की जाती है, जो उस प्रतिफल को दर्शाती है, जिसे समूह उन उत्पादों या सेवाओं के बदले में प्राप्त करने की उम्मीद करता है।

राजस्व की पहचान करने के लिए, समूह निम्नलिखित पांच चरणीय दृष्किोण अपनाता है:
1. ग्राहक के साथ अनुबंध की पहचान करें;
2. अनुबंध में निष्पादन दायित्वों की पहचान करें;
3. लेनदेन मूल्य निर्धारित करें;
4. अनुबंध में निष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करें; और
5. निष्पादन दायित्व पूरा होने पर राजस्व को मान्यता दें।

राजस्व की गणना ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट प्रतिफल के आधार पर की जाती है और इसमें तृतीय पक्षों की ओर से एकत्रित राशि शामिल नहीं होती। समूह अपने लाभ-हानि विवरण में अप्रत्यक्ष करों को घटाकर शुद्ध राजस्व प्रस्तुत करता है।

समूह द्वारा माल की बिक्री के लिए किए गए अनुबंधों में आमतौर पर एक ही निष्पादन दायित्व होता है और उन्हें एक निश्चित समय पर मान्यता दी जाती है। यह समय तब निर्धारित होता है जब माल का नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है, जो आमतौर पर इस आधार पर निर्धारित होता है कि स्वामित्व के भौतिक जोखिम और लाभ ग्राहक को कब हस्तांतरित किए जाते हैं। इसके अलावा, समूह भुगतान के अपने वर्तमान अधिकार, माल पर कानूनी स्वामित्व, भौतिक कब्जे और ग्राहक की स्वीकृति को भी ध्यान में रखते हुए उस समय का निर्धारण करता है जब नियंत्रण हस्तांतरित किया गया है।

c) उत्पादों की खरीद

उत्पाद की खरीद के मामले में, खरीद का दायित्व तभी दर्ज किया जाता है जब उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण में पास हो जाता है और ऐसी खरीद के संबंध में सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त हो जाते हैं।

d) आयकर

अवधि के लिए आयकर व्यय या क्रेडिट, वर्तमान अवधि की करयोग्य आय पर देय कर है, जो लागू आयकर दर पर आधारित है, तथा अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन द्वारा समायोजित किया जाता है।

वर्तमान आयकर प्रभार की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर की जाती है।
प्रबंधन समय-समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में अपनाई गई स्थिति का मूल्यांकन करता है जिनमें लागू कर विनियमन व्याख्या के अधीन होता है और इस बात पर विचार करता है कि क्या यह संभव है कि कोई कराधान प्राधिकरण अनिश्चित कर व्यवस्था को स्वीकार करेगा। समूह अपने कर शेष को या तो सबसे संभावित राशि या अपेक्षित मूल्य के आधार पर मापता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी विधि अनिश्चितता के समाधान का बेहतर पूर्वानुमान प्रदान करती है।

आस्थगित आयकर, देयता पद्धति का उपयोग करते हुए, परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और वित्तीय विवरणों में उनकी अग्रणीत राशियों के बीच उत्पन्न होने वाले अस्थायी अंतरों पर पूर्ण रूप से लगाया जाता है। हालाँकि, यदि आस्थगित कर देनदारियाँ सद्भावना की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होती हैं, तो उन्हें मान्यता नहीं दी जाती है। आस्थगित आयकर का लेखा–जोखा तब भी नहीं लिया जाता है, जब यह किसी ऐसे व्यावसायिक संयोजन के अलावा किसी अन्य लेन–देन में किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है, जो लेन–देन के समय न तो लेखांकन लाभ और न ही कर योग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करता है। आस्थगित आयकर का निर्धारण उन कर दरों (और कानूनों) का उपयोग करके किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हो चुके हैं और जिनके लागू होने की उम्मीद तब होती है जब संबंधित आस्थगित आयकर परिसंपत्ति की वसूली हो जाती है या आस्थगित आयकर देयता का निपटान हो जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए तभी मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि भविष्य में कर योग्य राशि उन अस्थायी अंतरों और हानियों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो। वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब संस्था के पास समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहती हो, या परिसंपत्ति की वसूली और देनदारियों का एक साथ निपटान करना चाहती हो।

चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जहाँ यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो। इस मामले में, कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

e) इंवेंटरी

कच्चे माल और भंडार, निर्माणाधीन निर्माण और तैयार माल, लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर दर्शाए जाते हैं। कच्चे माल की लागत में क्रय लागत शामिल होती है। निर्माणाधीन निर्माण और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनशील तथा स्थिर उपरिव्यय का एक उचित अनुपात शामिल होता है, जिसे सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर आवंटित किया जाता है। इन्वेंटरी की लागत में इन्वेंटरी को उसके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य सभी लागतें भी शामिल होती हैं। भारित औसत विधि के आधार पर इन्वेंटरी की प्रत्येक वस्तु पर लागतें निर्धारित की जाती हैं। क्रय की गई इन्वेंटरी की लागत, छूट और रियायतों को घटाकर निर्धारित की जाती है।

शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य, व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित विक्रय मूल्य है जिसमें से समापन की अनुमानित लागत और बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित लागतों को घटाया जाता है। इन्वेंट्री के उत्पादन में उपयोग के लिए रखी गई सामग्रियों और अन्य आपूर्तियों को लागत से कम नहीं लिखा जाता है, यदि जिन तैयार उत्पादों में उन्हें शामिल किया जाएगा, उनके लागत पर या उससे अधिक पर बेचे जाने की उम्मीद है।

f) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

i. वर्गीकरण

समूह अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:

- जिन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाएगा (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से, या लाभ या हानि के माध्यम से), और
- इन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाएगा।

यह वर्गीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए समूह के व्यवसाय मॉडल और नकदी प्रवाह की संविदात्मक शर्तों के आधार पर किया जाता है।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों के लिए, लाभ और हानि को लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में दर्ज किया जाएगा, जैसा कि चुना गया हो। ऋण उपकरणों में निवेश के लिए, यह उस व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है।

समूह ऋण निवेशों को तभी पुनर्वर्गीकृत करता है जब और केवल तभी जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए उसका व्यवसाय मॉडल बदलता है।

ii. मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में तब मान्यता दी जाती है जब समूह उपकरण के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाता है।

iii. माप

प्रारंभिक मान्यता के समय, समूह वित्तीय परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य पर मापता है, साथ ही, यदि वित्तीय परिसंपत्ति लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं है, तो उस वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण से सीधे संबंधित लेनदेन लागतों को भी मापता है। 'लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य' पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागतों को लाभ या हानि में व्यय किया जाता है।

ऋण उपकरण: ऋण लिखतों का बाद का मापन समूह के परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय मॉडल और परिसंपत्ति की नकदी प्रवाह विशेषताओं पर निर्भर करता है। समूह अपने ऋण लिखतों को इस प्रकार वर्गीकृत करता है:

परिशोधित लागत: संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी गई संपत्तियों को, जहाँ ये नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इन वित्तीय संपत्तियों से प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है। मान्यता समाप्ति पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को सीधे लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है और अन्य आय में प्रस्तुत किया जाता है। हानि हानि को लाभ और हानि विवरण में एक अलग पंक्ति मद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

iv. वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

समूह अपनी परिशोधित लागत पर रखी गई परिसंपत्तियों से जुड़ी अपेक्षित ऋण हानियों का पूर्वानुमान–आधारित आकलन करता है। लागू की गई हानि पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। समूह इन मान्यताओं को बनाने और हानि की गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का प्रयोग करता है, जो समूह के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पूर्वानुमान–आधारित अनुमानों पर आधारित होता है।

केवल व्यापारिक प्राप्य के लिए, समूह भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा अपेक्षित सरलीकृत दृष्टिकोण को लागू करता है, जिसके तहत प्राप्य की प्रारंभिक पहचान से अपेक्षित आजीवन हानियों को मान्यता प्रदान करना आवश्यक होता है।

v. वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब

- समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं।
- वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व मानता है।

जहाँ इकाई ने किसी परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया है, वहाँ समूह यह मूल्यांकन करता है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को मूलतः हस्तांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है। जहाँ इकाई ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को मूलतः हस्तांतरित नहीं किया है, वहाँ वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द नहीं की जाती है।

जहाँ इकाई ने न तो वित्तीय परिसंपत्ति हस्तांतरित की है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को मूलतः बरकरार रखा है, वहाँ वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है यदि समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार नहीं रखा है। जहाँ समूह वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार रखता है, वहाँ परिसंपत्ति की मान्यता वित्तीय परिसंपत्ति में उसकी निरंतर भागीदारी की सीमा तक जारी रहती है।

vi. आय मान्यता

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय की गणना प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके की जाती है तथा इसे लाभ–हानि विवरण में अन्य आय के भाग के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज आय की गणना वित्तीय परिसंपत्ति की सकल अग्रणीत राशि पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके की जाती है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों के जो बाद में ऋण क्षीण हो जाती हैं। ऋण क्षीण वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रभावी ब्याज दर वित्तीय परिसंपत्ति की शुद्ध अग्रणीत राशि (हानि भत्ते की कटौती के बाद) पर लागू होती है।

g) वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है, जहाँ मान्यता प्राप्त राशियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति की वसूली और देनदारियों का एक साथ निपटान करने का इरादा हो। कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार भविष्य की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए और व्यवसाय के सामान्य क्रम में और समूह या प्रतिपक्ष के चूक, दिवालियापन या दिवालियापन की स्थिति में प्रवर्तनीय होना चाहिए।

h) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अन्य सभी मदों को ऐतिहासिक लागत से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे तौर पर इन वस्तुओं के अधिग्रहण से संबंधित होता है।

बाद की लागतों को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है या आवश्यकतानुसार एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, केवल तभी जब यह संभावना हो कि उस मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे और उस मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। किसी भी घटक की अग्रणीत राशि, जिसे एक अलग परिसंपत्ति के रूप में हिसाब में लिया जाता है, प्रतिस्थापित होने पर अमान्य हो जाती है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव उस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ या हानि में शामिल किए जाते हैं जिसमें वे किए गए थे ।

मूल्यह्रास विधियाँ, अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्टमूल्य

मूल्यह्रास की गणना, परिसंपत्तियों की लागत को, उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर आवंटित करने के लिए सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

प्रबंधन के अनुमान के आधार पर, समूह भवन, संयंत्र एवं मशीनरी, मोटर वाहनों और अन्य उपकरणों की कुछ वस्तुओं का मूल्यह्रास उनके अनुमानित उपयोगी जीवन काल से अधिक करता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन काल से भिन्न है, जो नीचे दिया गया है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमानित उपयोगी जीवन काल यथार्थवादी हैं और जहाँ भी आवश्यक हो, कई पारियों में ऐसी परिसंपत्तियों के उपयोग पर विचार करने के बाद, उस अवधि का एक उचित अनुमान दर्शाते हैं जिसके दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग होने की संभावना है।

निम्नानुसार दिया गया है :

संपत्ति	उपयोगी जीवन अनुसूची II के अनुसार	प्रबंधन अनुमान के अनुसार उपयोगी जीवन
इमारतें (निर्माणियों के अलावा)	60 वर्ष	60 वर्ष
इमारतें – निर्माणी	30 वर्ष	60 वर्ष
संयंत्र और मशीनरी	15 वर्ष	10-20 वर्ष
मोटर वाहन	8 वर्ष	5-7 वर्ष

संपत्ति	उपयोगी जीवन अनुसूची II के अनुसार	प्रबंधन अनुमान के अनुसार उपयोगी जीवन (वर्षों में)
फर्नीचर और फिक्सचर	5 वर्ष	3-8 वर्ष
कार्यालय उपकरण	8 वर्ष	3-8 वर्ष
कंप्यूटर हार्डवेयर		
i) सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष	6 वर्ष
ii) डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सहायक उपकरण	3 वर्ष	3-7 वर्ष
सड़कें		
(a) कारपेट सड़कें		
i. कालीन सड़कें-आरसीसी	10 वर्ष	10 वर्ष
ii. कालीन वाली सड़कें- आरसीसी के अलावा	5 वर्ष	5 वर्ष
(b) गैर- कारपेट सड़कें	3 वर्ष	3 वर्ष

मूर्त संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, संपत्ति की मूल लागत के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। मूल्यह्रास की गणना मूल लागत और अवशिष्ट मूल्य के शुद्ध मूल्य पर, ऊपर दी गई तालिका में उल्लिखित उपयोगी जीवन के अनुसार की जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, तथा यदि उपयुक्त हो तो उन्हें समायोजित किया जाता है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो उसकी वहन राशि को तुरंत उसकी वसूली योग्य राशि में लिख दिया जाता है। जिन परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत लागत ₹10,000 या उससे कम है, उनका मूल्यह्रास खरीद के वर्ष में पूर्ण रूप से किया जाता है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की तुलना अग्रणीत राशि से करके किया जाता है। इन्हें अन्य आय में लाभ या हानि में शामिल किया जाता है।

i) अमूर्त संपत्तियां अर्जित अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण लागत में से संचित परिशोधन और हानि हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है। परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। यदि संपत्ति का अपेक्षित उपयोगी जीवन पिछले अनुमानों से काफी भिन्न है, तो परिशोधन अवधि को तदनुसार बदल दिया जाता है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति की सेवानिवृत्ति या निपटान से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अमूर्त संपत्तियों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत तकनीकी जानकारी के अधिकार शामिल हैं, जिनका परिशोधन समझौते की अवधि के दौरान किया जाता है। अन्य अमूर्त संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

संपत्ति	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3-7 वर्ष
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (TOT)	5-7 वर्ष
पेटेंट	5-7 वर्ष
कॉपीराइट	5-7 वर्ष

j) अनुसंधान एवं विकास व्यय:

समूह द्वारा नियंत्रित पहचान योग्य और अद्वितीय अमूर्त परिसंपत्तियों के डिजाइन और परीक्षण से सीधे संबंधित विकास लागतों को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है, जहां निम्नलिखित मानदंड पूरे होते हैं:

- तकनीकी रूप से परिसंपत्ति को पूरा करना संभव है ताकि यह उपयोग के लिए उपलब्ध हो सके
- प्रबंधन अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने और उसका उपयोग करने या उसे बेचने का इरादा रखता है
- परिसंपत्ति का उपयोग करने या उसे बेचने की क्षमता है
- यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि परिसंपत्ति भविष्य में संभावित आर्थिक लाभ कैसे उत्पन्न करेगी
- विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं, और
- परिसंपत्ति के विकास के दौरान उस पर होने वाले व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागतें, जिन्हें अमूर्त परिसंपत्ति के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, में कर्मचारी लागतें तथा प्रासंगिक उपरिव्ययों का उचित भाग शामिल होता है।

पूंजीकृत विकास लागतों को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है तथा उस बिंदु से परिशोधित किया जाता है, जब परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

अनुसंधान व्यय और विकास व्यय जो उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। विकास लागतों को, जिन्हें पहले व्यय के रूप में मान्यता दी गई थी, बाद की अवधि में परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

k) व्यापार और अन्य देयताएं

ये राशियाँ वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समूह को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए देनदारियों को दर्शाती हैं जिनका भुगतान नहीं किया गया है। ये राशियाँ असुरक्षित हैं और इन्हें चालू देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर भुगतान देय न हो। इन्हें प्रारंभ में उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

n) प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ

कानूनी दावों और सेवा वारंटियों के लिए प्रावधान तब मान्य होते हैं जब समूह पर पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व हो। यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य के परिचालन घाटे के लिए प्रावधान मान्य नहीं होते हैं।

प्रावधानों को अछूती राशि पर मापा जाता है, क्योंकि छूट का प्रभाव भौतिक नहीं होता।

आकस्मिक देयताओं का खुलासा तब किया जाता है जब अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होने वाला कोई संभावित दायित्व हो, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही होगी, जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं होती हैं, या वर्तमान दायित्व जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है, जहां या तो यह संभव नहीं है कि निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

m) कर्मचारी लाभ

पूर्ववर्ती ओएफबी की उत्पादन सुविधाओं के निगमीकरण पर, पूर्ववर्ती ओएफबी के कर्मचारियों को रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1(5)/2021/ओएफ/डीपी(योजना–V)/02 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के अनुसार दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित किया गया है। उक्त ओएम के अनुसार, कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे और इसलिए वेतन भत्ते, छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन देयता केंद्र सरकार का दायित्व बनी रहेगी। केंद्र सरकार कंपनी से प्रतिनियुक्ति शुल्क लेती है। व्यय के सार को देखते हुए, इन खर्चों को वित्तीय विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे पत्र संख्याः 1(5)/2023/ईजीओएम/मान्य प्रतिनियुक्ति/ओएफ/डीपी(एम एंड पी) दिनांक 09.09.2024 के अनुसार 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

n) राशियों का पूर्णांकन

वित्तीय विवरणों और नोटों में प्रकट की गई सभी राशियों को अनुसूची III की आवश्यकताओं के अनुसार निकटतम करोड़ तक पूर्णांकित किया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

3. आलोचनात्मक अनुमान और निर्णय

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए लेखांकन अनुमानों का उपयोग आवश्यक है, जो परिभाषा के अनुसार, वास्तविक परिणामों के बराबर शायद ही कभी होंगे। प्रबंधन को समूह की लेखांकन नीतियों को लागू करते समय विवेक का प्रयोग करने की भी आवश्यकता है। यह नोट उन क्षेत्रों का अवलोकन प्रदान करता है जिनमें अधिक विवेक या जटिलता शामिल है, और उन मदों का भी जिनमें मूल रूप से मूल्यांकन किए गए अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न होने के कारण भौतिक रूप से समायोजन की अधिक संभावना है।

समूह की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है:

वारंटी का प्रावधान

समूह, पूर्ववर्ती ओएफबी से हस्तांतरित भारतीय सशस्त्र बलों के साथ मान्य अनुबंधों के विरुद्ध अपने उत्पादों पर आजीवन वारंटी प्रदान करता है। समूह ने पूर्ववर्ती ओएफबी से हस्तांतरित शुद्ध परिसंपत्तियों को, उन उत्पादों के मामले में, जिनकी शेल्फ–लाइफ़ हस्तांतरण तिथि तक समाप्त नहीं हुई है, निपटान योग्य राशि के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर, हस्तांतरण तिथि पर वारंटी प्रावधान प्रदान करके समायोजित किया है। इन वारंटियों के विरुद्ध की गई आपूर्ति की लागत को अनुमानित प्रावधान के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

मान्य अनुबंधों के अलावा अन्य बिक्री के लिए, वारंटी के प्रावधान को वारंटी अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है। उपयुक्त ऐतिहासिक आंकड़ों के अभाव में, प्रबंधन ने वारंटी प्रावधान के लिए मान्य अनुबंध को छोड़कर निर्यात बिक्री और अन्य निर्यात बिक्री के बिक्री मूल्य पर क्रमशः 1% और 2% की एक समान दर का अनुमान लगाया है।

दीर्घकालिक अनुबंध

समूह के केवल सरकारी संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक अनुबंध हैं। वर्ष के दौरान, सरकार ने लाभ तत्व सहित वार्षिक सुनिश्चित मुद्रास्फीति अधिकारों के साथ मूल्य वृद्धि के रूप में राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई की है। इसलिए, 31 मार्च, 2025 तक कोई अनुमानित नुकसान नहीं है।

4 (क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ

विवरण	भूमि	इमारतों	संयंत्र और मशीनरी	वाहनों	कंप्यूटर हार्डवेयर	कार्यालय फर्नीचर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	अन्य आइटम	कुल	पूंजीगत कार्य प्रगति पर
सकल वहन राशि										
प्रारंभिक सकल वहन राशि	73.09	1,855.82	1,852.28	68.50	11.01	7.35	3.63	0.08	3,871.77	1,616.39
परिवर्धन	-	77.21	121.77	11.52	15.09	3.55	3.11	0.69	232.93	723.42
स्थानांतरण	-	2.59	0.20	-	0.01	0.01	0.00	-	2.82	120.58
निपटान	0.00	4.09	25.27	2.74	0.07	0.01	0.01	-	32.19	-
समायोजन	(0.02)	62.07	199.98	0.52	1.69	1.08	0.71	0.45	266.48	-
31-03-2025 तक समापन सकल वहन राशि	**73.07**	**1,988.42**	**2,148.56**	**77.78**	**27.70**	**11.97**	**7.45**	**1.22**	**4,336.17**	**2,219.23**
संचित मूल्यह्रास										
संचित मूल्यह्रास खोलना	-	147.63	323.63	31.04	3.04	1.41	1.77	0.08	508.61	-
अवधि के लिए शुल्क	-	45.46	116.82	6.56	5.31	2.06	1.28	0.61	178.10	-
निपटान	-	2.32	13.64	2.29	0.02	0.01	0.17	-	18.45	-
समायोजन	-	82.43	190.79	4.69	1.34	1.00	0.61	-0.02	280.84	
संचित मूल्यह्रास को बंद करना	-	273.21	617.60	40.01	9.67	4.46	3.50	0.66	949.11	-
शुद्ध वहन राशि	**73.07**	**1,715.21**	**1,530.96**	**37.77**	**18.03**	**7.51**	**3.95**	**0.56**	**3,387.06**	**2,219.23**

संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.एच देखें

प्रकटीकरण:

1. फ्रीहोल्ड भूमि का विस्तृत विवरण नोट ‘40(सी) अन्य विनियामक’ में दिया गया है।
2. मूल्यह्रास का परीक्षण सामग्री लेखांकन नीति के अनुसार किया जाता है और वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास नहीं हुआ।

वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ

विवरण	भूमि	इमारतों	संयंत्र और मशीनरी	वाहनों	कंप्यूटर हार्डवेयर	कार्यालय फर्नीचर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	अन्य आइटम	कुल	पूंजीगत कार्य प्रगति पर
सकल वहन राशि										
प्रारंभिक सकल वहन राशि	73.09	1,748.09	1,665.53	37.23	4.59	2.06	1.64		3,532.23	1,409.65
परिवर्धन	-	123.11	134.91	15.63	6.23	5.22	1.11	0.08	286.30	399.90
स्थानांतरण	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-193.16
निपटान	-	9.14	3.03	0.11	0.33	0.01	-	-	12.62	-
समायोजन	-	-6.24	54.87	15.74	0.52	0.08	0.88	-	65.86	
31-03-2024 तक समापन सकल वहन राशि	**73.09**	**1,855.82**	**1,852.28**	**68.50**	**11.01**	**7.35**	**3.63**	**0.08**	**3,871.77**	**1,616.39**
संचित मूल्यह्रास										
संचित मूल्यह्रास खोलना	-	55.47	160.40	9.31	1.16	0.37	0.34	-	227.05	-
अवधि के लिए शुल्क	-	41.41	117.37	8.34	1.59	1.06	0.49	0.08	170.35	-
निपटान	-	0.07	2.01	0.02	0.00	-	-	-	2.10	-
समायोजन	-	50.82	47.87	13.40	0.29	-0.02	0.95	-	113.31	
संचित मूल्यह्रास को बंद करना	-	147.63	323.63	31.04	3.04	1.41	1.77	0.08	508.61	-
शुद्ध वहन राशि	**73.09**	**1,708.19**	**1,528.66**	**37.45**	**7.97**	**5.95**	**1.86**	**-0.00**	**3,363.16**	**1,616.39**

4 (ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ

पूंजीगत कार्य प्रगति में निम्नलिखित शामिल हैं :

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
इमारतों	254.11	739.56
संयंत्र और मशीनरी	1,965.12	876.83
कुल	2,219.23	1,616.39

पूंजीगत कार्य-प्रगति आयु निर्धारण अनुसूची

31 मार्च 2025 तक

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
बड़े कैलिबर गोला-बारूद की सुविधा	180.85	66.87	202.92	588.56	1,039.21
रॉकेट उत्पादन सुविधाएं	-	-	-	1.90	1.90
अन्य संयंत्र एवं उपकरण तथा भवन निर्माण कार्य प्रगति पर	421.99	254.61	227.88	273.63	1,178.12
कुल	**602.84**	**321.48**	**430.80**	**864.11**	**2,219.23**

31 मार्च 2024 तक

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
बड़े कैलिबर गोला-बारूद की सुविधा	66.87	202.92	125.53	463.23	858.36
रॉकेट उत्पादन सुविधाएं	-	-	-	1.90	1.90
अन्य संयंत्र एवं उपकरण तथा भवन निर्माण कार्य प्रगति पर	254.61	227.88	155.30	118.33	756.13
कुल	**321.48**	**430.80**	**280.63**	**583.48**	**1,616.39**

संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.i देखे

मूल्यह्रास का परीक्षण भौतिक लेखांकन नीति के अनुसार किया जाता है तथा वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास नहीं हुआ।

कुछ परियोजनाएँ अपने मूल समय अनुमान से आगे निकल गई हैं। हालाँकि, इनके संशोधित समय अनुमान के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। पूंजी प्रतिबद्धता के लिए नोट 40(डी) देखें

4 (ग) अमृर्त संपत्ति

वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ

विवरण	अमूर्त संपत्ति
सकल वहन राशि	
आरंभिक सकल वहन राशि	101.16
परिवर्धन	3.13
निपटान	0.66
समायोजन	6.16
समापन सकल वहन राशि	**109.79**
प्रारंभिक संचित परिशोधन	**38.46**
वर्ष के लिए शुल्क	10.64
समायोजन	14.68
संचित परिशोधन को बंद करना	**63.78**
शुद्ध वहन राशि	**46.01**

वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ

विवरण	अमूर्त संपत्ति
सकल वहन राशि	
31 मार्च 2024 तक	98.200
परिवर्धन	**4.57**
निपटान	1.50
समायोजन	0.11
समापन सकल वहन राशि	**101.16**
संचित परिशोधन	**26.92**
वर्ष के लिए शुल्क	11.54
संचित परिशोधन को बंद करना	**38.46**
शुद्ध वहन राशि	**62.70**

4 (घ) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक जमा	100.99	56.46
जोड़ना	78.81	44.53
स्थानांतरण	0.45	
जमा शेष	179.35	100.99

विकास के अंतर्गत अमूर्त वृद्धावस्था अनुसूची

31 मार्च 2025 तक

विवरण	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
उत्पादों और अन्य अमूर्त वस्तुओं से संबंधित प्रौद्योगिकी	78.36	44.53	56.46	-	179.35
कुल	**78.36**	**44.53**	**56.46**	-	**179.35**

31 मार्च 2024 तक

विवरण	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
उत्पादों और अन्य अमूर्त वस्तुओं से संबंधित प्रौद्योगिकी	44.53	56.46	-	-	100.99
कुल	**44.53**	**56.46**	-	-	**100.99**

संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.j देखें

कुछ परियोजनाएँ अपने मूल समय अनुमान से आगे निकल गई हैं। हालाँकि, इनके संशोधित समय अनुमान के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में पूंजीकृत सभी व्यय विकास व्यय से संबंधित हैं।

मूल्यह्रास का परीक्षण भौतिक लेखांकन नीति के अनुसार किया जाता है और वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास नहीं हुआ।

5 गैर चालू निवेश

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहयोगी में निवेश – लागत पर किया गया		
गैर उद्धृत		
इंडो–रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के 80,000 इक्विटी शेयर	0.80	0.80
कुल	**0.80**	**0.80**
उद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि	0.80	0.80
निवेश के मूल्य में कुल हानि की राशि	-	-

वित्तीय परिसंपत्तियों पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.f देखें

कंपनी ने ओएफबी के पुनर्गठन के एक भाग के रूप में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (आईआरआरपीएल) में 8% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है। कंपनी ने आईआरआरपीएल के निदेशक मंडल में एक निदेशक को भी नामित किया है। प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि आईआरआरपीएल में इक्विटी निवेश और निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व, उसे आईआरआरपीएल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि यह कंपनी की सहयोगी कंपनी नहीं है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

(क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है और

(ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान होता है।

चूंकि उपरोक्त दोनों शर्तें पूरी नहीं होती हैं, इसलिए निवेश का उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

6 अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
(I) पूंजी अग्रिम	10.26	7.54
(II) पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
सुरक्षा जमा	2.04	2.00
(III) अन्य गैर चालू परिसंपत्ति		
(क) अन्य दीर्घ बकाया	0.00	12.95
(ख) गैर–वर्तमान इन्वेंटरी– कच्चा माल	-	18.02
कुल	**12.29**	**40.51**

7 इंवेंटरी

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
कच्चा माल	3,006.08	3,007.09
कार्य प्रगति पर	786.97	1,209.13
तैयार माल	413.61	306.89
कुल	**4,206.67**	**4,523.11**

इन्वेंट्री पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.e देखें

उपरोक्त सूची में निम्नलिखित पारगमन माल शामिल है:

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
कच्चा माल	533.13	588.80
	533.13	**588.80**

8 व्यापार प्राप्तियां

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त व्यापार प्राप्य – बिलित	1,437.89	1,437.71
कुल	**1,437.89**	**1,437.71**

सुरक्षा विवरण का ब्यौरा

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
व्यापारिक प्राप्य अच्छे माने जाते हैं – सुरक्षित	-	-
व्यापार प्राप्य अच्छे माने जाते हैं – असुरक्षित	1,437.89	1,437.71
व्यापार प्राप्य जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
व्यापार प्राप्य – ऋण क्षति	-	-
कुल	**1,437.89**	**1,437.71**
घटाएँ: हानि भत्ता		
कुल व्यापार प्राप्य	1,437.89	1,437.71

31 मार्च 2025 तक

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						कुल
	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार प्राप्तियां							
निर्विवाद व्यापार प्राप्य– अच्छा माना जाता है	-	808.15	254.48	163.27	22.22	189.76	1,437.89
कुल	-	**808.15**	**254.48**	**163.27**	**22.22**	189.76	**1,437.89**

31 मार्च 2024 तक

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						कुल
	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार प्राप्तियां							
निर्विवाद व्यापार प्राप्य– अच्छा माना जाता है	-	1,194.86	68.27	148.89	25.69	-	1,437.71
कुल	-	**1,194.86**	**68.27**	**148.89**	**25.69**	-	**1,437.71**

9 नकद और नकद के समान

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
बैंकों के पास शेष राशि		
– चालू खातों में	1,026.95	244.00
– ईईएफसी खाते में	867.81	240.78
– बारह महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियां	4,250.55	3,015.52
हाथ में नकदी	0.00	0.02
कुल	**6,145.31**	**3,500.32**

10 नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि	-	221.00
कुल	-	**221.00**

उपरोक्त उल्लिखित एफडी के विरुद्ध शून्य रुपये (172.33 करोड़ रुपये) की राशि ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित है।

11 अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सुरक्षा जमा	14.55	10.37
अन्य	239.64	3.85
सरकार से प्राप्तियां	61.11	116.65
कुल	**315.31**	**130.87**

अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में किराया प्राप्ति आदि शामिल हैं ।

12 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
विक्रेताओं को अग्रिम	462.05	831.69
पूंजी अग्रिम	-	5.42
सरकारी प्राधिकारियों के साथ संतुलन	559.11	353.62
अन्य चालू परिसंपत्तियां	129.39	211.78
कुल	**1,150.55**	**1,402.51**

13 इक्विटी शेयर पूंजी

(क) अधिकृत शेयर पूंजी

विवरण	शेयर की संख्या	राशि
31 मार्च 2024 तक	**42,00,00,00,000**	**42,000.00**
इस अवधि के दौरान हुए परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2025 तक	**42,00,00,00,000**	**42,000.00**

विवरण	शेयर की संख्या	राशि
31 मार्च 2023 तक	**42,00,00,00,000**	**42,000.00**
इस अवधि के दौरान हुए परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2024 तक	**42,00,00,00,000**	**42,000.00**

(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी

विवरण	शेयर की संख्या	राशि
31 मार्च 2024 तक	**34,31,46,60,000**	**3,43,14,66,00,000.00**
वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	1,33,07,00,000	13,30,70,00,000.00
31 मार्च 2025 तक	**35,64,53,60,000**	**3,56,45,36,00,000.00**

इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

इक्विटी शेयरों का सममूल्य 10 रुपये होता है। ये धारक को लाभांश में भाग लेने और कंपनी के समापन से प्राप्त आय में, धारित शेयरों की संख्या और भुगतान की गई राशि के अनुपात में हिस्सा लेने का अधिकार देते हैं। बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक को एक वोट का अधिकार होता है, और मतदान के बाद प्रत्येक शेयर को एक वोट का अधिकार होता है।

(ग) कंपनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
भारत सरकार	35,64,53,60,000	100%	34,31,46,60,000	100%

प्रमोटर होने के नाते भारत सरकार के पास 31 मार्च 2025 तक 100% शेयर होंगे ।

(घ) व्यवसाय पुनर्गठन पर इक्विटी शेयर जारी करने का मामला लंबित

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक जमा	5.25	5.25
व्यवसाय पुनर्गठन पर इक्विटी शेयर जारी करने का मामला लंबित	-	-
आवंटन लंबित रहने तक आवेदन राशि में स्थानांतरित कर दिया गया	-	-
उप–योग	**5.25**	**5.25**
इक्विटी शेयरों का निर्गम	(5.25)	-
जमा शेष	**0.00**	**5.25**

(ङ) शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
आवेदन राशि प्राप्त हुई	490.83	1,070.83

प्रकटीकरण: शेयर केवल भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही जारी किए जाएंगे।

(च) नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
व्यवसाय पुनर्गठन पर जारी इक्विटी शेयर	32,50,53,50,000	32,50,53,50,000.00

14 अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
(क) पूंजी आरक्षित	(27,425.16)	(27,425.16)
(ख) प्रतिधारित आय	1,493.68	653.82
कुल	**(25,931.48)**	**(26,771.34)**

(क) पूंजी आरक्षित

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक जमा	(27,425.16)	(27,425.16)
अन्य समायोजन	-	-
जमा शेष	**(27,425.16)**	**(27,425.16)**

पूंजी आरक्षित निधि, आयुध निर्माणी बोर्ड के व्यवसाय पुनर्गठन पर कंपनी को हस्तांतरित शुद्ध परिसंपत्तियों और जारी किए गए प्रतिफल के बीच के अंतर को दर्शाती है।

(ख) प्रतिधारित कमाई

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक जमा	653.82	95.04
वर्ष/अवधि के लिए लाभ	839.86	558.78
जमा शेष	**1,493.68**	**653.82**

15 अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
देय सुरक्षा जमा	4.66	6.97
पीजीडीएम कॉशन मनी देय	0.14	-
कुल	**4.80**	**6.97**

16 गैर-वर्तमान प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
वारंटी का प्रावधान	2,692.11	2,783.90
कुल	**2,692.11**	**2,783.90**

महत्वपूर्ण अनुमानों और निर्णयों (वारंटी के लिए प्रावधान) पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 3 का संदर्भ लें

वारंटी प्रावधानों में बदलाव

विवरण	उत्पाद वारंटी
31 मार्च 2024 तक	**2,783.90**
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया प्रावधान	127.73
घटाएँ: वर्ष के दौरान उलटा प्रावधान	17.20
जोड़ें: वर्ष के लिए प्रावधान	53.14
31 मार्च 2025 तक	**2,692.11**
31 मार्च 2023 तक	**2,917.62**
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया प्रावधान	155.34
घटाएँ: वर्ष के दौरान उलटा प्रावधान	-
जोड़ें: वर्ष के लिए प्रावधान	21.62
31 मार्च 2024 तक	**2,783.90**

17 आस्थगित कर देयताएं

शेष राशि में निम्नलिखित के कारण अस्थायी अंतर शामिल हैं:

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
आस्थगित कर देयताएं		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	885.79	599.58
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
वारंटी के लिए प्रावधान	56.45	21.62
धारा 43बी के तहत अस्वीकृति	40.84	14.60
नेट डीटीएल/(डीटीए)	**788.50**	**563.36**
कर की दर @25.168%	**198.45**	**141.78**
डीटीएल का आरंभिक शेष	**141.78**	**13.97**
शुद्ध आस्थगित कर	**56.67**	**127.81**

18 व्यापार देयताएं

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
व्यापार देयताएं		
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसएमई)	91.45	57.78
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा	1,295.02	1,099.99
कुल	**1,386.48**	**1,157.77**

व्यापार देय राशि की आयु

31 मार्च 2025 तक

विवरण	बिना बिल वाला	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएं							
निर्विवाद–एमएसएमई	-	-	90.79	0.84	0.18	0.18	91.99
निर्विवाद–अन्य	-	-	1,007.64	52.35	56.60	177.90	1,294.49
विवादित बकाया– एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
विवादित बकाया– अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**1,098.43**	**53.19**	**56.78**	**178.08**	**1,386.48**

31 मार्च 2024 तक

विवरण	बिना बिल वाला	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएं							
निर्विवाद–एमएसएमई	-	-	54.57	0.80	0.26	2.15	57.78
निर्विवाद–अन्य	-	-	858.49	193.64	30.56	4.84	1,087.53
विवादित बकाया– एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
विवादित बकाया– अन्य	-	-	-	-	-	12.46	12.46
कुल	-	-	**913.06**	**194.44**	**30.82**	**19.45**	**1,157.77**

व्यापार और अन्य देयताओं पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.k. देखें

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ('एमएसएमईडी अधिनियम') के तहत परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों (एमएसएमई) को देय राशि का विवरण और एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय मूल राशि, जो वर्ष के अंत तक अदा नहीं की गई	91.99	57.78
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय ब्याज, जो वर्ष के अंत तक अदा नहीं किया गया	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई मूल राशि	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज	-	-

एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अलावा, एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज	-	-
भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज	2.00	0.86
आगामी वर्षों में भी देय और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि	-	-

नोट: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट की जाने वाली अपेक्षित सूचना का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सीमा तक किया गया है, जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त पुष्टि के आधार पर किया गया है।

19 अन्य वित्तीय देनदारियाँ – चालू

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
कर्मचारियों को देय	221.24	222.32
श्रम ठेकेदार शुल्क देय	0.04	0.88
सरकार को देय	0.04	0.04
देय बयाना राशि	0.29	0.27
देय लेखा परीक्षा शुल्क	0.17	0.18
देय बिजली शुल्क	3.57	3.69
डीपीएसयू को लाभ हस्तांतरण*	27.89	-
देय सुरक्षा व्यय	26.63	-
देय जल शुल्क	0.10	0.09
देय सुरक्षा जमा	2.73	4.40
अन्य विविध वस्तुएँ	107.33	60.93
कुल	**390.02**	**292.80**

* चालू वर्ष में, राशि क्रिस्टलीकृत देयता पर अर्जित की गई है और इसलिए इसे अन्य वित्तीय देयताओं – चालू के अंतर्गत दर्ज किया गया है

20 अन्य वर्तमान देनदारियां

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
ग्राहकों से अग्रिम	3,615.68	2,949.73
वैधानिक बकाया	165.43	146.76
अन्य विविध वस्तुएँ	25.64	12.33
कुल	**3,806.75**	**3,108.82**

अनुबंध देयताएं

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक जमा	**2,949.73**	**3,299.12**
वर्ष में मान्यता प्राप्त राजस्व जो वर्ष के आरंभ में अनुबंध देयताओं में शामिल था	(2,763.20)	(2,460.22)
राजस्व में मान्यता न दिए गए निष्पादन दायित्वों के लिए वर्ष में प्राप्त नकदी या जारी किए गए चालानों के कारण वृद्धि	3,429.15	2,110.83
जमा शेष	**3,615.68**	**2,949.73**

21 प्रावधानों

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
देय सुरक्षा व्यय	23.66	103.14
सीएसआर प्रावधान	-	2.39
दर अंतर के लिए प्रावधान	-	161.01
अन्य विविध वस्तुएं	167.79	0.89
एमएसएमई हित	1.98	-
कुल	**193.43**	**267.43**

प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.I. का संदर्भ लें

* पिछले वर्ष में, राशि अनुमान के आधार पर दर्ज की गई है और इसलिए प्रावधानों के तहत दर्ज की गई है।

22 वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
वर्तमान कर प्रावधान	223.71	21.19
कुल	**223.71**	**21.19**

23 परिचालन से राजस्व

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री – एक निश्चित समय पर	8,123.57	7,141.79
सेवा की बिक्री	3.53	1.68
अन्य परिचालन राजस्व		
स्क्रैप की बिक्री	85.71	78.11
अन्य	1.30	-
कुल	**8,214.10**	**7,221.58**

राजस्व मान्यता पर सामग्री नीति संख्या 2.2 बी देखे

31 मार्च 2025 तक

विवरण	घरेलू		अन्य	कुल
	रक्षा	गैर रक्षा	निर्यात	
उत्पादों की ब्रिकी	2,823.51	2,223.97	3,076.08	8,123.57
कुल	**2,823.51**	**2,223.97**	**3,076.08**	**8,123.57**

31 मार्च 2024 तक

विवरण	घरेलू		अन्य	कुल
	रक्षा	गैर रक्षा	निर्यात	
उत्पादों की ब्रिकी	3,684.54	1,760.37	1,696.87	7,141.79
कुल	**3,684.54**	**1,760.37**	**1,696.87**	**7,141.79**

24 अन्य कमाई

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
किराये की आय	10.43	9.22
उपयोगिता शुल्क	3.45	21.55
विविध आय	87.76	7.25
सावधि जमा पर ब्याज आय, जो परिशोधित लागत पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियां हैं	254.43	209.84
शुद्ध विनिमय लाभ	29.60	25.08
परिसमापन क्षति वसूली गई	16.00	20.53
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर शुद्ध लाभ	2.13	2.61
अन्य वसूली	10.74	7.29
निर्यात प्रोत्साहन*	20.50	9.67
खेल आयोजन में योगदान	0.27	
कुल	**435.03**	**313.04**

* शुल्क वापसी प्रोत्साहन को नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है

25 उपभोग की गई सामग्री की लागत

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
वर्ष/अवधि की शुरुआत में कच्चा माल	2,821.76	2,636.93
जोड़ें: खरीदारी	3,638.01	3,694.80
घटाएँ: वर्ष/अवधि के अंत में कच्चा माल	3,006.08	2,821.75
उपभोग की गई सामग्रियों की कुल लागत	**3,453.68**	**3,509.98**

खरीद पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.सी देखें

इन्वेंट्री पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.e देखें

26 कार्य–प्रगति और तैयार माल की सूची में परिवर्तन

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
प्रारंभिक जमा		
कार्य प्रगति पर	1,209.13	1,387.42
तैयार माल	306.89	320.17
कुल	**1,516.02**	**1,707.59**
जमा शेष		
कार्य प्रगति पर	786.97	1,209.13
तैयार माल	413.61	306.89
कुल समापन शेष	**1,200.58**	**1,516.02**
कार्य–प्रगति और तैयार माल की सूची में परिवर्तन	**315.45**	**191.57**

27 कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
वेतन, मजदूरी और बोनस	2,337.94	2,161.34
अन्य भत्ते	18.78	-
कुल	**2,356.71**	**2,161.34**

28 वित्तीय लागत

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
वित्तीय लागत	4.05	2.16
कुल	**4.05**	**2.16**

29 मूल्याहास और परिशोधन व्यय

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास	187.52	171.65
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	10.64	11.54
कुल	**198.16**	**183.19**

संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.एच देखें

30 अन्या खर्चों

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
बिजली और ईंधन	104.80	122.94
परिवहन शुल्क	60.46	42.33
विज्ञापन	0.40	0.01
मुद्रण और स्टेशनरी	2.25	2.96
किराया, दरें और कर	30.86	25.93
ठेका श्रमिक	108.98	97.65
जल प्रभार	32.19	35.33
मरम्मत और रखरखाव – भवन	50.71	49.88
मरम्मत और रखरखाव–अन्य	10.05	7.30
मरम्मत और रखरखाव–पी एंड एम	14.75	4.94
यात्रा खर्च	4.37	10.62
टेलीफोन खर्च	2.12	1.62
बिजली का खर्च	77.51	41.24
आईटी व्यय	5.09	3.41
कानूनी और पेशेवर शुल्क	30.83	8.00
संपत्ति कर	29.83	29.83
सुरक्षा व्यय	258.16	234.71
किराये का खर्च	0.74	1.04
पुनर्रचना व्यय	-	0.21
प्रदर्शनी व्यय	2.49	3.87
जुर्माना, दंड और वैधानिक भुगतान	2.29	9.27
विविध व्यय	62.44	64.40
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	7.03	2.44
निर्यात आयोग	107.29	75.74
वारंटी व्यय	35.94	21.62
खेल से संबंधित व्यय	0.27	-
कुल	**1,041.85**	**897.31**

30 (क) लेखा परीक्षकों को भुगतान का विवरण

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.55	0.33
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.08	0.08
कुल	**0.63**	**0.41**

* नोट 30 के अंतर्गत कानूनी और व्यावसायिक शुल्क और विविध व्यय शामिल हैं

30 (ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है। सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	9.42	2.99
(ii) व्यय की गई राशि	2.69	0.60
– नई परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
– उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से	2.74	-
(iii) वर्ष के अंत में कमी/(अधिकता)	6.73	2.39
(iv) पिछले वर्षों की कमी/(अधिकता) का योग (जो ऊपर शामिल है)	2.39	0.15
(v) कमी का कारण	कंपनी ने 6.73 करोड़ रुपये की कुल कमी में से 6.14 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं, जिसे वर्ष के अंत में विशेष खाते (सीएसआर खाते) में जमा किया जाना है; कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और सीएसआर से संबंधित नियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर।	
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	कंपनी प्रभावशाली सामाजिक परियोजनाएं चलाती है जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों के अनुरूप हैं, जिनमें से कंपनी ने मुख्य रूप से शिक्षा, जल संरक्षण, स्वास्थ्य और स्वच्छता और सामुदायिक विकास के चार प्रमुख क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाएं शुरू की हैं।	
(vii) संबंधित पक्ष लेन-देन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	ना	
(viii) जहां संविदागत दायित्व में प्रवेश करने से उत्पन्न देयता के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वहां वर्ष के दौरान प्रावधान में होने वाले परिवर्तनों को अलग से दर्शाया जाना चाहिए ।	ना	

31 असाधारण वस्तूएँ

विवरण	31 मार्च 2025 तक			31 मार्च 2024 तक		
	डेबिट	क्रेडिट	कुल	डेबिट	क्रेडिट	कुल
पूर्व अवधि के व्यय	0.71	24.38	23.06	10.60	58.61	48.01
वर्तमान परिसंपत्ति/देयताएं वापस/बट्टे खाते में डाली गई	93.32	121.57	28.85	6.11	56.46	50.35
असंगत शुल्क और कर	18.01	-	(18.01)	27.47	125.23	97.76
पीपीई में समायोजन	22.75	-	(22.75)	44.34	9.75	(34.59)
पीपीई से संबंधित राइट ऑफ समायोजन	4.14		(4.14)			
कुल	**138.93**	**145.95**	**7.02**	**88.52**	**250.05**	**161.53**

32 आयकर व्यय

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

लाभ और हानि अनुभाग	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
आयकर व्यय		
वर्तमान आयकर	390.00	64.00
आस्थगित आयकर	56.67	127.81
कुल	**446.73**	**191.81**

33 उचित मूल्य माप

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां

लाभ और हानि सेक्शन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
वित्तीय पूंजी		
व्यापार प्राप्तियां	1,437.89	1,437.71
नकद और नकद के समान	6,145.31	3,500.32
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	315.72	130.87
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**7,898.92**	**5,068.90**
वित्तीय देनदारियाँ		
व्यापार देयताएं	1,386.48	1,157.77
सुरक्षा जमा	7.52	7.44
कर्मचारियों को देय	221.24	222.32
सरकार को देय	0.04	0.04

लाभ और हानि सेक्शन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
देय बयाना राशि	0.29	0.27
देय बिजली शुल्क	3.57	3.69
देय सुरक्षा व्यय	26.63	-
देय जल शुल्क	0.10	0.09
अन्य विविध वस्तुएँ	107.33	70.01
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**1,753.19**	**1,461.63**

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य
परिशोधित लागत पर रखे गए सभी वित्तीय साधनों के उचित मूल्य उनकी वहन राशि से भौतिक रूप से भिन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वे या तो अल्पकालिक प्रकृति के होते हैं या लागू ब्याज दर वर्तमान बाजार ब्याज दर से भौतिक रूप से भिन्न नहीं होती है।
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य और अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत मापे जाने वाले कोई वित्तीय साधन नहीं हैं।

34 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

अपने व्यवसाय के दौरान, समूह मुख्यतः बाज़ार जोखिम, तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के संपर्क में रहता है, जो उसके वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करती है, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों से जुड़े अन्य जोखिमों, जैसे ऋण जोखिमों को भी कवर करती है। जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।

क ऋण जोखिम

ऋण जोखिम, प्रतिपक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों या दायित्वों के अनुसार ऋण चुकाने या सेवा देने में विफलता से उत्पन्न होने वाला वित्तीय नुकसान का जोखिम है। ऋण जोखिम में चूक का प्रत्यक्ष जोखिम और ऋण–योग्यता में गिरावट का जोखिम, दोनों शामिल हैं।

समूह का ऋण जोखिम मुख्यतः व्यापार प्राप्य, नकदी और बैंक शेष तथा अन्य प्राप्य से उत्पन्न होता है।

सरकार/सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) से व्यापार प्राप्तियों की एक बड़ी राशि बकाया है, जिसके परिणामस्वरूप समूह को ऐसी प्राप्तियों से जुड़ा कोई ऋण जोखिम नहीं है। गैर–सरकारी व्यापार प्राप्तियों के मामले में, बिक्री आमतौर पर ग्राहक द्वारा दिए गए साख पत्र के आधार पर की जाती है, जिससे ऋण जोखिम कम हो जाता है। समूह को आमतौर पर बैंक गारंटी के आधार पर 60% अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है, जो व्यापार प्राप्तियों से जुड़े ऋण जोखिम को और अधिक सुरक्षित बनाता है।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए केवल उच्च रेटिंग वाले बैंक/संस्थाएं ही स्वीकार की जाती हैं।

ऋण जोखिम के प्रति जोखिम
वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशियाँ अधिकतम ऋण जोखिम को दर्शाती हैं। ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम, जो बैंकों में शेष राशि, बैंकों में अल्पकालिक जमा, व्यापारिक प्राप्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि का योग होता है, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रकट किया जाता है। विवरण के लिए संबंधित नोट देखें।

ख तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और जमा राशि बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने और दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखना है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, समूह ग्राहकों से ऑर्डर मूल्य का 60% अग्रिम प्राप्त करने के बाद माल के उत्पादन के लिए ऑर्डर स्वीकार करके कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करके धन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर समूह की तरलता स्थिति और नकदी व नकदी समकक्षों के निरंतर पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। समूह की तरलता प्रबंधन नीति में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना शामिल है। समूह अपनी अतिरिक्त धनराशि को बैंक सावधि जमाओं में निवेश करता है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

(i) नीचे दी गई तालिका समूह की वित्तीय देनदारियों का उनके संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में विश्लेषण करती है:

तालिका में दर्शाई गई राशियाँ संविदागत अ–बट्टाकृत नकदी प्रवाह हैं। 12 महीनों के भीतर देय शेष राशियाँ उनके अग्रणीत शेष के बराबर होती हैं क्योंकि छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होता है।

31 मार्च 2025 तक	कुल	3 महिने से कम	3 से 12 महिने	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष
व्यापार देयताएं	1,386.48	-	1,386.48	–	–
सुरक्षा जमा	7.52	2.73	4.80	–	–
कर्मचारियों को देय	221.24	221.24	-	–	–
देय बिजली शुल्क	3.57	3.57	-	–	–
देय सुरक्षा व्यय	26.63	-	26.63	–	–
देय जल शुल्क	0.10	0.10	-	–	–
सरकार को देय	0.04	0.04		–	–
देय बयाना राशि	0.29	0.29		–	–
अन्य विविध वस्तुएँ	107.33	107.33	-	–	–
कुल	**1,753.19**	**335.29**	**1,417.91**	–	–

31 मार्च 2024 तक	कुल	3 महिने से कम	3 से 12 महिने	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष
व्यापार देयताएं	1,157.77	-	1,157.77	-	–
सुरक्षा जमा	7.44	0.47	7.44	6.97	–
कर्मचारियों को देय	222.32	222.32	-	-	–
अन्य विविध वस्तुएं	70.01	70.01	-	-	–
कुल	**1,457.54**	**292.80**	**1,165.21**	**6.97**	–

ग बाजार ज़ोखिम

बाज़ार जोखिम भविष्य की आय, प्राप्ति योग्य उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में किसी भी प्रकार की हानि का जोखिम है जो किसी वित्तीय साधन की कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हो सकता है। किसी वित्तीय साधन का मूल्य विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, तरलता और अन्य बाज़ार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बदल सकता है। भविष्य में विशिष्टबाज़ार गतिविधियों का सामान्यतः उचित सटीकता के साथ पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेनदेन करता है और विदेशी मुद्रा लेनदेन, मुख्यतः अमेरिकी डॉलर, यूरो और स्वीडिश क्राउन के संदर्भ में, से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति संवेदनशील है। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों से उत्पन्न होता है, जिनका मूल्य समूह की कार्यात्मक मुद्रा (INR) से भिन्न मुद्रा में होता है।

समूह का आयात और निर्यात, दोनों ही लेन–देन विदेशी मुद्राओं में होता है। आयात, निर्यात से ज़्यादा है, इसलिए समूह का विदेशी मुद्रा जोखिम इस हद तक है कि ख़रीद, निर्यात से ज़्यादा है।

समूह जिन मुद्राओं के संपर्क में है, उनमें बहुत ज़्यादा उतार–चढ़ाव नहीं होता। हालाँकि, प्रबंधन इन मुद्राओं की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखता है और अस्थिरता के कारण होने वाले नुकसान से समूह को बचाने के लिए ज़रूरी कदम उठाता है।

लाभ और हानि सेक्शन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
वित्तीय पूंजी		
व्यापार प्राप्तियां		
यूरो	0.01	2.34
यूएसडी	98.50	587.26
बैंक बैलेंस		
यूएसडी	703.24	24.00
यूरो	164.57	
विदेशी मुद्रा जोखिम (परिसंपत्तियों) में शुद्ध जोखिम	**966.32**	**613.59**
व्यापार देयताएं		
यूरो	1.42	(2.88)
यूएसडी	48.73	60.79
पूंजी लेनदारों		
यूरो	-	-
विदेशी मुद्रा जोखिम (देनदारियों) के प्रति शुद्ध जोखिम	**50.15**	**57.91**

वर्ष के अंत मे देय/प्राप्य शेष के संबंध में विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ या हानि की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

	लाभ पर प्रभाव	लाभ पर प्रभाव
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
5% की वृद्धि*		
यूरो	8.16	0.26
यूएसडी	37.65	27.52
5% की कमी*		
यूरो	(8.16)	(0.26)
यूएसडी	(37.65)	(27.52)
*अन्य सभी चरों को स्थिर रखते हुए		

35 पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन के समय समूह के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
– एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की उनकी क्षमता की रक्षा करना, ताकि वे शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, और
– पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।
पूँजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, समूह शेयरधारकों को पूँजी लौटा सकता है, नए शेयर जारी कर सकता है। समूह वार्षिक परिचालन योजनाओं, दीर्घकालिक परियोजनाओं और अन्य रणनीतिक निवेश योजनाओं के आधार पर आवश्यक पूँजी की मात्रा निर्धारित करता है। वित्तपोषण आवश्यकताओं को इक्विटी के माध्यम से पूरा किया जाता है।

36 (क) सेगमेंट रिपोर्टिंग

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने संशोधित अधिसूचना संख्या 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के तहत रक्षा उत्पादन में लगी कंपनियों को सेगमेंट रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट दे दी है।

(ख) (i) कर्मचारी लाभ दायित्व के लिए प्रावधान

पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) की उत्पादन और गैर–उत्पादन सुविधाओं के निगमीकरण पर, पूर्ववर्ती ओएफबी के कर्मचारियों को रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1(5)/2021/ओएफ/डीपी(योजना–V)/02 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के अनुसार दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए मानित प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया है। उक्त ओएम के अनुसार, ऐसे सभी कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे और इसलिए उनके संबंधित वेतन भत्ते, अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन देयता केंद्र सरकार का दायित्व बनी रहेगी। चूँकि कंपनी को इन दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए IND-AS 19 के अनुसार कुछ कर्मचारी लाभों के प्रावधान, जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ और भत्ते, वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इसे पत्र संख्या: 1(5)/2023/ईजीओएम/डीम्ड डिप्यूट./ओएफ/डीपी(एम एंड पी) दिनांक 09.09.2024 के तहत 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा कंपनी ने 12 कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया है, जिसके लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का प्रावधान किया गया है।

(ख) (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 का गैर–अनुपालन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 और धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, समूह को क्रमशः स्वतंत्र निदेशकों और कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति करना और लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक है। हालांकि, एक सरकारी कंपनी और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई होने के नाते, समूह को स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक सहित निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक है। ऐसी प्रक्रियाओं के लंबित होने के कारण, कंपनी महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने में सक्षम नहीं थी। समूह ने एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है जो अधिनियम की धारा 177(2), 178(1) और 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन नहीं करती है। बीओडी की संरचना कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं है।

प्रबंधन ने इस संबंध में सरकार से आवश्यक आवेदन कर दिए हैं। प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त गैर–अनुपालन के कारण वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण समायोजन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित नहीं था। चूँकि निदेशक मंडल की नियुक्ति सीधे रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए कंपनी ऐसे निदेशकों की नियुक्ति करने में सक्षम नहीं है।

37 संबंधित पक्ष लेनदेन

समूह का नियंत्रण भारत सरकार के पास है।

संबंधित पक्षों के नाम और रिश्ते की प्रकृति

(क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री देबाशीष बनर्जी	सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार (01/04/2024 से 30/11/2024 तक)
श्री देबाशीष बनर्जी	निदेशक/मानव संसाधन (01/04/2024 से 30/11/2024 तक)
श्री प्रकाश अग्रवाल	सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार (01/12/2024 से 31/03/2025 तक)
श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/वित्त/सीएफओ (01/04/2024 से 31/03/2025 तक)
श्री प्रकाश अग्रवाल	निदेशक/संचालन (01/04/2024 से 07/11/2024 तक)
श्री राकेश ओझा	निदेशक/संचालन (08/11/2024 से 31/03/2025 तक)
श्री नंदकिशोर प्रभाकर नाईक	निदेशक/मानव संसाधन (05/02/2025 से 31/03/2025 तक)
श्री अनुराग बाजपेयी	नामित निदेशक (01/04/2024 से 04/08/2024 तक)
श्री अमित सतीजा	नामित निदेशक (14/08/2024 से 31/03/2025 तक)
श्री ई.जे. पॉल	कंपनी सचिव (01/04/2024 से 31/03/2025 तक)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का मुआवजा	**31 मार्च 2025**	**31 मार्च 2024**
अल्पाकालिक कर्मचारी लाभ	1.17	1.54
कुल	**1.17**	**1.54**

(ख) चूंकि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के नियंत्रण में एक सरकारी इकाई है, इसलिए कंपनी ने सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन के संबंध में इंड एएस 24 के तहत आवश्यक विस्तृत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त की है।

हालांकि, भारतीय लेखा मानक 24 के तहत अपेक्षित, निम्नलिखित व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन हैं: कंपनी के टर्नओवर और व्यापार प्राप्तियों का लगभग 51% और ग्राहक अग्रिमों का 75% सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में है।

38 आकस्मिक देयताएं

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
(i) आकस्मिक देयताएं		
कानूनी दावों में वेतन और भत्ते के लिए अदालती मामले, अनुशासनात्मक मामलों में जुर्माना, खरीद में मध्यस्थता और वेतन निर्धारण आदि शामिल हैं।	76.59	10.50
कानूनी दावों में वेतन और भत्ते, खरीद में मध्यस्थता, वेतन निर्धारण और जीएसटी विभाग आदि के लिए अदालती मामले शामिल हैं।	143.99	15.01
बैंक गारंटी	1,017.71	184.95
साख पत्र	590.78	945.58
कुल	**1,829.08**	**1,156.04**

प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.2.I. का संदर्भ लें

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऊपर शामिल 172.33 करोड़ रुपये की राशि के ऋण पत्र के विरुद्ध सुरक्षा के लिए नोट संख्या 14 देखें और चालू वर्ष के लिए शून्य। मंजूरी एसबीआई द्वारा प्रदान की गई सुविधा से है।

39 प्रति शेयर आय

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
(क) प्रति शेयर मूल आय		
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ, जिसका उपयोग प्रति शेयर मूल आय की गणना में किया जाता है	839.86	558.78
प्रति शेयर मूल आय की गणना में हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	34,42,08,80,000	34,24,03,61,370
प्रति शेयर मूल आय (रुपये में)	**0.24**	**0.16**
(ख) प्रति शेयर तनु आय		
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ, जिसका उपयोग प्रति शेयर तनु आय की गणना में किया जाता है	839.86	558.78
प्रति शेयर तनु आय की गणना में हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	34,91,17,11,823	34,77,43,75,753
प्रति शेयर डायलूटेड आय (रुपये में)	**0.24**	**0.16**

40 अनुसूची III द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियामक जानकारी

(क) वित्तीय मुख्य बिंदु

क्रमांक	विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	विचरण %
क	**लाभ और हानि का विवरण**			
1	परिचालन से राजस्व	8,214.10	7,221.58	14%
2	अन्य कमाई	435.30	313.04	39%
	कुल आय	**8,649.41**	**7534.618473**	**15%**
3	कुल व्यय	7,369.90	6,945.56	6%
	कर से पहले का लाभ	**1,279.51**	**589.06**	**117%**
	असाधारण वस्तु	7.02	161.53	-96%
	कर के बाद लाभ	**839.86**	**558.78**	**50%**
	प्रति शेयर आय	**0.24**	**0.16**	52%

क्रमांक	विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	विचरण %
ख	**तुलन पत्र**			
	संपत्ति			
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/ अमूर्त परिसंपत्ति/ सीडब्ल्यूआईपी	5,831.64	5,143.24	13%
2	सूची	4,206.67	4,523.11	-7%
3	निवेश	0.80	0.80	0%
4	अन्य परिसंपत्ति	1,162.43	1,443.02	-19%
5	वित्तीय पूंजी	7,898.92	5,289.90	49%
	कुल	**19,100.46**	**16,400.07**	16%
	देयताएं			
6	हिस्सेदारी	10,204.71	8,619.40	18%
7	गैर चालू देयता	2,895.36	2,932.65	-1%
8	वर्तमान देनदारियां	6,000.38	4,848.01	24%
	कुल	**19,100.46**	**16,400.07**	16%

(ख) वित्तीय अनुपात

क्र.सं.	अनुपात	मीटर	भाजक	31 मार्च 2025		31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	% भिन्नता	भिन्नता का कारण
				मीटर	भाजक	अनुपात	अनुपात		
1.	वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	13,255.72	6,000.38	2.21	2.31	-4%	लागू नहीं क्योंकि विचरण 25% से कम है
2.	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	करों के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारक निधि	839.86	10,204.71	8..23%	6.48%	27%	परिचालन से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप परिचालन लाभ हुआ है
3.	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की कीमत	औसत इन्वेंटरी	3,769.13	4,364.89	0.86	0.84	3%	परिचालन से राजस्व में वृद्धि के कारण, बेची गई वस्तुओं की लागत भी बढ़ गई है।
4.	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	परिचालन से राजस्व(सकल)	औसत व्यापार प्राप्य	8,214.10	1,437.80	5.71	5.08	12%	लागू नहीं क्योंकि विचरण 25% से कम है
5.	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण खरीद	औसत व्यापार देय	1,455.20	1,272.13	1.14	1.50	-24%	लागू नहीं क्योंकि विचरण 25% से कम है
6.	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	परिचालन से राजस्व(सकल)	चालू संपत्तियां चालू दायित्व	8,214.10	7,255.35	1.13	1.13	0%	यह वृद्धि परिचालन से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के कारण हुई है
7.	शुद्ध लाभ अनुपात	करों के बाद शुद्ध लाभ	परिचालन से राजस्व (सकल)	839.86	8,214.10	10.22%	7.74%	32%	परिचालन से प्राप्त राजस्व और परिचालन लाभ में वृद्धि के कारण करों के बाद शुद्ध लाभ में भी वृद्धि हुई है ।
8.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की कमाई	कुल संपत्ति – चालू और गैर–चालू देयताएं	1,283.56	10,204.71	12.58%	6.86%	83%	परिचालन से राजस्व में वृद्धि के कारण, EBITDA में वृद्धि हुई है ।
9.	निवेश पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पहले की कमाई	कुल संपत्ति	1,283.56	19,100.46	6.72%	3.60%	87%	परिचालन से राजस्व में वृद्धि के कारण, EBITDA में वृद्धि हुई है ।

नोट: निम्नलिखित अनुपातों का खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि वे कंपनी पर लागू नहीं हैं
ऋण इक्विटी अनुपात
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात

(ग) अन्य विनियामक जानकारी

(i) समूह के नाम पर न रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख

वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकटित सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख, संबंधित कारखानों के स्थान पर स्थित 43146.79 एकड़ भूमि को छोड़कर, कंपनी के नाम पर हैं, जिनमें से 39883.836 एकड़ क्षेत्रफल वाली भूमि अभी भी भारत सरकार के नाम पर है और हस्तांतरण प्रक्रिया प्रगति पर है।

इकाई का नाम	संपत्ति का विवरण (भूमि)	क्षेत्रफल एकड़ में	जगह	सकल वहन मूल्य (INR)	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक, रिश्तेदार या कर्मचारी है	तब से धारित संपत्ति	क्या विलेख कंपनी के नाम पर है?	कंपनी के नाम न रखे जाने का कारण
एएफके	भूमि	126.873	भोसरी, वडमुखवाड़ी	राशि निश्चित नहीं है	निजी मालिक और भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
ओएफबी	भूमि	4737.85	आयुध निर्माणी भंडारा जिला.भंडारा महाराष्ट्र-441906	25,78,685	भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
ओएफबीएल	भूमि	11971.03	ओ.एफ. बदमल, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। उत्परिवर्तन	5,02,18,000	भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
ओएफसीएच	भूमि	7942.89	ओएफसीएच	9,75,637	भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
ओएफआई	भूमि	5357.21	ओएफआई	93,56,700	भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
ओएफके	भूमि	3870.04	ऑर्ड. फाय. खमरिया	8,09,000	भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
ओएफएन	भूमि	2924.424	नालंदा, राजगीर, बिहार	65,24,34,327	भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	हाँ	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है

इकाई का नाम	संपत्ति का विवरण (भूमि)	क्षेत्रफल एकड़ में	जगह	सकल वहन मूल्य (INR)	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक, रिश्तेदार या कर्मचारी है	तब से धारित संपत्ति	क्या विलेख कंपनी के नाम पर है?	कंपनी के नाम न रखे जाने का कारण
ओएफवी	भूमि	1308	इनसाइड फैक्ट्री (ओएफवी)	88,62,761	भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
	भूमि	1645.519	ओएफवी एस्टेट		भारत सरकार	नहीं	01.10.2021	नहीं	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
एनएडीपी	इमारत		अंबाझरी, नागपुर	3,19,28,246		नहीं	01.10.2021	हाँ	आयुध निदेशालय से म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है, भूमि हस्तांतरण के बाद प्रक्रिया शुरू की जा सकती है
कुल		**42383.4011**		**761193255**					

(ii) कंपनी रजिस्ट्रार के साथ शुल्कों का पंजीकरण या संतुष्टि

ऐसे कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं हैं जिन्हें वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया जाना बाकी है।

(iii) बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधार का उपयोग। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया गया है।

(iv) बेनामी संपत्ति का विवरण

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बेनामी संपत्ति रखने के लिए समूह के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(v) चालू परिसंपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित उधार

कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है।

(vi) जानबूझकर चूककर्ता

कंपनी की किसी भी इकाई को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(vii) हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हटाई गई कंपनियों के साथ कोई व्यावसायिक लेनदेन नहीं किया है ।

(viii) कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन
कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

(ix) व्यवस्था की अनुमोदित योजना(यों) का अनुपालन
कंपनी ने ऐसी कोई व्यवस्था योजना शुरु नहीं की है जिसका चालू अवधि पर लेखांकन प्रभाव हो।

(x) उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग
कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या संस्था(संस्थशयों) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निस्शित धनराशि नहीं दी है कि मध्यस्थ:

(xi) इकाइयों द्वारा रिपोर्ट किए गए रिटर्न के लेखापरीक्षित आंकड़ों को भारतीय लेखा मानक रिपोर्टिंग के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों में एकरूपता लाने के लिए यथासंभव पुनर्समूहित किया गया है।

(xii) अघोषित आय
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में चालू अवधि के दौरान कोई भी आय समर्पित या आय के रूप में प्रकट नहीं की गई है, जिसे लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

(xiii) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण
कंपनी ने चालू अवधि के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(xiv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन
कंपनी ने चालू अवधि के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त परिसंपत्तियों या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(xv) कंपनी के सरकारी सशस्त्र बलों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) के साथ बड़े लेन–देन हैं। उनके/उनसे बकाया शेष (व्यापार देय/व्यापार प्राप्य आदि के अंतर्गत शामिल) और कुछ अन्य बकाया क्रेडिट और डेबिट शेष पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। इनसे उत्पन्न होने वाले समायोजन, यदि कोई हों, निपटान पर महत्वपूर्ण नहीं होंगे और जब भी उनका पता लगाया जाएगा, उनका हिसाब लगाया जाएगा।

(xvi) चालू वर्ष की प्रस्तुति की पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को यथासंभव पुनः समूहीकृत किया गया।

(xvii) एमआईएसपीसी 100% सहायक कंपनी है जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 2024 को हुई थी और इसलिए यह समेकन का पहला वर्ष है।

(घ) भावी पूंजी प्रतिबद्धता

विवरण	2024-2025 के लिए भावी पूंजी प्रतिबद्धता	2023-2024 के लिए भावी पूंजी प्रतिबद्धता
प्रतिबद्ध दायित्व	2,106.24	2,367.50

बोरकर और मुजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
फर्म पंजीकरण संख्या: 101569W

के निदेशक मंडल की ओर से
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

सुप्रिया दीपक भट
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 048592

संजय हज़ारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11089196

प्रकाश अग्रवाल
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन: 09666613

ई.जे. पॉल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS4521

पुणे
दिनांक – 19/08/2025

पुणे
दिनांक – 19/08/2025

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

Munitions India Limited

विनाशाय दुष्कृताम्

Accurate. Lethal. Reliable.

Corporate Office : 2nd Floor, Nyati Unitree, Nagar Road,
Yerwada, Pune-411006